

सत्यमेव जयते

भारत
के
नियंत्रक–महालेखापरीक्षक
का

31 मार्च 2003 को समाप्त हुए वर्ष का
प्रतिवेदन

(सिविल)

बिहार सरकार

htpp:\\cagindia.org\states\Bihar\2003

विषय-सूची

	संदर्भ	
	कंडिका	पृष्ठ
प्राक्कथन		X
विहंगावलोकन		XI-XXI
अध्याय–I **राज्य सरकार का वित्त**		
प्रस्तावना	1.1	1
पूर्व वर्ष की तुलना में वित्त की प्रवृतियाँ	1.2	2
वर्ष के प्राप्तियों एवं संवितरणों का सार	1.3	3
लेखापरीक्षा कार्यप्रणाली	1.4	3-5
मात्रा एवं स्रोतों द्वारा संसाधन	1.5	5-7
संसाधनों का उपयोग	1.6	7-11
आवंटीय प्राथमिकताओं द्वारा व्यय	1.7	11-13
परिसंपत्तियाँ एवं दायित्त्व	1.8	14-18
घाटों का प्रबंधन	1.9	18-19
राजकोषीय अनुपात	1.10	19-21
अध्याय–II **विनियोजन एवं आवंटन हेतु प्राथमिकताएँ**		
प्रस्तावना	2.1	23
विनियोजन लेखाओं का सारांश	2.2	23-24
विनियोग द्वारा आवंटन हेतु प्राथमिकताएँ	2.3	24-30
मिलान नहीं किया गया व्यय	2.4	30
व्यय की तीव्रता	2.5	30

	संदर्भ	
	कंडिका	पृष्ठ
निधियों की विमुक्ति नहीं किए जाने के कारण अनुदान का अनुपयोग	2.6	30
उधार एवं वसूलियों की स्थिति	2.7	30-31
आरक्षित निधि – बजट बनाने की प्रक्रिया में लेखा प्रक्रिया का अनुपालन नहीं किया जाना	2.8	31
अध्याय–III **निष्पादन समीक्षाएँ**		
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा तथा परिवार कल्याण विभाग		
राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम (एन ए सी पी)	3.1	33-43
औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम, 1940 कार्यान्वयन	3.2	43-53
कल्याण विभाग		
विकलांगों का कल्याण	3.3	54-64
जल संसाधन विभाग		
त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम	3.4	65-80
गृह (पुलिस) विभाग		
अग्नि सुरक्षा एवं नियंत्रण	3.5	81-87
कल्याण एवं शिक्षा विभाग		
छात्रों को वृत्तिका एवं छात्रवृत्ति का भुगतान	3.6	88-92
अध्याय–IV **सम्पादन लेखापरीक्षा**		
कपटपूर्ण निकासी/दुर्विनियोजन/गबन/हानि	**4.1**	93
वन एवं पर्यावरण विभाग		
संदेहास्पद व्यय	4.1.1	93-94

	संदर्भ	
	कंडिका	पृष्ठ
गृह (कारा) विभाग		
निधि का दुर्विनियोजन	4.1.2	94
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग		
सामग्रियों की संदेहास्पद आपूर्ति	4.1.3	95
राजस्व विभाग		
सरकारी धन का गबन	4.1.4	95-96
ग्रामीण विकास विभाग		
अस्वीकृत प्रमाणकों के माध्यम से संदेहास्पद लेन–देन	4.1.5	96
अग्रिम भुगतानों का दुर्विनियोजन	4.1.6	97
कल्याण विभाग		
संदेहास्पद वितरण	4.1.7	98-99
निष्फल/व्यर्थ व्यय एवं अधिक भुगतान	**4.2**	99
भवन निर्माण एवं आवास विभाग		
सचिवालय परिसर में नवनिर्मित कांफ्रेंस हॉल के छत का ध्वस्त हो जाना	4.2.1	99-100
संविदात्मक दायित्व का उल्लंघन/संवेदक को अदेय सहायता	**4.3**	100
ग्रामीण विकास विभाग		
ईंट आपूर्त्तिकर्त्ता को अदेय वित्तीय सहायता	4.3.1	100-101
परिहार्य/अधिक/निष्फल व्यय	**4.4**	101
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग		
हस्त नलकूपों सहित लौह पृथक्करण संयंत्र पर निष्फल व्यय	4.4.1	101-102
राजस्व विभाग		
ब्याज भुगतान पर परिहार्य व्यय	4.4.2	102-103
पथ निर्माण विभाग		
पथ कार्य में अतिरिक्त लागत	4.4.3	103

	संदर्भ	
	कंडिका	पृष्ठ
पथ निर्माण विभाग		
अधिकाई व्यय	4.4.4	104
पथ कार्य में सामग्रियों का संदेहास्पद उपयोग	4.4.5	105-106
अतिरिक्त लागत तथा पथ की संदेहास्पद मरम्मती	4.4.6	106
परिहार्य अतिरिक्त व्यय	4.4.7	107
अविवेकपूर्ण ढ़ंग से पथ कार्य को प्रदान करना	4.4.8	107-108
पथ के अधूरे निर्माण पर निष्फल व्यय	4.4.9	108-109
पथ निर्माण विभाग (राष्ट्रीय उच्च पथ शाखा)		
रेलवे पुल से जुड़ने वाले रास्ते के निर्माण में अतिरिक्त लागत	4.4.10	109-110
जल संसाधन विभाग		
शाखा नहर के अधूरे निर्माण पर निष्फल व्यय	4.4.11	110-111
निष्फल व्यय	4.4.12	111
पथ कार्य में निष्फल निवेश	4.4.13	112
क्षतिपूर्ति के भुगतान में चूक	4.4.14	112-113
निष्क्रिय निवेश/निष्क्रिय स्थापना/निधि का अवरोधन	**4.5**	113
पशुपालन विभाग		
निष्क्रिय कर्मियों पर निरर्थक व्यय	4.5.1	113
अकार्यशील तरल नाइट्रोजन संयंत्र पर निरर्थक व्यय	4.5.2	114
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, राजस्व विभाग तथा कल्याण विभाग		
असैनिक जमा/बैंक में सरकारी धन का अनियमित जमा	4.5.3	114-116
स्वास्थ्य, स्वास्थ्य शिक्षा तथा परिवार कल्याण विभाग		
निधि के उपयोग में अनावश्यक विलंब	4.5.4	116

		संदर्भ	
		कंडिका	पृष्ठ
पशुपालन विभाग			
कर्मियों की अधिकता के कारण निरर्थक व्यय		4.5.5	117
अधिनियमन संबंधी मामले एवं अन्य प्रसंग		**4.6**	117
उच्चतर शिक्षा विभाग			
कॉलेज तथा छात्रावास भवन सी. आर. पी. एफ. के आधिपत्य में		4.6.1	117-118
पथ निर्माण विभाग			
पथ कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित नहीं की गयी		4.6.2	119
जल संसाधन विभाग			
भवन पर अनधिकृत आधिपत्य		4.6.3	120
अध्याय – V			
आंतरिक लेखापरीक्षा व्यवस्था		5	121-123
परिशिष्ट			
I	बिहार सरकार की वित्तीय स्थिति का सार	1.3	125
II	वर्ष 2002–03 की प्राप्तियाँ एवं संवितरण का सार	1.4	126-127
III	निधि का स्रोत एवं उपयोग	1.4	128
IV	राज्य सरकार के वित्त के कालबद्ध आँकड़े	1.4	129-130
V	अध्याय–I में प्रयुक्त शब्दावली तथा उनके गणना का आधार	1.4	131
VI	मार्च 2003 तक भुगतान किए गए सहायता अनुदान जिनके उपयोगिता प्रमाण पत्र सितंबर 2003 तक अप्राप्त थे	1.7.2	132-133
VII	स्वायत्तशासी निकायों द्वारा राज्य विधायिका को सौंपे गए लेखाओं की वस्तुस्थिति का विवरण	1.7.3	134
VIII	अपूर्ण सिंचाई परियोजनाओं की सूची जहाँ वृहत पूँजी अवरूद्ध थीं	1.8.1	135
IX	विभागीय प्रबंधित वाणिज्यिक/अर्द्ध–वाणिज्यिक उपक्रम, जिन्होंने स्थापना काल से ही प्रोफार्मा लेखा तैयार नहीं किया है	1.8.4	136
X	विभाग द्वारा प्रबंधित वाणिज्यिक/अर्द्ध वाणिज्यिक उपक्रम जिनके प्रोफार्मा लेखे बकाया हैं	1.8.4	137

		संदर्भ	
		कंडिका	पृष्ठ
XI	मामले जहाँ केन्द्र प्रायोजित/केन्द्रीय योजनागत योजना और राज्य योजनागत योजना की एक करोड़ रुपये से अधिक कुल बजट प्रावधान अप्रयुक्त पड़े रहे	2.3.1	138-142
XII	मामले जहाँ व्यय बजट प्रावधान से रुपये 2 करोड़ से अधिक से कम थे तथा कुल प्रावधान के 10 प्रतिशत से भी अधिक थे	2.3.1	143-148
XIII	कुल प्रावधान (प्रत्येक मामले में रुपये 10 लाख से अधिक) के अनुपयोग को प्रदर्शित करने वाली विवरणी	2.3.1	149-153
XIV	नियमन की अपेक्षा वाले आधिक्य की विवरणी	2.3.1	154
XV	प्रत्येक मामले में रुपये 2 करोड़ से अधिक लगातार बचत के मामले	2.3.2	155-156
XVI	1977–78 से 2002–03 तक आधिक्य	2.3.3	157
XVII	बजट प्रावधान से अधिक व्यय	2.3.4	158-159
XVIII	बजट प्रावधान के बिना व्यय	2.3.4	160
XIX	मामले जहाँ अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक साबित हुए	2.3.7	161-162
XX	मामले जहाँ अनुपूरक प्रावधान अत्यधिक साबित हुए (प्रत्येक मामले में 10 लाख रुपये से अधिक)	2.3.7	163
XXI	मामले जहाँ अनुपूरक प्रावधान अपर्याप्त था	2.3.7	164
XXII	अनुदान में वास्तविक बचत से अधिक अभ्यर्पण	2.3.8	165
XXIII	अनुचित/अत्यधिक अभ्यर्पणों की विवरणी	2.3.8	166-167
XXIV	प्रत्याशित बचत जिनका अभ्यर्पण नहीं किया गया	2.3.9	168
XXV	मार्च 2003 के अंतिम तिथि को अभ्यर्पित राशि	2.3.9	169-170
XXVI	मिलान नहीं किए गए व्यय की विवरणी	2.4	171-172
XXVII	मार्च 2003 के दौरान व्यय में तेजी	2.5	173
XXVIII	पूँजीगत परिव्यय में कमी के कारण योजनाओं के स्वीकृति के प्रतीक्षा में निधि का व्यपगत होना	2.6	174-178
XXIX	एड्स नियंत्रण कार्यक्रम का घटक वार भौतिक प्रगति (अप्रील 1998 से मार्च 2003)	3.1.6	179-180
XXX	लाभान्वित विकलांगों की सूची	3.3.8	181-182

प्राक्कथन

1 यह प्रतिवेदन संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

2 इस प्रतिवेदन के अध्याय I एवं II में 31 मार्च 2003 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राज्य सरकार के क्रमशः वित्त लेखे और विनियोग लेखे की जाँच से उत्पन्न मामलों पर लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ शामिल हैं।

3 शेष अध्याय निष्पादन लेखापरीक्षा के निष्कर्षों और विभिन्न विभागों में सम्पादन लेखापरीक्षा सहित आंतरिक नियंत्रण व्यवस्था से संबंध रखते हैं।

4 सांविधिक निगमों, बोर्डों और सरकारी कम्पनियों की लेखापरीक्षा से उठी टिप्पणियों वाला प्रतिवेदन और राजस्व प्राप्तियों पर ऐसी टिप्पणियाँ रखने वाला प्रतिवेदन अलग से प्रस्तुत किया जाता है।

5 प्रतिवेदन में उल्लेखित मामले उनमें से हैं जो वर्ष 2002–03 के दौरान लेखाओं की नमूना लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में आए तथा उनमें से जो पूर्व वर्षों में ध्यान में आए थे परंतु पूर्व प्रतिवेदनों में शामिल नहीं किये जा सके, वर्ष 2002–03 की बाद की अवधि से संबंधित मामले, जहाँ कही आवश्यक हैं, भी शामिल किये गए हैं।

विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में बिहार सरकार की वित्त एवं लेखे पर दो अध्याय, छः निष्पादन समीक्षाओं/वृहत्त कंडिकाओं पर एक अध्याय एवं राज्य सरकार की 31 कंडिकाओं को सम्मिलित करते हुए सम्पादन लेखापरीक्षा तथा आंतरिक नियंत्रण व्यवस्था पर दो अन्य अध्याय शामिल हैं। लेखापरीक्षा समीक्षाओं एवं महत्त्वपूर्ण कंडिकाओं में अन्तर्निहित लेखापरीक्षा निष्कर्षों का सार इस विहंगावलोकन में सन्निहित है।

1 राज्य सरकार का वित्त

- बिहार सरकार की राजस्व प्राप्तियाँ वर्ष 1998–99 में 9296 करोड़ रुपये (संयुक्त राज्य) से बढ़कर वर्ष 2002–03 में 10968 करोड़ रुपये (परवर्ती राज्य) हो गयी। पूर्व वर्ष से वर्ष 2002–03 के दौरान राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि दर साधारण 11 प्रतिशत थी जो मुख्यतः कर राजस्व के 19 प्रतिशत के संतुलित वृद्धि तथा भारत सरकार द्वारा सहायता अनुदानों में 32 प्रतिशत वृद्धि के कारण थी।

- राज्य के अपने स्रोत से 28 प्रतिशत राजस्व आया जबकि कूल राजस्व में केन्द्रीय कर स्थानांतरण तथा सहायतानुदान का लगभग 72 प्रतिशत हिस्सा था।

- कर राजस्वों में, बिक्री कर में 17 प्रतिशत की वृद्धि, माल एवं यात्रियों पर करों में 71 प्रतिशत की वृद्धि, वाहन करों पर 26 प्रतिशत की वृद्धि तथा स्टांप एवं निबंधन शुल्कों में 14 प्रतिशत की वृद्धि, वर्ष के दौरान राजस्व के उच्च वृद्धि के मुख्य कारक थे।

- ब्याज प्राप्तियों में 351 प्रतिशत की उछाल तथा गैर–लौह खनन् एवं धातुकर्मीय उद्योगों से प्राप्तियों में 56 प्रतिशत की वृद्धि वर्ष के दौरान करेत्तर राजस्व के ह्रास (26 करोड़ रुपये) को रोकने हेतु पर्याप्त नहीं थी।

- सरकार द्वारा गुणवत्ता के मालों एवं सेवाओं की आपूर्त्ति में शुल्क वसूली का वर्त्तमान स्तर माध्यमिक शिक्षा के लिए 0.11 प्रतिशत, विश्व विद्यालय एवं उच्चतर शिक्षा के लिए 0.73 प्रतिशत, तकनीकी शिक्षा के लिए 5.81 प्रतिशत, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के लिए 3.54 प्रतिशत, जलापूर्त्ति एवं स्वच्छता के लिए 0.2 प्रतिशत एवं वृहत् एवं मध्यम सिंचाई में 10.04 प्रतिशत तथा लघु सिंचाई में 0.33 प्रतिशत था।

- राज्य का कुल व्यय वर्ष 1998–99 में पूर्ववर्त्ती समग्र राज्य के लिए 12966 करोड़ रुपये से थोड़ी वृद्धि होकर वर्ष 2002–03 में नए पुनर्गठित राज्य के लिए 13972 करोड़ रुपये हो गये।

- राज्य का राजस्व व्यय वर्ष 1998–99 में 11563 करोड़ रुपये से बढ़ कर वर्ष 2002–03 में 12255 करोड़ रुपये हो गया। प्रशासकीय खर्चों (1155 करोड़ रुपये), ब्याज भुगतानों (3022 करोड़ रुपये) तथा पेंशन (2049 करोड़ रुपये) के भुगतान पर वर्ष के दौरान कुल राजस्व प्राप्तियों का 57 प्रतिशत खर्च हुआ।

- ब्याज भुगतान वर्ष 1998–99 में 2412 करोड़ रुपये से 25 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2002–03 में 3022 करोड़ रुपये हो गया तथा 28 प्रतिशत राजस्व प्राप्तियों से पूरा किया गया।

- वर्ष 1998–99 में कुल व्यय में आर्थिक और सामाजिक सेवाओं का अंश क्रमशः 22.40 प्रतिशत तथा 32.09 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2002–03 में क्रमशः 17.96 प्रतिशत तथा 29.04 प्रतिशत हो गया, सामान्य सेवाओं के संबंधित अंश इस अवधि के दौरान 41.02 प्रतिशत से बढ़कर 47.63 प्रतिशत हो गए।

- पूँजीगत व्यय वर्ष 2001–02 में 742 करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 2002–03 में 970 करोड़ रुपये हो गई। अग्रिम दिए गए ऋण का कुल बकाया शेष 31 मार्च 2003 को 8205 करोड़ रुपये था। इन अग्रिमों के विरूद्ध ब्याज की प्राप्तियाँ वर्ष 1998–2003 के दौरान बकाए ऋणों एवं अग्रिमों का 0. 04 प्रतिशत से 0.65 प्रतिशत के मध्य परिवर्त्तनशील अत्यंत कम थीं।

- ब्याज एवं पुनर्भुगतानों की देयता के बाद आंतरिक ऋणों एवं भारत सरकार द्वारा ऋणों एवं पेशगियों से संबंधित कुल उपलब्ध निधियाँ वर्ष 1998–99 में 32.59 प्रतिशत से कम हो कर वर्ष 1998–2003 में 1.72 प्रतिशत हो गयी।

- राजस्व घाटा वर्ष 2001–02 में 1320 करोड़ रुपये से घटकर वर्ष 2002–03 में 1287 करोड़ रुपये हो गई। तथापि राजकोषीय घाटा 2002–03 में 2583 करोड़ रुपये से बढ़कर 2988 करोड़ रुपये हो गया। ये घाटे, हालांकि उनके नवीनतम लेखा के अनुसार बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को भुगतेय 2963 करोड़ रुपये की सब्सिडी को शामिल नहीं करते हैं। परिणामस्वरूप, प्रत्येक मामले में प्रभावी घाटा 2963 करोड़ रुपये से बढ़ जाएगा।

- बिहार सरकार ने वर्ष के दौरान ऋणों एवं पेशगियों पर 747.19 करोड़ रुपये का भुगतान किया है। इसमें से 630.34 करोड़ रुपये (84 प्रतिशत) बिहार राज्य विद्युत निगम (बि. एस. ई. बी.) को भुगतान किए गए। यह पाया गया कि बि. एस. ई. बी. को स्वीकृत ऋण में से 340 करोड़ रुपये का ऋण राजस्व प्रयोजनों के लिये था यथा बाँड के ब्याज का भुगतान, एन टी पी सी के बकाए का भुगतान आदि। इस प्रकार निवेश/पूँजीगत व्यय के रूप में बि. एस. ई. बी. को सब्सिडी के भुगतान का लेखा–जोखा राज्य के लेखा का रूप बिगाड़ता है और परिणामतः राजस्व घाटे को छिपाता है।

- राज्य का कुल राजकोषीय दायित्त्व वर्ष 1998–99 में 26826 करोड़ रुपये से 7.60 प्रतिशत के औसत वृद्धि दर से बढ़कर वर्ष 2002–03 में 35249 करोड़ रुपये हो गया। जी. एस. डी. पी. के अनुपात के रूप में ये दायित्त्व वर्ष 1998–99 में 40.50 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2002–03 में 62.20 प्रतिशत हो गए तथा राजस्व प्राप्तियों के 3.21 गुना तथा अपने कर एवं करेतर राजस्व से निर्मित संसाधनों के 10.14 गुना पर अवस्थित थे।

- वित्त लेखे में दर्शाए गए बिहार सरकार के दायित्वों में हाँलाकि राज्य सरकार द्वारा निर्गत पेंशन, कार्यरत/सेवा निवृत्त राज्य सरकार के कर्मचारियों को भुगतेय अन्य सेवानिवृत्ति लाभों, गारंटियों/लेटर ऑफ क्रेडिट शामिल नहीं है।

(कंडिका 1.1 से 1.9)

2 विनियोजन एवं आवंटन हेतु प्राथमिकताएँ

- वर्ष 2002–03 के दौरान राज्य सरकार ने कुल बजट प्रावधान 20542.50 करोड़ रुपये के विरूद्ध 15506.45 करोड़ रुपये का व्यय किया। 5035.75 करोड़ रुपये की समग्र बचत अनुदानों के 45 एवं विनियोगों के पाँच मामलों में हुए 5045.90 करोड़ रुपये की बचत, दो अनुदानों के 10.15 करोड़ रुपयें के आधिक्य का निवल परिणाम था।
- चौवालिस मामलों जिनमें 34 अनुदान/विनियोग शामिल थे, उनमें दो करोड़ से अधिक प्रत्येक मामलों में कुल प्रावधान का 10 प्रतिशत या उससे अधिक के सतत बचत पाए गये थे।
- वर्ष 1977–78 से वर्ष 2002–03 के मध्य 7467.62 करोड़ रुपये के अधिकाई व्यय को मार्च 2004 तक नियमित नहीं किया गया यद्यपि भारत के संविधान के धारा 205 के तहत वांछित था।
- अगस्त 2002 से मार्च 2003 के दौरान 40 मामलों हेतु किए गए 614.56 करोड़ रुपये का अनुपूरक प्रावधान पूर्णतः अनावश्यक था चूँकि इन मामलों में व्यय मूल प्रावधान के स्तर तक भी नहीं हो पाए।
- प्रत्येक मामले में एक करोड़ रुपये से अधिक बचत वाले राजस्व प्रभाग के अनुदानों/विनियोगों के 22 मामलों तथा पूँजीगत प्रभाग के अनुदानों/विनियोगों के 8 मामलों में 993.31 करोड़ रुपये के बचतों को वर्ष 2002–03 के अंत तक अभ्यर्पित नहीं किया गया था।
- 38 मुख्य शीर्षों में वर्ष 2002–03 के 1552 इकाईयों के विनियोगों के अंतर्गत 6567.37 करोड़ रुपये के व्यय को 87 नियंत्री पदाधिकारियों द्वारा मिलान नहीं किया गया जबकि वित्तीय नियमों के अंतर्गत अपेक्षित था।

(कंडिका 2.2 से 2.8)

3 निष्पादन समीक्षाएँ

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम (एन ए सी पी)

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम दीर्धकाल के लिए एच आई वी संक्रमण के विस्तार को कम करने तथा एच आई वी/एड्स के खिलाफ राष्ट्रीय क्षमता को मजबूत करने के उद्देश्य से चलाया गया। राज्य में कार्यक्रम का कार्यान्वियन मुख्यतः समुचित अनुश्रवण के अभाव के कारण बाधित था। अति संवेदनशील समूह हेतु लक्षित प्रयास के अवयवों तथा अल्प संवेदनशील समूह में एच आई वी/एड्स के रोकथाम की भौतिक प्रगति कंडोम प्रोत्साहन

को छोड़कर कम या शून्य थी। रक्त अधिकोषों में आधारभूत अंतःसंरचना सुविधाओं की कमी थी। कम खर्च पर एड्स की देखरेख हेतु कोई सामूदायिक केन्द्र नहीं स्थापित किया गया था। संस्थागत सुदृढ़ता की कमी थी। परस्पर संस्थागत सहयोग का अभाव था। इस प्रकार दीर्घकाल के लिए एच आई वी संक्रमण को कम करने तथा एच आई वी/ एड्स से सामना करने की राष्ट्रीय क्षमता के सुदृढ़ीकरण के वांक्षित उद्देश्य व्यापक तौर पर प्राप्त नहीं किया गया।

- वर्ष 1998–2002 के दौरान कम खर्च के कारण भारत सरकार द्वारा आवंटित निधि (24.27 करोड़ रुपये) का मात्र 46 प्रतिशत (11.14 करोड़ रुपये) ही विमुक्त हुआ।

- वर्ष 1999–2003 के दौरान 0.49 करोड़ रुपये का जागरूकता अभियान पर अधिकाई व्यय विभिन्न अवयवों से निधि का विचलन कर किया गया।

- सिविल कार्यों हेतु 15 लाख रुपये के आवंटन के विरूद्ध, एड्स नियंत्रण समिति द्वारा, नाको के सहमति के बिना रक्त अधिकोषों हेतु कमरे के निर्माण के लिए मार्च 2003 में जिला समाहत्ताओं को 1.17 करोड़ रुपये का अग्रिम दिया गया।

- अतिसंवेदनशील समूहों के लिए लक्षित प्रयास के घटकों के लिए एच आई वी/एड्स के रोकथाम की भौतिक प्रगति वर्ष 1998–2003 के दौरान सिवाय कंडोम प्रोत्साहन के शुन्य अथवा नगण्य थी एवं अल्प संवेदनशील समूहों के के लिए एच आई वी/एड्स के रोकथाम की भौतिक प्रगति निराशाजनक थी।

- अल्प संवेदनशील समूहों के लिए एच आई वी/एड्स के रोकथाम की भौतिक प्रगति रक्त अधिकोषों में आधारभूत अंतःसंरचना के अभाव में दयनीय था। रक्त अधिकोषों में आवश्यक उपकरणों यथा एयर कंडिशनर तथा एलिसा रीडर के कमी के कारण रक्त अधिकोषों का क्रियान्वयन बाधित था।

- नाको द्वारा आधुनिकीकरण हेतु 15 रक्त अधिकोषों को आपूर्ति किया गया 107 उपकरण अकार्यशील था चूँकि रक्त अधिकोष को सक्षम प्राधिकारी से कार्य करने का लाइसेंस प्राप्त नहीं था। सात लाईसेंस प्राप्त रक्त अधिकोषों में नाको द्वारा आपूर्त्ति किए गए 168 उपकरण भी बेकार पड़े थे।

- राज्य में कम खर्च पर एड्स की देखरेख शुरू नहीं की गई क्योंकि कोई सामूदायिक देखरेख केन्द्र स्थापित नहीं किया गया था।

- संस्थागत सुदृढ़िकरण हेतु प्रशिक्षकों को वर्ष 1999–2000 से प्रशिक्षण नहीं दिया गया।

- परस्पर संस्थागत सहयोग नहीं था। जागरूकता प्रचार का स्तर निम्न था तथा कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु जिला स्तर पर कोई संस्था नहीं बनाई गई थी।

- कार्यक्रम के प्रभावी अनुश्रवण पद्धति का अभाव था। ओ. आर. जी. केन्द्र (मई 2000) तथा विश्व बैंक मिशन (मई 2002) द्वारा किए गए कार्यक्रम के प्रभाव पर विवेचना प्रतिवेदन राज्य सरकार के पास उपलब्ध नहीं था।

(कंडिका 3.1)

औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम, 1940 का कार्यान्वयन

औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम 1940 एवं उसके अन्य सहयोगी अधिनियम तथा उसके तहत बनाये गये नियमों के द्वारा औषधि तथा सौंदर्य प्रसाधनों के उत्पादन, आयात, वितरण, बिक्री एवं चिकित्सकीय अनुसंधान को विनियमित किया जाता है।

राज्य में अधिनियम को प्रभावी ढ़ंग से कार्यान्वित नहीं किया गया। विभाग में आंतरिक नियंत्रण व्यवस्था का अभाव था। कोई मुख्य नियंत्रक पंजी उपलब्ध नहीं थी। उत्पादक तथा बिक्री करने वाली ईकाईयों के अनुज्ञप्तियों का सावधिक नवीकरण नहीं किया गया। विक्रय एवं उत्पादक ईकाईयों के सर्वे एवं निरीक्षण में भारी कमी थी। संग्रहित नमूनों के जाँच में अनावश्यक विलंब पाया गया। मूल्य नियंत्रण व्यवस्था प्रचलित नहीं थी। अवमानक औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन के उत्पादन एवं बिक्री की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता था तथा जन साधारण को उचित मूल्य पर आवश्यक जीवनरक्षक दवाओं को उपलब्ध कराने के अभीष्ट उद्देश्य की पूर्ति नहीं हुई।

- औषधि नियंत्रक के पास मूल नियंत्रक पंजी नहीं थी जो यह बता सके कि राज्य में उत्पादन/बिक्री इकाईयों की वास्तविक स्थिति क्या थी एवं आवश्यक होने के बावजूद उत्पादक/बिक्री इकाईयों के अनुज्ञप्तियों को सावधिक नवीकरण नहीं किया गया था।

- मार्च 2003 तक कुल 851 उत्पादन इकाईयों में से 21 इकाईयों की अनुज्ञप्तियों का नवीकरण नहीं किया गया। साथ ही 31412 बिक्री इकाईयों में से 6077 इकाईयों का मार्च 2003 तक नवीकरण नहीं किया गया था।

- पच्चीस जिलों में वर्ष 2000–02 के निरीक्षण हेतु अपेक्षित 70332 इकाईयों के विरूद्ध मात्र 13235 इकाईयों का 34 औषधि निरीक्षकों द्वारा निरीक्षण किया गया।

- राज्य में निर्मित औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन की गुणवत्ता निश्चित नहीं थी क्योंकि राज्य की किसी भी उत्पादक इकाई ने वर्ष 1998–2003 के दौरान औषधि नियंत्रक से निर्मित औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन की गुणवत्ता जाँच हेतु अनुमति नहीं माँगी थी।

- आठ करोड़ की विशाल जनसंख्या वाले राज्य में वर्ष 1998–2003 के दौरान रक्त कोषों से जाँच हेतु एक भी नमूना नहीं लिया गया।

- राज्य औषधि नियंत्रण प्रयोगशाला, पटना द्वारा वर्ष 1998–2003 के दौरान संग्रहित नमूनों के 75 प्रतिशत की जाँच की गई थी। संग्रहित नमूनों के कम विश्लेषण का कारण सरकारी विश्लेषक द्वारा अपर्याप्त संरचनात्मक सुविधा जैसे रसायन, विद्युत आपूर्ति जाँच उपकरण एवं मानव बल को बताया गया।

- वर्ष 1998–2003 के दौरान जाँच हेतु आवश्यक 146218 नमूनों के विरूद्ध मात्र 2978 नमूनों का जाँच एवं विश्लेषण किया गया। संग्रहित नमूनों में 96 प्रतिशत की कमी हुई जबकि उनमें से मात्र 51 प्रतिशत का ही विश्लेषण किया गया। इस राज्य में अधिनियम के प्रावधानों का शायद ही पालन हो रहा था।

- वर्ष 1998–2003 की अवधि में पाँच क्षेत्रीय अनुज्ञापन पदाधिकारी द्वारा प्रेषित अवमानक औषधियों के 122 मामलों में औषधि नियंत्रक द्वारा कोई दंडात्मक एवं निरोधात्मक कार्य शुरू नहीं की गई थी।

- राज्य औषधि नियामक प्राधिकारी का औषधि उद्योग/व्यापार, उपभोक्ताओं तथा चिकित्सा पेशे से जुड़े लोगों के साथ समन्वय अभिलेखित नहीं था। इसमें सूचना के प्रसार तथा प्रवर्त्तन प्राधिकारियों के कार्यकलाप के पुनर्निवेशन को बुरी तरह प्रभावित किया।

- दवाओं के गैरकानूनी उत्पादन एवं व्यापारिक क्रियाकलापों पर निगरानी रखने हेतु किसी गुप्तचर शाखा की स्थापना नहीं की गई। नियमावली के प्रवर्त्तन में तेजी लाने के लिए औषधि निरीक्षकों को कोई प्रशिक्षण नहीं दिया गया।

- औषधि नियंत्रक ने बताया कि राज्य में मूल्य नियंत्रण व्यवस्था प्रचलित नहीं थी।

- औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन नियमवाली, 1940 के प्रावधानों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए अभिश्रवण एवं मूल्यांकन व्यवस्था का अभाव था।

(कंडिका 3.2)

विकलांगों का कल्याण

विकलांगों का कल्याण, विकलांगता के विभिन्न रूपों एवं उपायों की विविधता की ओर निर्देशित रोगनाशक, प्रोत्साहन एवं पुनर्वास गतिविधियों के समन्वय सहित एक जटिल सामाजिक मुद्दा हैं। इसके अतिरिक्त विस्तार के उद्देश्य से विकलांग की परिभाषा अक्षमता के इतने बड़े क्षेत्र में फैली हुई है कि कार्यक्रम लक्ष्यों के वितरण संबंधी विभिन्न एजेन्सियों द्वारा किए गए प्रयास से कोई एक बिन्दु स्वतः उत्पन्न नहीं होता। विकलांगों के लिए कल्याण कार्यकलाप विकलांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों की रक्षा एवं पूर्ण सहभागिता) अधिनियम, 1995 एवं मानसिक बाधा और बहुल अक्षमता अधिनियम, 1999 से शासित होते हैं। ये अधिनियम, विभिन्न तरह की विकलांगता से प्रभावित लोगों को सामाजिक जीवन की मुख्य धारा में शामिल करने का लक्ष्य करते हैं।

समीक्षा से ज्ञात हुआ कि अधिनियम के विभिन्न प्रावधान 1998–03 के दौरान अकार्यान्वित रहे तथा शुरू की गई योजनाएँ समन्वय एवं पर्यवेक्षण के अभाव के कारण कुप्रबंधन का शिकार रहीं। परिणामस्वरूप भारत सरकार की निधि का अधिकांश भाग अव्यवहृत रहा एवं योजनाओं का प्रदर्शन नगण्य रहा। इस प्रकार विकलांगों का कल्याण उपेक्षित रहा।

- विकलांगता के कारणों का सर्वेक्षण, अन्वेषण, अनुसंधान, विकलांगता रोकने के उपायों को प्रोत्साहित करने, जागरूकता अभियान, लोक शिक्षा, नए सहायक उपकरणों के अनुसंधान एवं डिजाइन करने से संबंधित विकलांगता अधिनियम, 1995 के प्रावधान अधिकांशतः अकार्यान्वित रहे।

- राज्य सरकार द्वारा 1998–2003 के दौरान भारत सरकार से प्राप्त निधि (145.85 करोड़ रुपये) का 86 प्रतिशत (125.97 करोड़ रुपये) अव्यवहृत रहा तथा बैंकों के चालू खाते में जमा रहा जबकि योजनाओं का क्रियान्वयन धीमा रहा।

- 2001–02 एवं 2002–03 के दौरान अपवर्त्तक विभ्रम वाले पहचान में आए क्रमशः 28 एवं 8 प्रतिशत बच्चों को ही मुफ्त चश्मा प्रदान किया गया। विकलांग लोगों के लिए तकनीकी एवं व्यवसायिक शिक्षा के क्षेत्र में औपचारिक शिक्षा मार्च 2003 तक किसी भी पोलिटेकनिक में प्रारंभ नहीं की गई थी।

- राज्य योजना के तहत शुरू की गई 11 योजनाओं पर उपलब्ध निधि का 54 प्रतिशत (5.02 करोड़ रुपये) खर्च नहीं किया गया था। राज्य योजनान्तर्गत 11 में से तीन योजनाओं (मूक एवं वधिर के लिए कार्यशाला, मूक एवं वधिर के लिए विशेष उपकरण, स्पास्टीक बच्चों के लिए विद्यालय) पर व्यय शून्य था जबकि तीन अन्य योजनाओं (नेत्रहीन विद्यालय, नेत्रहीन शिक्षक प्रशिक्षण, आयुक्त विकलांगता) पर उपलब्ध निधि का 10 से 13 प्रतिशत तक नगण्य व्यय था।

- कृत्रिम अंग केन्द्र, पटना ने 1998–2003 के दौरान केवल 2.32 लाख रुपये मूल्य के सहायक उपकरणों का उत्पादन किया जबकि संस्थान का स्थापना व्यय 77.86 लाख रुपये था।

- विशेष नियोजनालय, पटना ने निबंधित विकलांगों के केवल 16 प्रतिशत को ही प्रायोजित किया तथा निबंधित विकलांगों के केवल दो प्रतिशत को ही नौकरी मिली।

- प्रखंड सरकारी गारंटी के अभाव में 1405 विकलांग आवेदकों को ऋण का भुगतान नहीं किया गया।

- विकलांगता अधिनियम तथा उसके अंतर्गत योजनाओं के कार्यान्वयन में समुचित् अभिश्रवण प्रक्रिया का अभाव था।

(कंडिका 3.3)

त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम

चल रही सिंचाई/बहुउद्देशीय परियोजनाओं को पूरा करने में तेजी लाने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ए आई बी पी) परिचालित किया गया (1996–97) जो राज्य के वित्तीय कमी के कारण शिथिल पड़ गया। कार्यक्रम की प्रभावकारिता के आकलन करने के उद्देश्य से वर्ष 1996–2003 के दौरान इसके कार्यान्वयन की समीक्षा की गई।

राज्य में योजना का कार्यान्वयन, अनुपयुक्त एवं मृतप्राय परियोजनाओं के चयन, राज्य के अंश की कम विमुक्ति, केन्द्रीय ऋण सहायता का आंशिक उपयोग, निधि के दुरूपयोग, स्थापना पर अत्यधिक व्यय और विभिन्न अवधि में परियोजना के अयोजनाबद्ध कार्यान्वयन के कारण बाधित रहा। ए. आई. बी. पी. के अधीन परियोजनाओं की लागत में कई गुना वृद्धि हुई यद्यपि सृजित क्षमता का उपयोग नगण्य रहा।

- तीन परियोजनाओं के संबंध में राज्यांश की विमुक्ति में 10.96 करोड़ रुपये की कमी हुई, जबकि पाँच अन्य परियोजनाओं में राज्यांश की विमुक्ति मानक से 61.07 करोड़ रुपये अधिक हुई। 29.88 करोड़ रुपये का दुरूपयोग अन्य कार्यालय व्यय पर हुआ।

- कार्यपालक अभियन्ता, पश्चिमी कोशी नहर प्रमंडल, खजौली ने विभिन्न प्रमंडलों को 65.55 लाख रुपये मूल्य का सीमेंट बेचा और विक्रय प्राप्ति को मधुबनी कोषागार में सरकार की प्राप्ति के रूप में जमा किया, यद्यपि सीमेंट का क्रय ए. आई. बी. पी. निधि से किया गया था।

- आठ में से सभी सात परियोजनाओं पर अत्यधिक स्थापना व्यय था जो कि परियोजनाओं के कार्य व्यय के 45 और 238 प्रतिशत के बीच था।

- इस कार्यक्रम के तहत कोई भी सात परियोजनाएँ चार फसल मौसम में पूर्ण नहीं हुई थीं जबकि छः परियोजनाएँ छः से 14 फसल मौसम के बीतने के बाद भी पूरी नहीं हो सकी थीं।

- मार्च 2003 तक सात परियोजनाओं द्वारा संयुक्त सिंचाई क्षमता (आई.पी.) का सिर्फ 62 प्रतिशत (7.45 लाख हेक्टेयर) सृजित हुआ था, जबकि ए. आई. बी. पी. के अधीन सृजित सिंचाई क्षमता का सिर्फ 28 प्रतिशत उपयोग किया गया था।

- प्रक्षेपित प्रति हेक्टेयर लागत की तुलना में सिंचाई क्षमता के सृजन की लागत परियोजनाओं के पुनरीक्षित अनुमानित लागत से बहुत बढ़ गई थी। दुर्गावती जलाशय परियोजना पर 221.62 करोड़ रुपये के व्यय के बावजूद किसी सिंचाई क्षमता का मार्च 2003 तक सृजन नहीं हुआ था।

- वर्ष 1997–2003 के दौरान तीन विशेष भूमि अर्जन पदाधिकारियों को दो परियोजनाओं के लिए बिना भूमि अर्जन की प्रक्रिया पूर्ण किये 30.86 करोड़ रुपये का अनियमित भुगतान किया गया था। जिसमें से मात्र 5.88 करोड़ रुपये किसानों को दिया गया था और 24.98 करोड़ रुपये बैंक के चालू खातें या असैनिक जमा में रखे रहे, यद्यपि केन्द्रीय ऋण सहायता के अधीन प्राप्त राशि पर 11.5 से 13 प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज लागू था।

- परियोजना के कार्यान्वयन के अनुश्रवण प्रक्रिया में भारत सरकार के निर्धारित वांछित दिशानिर्देशों के अनुसार कमी थी।

(कंडिका 3.4)

अग्नि सुरक्षा एवं नियंत्रण

- *राज्य में अग्निशमन सेवाओं का क्रियान्वयन प्रभावी अनुश्रवण एवं सावधिक मूल्यांकन के अभाव के कारण अप्रभावित थी। परिणामस्वरूप पर्याप्त निधि का प्रावधान अनुपयोगीत रही ; दसवें एवं ग्यारहवें वित्त आयोग से प्राप्त अनुदानों का समुचित उपयोग अग्निशमन सेवाओं के उन्नयन एवं स्थापना में नहीं किया गया, अग्निशमन सेवा केन्द्र समुचित रूप से संसाधित नहीं होने पाये ; सूचना तंत्र का विकास नहीं हो पाया एवं अग्निशमन केन्द्रों में जल संसाधन की कमी थी। अधिकांश अग्नि टेंडर एवं 1998 के दौरान उपलब्ध कराये गए अन्य उपकरण निष्क्रिय और अनुपयोगित रहे।*

(कंडिका 3.5)

छात्रों को वृत्तिका एवं छात्रवृत्ति का भुगतान

- *वृत्तिका एवं छात्रवृत्ति का भुगतान मेधावी छात्रों एवं अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जन जाति (अ.जा/अ.ज.जा.), अन्य पिछड़ी जातियों (अ.पि.जा.) इत्यादि जैसे समाज के आर्थिक एवं सामाजिक रूप से पिछड़ें वर्गों के छात्रों को प्रदान करना था। राज्य में योजना का कार्यान्वयन अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाती एवं अन्य पिछड़ा वर्गो के छात्रों को छात्रवृत्ति के अपर्याप्त वितरण के कारण बाधित हुआ। इसके अतिरिक्त वर्ष 1998–2003 के दौरान बजट प्रावधान में उपलब्ध छात्रवृत्ति के 5.15 करोड रुपये की राशि मेधावी छात्रों में वितरित नहीं की गयी।*

(कंडिका 3.6)

4 कपटपूर्ण निकासी/दुर्विनियोजन/गबन/हानि

- वाल्मिकी राजकीय व्यापार प्रमंडल, बेतिया में मार्च 2001 के दौरान 1.33 करोड़ रुपये का अग्रिम भुगतान संदेहास्पद था।

(कंडिका 4.1.1)

- रोकड़ पंजी के संधारण में नियमों का अनुपालन नहीं करने के कारण दो कार्यालयों में (जिला कारा, सहरसा एवं जिला नजारत उप समाहर्त्ता, जहानाबाद) 25.11 लाख रुपये का दुर्विनियोजन हुआ।

(कंडिका 4.1.2 और 4.1.4)

- लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रमंडल, सहरसा में 16.48 लाख रुपये मूल्य की सामग्रियों के संदेहास्पद आपूर्ति के लिए भुगतान।

(कंडिका 4.1.3)

- वर्ष 1998–2002 के दौरान प्रखंड विकास पदाधिकारी, नरहट, नवादा के लेखे में 11.82 लाख रुपये, 1 से 15 वर्षों तक अस्वीकृत रहे।

(कंडिका 4.1.5)

- प्रखंड विकास अधिकारी, चोरौत, सीतामढ़ी एवं अन्य कर्मियों द्वारा इंदिरा आवास योजना, बाढ़ राहत, वृद्धावस्था पेंशन एवं छात्रवृत्ति के लाभार्थियों को तुरंत वितरित करने हेतु लिये गये 35.62 लाख रुपये के अग्रिम का दुर्विनियोजन किया गया।

(कंडिका 4.1.6)

- बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, मनीगाँछी, दरभंगा के कार्यालय में 13.16 लाख रुपये के संदेहास्पद व्यय को लेखा में दर्ज करने से सरकारी धन का गबन सुगम हुआ।

(कंडिका 4.1.7)

5 परिहार्य/अधिक/निष्फल व्यय

- जिलाधिकारी, पटना द्वारा कंबल, शॉल आदि के आपूर्त्तिकर्त्ताओं को विलंब से भुगतान करने के कारण ब्याज के रूप में 17.94 लाख रुपये का परिहार्य दायित्त्व उत्पन्न हुआ।

(कंडिका 4.4.2)

- पथ निर्माण प्रमंडल, आरा द्वारा आरा–बक्सर पथ कार्य पर सामग्रियों के अधिक आपूर्त्ति पर 37.68 लाख रुपये का व्यय किया गया।

(कंडिका 4.4.4)

- पथ निर्माण विभाग, बिहारशरीफ में पथ कार्य पर 88.70 लाख रुपये के स्टोन मेटल का संदिग्ध उपयोग हुआ एवं आवश्यकता से अधिक 90.92 लाख रुपये का अलकतरा एक अभिकरण को दिया गया जो अवसूलित रहा।

(कंडिका 4.4.5)

- मूल कार्य के जारी रहने के क्रम में वैद्यनाथपुर–पनसलवा रोड के मरम्मती कार्य पर 28.22 लाख रुपये का व्यय संदेहास्पद था।

(कंडिका 4.4.6)

- बिना भूमि अधिग्रहण किए संपर्क पथ (कंकड़बाग रोड नं. 3) का सुधार एवं निर्माण कार्य को शुरू करने के परिणामस्वरूप पथ के अधूरे निर्माण पर 41.30 लाख रुपये का निष्फल व्यय हुआ।

(कंडिका 4.4.9)

- बिना समुचित सर्वेक्षण एवं जाँच के हाजीपुर में रेलवे पुल से जुड़ने वाले रास्ते के निर्माण का कार्य शुरू करने के कारण 1.62 करोड़ रुपये की अतिरिक्त लागत आई।

(कंडिका 4.4.10)

- विभिन्न स्थानों की भूमि अधिग्रहण किये बिना पश्चिमी कोशी मुख्य नहर के काकरघाटी शाखा (95 आर.डी. से 125 आर.डी.) एवं दुर्गावती नहर के त्रिर्यक निकास संरचना के निर्माण कार्य करने के परिणामस्वरूप शाखा नहर के अधूरे निर्माण पर 5.01 करोड़ रुपये का निष्फल व्यय हुआ।

(कंडिका 4.4.11 और 4.4.12)

6 निष्क्रिय निवेश/निष्क्रिय स्थापना/निधि का अवरोधन

- पाँच आहरण एवं संवितरण पदाधिकारियों ने कोषागार से 8.09 करोड़ रुपये की निकासी की तथा अनियमित रूप से उन्हें असैनिक जमा/बैंकों में रखा।

(कंडिका 4.5.3)

- डी. एम. सी. एच. में कैंसर के मरीजों को विशिष्ट उपचार उपलब्ध कराने हेतु कोबाल्ट मशीन, भवन निर्माण अधूरा रहने के कारण, प्रतिष्ठापित नहीं हुआ था।

(कंडिका 4.5.4)

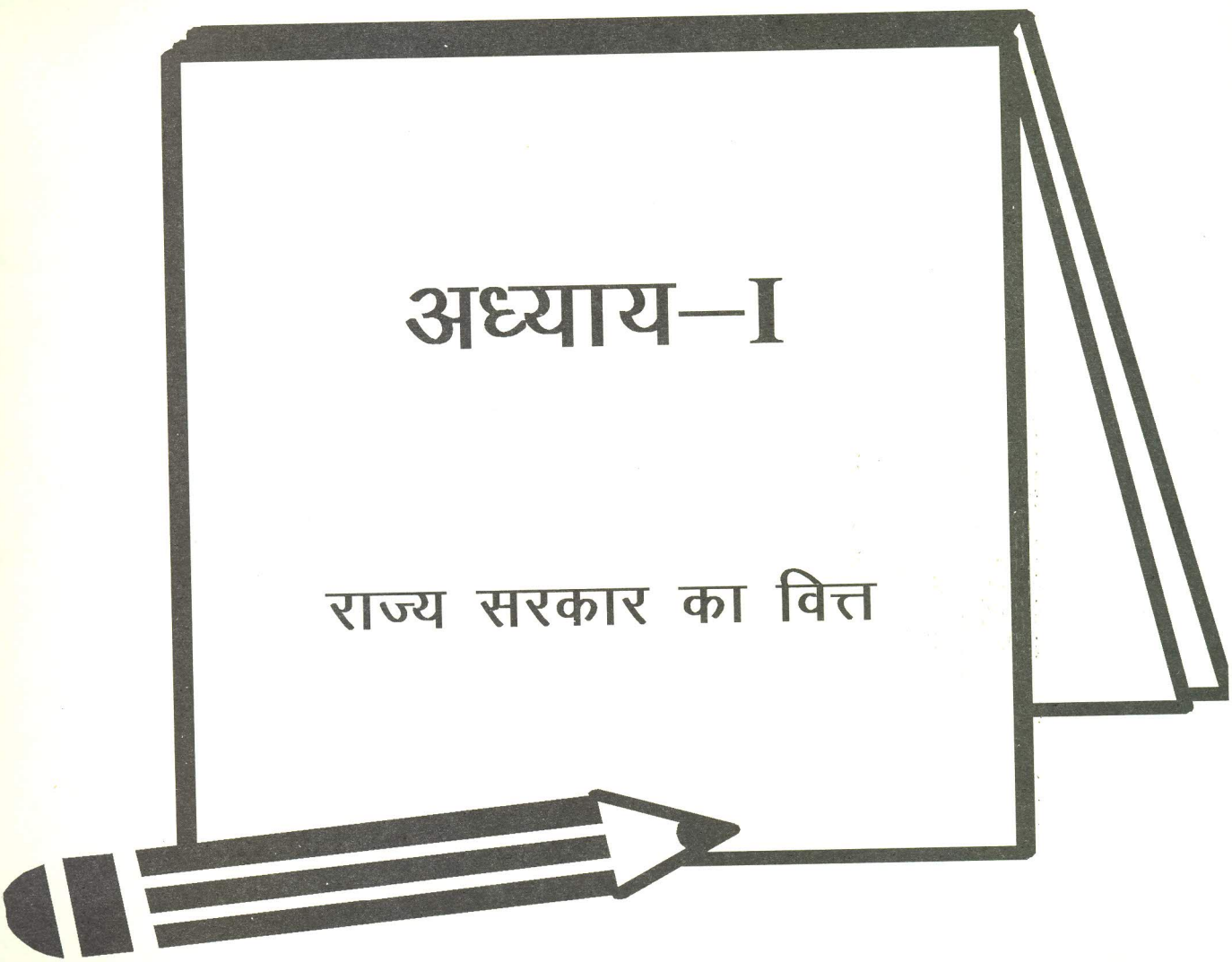
7 अधिनियमन संबधी मामले एवं अन्य प्रसंग

- मगध विश्वविद्यालय, बोधगया एवं भीमराव अम्बेडकर, बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर द्वारा कॉलेज एवं छात्रावास भवनों को सी. आर. पी. एफ. के अवैध कब्जे से खाली कराने में विफल रहने के परिणामस्वरूप छात्रों को शिक्षा एवं छात्रावास सुविधा से वंचित होना पड़ा। साथ ही उनसे 73.57 लाख रुपये किराए की वसूली भी नहीं की गई।

(कंडिका 4.6.1)

- बालू भराई के अभाव में हरनौत–बेलछी–चंडी पथ में 1.05 करोड़ रुपये के व्यय पर किए गए कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित नहीं थी।

(कंडिका 4.6.2)



अध्याय–I

राज्य सरकार का वित्त

अध्याय–I

राज्य सरकार का वित्त

1.1 प्रस्तावना

बिहार सरकार के वित्त लेखे राज्य सरकार की संचित निधि, आकस्मिकता निधि एवं लोक लेखे में राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियाँ एवं व्यय दर्शाती 19 विवरणियों में तैयार किए जाते हैं। वित्त लेखे की रूपरेखा प्रकोष्ठ 1.1 में प्रदर्शित है।

प्रकोष्ठ 1.1
वित्त लेखे की रुप–रेखा

विवरणी सं. 1 राज्य के संचित निधि, आकस्मिकता निधि तथा लोक लेखे में राज्य सरकार के लेन–देनों – प्राप्तियाँ एवं व्यय, राजस्व एवं पूंजीगत, लोक ऋण प्राप्तियाँ एवं वितरण आदि का सारांश प्रस्तुत करती है।

विवरणी सं. 2 वर्ष 2002–03 के अंत तक उत्तरोत्तर व्यय दर्शाती पूँजीगत परिव्यय के संक्षिप्त विवरणी को अंतर्विष्ट करती है।

विवरणी सं. 3 कृषि कार्यों के वित्तीय परिणामों, उनके राजस्व प्राप्तियों, क्रियान्वयन व्यय तथा रखरखाव प्रभारों, पूँजीगत परिव्यय, सकल लाभ व हानि आदि की सूचना देती है।

विवरणी सं. 4 राज्य की ऋण स्थिति जिसमें आंतरिक ऋण, भारत सरकार से कर्ज, अन्य दायित्व व ऋण निर्मोचन शामिल है, का सार प्रस्तुत करती है।

विवरणी सं. 5 वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त कर्जे एवं पेशगियों का, उनकी वसूली, बकाए वसूली आदि का सार प्रस्तुत करती हैं

विवरणी सं. 6 सांविधिक निगमों, स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थानों द्वारा उगाहे गए ऋणों आदि के अदायगी हेतु राज्य सरकार द्वारा दिए गए प्रत्याभूतियों का सार प्रस्तुत करती है।

विवरणी सं. 7 रोकड़ शेषों तथा वैसे शेषों से किए गए निवेशों का सार प्रस्तुत करती है।

विवरणी सं. 8 31 मार्च 2003 को संचित निधि, आकस्मिकता निधि एवं लोक लेखे में शेषों का सार प्रस्तुत करती है।

विवरणी सं. 9 सकल राजस्व/व्यय के प्रतिशत के रूप में वर्ष 2002–03 के लिए विभिन्न शीर्षों के तहत् राजस्व एवं व्यय को दर्शाती है।

विवरणी सं. 10 वर्ष के दौरान भारित एवं दत्तमत व्यय का वितरण दर्शाती है।

विवरणी सं. 11 लघु शीर्षों के राजस्व प्राप्तियों का विस्तृत लेखा प्रस्तुत करती है।

विवरणी सं. 12 दीर्घ शीर्ष वार पूँजीगत व्यय तथा गैर–योजना, राज्य योजना एवं केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के तहत् लघु शीर्षों द्वारा राजस्व व्यय का लेखा प्रस्तुत करती है।

विवरणी सं. 13 वर्ष 2002–03 के दौरान तथा अंत तक पूँजीगत व्यय का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत करती है।

विवरणी सं. 14 वर्ष 2002–03 के अंत तक सांविधिक निगमों, सरकारी कंपनियों, अन्य संयुक्त पूँजी कंपनियों, कोपरेटिव बैंकों एवं संस्थाओं आदि में राज्य सरकार के निवेशों का विवरण दर्शाता है।

विवरणी सं. 15 वर्ष 2002–03 के अंत तक पूँजीगत एवं अन्य व्यय को दर्शाते हुए उन व्ययों के लिए मुहैया की गयी निधियों के मुख्य स्रोत का विवरण प्रस्तुत करती है।

विवरणी सं. 16 ऋण, आकस्मिकता निधि एवं लोक लेखा से संबंधित शीर्षों के तहत प्राप्तियाँ/वितरण एवं अधिशेषों का विस्तृत लेखा प्रस्तुत करती है।

विवरणी सं. 17 बिहार सरकार के ऋणों एवं ब्याज धारित दायित्वों का विस्तृत लेखा प्रस्तुत करती है।

विवरणी सं. 18 बिहार सरकार द्वारा प्रदत्त कर्जे एवं पेशगियों, वर्ष के दौरान ऋण अदायगी की राशि, 31 मार्च 2003 को शेष तथा वर्ष के दौरान प्राप्त ब्याज की राशि का विस्तृत लेखा प्रस्तुत करती हैं ।

विवरणी सं. 19 सुरक्षित निधियों के विनिर्दिष्ट अधिशेषों का ब्यौरा प्रस्तुत करती है।

1.2 *पूर्व वर्ष की तुलना में वित्त की प्रवृतियाँ*

पूर्व वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के दौरान राज्य सरकार का वित्त निम्नवत् था:

(रुपये करोड़ में)

2001-02	क्रम सं.	वृहत समष्टियाँ	2002-03
9839	**1.**	**राजस्व प्राप्तियाँ (2+3+4)**	**10968**
2319	2.	कर राजस्व	2761
287	3.	करेत्तर राजस्व	261
7233	4.	अन्य प्राप्तियाँ	7946
13	**5.**	**गैर ऋण पूँजीगत प्राप्तियाँ**	**16**
13	6.	*जिसमें* ऋणों की वसूली	16
9852	**7.**	**कुल प्राप्तियाँ (1+5)**	**10984**
10292	**8.**	**गैर योजना व्यय (9+11+12)**	**10901**
10292	9.	राजस्व लेखे पर	10901
2629	10.	जिसमें, ब्याज भुगतान	3022
-	11.	पूँजीगत लेखे पर	नगण्य
-	12.	वितरित ऋण एवं पेशगियाँ	-
2143	**13.**	**योजना व्यय (14+15+16)**	**3071**
867	14.	राजस्व लेखे पर	1354
742	15.	पूँजीगत लेखे पर	970
534	16.	वितरित ऋण एवं पेशगियाँ	747
12435	**17.**	**कुल व्यय (8+13)**	**13972**
2583	**18.**	**राजकोषीय घाटा (17–7)**	**2988**
1320	**19.**	**राजस्व घाटा (9+14–1)**	**1287**
(-) 46	**20**	**प्राथमिक घाटा (+)/आधिक्य (–) (18–10)**	**(-) 34**

1.3 वर्ष के प्राप्तियों एवं संवितरणों का सार

सारणी I वर्ष 2002–03 के लिए बिहार सरकार के वित्तीय स्थिति का विवरण प्रस्तुत करती है जिसमें वर्ष के दौरान राजस्व प्राप्तियाँ एवं व्यय, पूँजीगत प्राप्तियाँ एवं व्यय, लोक ऋण प्राप्तियाँ एवं संवितरण तथा लोक लेखा प्राप्तियाँ एवं संवितरण समाहित हैं जो वित्तीय लेखे के **परिशिष्ट–I** एवं अन्य विस्तृत विवरणियों से परिलक्षित होते हैं।

सारणी – I वर्ष 2002–03 के लिए प्राप्तियों एवं संवितरणों का सार

(रुपये करोड़ में)

2001-02	प्राप्तियाँ	2002-03	2001-02	संवितरण	2002-03		
खंड–अ : राजस्व							
					गैर–योजना	योजना	कुल
9839.29	**I. राजस्व प्राप्तियाँ**	**10968.42**	**11159.35**	**I. राजस्व व्यय**	**10900.70**	**1354.43**	**12255.13**
2318.95	कर राजस्व	2761.05	6322.88	सामान्य सेवाएँ	6556.42	17.72	6574.14
286.70	करेत्तर राजस्व	260.82	3532.23	सामाजिक सेवाएँ	3372.56	543.15	3915.71
6176.62	शुल्कों में संघीय राज्यांश	6549.23	1302.42	आर्थिक सेवाएँ	969.90	793.56	1763.46
1057.02	भारत सरकार से अनुदान	1397.32	1.82	सहायतानुदान/अंशदान	1.82	-	1.82
खंड–ब:पूँजी							
-	II विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	-	742.48	II पूँजीगत परिव्यय	Negligible	969.74	969.74
12.95	III. ऋण एवं पेशगियों की वसूली	15.58	533.71	III. संवितरित ऋण एवं पेशगियाँ	-	747.19	747.19
3757.67	IV लोक ऋण प्राप्तियाँ*	4189.80	624.02	IV लोक ऋण अदायगी	1526.35#		1526.35#
3093.43	V लोक लेखा प्राप्तियाँ	5584.15	3513.74	V लोक लेखा संवितरण	4822.34#		4822.34#
(-) 474.38	आरंभ शेष	- 344.35	(-) 344.35	अंत शेष	92.85#		92.85
16228.96	***कुल***	***20413.60***	***16228.96***	***कुल***	***17342.12***	***3071.36***	***20413.60***

* निवल अर्थोपाय पेशगियाँ एवं ओवरड्राफ्टों को शामिल करते हुए।

\# योजना और गैर–योजना के मध्य विभाजन बँटवारा अनुपलब्ध।

1.4 लेखापरीक्षा कार्यप्रणाली

वित्तीय लेखे पर लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ प्राप्तियों एवं व्यय के मुख्य राजकोषीय समष्टियों में प्रवणता दर्शाती हैं तथा वर्ष 2002–03 के वित्तीय लेखे की विवरणी से और जहाँ कही भी आवश्यक हो, इन्हें कालबद्ध आँकड़ों के आलोक में (**परिशिष्ट I से IV**) तथा आवर्ती तुलनाओं में प्रदर्शित करती है।

राज्य वित्त के विश्लेषण हेतु अपनाए गए मुख्य सूचक हैं (i) आयतन एवं स्रोत के आधार पर संसाधन (ii) संसाधनों का उपयोग (iii) परिसंपत्तियाँ एवं दायित्त्व तथा (iv) घाटा प्रबंधन/लेखापरीक्षा टिप्पणियों ने संसाधन जुटाने के प्रयासों, ऋण निर्मोचन तथा सुधारात्मक राजकोषीय उपायों के संयुक्त प्रभाव को भी ध्यान में रखा गया है। राज्य सरकार का एक निगम निकाय के रूप में सकल वित्तीय प्रदर्शन अनुपातों के एक समूह द्वारा प्रस्तुत किया गया है जिसे राजकोषीय समष्टियों के संबंधात्मक व्याख्या के लिए साधारणतया अपनाया गया है।

पुनर्गठन अधिनियम के तहत् 15 नवंबर 2000 की प्रभावी तिथि से पूर्वकालिक बिहार राज्य उत्तरवर्त्ती बिहार एवं झारखंड राज्यों में विभाजित कर दिया गया है। अतः सरकार के वित्तीय प्रदर्शनों के सूचक 14.11.2000 तक बिहार एवं झारखंड संयुक्त राज्य के वित्तीय लेखे के आँकड़ें तथा 15.11.2000 से उत्तरवर्त्ती बिहार राज्य संदर्भित आँकड़ों को ध्यान में रखा गया है। प्रतिवेदित प्राचल प्रकोष्ठ 1.2 में दर्शाया गया है।

प्रकोष्ठ 1.2
प्रतिवेदित प्राचल

राजकोषीय राशियाँ यथा कर एवं करेत्तर राजस्व, राजस्व एवं पूँजीगत व्यय, आंतरिक एवं बाह्य ऋण तथा राजस्व एवं राजकोषीय घाटों को चालू बाजार मूल्यों पर जी. एस. डी. पी. के प्रतिशत के रूप में प्रस्तुत किया गया है। नई जी. एस. डी. पी. श्रृंखला, जैसा कि राज्य सरकार के वित्त विभाग द्वारा "बजट एक झलक में" दिखाया हैं, का उपयोग किया गया है।

कर राजस्व, करेत्तर राजस्व, राजस्व व्यय आदि के लिए उत्प्लावक प्रक्षेपण भी प्रदान किए गए हैं जिससे कि जी. एस. डी. पी. द्वारा प्रतिनिधित्व आधार की तुलना में उतार–चढ़ावों के और आगे के विस्तार का आंकलन किया जा सके।

अधिकांश श्रृंखलाओं के लिए वर्ष 1998–2003 के दौरान विकास के रूझान को दर्शाया गया हैं जी. एस. डी. पी. के सापेक्ष अनुपातों को भी दर्शाया गया है। यहाँ प्रयोग की गयी कुछ शब्दावलियाँ **परिशिष्ट–V** में विवरणित है।

राज्य सरकार के लेखे को तीन भागों यथा (i) संचित निधि (ii) आकस्मिकता निधि तथा (iii) लोक लेखा में रखा जाता है जैसा कि प्रकोष्ठ 1.3 में परिभाषित किया गया है।

संचित निधि	आकस्मिकता निधि	लोक लेखा
राज्य सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, कोषागार विपत्रों को जारी कर उगाये गए सभी ऋण, आंतरिक एवं बाह्य ऋण तथा ऋणों की वसूली में सरकार द्वारा प्राप्त सभी धन भारत के संविधान के अनुच्छेद 266 (1) के तहत स्थापित "राज्य की संचित निधि" शीर्षित एक संचित निधि का निर्माण करेंगे।	संविधान के अनुच्छेद 267 (2) के तहत स्थापित आकस्मिकता निधि एक अग्रदाय के रूप में गवर्नर के अधिकार क्षेत्र रहती है जिससे कि वे विधायिका के प्राधिकार के बगैर ही आवश्यक अप्रत्याशित व्यय के लिए पेशगियाँ दे सकें। ऐसे व्यय तथा संचित निधि से समान राशि के निकासी हेतु विधायिका से तदनन्तर स्वीकृति ली जाती है जिससे कि आकस्मिकता निधि से दी गयी पेशगियों की प्रतिपूर्त्ति की जा सके।	संचित निधि से संबंधित सरकार के सामान्य प्राप्तियों एवं व्यय के अलावा कुछ अन्य लेन–देन भी सरकारी लेखे में प्रवेश पाते हैं जिसके संबंध में सरकार एक बैंकर की तरह कार्य करती है। भविष्य निधियों, लघु बचतों, अन्य जमाओं आदि से संबद्ध लेन–देन इसके कुछ उदाहरण है। इसप्रकार से प्राप्त लोक धन को अनुच्छेद 266(2) के तहत लोक लेखा में रखा जाता है और उससे संबंधित वितरण किये जाते है।

बिहार और झारखंड के परवर्त्ती राज्यों के मध्य परिसंपत्तियों एवं दायित्त्वों के बंटवारे की समाप्ति के बाद 14 नवंबर 2000 के बाद के बिहार के परवर्त्ती राज्य के वित्तीय प्रदर्शन के सूचकों में परिवर्तन हो सकता है।

1.5 मात्रा एवं स्रोतों द्वारा संसाधन

राज्य सरकार के संसाधन राजस्व प्राप्तियों तथा पूँजीगत प्राप्तियों से समायुक्त हैं। राजस्व प्राप्तियाँ कर राजस्व, करेत्तर राजस्व, संघीय करों एवं शुल्कों के राज्यांश तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राप्त सहायता अनुदानों से समायुक्त है। पूँजीगत प्राप्तियाँ विविध पूँजीगत प्राप्तियों यथा बिक्रियों से लाभ, ऋणों एवं पेशगियों की वसूली, आंतरिक स्रोतों से ऋण प्राप्तियाँ, यथा बाजार ऋण, वित्तीय संस्थानों/वाणिज्यिक बैंकों आदि से उधार तथा भारत सरकार से ऋण एवं पेशगियों के साथ–साथ लोक लेखे के उपार्जनों से समाविष्ट हैं।

सारणी 2 यह दर्शाती है कि वर्ष 2002–03 के लिए राज्य सरकार की कुल प्राप्तियाँ 20757.83 करोड़ रुपये थीं जिसमें से राज्य सरकार की राजस्व प्राप्तियाँ मात्र 10968.42 करोड़ रुपये थीं जो कुल प्राप्तियों का 52.84 प्रतिशत था। शेष प्राप्तियाँ उधार एवं लोक लेखा प्राप्तियों से आयी थी।

सारणी–2 – बिहार के संसाधन

		(रुपये करोड़ में)
I राजस्व प्राप्तियाँ		**10968.42**
II पूँजीगत प्राप्तियाँ		**4205.38**
अ विविध प्राप्तियाँ	-	
ब ऋण एवं पेशगियों से वसूली	15.58	
स लोक ऋण प्राप्तियाँ	4189.80	
III लोक लेखा प्राप्तियाँ		**5584.15**
क लघु बचतें, भविष्य निधि आदि	963.20	
ख सुरक्षित निधि	144.13	
ग जमा एवं पेशगियाँ	3026.90	
घ उचंत एवं विविध	333.26	
ङ जमा	1116.66	
कुल प्राप्तियाँ		**20757.95**

1.5.1 राजस्व प्राप्तियाँ

वित्तीय लेखे की विवरणी–11 सरकार के राजस्व प्राप्तियों का विवरण प्रस्तुत करती है। राज्य पूववर्ती समग्र राज्य की राजस्व प्राप्तियाँ वर्ष 1998–99 में 9296 करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 2002–03 में (परवर्ती राज्य) 10968 करोड़ रुपये हो गयी। पूर्व वर्ष से वर्ष 2002–03 के दौरान राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि दर साधारण 11 प्रतिशत थी जो मुख्यतः कर राजस्व के 19 प्रतिशत के संतुलित वृद्धि तथा भारत सरकार द्वारा सहायता अनुदानों में 32 प्रतिशत वृद्धि के कारण थी।

समग्र राजस्व प्राप्तियाँ, उसकी वार्षिक वृद्धि दर, इन प्राप्तियों और राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (जी. एस. डी. पी.) का अनुपात एवं उनकी उत्प्लावकता सारणी 3 में प्रदर्शित है।

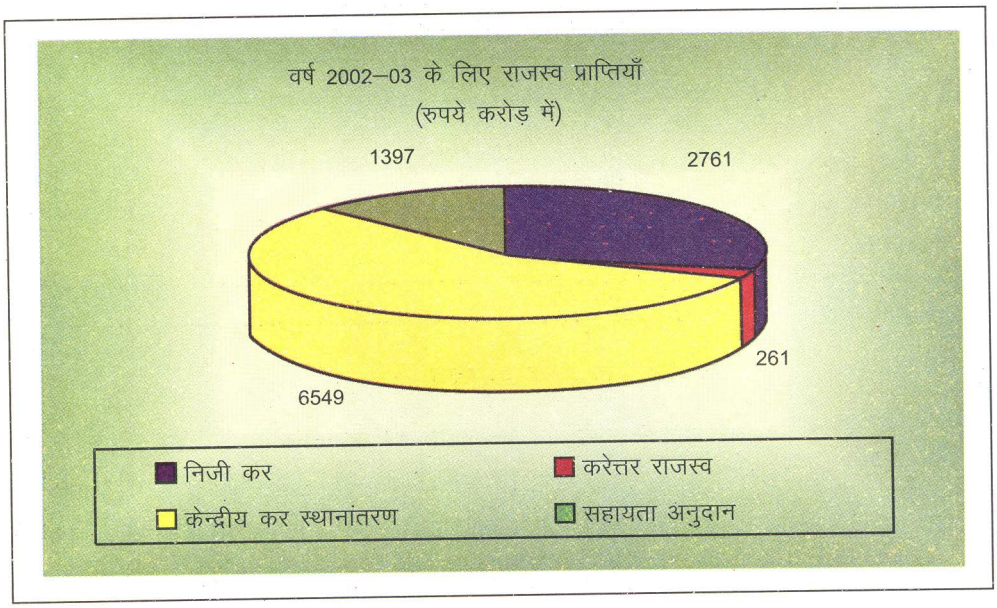
सारणी 3 : राजस्व प्राप्तियाँ – मूल प्राचल

(राशि करोड़ रुपये में एवं अन्य प्रतिशत में)

	1998-99	1999-2000	2000-01	2001-02	2002-03
राजस्व प्राप्तियाँ	9296	10659	11177	9839	10968
निजी कर	28.85	28.94	25.13	23.57	25.17
करेतर राजस्व	12.33	10.94	6.37	2.91	2.38
केन्द्रीय कर स्थानांतरण	47.77	46.55	58.84	62.78	59.71
सहायता अनुदानें	11.05	13.57	9.66	10.74	12.74
वृद्धि दर	(-) 1.93	14.66	4.86	(-)11.97	11.47
राजस्व प्राप्तियाँ / स.रा.घ.उ.	14.03	14.79	22.63	19.30	19.35
राजस्व उत्प्लावकता	- 0.218	1.666	0.154	-3.686	1.026
स. रा. घ. उ. वृद्धि	8.84	8.80	(-) 31.49	3.25	11.18

कर राजस्वों में, बिक्री कर में 17 प्रतिशत की वृद्धि, माल एवं यात्रियों पर करों में 71 प्रतिशत की वृद्धि, वाहन करों पर 26 प्रतिशत की वृद्धि तथा स्टांप एवं निबंधन शुल्कों में 14 प्रतिशत की वृद्धि, वर्ष के दौरान राजस्व के उच्च वृद्धि के मुख्य कारक थे। ब्याज प्राप्तियों में 351 प्रतिशत की उछाल तथा गैर–लौह खनन् एवं धातुकर्मीय उद्योगों से प्राप्तियों में 56 प्रतिशत की वृद्धि वर्ष के दौरान करेत्तर राजस्व के ह्रास (26 करोड़ रुपये) को रोकने हेतु पर्याप्त नहीं थी।

राज्य के निजी कर राजस्व का वृहत् स्रोत बिक्री कर था जिसका कर राजस्व में 51 प्रतिशत का योगदान था जो कि स्टांप एवं निबंधन शुल्क (11 प्रतिशत), माल एवं यात्रियों पर कर (8 प्रतिशत), राज्य उत्पाद (8 प्रतिशत) आदि द्वारा किया गया था। करेत्तर राजस्व स्रोतों में गैर–लौह खनन् एवं धातुकर्मी उद्योग (23 प्रतिशत) तथा ब्याज प्राप्तियाँ (20 प्रतिशत) मुख्य योगदात्री थे।



मुख्यतः उपभोक्ता शुल्कों में संशोधन नहीं किए जाने के कारण सरकार का करेत्तर राजस्व वर्ष 2001–02 में 287 करोड़ रुपये से घटकर वर्ष 2002–03 में 261 करोड़ रुपये हो गया।

सरकार द्वारा गुणवत्ता के मालों एवं सेवाओं की आपूर्त्ति में शुल्क वसूली का वर्त्तमान स्तर माध्यमिक शिक्षा के लिए 0.11 प्रतिशत, विश्व विद्यालय एवं उच्चतर शिक्षा के लिए 0.73 प्रतिशत, तकनीकी शिक्षा के लिए 5.81 प्रतिशत, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के लिए 3.54 प्रतिशत, जलापूर्त्ति एवं स्वच्छता के लिए 0.2 प्रतिशत एवं वृहत् एवं मध्यम सिंचाई में 10.04 प्रतिशत तथा लघु सिंचाई में 0.33 प्रतिशत था।

जहाँ औसत रूप से राजस्व प्राप्तियों का लगभग एक तिहाई राज्य के निजी संसाधनों द्वारा प्राप्त हुआ, वहीं केन्द्रीय कर स्थानांतरण तथा सहायता अनुदानों ने मिलकर कुल राजस्व का लगभग दो तिहाई योगदान देना जारी रखा।

31 मार्च 2003 तक राजस्व के सात मुख्य शीर्षों के तहत् संग्रहण–लंबित राजस्व का बकाया, जैसा विभाग द्वारा प्रतिवेदित था, 1485.14 करोड़ रुपये थे।

वर्ष 1998–2003 के दौरान विभिन्न शीर्षों तथा जी. एस. डी. पी. के तहत् राजस्व प्राप्तियों के स्रोत सारणी 4 में प्रदर्शित है।

सारणी 4 – प्राप्तियों के स्रोत : प्रवृतियाँ

(रुपये करोड़ में)

वर्ष	राजस्व प्राप्तियाँ	पूँजीगत प्राप्तियाँ			कुल प्राप्तियाँ	सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.)
1998-99	9296	10	3543	35744	48593	66253
1999-00	10659	12	3476	31087	45234	72083
2000-01	11177	11	3528	10462	25178	49383
2001-02	9839	13	3758	7719	21329	50987
2002-03	10968	16	4190	5584	20758	56688

1.6 संसाधनों का उपयोग

1.6.1 वृद्धि की प्रवृति

राज्य का कुल व्यय वर्ष 1998–99 में पूर्ववर्त्ती समग्र राज्य के लिए 12966 करोड़ रुपये से थोड़ी वृद्धि होकर वर्ष 2002–03 में नए पुनर्गठित राज्य के लिए 13972 करोड़ रुपये हो गये।

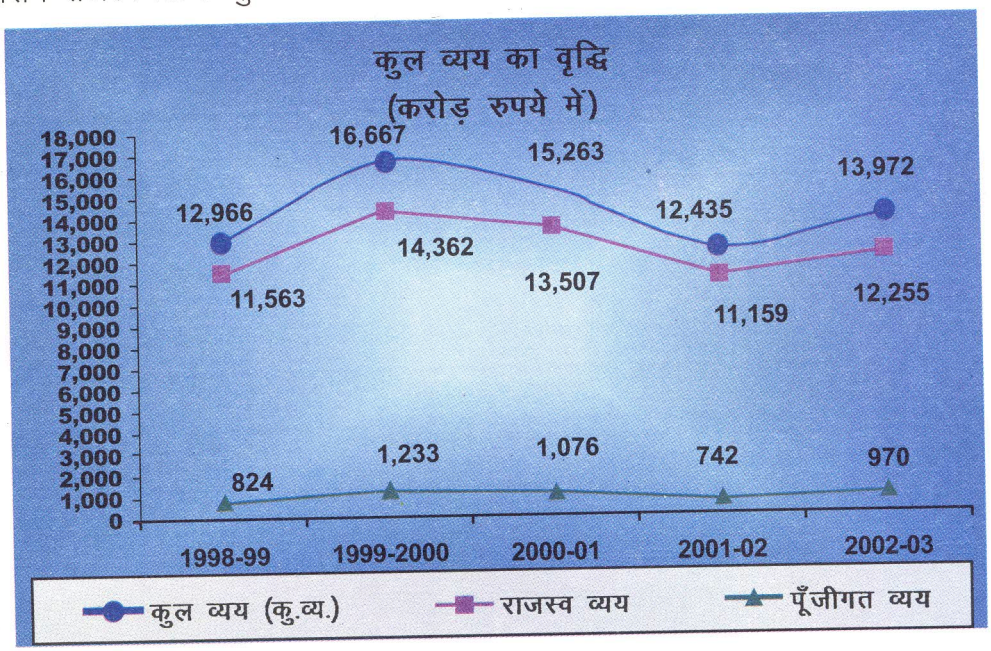
राज्य का कुल व्यय, उसकी प्रवृति तथा वार्षिक वृद्धि, व्यय और राज्य के जी. एस. डी. पी. के व्यय का अनुपात तथा राजस्व प्राप्तियाँ और जी. एस. डी. पी. के संबद्ध उसकी उत्प्लावकता तथा राजस्व प्राप्तियाँ सारणी 5 में नीचे दर्शायी गयी है :

सारणी 5 : कुल व्यय – मूल प्राचल

(राशि करोड़ रुपये में तथा अन्य प्रतिशत में)

	1998-99	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03
कुल व्यय	12966	16667	15263	12435	13972
वृद्धि दर	10.52	28.54	(-) 8.42	(-)18.53	12.36
कुल व्यय / स.रा.घ.उ.	19.57	23.12	30.91	24.39	24.65
राजस्व प्राप्तियाँ / कुल व्यय	71.70	63.95	73.23	79.12	78.50
से संबंधित कुल व्यय की उत्प्लावकता					
स. रा. घ. उ.	1.189	3.344	0.267	-5.704	1.105
राजस्व प्राप्तियाँ	(-)5.448	1.947	(-)1.733	1.548	1.077

पूर्व वर्ष से वर्ष 2002–03 में राज्य का कुल व्यय 12.36 प्रतिशत बढ़ा। वर्ष 2002–03 के दौरान राजस्व प्राप्ति कुल व्यय का 78.50 प्रतिशत थी।



कार्यकलाप के संदर्भ में कुल व्यय को ब्याज भुगतान सहित सामान्य सेवाओं, सामाजिक और आर्थिक सेवाओं पर व्यय तथा ऋणों एवं पेशगियों से समायुक्त माना जा सकता था। कुल व्यय में इन घटकों के पारस्परिक अंश को सारणी–6 में दिखाया गया है।

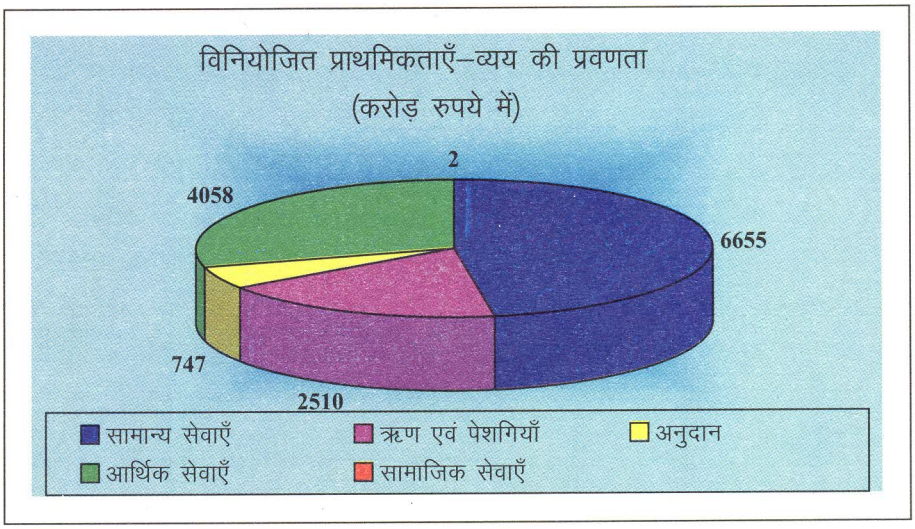
सारणी 6 : व्यय के घटक – संबंधित अंश (प्रतिशत में)

	1998-99	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03	औसत
सामान्य सेवाएँ	41.02	39.10	45.81	51.00	47.63	44.91
सामाजिक सेवाएँ	32.09	33.48	32.05	28.75	29.04	31.08
आर्थिक सेवाएँ	22.40	20.71	17.66	15.94	17.96	18.94
सहायता अनुदानें	0.02	0.28	0.02	0.02	0.02	0.07
ऋण एवं पेशगियाँ	4.47	6.43	4.46	4.29	5.35	5.00

व्यय के इन घटकों का संचलन यह दर्शाता था कि जहाँ वर्ष 1998–99 में कुल व्यय में आर्थिक और सामाजिक सेवाओं का अंश क्रमशः 22.40 प्रतिशत तथा 32.09 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2002–03 में क्रमशः 17.96 प्रतिशत तथा 29.04 प्रतिशत हो गया, सामान्य सेवाओं के संबंधित अंश इस अवधि के दौरान 41.02 प्रतिशत से बढ़कर 47.63 प्रतिशत हो गए।

1.6.2 राजस्व व्यय का प्रभाव

वित्त लेखे की सारणी सं. 12 लघु शीर्षों द्वारा विस्तृत राजस्व व्यय तथा दीर्घ शीर्षों द्वारा पूँजीगत व्यय प्रदर्शित करती है। कुल व्यय में राजस्व व्यय का सर्वाधिक अंश था। राजस्व व्यय सामान्यतया परिसंपत्तियों एवं सेवाओं के वर्त्तमान स्तर को बनाए रखने के लिए किए जाते हैं तथा यह राज्य सेवा प्रणाली में कोई महत्त्वपूर्ण योग को नहीं दर्शाते हैं।



नीचे प्रदर्शित सारणी 7 में राजस्व व्यय, उसकी वृद्धि दर, राजस्व व्यय तथा राज्य के जी. एस. डी. पी. का अनुपात तथा राजस्व प्राप्तियाँ और उसकी जी. एस. डी. पी. और राजस्व प्राप्तियाँ दोनों के साथ उत्प्लावकता दर्शायी गयी है :

सारणी 7 : राजस्व व्यय – सामान्य प्राचल

(राशि करोड़ रुपये में तथा अन्य प्रतिशत में)

	1998-99	1999-2000	2000-01	2001-02	2002-03
राजस्व व्यय	11563	14362	13507	11159	12255
वृद्धि दर	9.81	24.21	(-) 5.95	(-) 17.38	9.82
राजस्व व्यय/ जी. एस. डी. पी.	17.45	19.92	27.35	21.89	21.62
राजस्व व्यय – कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में	89.18	86.17	88.50	89.74	87.71
राजस्व व्यय – राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में	124.39	134.74	120.85	113.42	111.73
निम्नांकित से राजस्व व्यय की उत्प्लावकता					
जी. एस. डी. पी.	1.109	2.751	0.189	(-) 5.352	0.878
राजस्व प्राप्तियाँ	(-) 5.081	1.651	(-) 1.225	1.452	0.856

राज्य का राजस्व व्यय वर्ष 1998–99 में 11563 करोड़ रुपये से बढ़ कर वर्ष 2002–03 में 12255 करोड़ रुपये हो गया। वर्ष 2002–03 के दौरान राजस्व व्यय कुल उपलब्ध निधिओं का 85.05 प्रतिशत था। यह राज्य सरकार के प्राप्तियों (कुल उपलब्ध निधियों का 76.12 प्रतिशत) के अंश से अधिक था जिसके परिणामस्वरूप राजस्व घाटा हुआ।

हाँलाकि राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्तियों का अनुपात वर्ष 1998–99 में 124.39 प्रतिशत से घट कर वर्ष 2002–03 में 111.73 प्रतिशत हो गया, राज्य की अपने चालू व्यय की पूर्ति हेतु उधार पर निर्भरता बनी रही जिसका मुख्य कारण था कि वर्ष के दौरान कुल राजस्व प्राप्तियों का 57 प्रतिशत प्रशासकीय खर्चों (1155 करोड़ रुपये), ब्याज भुगतानों (3022 करोड़ रुपये) तथा पेंशन (2049 करोड़ रुपये) पर ही खर्च हो जाता था।

पेंशन भुगतानों पर व्यय

वर्ष 1998–99 में 1024 करोड़ रुपये के पेंशन भुगतान 100 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2002–03 में 2049 करोड़ रुपये हो गए है। वर्ष 1998–99 से वर्ष 2002–03 के दौरान पेंशन भुगतानों पर किए गए व्यय की वर्षवार विवरणी निम्नवत थी :

सारणी 8 : पेंशन पर व्यय

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	व्यय	कुल राजस्व का प्रतिशत
1998-1999	1024	11.02
1999-2000	1241	11.64
2000-2001	2011	17.99
2001-2002	2273	23.10
2002-2003	2049	18.68

सेवानिवृत्तों की संख्या में वृद्धि के साथ भविष्य में पेंशन दायित्त्व के और बढ़ने की संभावना है। वर्ष 2002–03 में पेंशन भुगतान पर व्यय में कमी मुख्यतः नवंबर 2000 में राज्य के पुनर्गठन तथा परवर्त्ती झारखंड राज्य को उसके कर्मचारियों के परिणामी पुर्नआवंटन के कारण थी। राज्य सरकार ने राज्य के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के तेजी से बढ़ते पेंशन दायित्त्वों के परिपूर्ति हेतु कोई निधि का निर्माण नहीं किया है। विगत् कुछ वर्षों में पेंशन दायित्त्वों के बढ़ते दर को ध्यान में रखते हुए वर्त्तमान पेंशन योजनाओं में सुधार अत्यंत महत्त्वपूर्ण है।

ब्याज भुगतान

ग्यारहवें वित्त आयोग (अगस्त 2000) ने अनुशंसा की है कि मध्यावधि लक्ष्य के रूप में राज्यों को राजस्व प्राप्तियों के अनुपात के रूप में ब्याज भुगतान, 18 प्रतिशत पर रखने का प्रयास करना चाहिए। हाँलाकि यह पाया गया कि राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता के रूप में ब्याज भुगतान विगत् पाँच वर्षों के दौरान 26 से 28 के मध्य विस्तृत था।

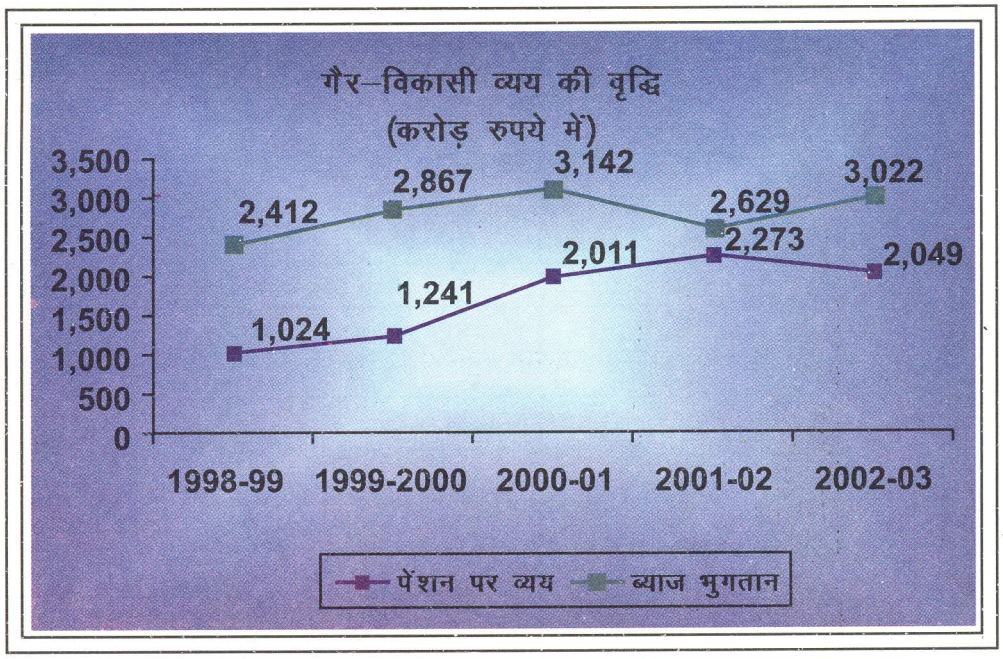
सारणी 9

वर्ष	ब्याज भुगतान	के संदर्भ में ब्याज भुगतान की प्रतिशतता	
	(करोड़ रुपये में)	राजस्व प्राप्तियाँ	राजस्व व्यय
1998-1999	2412	25.95	20.86
1999-2000	2867	26.90	19.96
2000-2001	3142	28.11	23.26
2001-2002	2629	26.72	23.56
2002-2003	3022	27.55	24.66

निरपेक्ष तौर पर राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण हेतु उधार पर लगातार निर्भरता के कारण ब्याज भुगतान वर्ष 1998–99 में 2412 करोड़ रुपये से 25.29 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष

2002–03 में 3022 करोड़ रुपये हो गया। इस प्रकार ब्याज भुगतान राज्य के स्वयं के राजस्व का शत प्रतिशत उपयोग कर गया तथा राज्य की बड़ी जनसंख्या के विकास की जरूरतों की प्रतिपूर्ति हेतु कुछ नहीं छोड़ गया।

राज्य सरकार ने वर्ष के दौरान 7.20 प्रतिशत के भारित औसत दर से 1335.47 करोड़ रुपये के बाजार ऋणों की उगाही की, वहीं दूसरी तरफ राज्य सरकार ने राष्ट्रीय लघु बचत निधि के 10.50 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से 1575.21 करोड़ रुपये तथा भारत सरकार से 11 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से 1255.15 करोड़ रुपये उधार लिया। 31 मार्च 2003 तक लगभग 60 प्रतिशत बकाए बाजार ऋण 11 प्रतिशत से अधिक के ब्याज दरों पर थे। इस प्रकार, उनके पिछले ऋणों पर उधार के वास्तविक दर वर्त्तमान में उनके द्वारा बाजार से उगाहे जा सकने वाले संसाधनों की दरो से काफी अधिक थे। राज्य सरकार के बाजार ऋणों की परिपक्वता रेखाचित्र यह दर्शाती है कि कुल बाजार ऋणों का लगभग 35 प्रतिशत अगले पाँच वर्षों के अंदर भुगतेय है जबकि शेष ऋणों को 5 से 10 वर्षों के अंदर भुगतान किया जाना है। इस प्रकार ब्याज के भुगतान पर व्यय में वृद्धि निकट भविष्य में कम नहीं होने वाली है।



1.7 *आवंटीय प्राथमिकताओं द्वारा व्यय*

वित्त लेखे की विवरणी सं. 12 से उद्भूत योजना व्यय, पूँजीगत व्यय तथा विकास व्यय के रूप में राज्य का वास्तविक व्यय राज्य की आवंटीय प्राथमिकताओं को दर्शाता है। इन अवयवों का कुल व्यय से जितना ज्यादा अनुपात होता है, व्यय की गुणवत्ता उतनी ही अच्छी मानी जाती है।

निम्न में सारणी सं. 10 व्यय के इन अवयवों का राज्य के कुल व्यय में प्रतिशत के अंश को प्रस्तुत करती है।

सारणी सं. 10 : व्यय की गुणवत्ता (कुल व्यय* का प्रतिशत)

	1998-99	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03
योजनागत व्यय	20.63	17.79	13.13	13.52	17.57
पूँजीगत व्यय	6.65	7.91	7.38	6.23	7.33
विकास व्यय	57.04	57.91	52.04	46.69	49.66

* कुल व्यय में ऋण एवं पेशगियों पर किए गए व्यय शामिल नहीं हैं।

योजनागत व्यय वर्ष 1998–99 में कुल व्यय के 20.63 प्रतिशत से घट कर वर्ष 2002–03 में 17.57 प्रतिशत हो गया। वर्ष के दौरान विकास व्यय (6568 करोड़ रुपये) में सामाजिक सेवाओं (4058 करोड़ रुपये) का अंश 61.78 प्रतिशत था। सामान्य शिक्षा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा जल एवं आपूर्ति स्वच्छता ने सामाजिक क्षेत्र में व्यय का 89 प्रतिशत खपत किया।

सारणी सं. 11
सामाजिक क्षेत्र पर व्यय

(रुपये करोड़ में)

दीर्घ शीर्ष	1998-99	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03
शिक्षा, क्रीड़ा, कला एवं संस्कृति	2596.39	3916.89	3288.06	2501.70	2750.20
चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	677.64	786.36	680.18	518.61	571.64
जलापूर्ति एवं स्वच्छता, गृह एवं शहरी विकास	326.81	392.80	264.88	153.33	294.13
कुल	**3600.84**	**5096.05**	**4233.12**	**3173.64**	**3615.97**

इसी प्रकार, आर्थिक सेवाओं (2510 करोड़ रुपये) पर व्यय विकास व्यय का 38.22 प्रतिशत था। इसमें से आर्थिक क्षेत्र पर व्यय का 82.78 प्रतिशत व्यय ग्रामीण विकास (026.55 करोड़ रुपये), कृषि एवं बाढ़ नियंत्रण (666.62 करोड़ रुपये) तथा परिवहन (285.04 करोड़ रुपये) पर था।

सारणी सं. 12 – आर्थिक क्षेत्र पर व्यय

(करोड़ रुपये में)

दीर्घ शीर्ष	1998-99	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03
ग्रामीण विकास	962.72	1343.65	992.92	814.74	1126.55
कृषि एवं बाढ़ नियंत्रण	742.80	1052.54	827.63	624.25	666.62
परिवहन	453.96	426.15	331.87	127.75	285.05
कुल	**2159.48**	**2822.34**	**2152.42**	**1566.74**	**2078.22**

इसके अलावा, बिहार सरकार ने वर्ष के दौरान ऋणों एवं पेशगियों पर 747.19 करोड़ रुपये का भुगतान किया है। इसमें से 630.34 करोड़ रुपये (84 प्रतिशत) बिहार राज्य विद्युत निगम (बि. एस. ई. बी.) को भुगतान किए गए। यह पाया गया कि बि. एस. ई. बी. को स्वीकृत ऋण में से 340 करोड़ रुपये का ऋण राजस्व प्रयोजनों के लिये था यथा बाँड के ब्याज का भुगतान, एन टी पी सी के बकाए का भुगतान आदि। इस प्रकार निवेश/पूँजीगत व्यय के

रूप में बि. एस. ई. बी. को सब्सिडी के भुगतान का लेखा–जोखा राज्य के लेखा का रूप बिगाड़ता है और परिणामतः राजस्व घाटे को छिपाता है।

1.7.1 स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थानों को वित्तीय सहायता

स्वायत्त निकाय तथा प्राधिकरण लोक हित सेवाओं के गैर–वाणिज्यिक कार्यकलापों को निष्पादित करते हैं। ये निकाय/प्राधिकरण सरकार से पर्याप्त वित्तीय सहायता प्राप्त करते हैं। सरकार ने अपने विभिन्न कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु अन्य संस्थानों जैसे जो राज्य के सहकारी समिति अधिनियम, कंपनी अधिनियम, 1956 आदि के तहत निबंधित होते हैं, को भी पर्याप्त आर्थिक सहायता प्रदान करती है। वर्ष 2002–03 को समाप्त पाँच वर्षों की अवधि में विभिन्न निकायों को प्रदत्त सहायता राशि निम्नवत् थी :

सारणी – 13

(करोड़ रुपये में)

क्रम सं.	निकाय/प्राधिकरण आदि	1998–99	1999–00	2000–01	2001–02	2002–03
1.	विश्वविद्यालय एवं शैक्षिक संस्थान	417.34	518.65	463.00	369.13	461.13
2.	नगर निगम एवं नगर पालिकाएँ	27.21	115.44	57.18	28.99	99.98
3.	*जिला परिषद* एवं *पंचायती राज* संस्थान	5.89	6.93	2.90	106.60	292.34
4.	विकास अभिकरण	226.86	34.76	61.32	12.87	34.81
5.	अन्य संस्थानें (सांविधिक निकायों सहित)	181.93	29.29	49.20	47.05	133.45
	योग	**859.23**	**705.07**	**633.60**	**564.64**	**1021.71**
	पूर्व वर्ष की तुलना में वृद्धि (+)/ह्रास (–) का प्रतिशत	9	(-) 17.94	(-) 10.14	10.88	80.94

1.7.2 उपयोगिता प्रमाण–पत्रों के प्रस्तुतिकरण में विलंब

सरकार के वित्तीय नियम यह विहित करते है कि जहाँ निश्चित प्रयोजनों के लिए अनुदान दिए जाते हैं, वहाँ विभागीय पदाधिकारियों को अनुदानग्राहियों से उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त कर तथा जाँच कर स्वीकृति की तिथि से 15 महीनों के अंदर महालेखाकार (म.ले.) को अग्रसारित कर देना है जबकि कि इसके विपरीत कुछ निर्देशित न हो।

वर्ष 2001–02 तक/दौरान भुगतान किए गए 1510.95 करोड़ रुपये के सहायता अनुदान से संबंधित उपयोगिता प्रमाणपत्रों में से 30 जून 2003 तक महालेखाकार को 103.23 करोड़ रुपये के उपयोगिता प्रमाण पत्र ही प्रस्तुत किए गए थे तथा 1407.72 करोड़ रुपये के उपयोगिता प्रमाण पत्र बकाए थे। **परिशिष्ट–VI** में विभाग वार एवं आयु वार विवरण दिया गया है।

1.7.3 स्वायत्त निकायों द्वारा लेखा जमा किए जाने में विलंब

स्वायत्त निकायों द्वारा लेखे जमा किए जाने तथा तत्पश्चात राज्य विधानमंडल में लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जमा किए जाने की वस्तुस्थिति **परिशिष्ट–VII** में दी गयी है।

1.8 परिसंपत्तियाँ एवं दायित्व

सरकार की लेखा प्रणाली अचल संपत्तियों यथा सरकार द्वारा अधिकृत भूमि, भवन आदि के व्यापक लेखाकरण का प्रयास नहीं करती हैं। हालांकि सरकारी लेखे सरकार के वित्तीय दायित्वों तथा व्यय द्वारा सृजित परिसंपत्तियों को जरूर दर्शाते हैं। वित्त लेखे की विवरणी 17 के विवरणों के साथ सहपठित विवरणी 16 ऋण, जमा एवं प्रेषण शीर्षों के तहत वर्षांत अंतशेषों को दर्शाते हैं जिसमें दायित्व एवं परिसंपत्तियाँ ज्ञात की जाती हैं। 31 मार्च 2002 के सदृश स्थिति की तुलना में 31 मार्च 2003 को दायित्वों एवं परिसंपत्तियों का सार परिशिष्ट–I प्रस्तुत करता है। जहाँ इस विवरणी में दायित्व मुख्यतः राज्य सरकार के देनदारी धन यथा आंतरिक उधार, भारत सरकार से ऋण एवं पेशगियाँ लोक–लेखा एवं सुरक्षित निधि से प्राप्तियों से निर्मित होती है, परिसंपत्तियाँ मुख्यतः राज्य सरकार पूँजीगत व्यय एवं राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त ऋणों एवं पेशगियों से निर्मित होते हैं।

वित्त लेखे में प्रदर्शित राज्य सरकार के दायित्वों में हालांकि पेंशन, कार्यरत/सेवानिवृत्त राज्य कर्मचारियों को भुगतेय अन्य सेवानिवृत्ति लाभ, राज्य सरकार द्वारा जारी की गयी गारंटियों/आश्वासन पत्र आदि शामिल नहीं हैं। परिशिष्ट–IV वर्ष 1998–2003 की अवधि के लिए राज्य सरकार के वित्तों पर कालबद्ध आँकड़ा प्रस्तुत करता है।

1.8.1 अपूर्ण परियोजनाएँ

राज्य सरकार द्वारा प्राप्त सूचनाओं के अनुसार 31 मार्च 2003 तक 22 अपूर्ण परियोजनाएँ थीं, जिनमें 1174 करोड़ रुपये अवरूद्ध पड़े थे। (द्रष्टव्य : **परिशिष्ट–VIII**)

1.8.2 निवेश एवं प्रतिफल

31 मार्च 2003 तक, सरकार ने सांविधिक निगमों, संयुक्त पूँजी कंपनियों एवं सहकारिता संस्थानों में 696.52 करोड़ रुपये का निवेश किया था। इस निवेश पर सरकार का प्रतिफल नगण्य था जैसा कि निम्न सारणी 14 में प्रदर्शित है :

सारणी 14 : निवेश पर प्रतिफल

वर्ष	वर्षांत तक निवेश	प्रतिफल	प्रतिफल का प्रतिशत	*सरकारी बाजार ऋणों पर भारित ब्याज की दर*
	(करोड़ रुपये में)			
1998-1999	644.15*	रुपये 192/- मात्र	शून्य	12.50
1999-2000	646.90*	1.10	0.17	11.38
2000-2001	685.47*	रुपये 4500/- मात्र	शून्य	11.41
2001-2002	686.67*	0.01	शून्य	9.00
2002-2003	694.34*	0.02	शून्य	7.20

1.8.3 राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त ऋण एवं पेशगियाँ

अपने निवेश के अलावा, सरकार इन निकायों को ऋण एवं पेशगियाँ भी प्रदान करते आ रही है। 31 मार्च 2003 तक प्रदत्त ऋणों का कुल बकाया अंतःशेष 8205 करोड़ रुपये था

* *वर्ष 1998–99 के पूर्व के वर्षों में वित्त लेखे के विवरणी 14 में त्रुटि सुधार हेतु प्रोफार्मा सुधार के कारण 2.19 करोड़ रुपये तथा 2.18 करोड़ रुपये का अंतर वित्त लेखे 2000–01 तथा 2001–02 में दर्शाया गया है।*

(सारणी–15)। वर्ष 1998–2003 के दौरान इन पेशगियों के विरूद्ध प्राप्त ब्याज अत्यल्प था जो बकाए ऋणों एवं पेशगियों का 0.04 प्रतिशत से 0.65 प्रतिशत तक था।

सारणी 15 : राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त ऋणों पर औसत ब्याज की प्राप्ति

(करोड़ रुपये में)

	1998-99	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03
आदि शेष	4654.79	5223.26	6282.97	6952.84	7473.60
वर्ष के दौरान पेशगी की राशि	578.56	1071.79	680.46	533.71	747.19
वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान की राशि	10.09	12.08	10.59	12.95	15.58
अंत शेष	**5223.26**	**6282.97**	**6952.84**	**7473.60**	**8205.21**
कुल योग (+)/कमी (–)	568.47	1059.71	669.87	520.76	731.61
प्राप्त ब्याज	2.31	22.31	8.58	11.75	53.01
बकाए ऋणों एवं पेशगियों के प्रतिशत के रूप में प्राप्त ब्याज	0.04	0.36	0.12	0.16	0.65
सरकार के बाजार ऋणों पर भारित ब्याज की दर	12.50	11.38	11.41	9.00	7.20
प्रदत्त एवं प्राप्त ब्याजों के मध्य अंतर	12.46	11.02	11.29	8.84	6.55

1.8.4 वाणिज्यिक कार्यकलाप

विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों में लोक निधियों के उपयोग के लिए उत्तरदायित्व का अभाव

कुछ सरकारी विभागों के विभागीय उपक्रमों द्वारा अर्द्धवाणिज्यिक प्रकृति के कार्यकलाप किए जाते हैं। इन उपक्रमों को वित्तीय परिचालन के परिणामों को दर्शाते हुए निर्धारित प्रपत्र में प्रतिवर्ष प्रोफार्मा लेखा तैयार करना पड़ता है जिससे सरकार उनके कार्यों के परिणामें को निर्धारित कर सके। सरकार के विभागाध्यक्षों को यह सुनिश्चित करना है कि ऐसे उपक्रम, जो बजटीय प्रावधानों द्वारा निधि प्रदत्त हैं, कालबद्ध तरीके से लेखा तैयार करें तथा समय पर उसे महालेखाकार को लेखापरीक्षा हेतु जमा करें।

मार्च 2003 तक, राज्य में 29 विभागीय प्रबंधित वाणिज्यिक/अर्द्धवाणिज्यिक उपक्रम थे। इनमें से **परिशिष्ट–IX** में विवरणित 26 उपक्रमों ने आरंभ से ही प्रोफॉर्मा लेखा नहीं तैयार किया था। संबंधित प्रशासकीय विभागों तथा वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर इस मामले को उठाया गया था।

मार्च 2003 तक तीन अन्य उपक्रमों के प्रोफॉर्मा लेखा 16 से 26 वर्षों तक बकाए थे। तत्संबंधी विवरण **परिशिष्ट–X** में दिया गया है।

यह देखा गया कि कोई भी उपक्रम अपने वाणिज्यिक लेखे (दोहरी लेखा प्रणाली में लेखे) का संधारण नहीं कर रहा था जैसा विभागीय प्रबंधित वाणिज्यिक/अर्द्ध–वाणिज्यिक उपक्रम के संबंध में विहित था।

1.8.5 रोकड़ शेष का प्रबंधन

सामान्यतया यह वांछित होता है कि राज्य के संसाधनों का प्रवाह उसके व्यय के दायित्त्वों के सदृश हो। हाँलाकि, संसाधनों के प्रवाह तथा व्यय के दायित्त्वों के बीच अस्थायी प्रतिकूलता की प्रतिपूर्ति के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय पेशगियों (डब्लू एम ए) की एक प्रणाली की व्यवस्था की गयी है। बिहार को 1 अप्रैल 2002 की प्रभावी तिथि से 245 करोड़ रुपये की तथा 3 मार्च 2003 से 305 करोड़ रुपये की अर्थोपाय पेशगियों की सीमा प्राप्त थी।

सारणी 16 : राज्य के अर्थोपाय पेशगियाँ तथा ओवरड्राफ्ट और उसपर प्रदत्त ब्याज

(करोड़ रुपये में)

	1998-99	1999-2000	2000-01	2001-02	2002-03
अर्थोपाय पेशगियाँ					
वर्ष के दौरान लिए गए	शून्य	3076.07	2144.41	2593.23	7.12
बकाये	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
प्रदत्त ब्याज	शून्य	6.42	10.70	7.86	0.13
ओवर ड्राफ्ट					
वर्ष के दौरान लिए गए	शून्य	109.93	1224.55	3229.53	शून्य
बकाये	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
प्रदत्त ब्याज	शून्य	0.03	1.36	3.94	शून्य
दिनों की संख्या जबतक राज्य ओवरड्राफ्ट में था	शून्य	2	63	123	शून्य

1.8.6 अनिर्वाहित दायित्त्व

राजकोषीय दायित्त्व – लोक ऋण एवं गारंटियाँ

भारत के संविधान में यह प्रावधान है कि राज्य अपने संचित निधि को ऋणाधार बनाकर समय–समय पर विधायिका के अधिनियम द्वारा निर्धारित वैसी सीमा के अंदर भारत के प्रादेशिक सीमा के भीतर ऋण ले सकता है। हाँलांकि, ऐसी सीमा के निर्धारण हेतु राज्य द्वारा कोई कानून पारित नहीं किया गया। वित्त लेखे की विवरणियाँ 16 तथा 17 सहपठित विवरणी 4 ऋण, जमा तथा प्रेषण शीर्षों के तहत वर्षांत अंतःशेष प्रदर्शित करती है जिससे दायित्त्व ज्ञात किये जाते हैं।

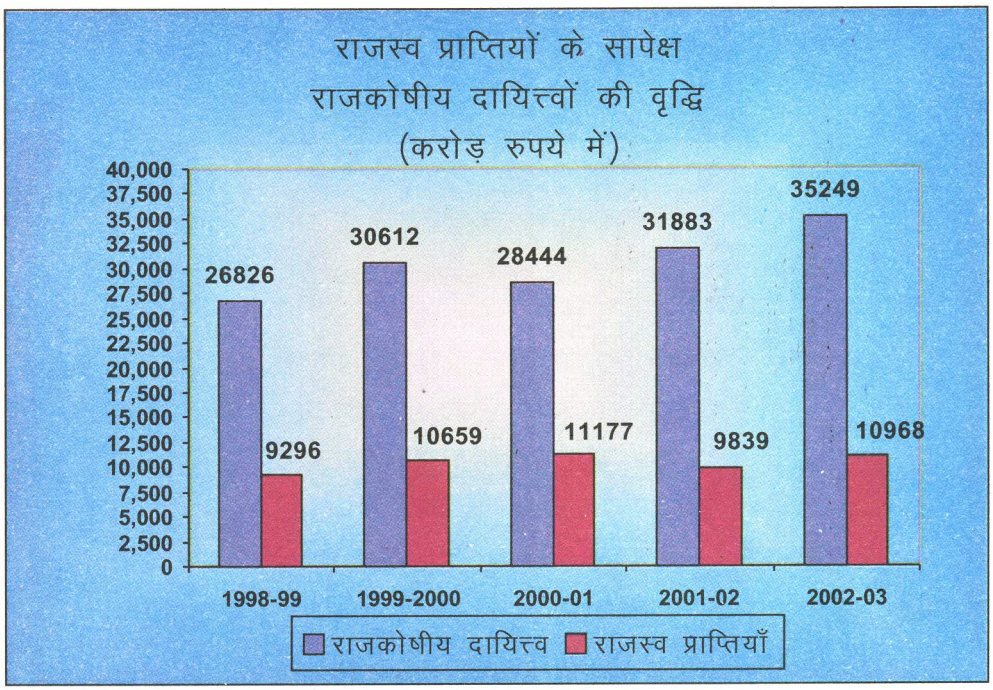
यह देखा जाएगा कि राज्य का कुल राजकोषीय दायित्त्व 7.60 प्रतिशत के औसत प्रवण वृद्धि दर पर वर्ष 1998–99 में 26826 करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 2002–03 में 35249 करोड़ रुपये हो गया। जी. एस. डी. पी. के अनुपात के रूप में ये दायित्त्व वर्ष 1998–99 में 40.50 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2002–03 में 62.20 प्रतिशत हो गए तथा राजस्व प्राप्तियों के 3.21 गुना तथा अपने कर एवं करेतर राजस्व से निर्मित संसाधनों के 10.14 गुना पर अवस्थिति थे। निम्न सारणी सं. 17 राज्य के वित्तीय दायित्त्वों, उसके वृद्धि दर, इन दायित्त्वों का जी. एस. डी. पी. राजस्व प्राप्तियों एवं स्वयं के संसाधनों के प्रति अनुपात एवं इन प्राचलों के प्रति इन दायित्त्वों की उत्प्लावकता दर्शाती है।

सारणी 17 – राजकोषीय असंतुलन – मूल प्राचल

(रुपये करोड़ में एवं अनुपात प्रतिशत में)

	1998-99	1999-2000	2000-01	2001-02	2002-03
राजकोषीय दायित्त्व	26826	30612	28444	31883	35249
वृद्धि दर	16.31	14.11	(-) 7.08	12.09	10.56
राजकोषीय दायित्त्वों का निम्नलिखित से अनुपात					
जी. एस. डी. पी.	40.50	42.50	57.60	62.50	62.20
राजस्व प्राप्तियाँ	288.60	287.20	254.50	324.00	321.37
स्वयं के संसाधन	700.80	720.01	807.80	1223.90	1166.46
राजकोषीय दायित्त्वों की निम्न से उत्प्लावकता					
जी. एस. डी. पी.	1.844	1.604	0.225	3.722	0.944
राजस्व प्राप्तियाँ	(-) 8.446	0.963	(-) 1.457	(-) 1.010	0.920
स्वयं के संसाधन	2.912	1.277	0.412	(-)0 .465	0.661

इन दायित्त्वों के अलावा, सरकार ने विभिन्न निगमों एवं अन्य के लिए ऋणों की गारंटियाँ दी थी जो वर्ष 2002–03 में 393.44 करोड़ रुपये थी। ये गारंटियाँ राज्य के आकस्मिक दायित्त्वों की प्रकृति के हैं तथा ऋणों के भुतान नहीं होने की दशा में राज्य पर वचनबद्धता के सम्मान का दायित्त्व आ सकता है। वर्तमान में, आकस्मिक दायित्त्वों सहित राजकोषीय दायित्त्व राज्य के राजस्व प्राप्तियों का तीन गुना से अधिक है। राज्य का प्रत्यक्ष राजकोषीय दायित्त्व जी. एस. डी. पी. के वृद्धि दर की तुलना में अति तीव्रता से बढ़ा।



ऋण के सुदृढ़ता का अन्य मुख्य द्योतक आरंभ के अनुबंधित दायित्त्वों संबंधित मूलधन एवं ब्याज के भुगतानोपरांत निधियों की कुल उपलब्धता है। सारणी सं. 19 विगत 5 वर्षों में आंतरिक ऋण के प्राप्तियों एवं पुनर्भुगतान की स्थिति दर्शाता है। ब्याज एवं पुनर्भुगतानों की देयता के बाद आंतरिक ऋणों एवं भारत सरकार द्वारा ऋणों एवं पेशगियों से संबंधित कुल उपलब्ध निधियाँ वर्ष 1998–99 में 32.59 प्रतिशत से कम हो कर वर्ष 1998–2003 में 1.72 प्रतिशत हो गयी।

सारणी सं. 19 : उधार ली गयी निधियों की निवल उपलब्धि

(करोड़ रुपये में)

	1998-99	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03	औसत
आंतरिक ऋण*						
प्राप्तियाँ	734	427	2045	2681	2935	1764
पुनर्भुगतान (मूलधन+ब्याज)	596	948	1029	987	923	897
निवल उपलब्ध निधियाँ	138	(-) 521	1016	1694	2012	867
निवल उपलब्ध निधियाँ (प्रतिशत)	19	(-) 122.00	50.00	63	69	49.15
भारत सरकार से ऋण एवं पेशगियाँ						
प्राप्तियाँ	2809	3046	1246	1077	1255	1886.60
पुनर्भुगतान (मूलधन+ब्याज)	1792	2180	2264	1926	3195	2271.40
निवल उपलब्ध निधियाँ	1017	866	(-) 1018	(-) 849	(-) 1940	(-) 384.80
निवल उपलब्ध निधियाँ (प्रतिशत)	36	28	(-) 82	(-) 79	(-) 155	(-) 20.40
कुल लोक ऋण						
प्राप्तियाँ	3543	3473	3291	3758	4190	3651.00
पुनर्भुगतान (मूलधन+ब्याज)	2388	3128	3293	2913	4118	3168.00
निवल उपलब्ध निधियाँ	1155	345	(-)2	845	72	483.00
निवल उपलब्ध निधियाँ (प्रतिशत)	32.59	9.93	(-)0.06	22.49	1.72	13.22

* अर्थोपाय पेशगियों को छोड़कर आंतरिक ऋण

1.9 घाटों का प्रबंधन

1.9.1 राजकोषीय असंतुलन

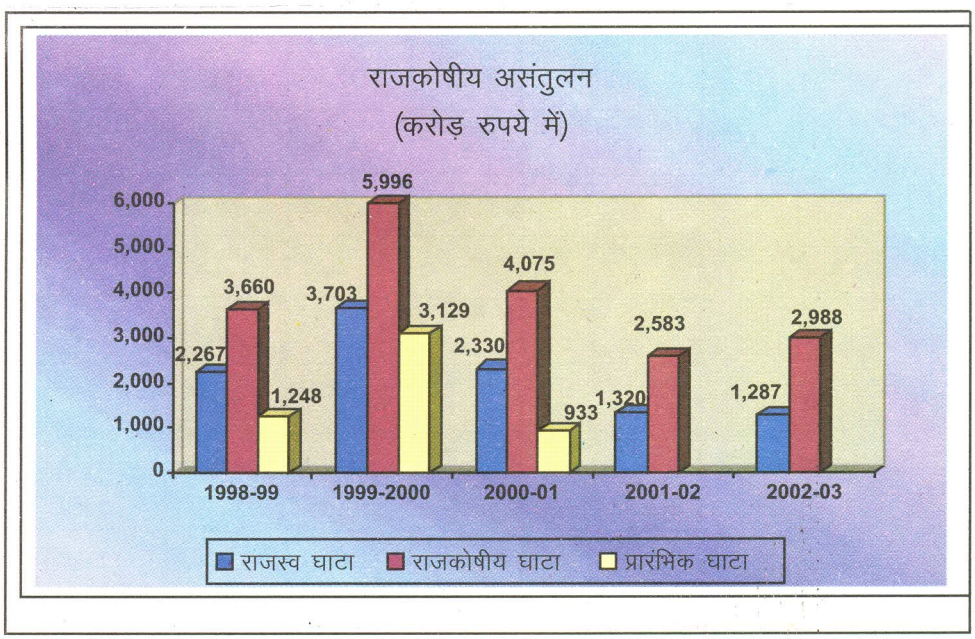
सरकारी लेखा में घाटा उसकी प्राप्तियों और व्यय के मध्य अंतर को दर्शाता है। घाटे की प्रकृति सरकार के राजकोषीय प्रबंधन के विवेकशीलता का सूचक है। इसके अलावा, घाटे का अर्थप्रबंधन का तथा संसाधनों के उगाहने एवं प्रयुक्त किए जाने का तरीका राजकोषीय स्वास्थ्य का मुख्य परिचायक है।

राज्य का राजस्व (वित्त लेखे की विवरणी सं. 1), जो कि राजस्व प्राप्तियों से राजस्व व्यय का आधिक्य है, वर्ष 1998–99 में 2267 करोड़ रुपये से घटकर वर्ष 2002–03 में 1287 करोड़ रुपये हो गया। राजकोषीय घाटा, जो कि राज्य का कुल ऋण एवं कुल संसाधनों का अंतर दर्शाता है, वर्ष 1998–99 में 3660 करोड़ रुपये से घटकर वर्ष 2002–03 में 2988 करोड़ रुपये हो गया। राज्य को आरंभिक घाटा भी था जो वर्ष 1998–99 में 1248 करोड़ रुपये से घटकर वर्ष 2002–03 में (–)34 करोड़ रुपये हो गया। ये घाटे, हालांकि उनके नवीनतम लेखा के अनुसार बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को भुगतेय 2963 करोड़ रुपये की सब्सिडी को शामिल नहीं करते हैं। परिणामस्वरूप, प्रत्येक मामले में प्रभावी घाटा 2963 करोड़ रुपये से बढ़ जाएगा।

सारणी सं. 20 – राजकोषीय असंतुलन – मूल प्राचल

(मूल्य रुपये करोड़ में तथा अनुपात प्रतिशत में)

	1998-99	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03	औसत
राजस्व घाटा	2267	3703	2330	1320	1287	2181
राजकोषीय घाटा	3660	5996	4075	2583	2988	3860
प्रारंभिक घाटा (–) लाभ (+)	1248	3129	933	(-) 46	(-) 34	1046
रा.घा. / जी. एस. डी. पी.	3.40	5.10	4.70	2.60	2.27	3.69
रा. को. घा. / जी. एस. डी. पी.	5.50	8.30	8.30	5.10	5.27	6.53
प्रा. घा. / जी. एस. डी. पी.	1.90	4.30	1.90	(-)0.10	(-)0.06	1.77
रा. घा. / रा. को. घा.	62	62	57	51	43	57



राजस्व घाटा तथा राजकोषीय घाटा का अनुपात वर्ष 1998–99 में 62 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2002–03 में 43 प्रतिशत हो गया था। जी. एस. डी. पी. के अनुपात में, वर्ष 2002–03 में राजस्व घाटा घट कर 2.27 प्रतिशत तथा राजकोषीय घाटा 5.27 प्रतिशत हो गया था।

1.10 राजकोषीय अनुपात

राज्य के वित्त को सुदृढ, नम्य एवं असंवेदनशील होना चाहिए। निम्न सारणी सं. 21 कुछ सूचकों के सापेक्ष वर्ष 1998–2003 के दौरान सरकार के वित्तों की सार–स्थिति दर्शाती है जो उपलब्ध संसाधनों की पर्याप्तता व आदेयता तथा उनकी प्रयुक्तता को निर्धारित करने व महत्त्व के क्षेत्रों को उजागर करने तथा उसके प्रमुख पहलुओं को समझने में मदद करते हैं।

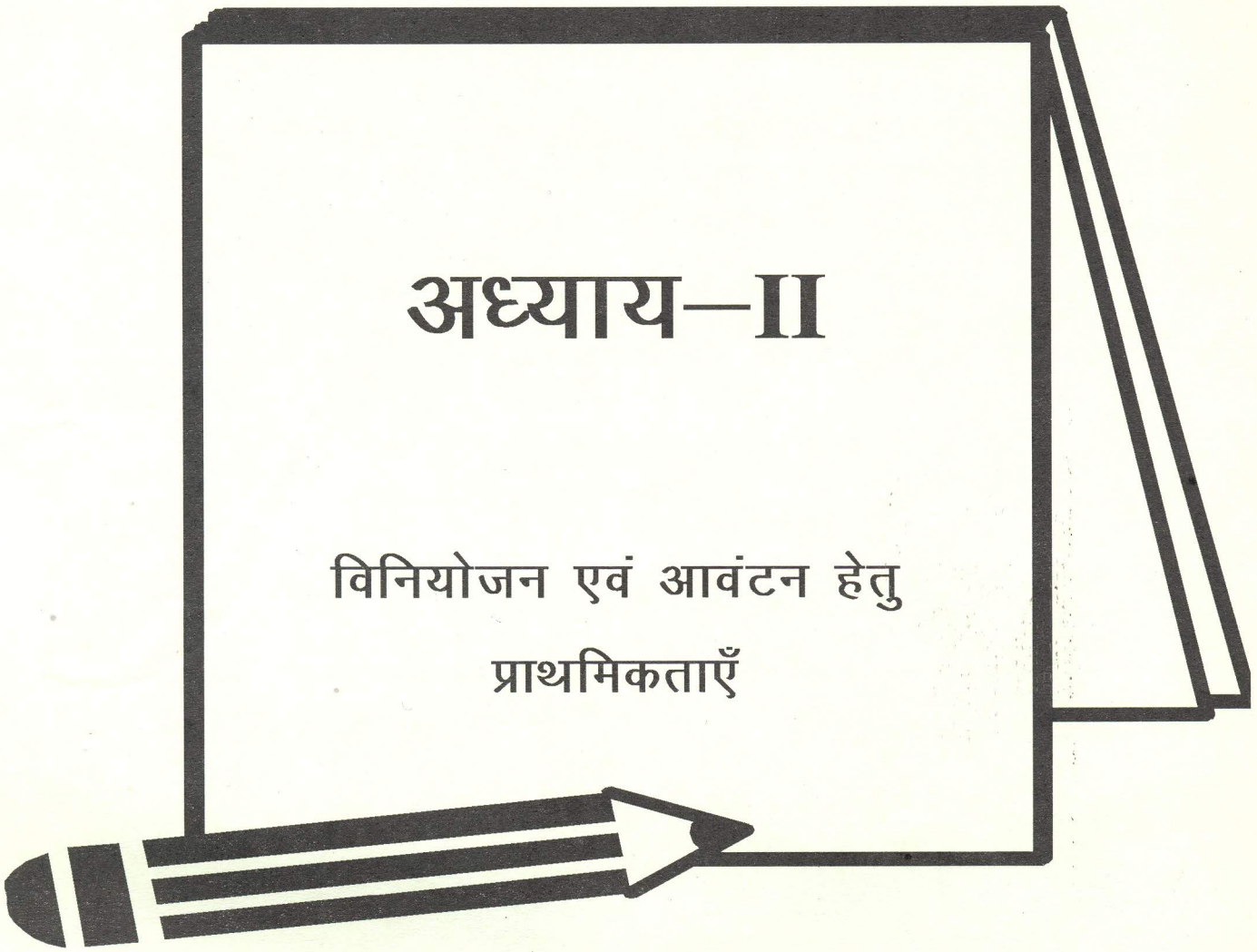
राजस्व प्राप्तियों की उत्प्लावकता कर व्यवस्था की प्रकृति तथा जी. एस. डी. पी. के वृद्धि के साथ राज्य का संसाधनों के प्रति बढ़ते पहुँच को दर्शाती है। राजस्व प्राप्तियों और राज्य के अपने करों का जी. एस. डी. पी. के प्रति अनुपात संसाधनों की पर्याप्तता दर्शाता है। इन अनुपातों ने वर्ष 1998–2003 के दौरान सुधार दर्शाया जो संसाधनों के परिचालन और उसकी दृढ़ता को दर्शाता था।

राज्य के व्यय प्रबंधन से संबंधित विभिन्न अनुपात संसाधनों के परिचालन के सापेक्ष उनके व्यय की गुणवत्ता तथा दृढ़ता दर्शाता है। इस अवधि के दौरान राजस्व व्यय और कुल व्यय का अनुपात 87–89 प्रतिशत के करीब स्थिर रहा। विकास व्यय और कुल व्यय का अनुपात वर्ष 1998–99 में 57.04 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2001–02 में 46.69 प्रतिशत तथा वर्ष 2002–03 में बढ़कर 49.66 प्रतिशत हो गया। वर्ष 1998–2003 के दौरान कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में पूँजीगत व्यय 6.23 प्रतिशत से 7.91 प्रतिशत तक विस्तारित था।

राजकोषीय अनुपात	1998-99	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03	औसत
संसाधन का एकत्रीकरण						
राजस्व प्राप्तियाँ/ जी. एस. डी. पी.	14.03	14.79	22.63	19.30	19.35	17.58
राजस्व उत्प्लावकता	(-) 0.218	1.666	0.154	(-) 3.686	1.026	(-)0.646
स्वयं का कर/ जी. एस. डी. पी.	4.05	4.28	5.69	4.55	5.35	4.78
व्यय प्रबंधन						
कुल व्यय/ जी. एस. डी. पी.	19.57	23.12	30.91	24.39	24.65	24.14
राजस्व प्राप्तियाँ/कुल व्यय	71.70	63.95	73.23	79.12	78.50	73.30
राजस्व व्यय/कुल व्यय	89.18	86.17	88.50	89.74	87.71	88.14
पूँजीगत व्यय	6.65	7.91	7.38	6.23	7.33	7.16
विकास व्यय/कुल व्यय (रा. घ. + पूँजीगत व्यय)	57.04	57.91	52.04	46.69	49.66	52.90
रा. प्रा. के साथ कुल व्यय की उत्प्लावकता	(-) 5.448	1.947	(-)1.733	1.548	1.077	0.694
रा. प्रा. के साथ रा. व्यय की उत्प्लावकता	(-) 5.08	1.65	(-)1.23	1.45	0.86	0.62
राजकोषीय असंतुलन का प्रबंधन						
राजस्व घाटा (करोड़ रुपये में)	2267	3703	2330	1320	1287	2181
राजकोषीय घाटा (करोड़ रुपये में)	3660	5996	4075	2583	2988	3860
प्रारंभिक घाटा (करोड़ रुपये में)	1248	3129	933	(-) 46	(-) 34	1046
राजस्व घाटा/राजकोषीय घाटा (प्रतिशत)	62	62	57	51	43	57
राजकोषीय दायित्वों का प्रबंधन						
राजकोषीय दायित्त्व/ जी. एस. डी. पी.	40.50	42.50	57.60	62.50	62.20	51.80
राजकोषीय दायित्त्व/रा. प्रा.	288.60	287.20	254.50	324.00	321.37	292.80
रा. दा. का रा. प्रा. के प्रति उत्प्लावकता	(-) 8.446	0.963	(-) 1.457	(-) 1.010	0.920	2.772
रा. दा. का सकल प्राप्तियों के प्रति उत्प्लावकता	2.912	1.277	0.412	(-)0.465	0.661	0.720
ब्याज विस्तार	(-)0.83	(-)1.18	(-)42.13	(-)5.47	2.18	(-)13.85
निवल उपलब्ध निधि	32.60	9.93	(-)0.06	22.49	1.72	13.23

राजकोषीय अनुपात	1998-99	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03	औसत
अन्य राजकोषीय स्वास्थ्य सूचक						
निवेश पर प्रतिफल	शून्य	0.17	शून्य	शून्य	शून्य	
चालू राजस्व से शेष (रुपये करोड में)	(-) 1452	(-) 3418	(-) 2387	(-) 1246	(-) 1039	(-) 1908.40
वित्तीय परिसंपत्तियाँ / दायित्व	73	64	73	72	72	70.80

राज्य के लिए अपनी सामाजिक एवं आर्थिक अंतःसंरचना सुदृढ़िकरण एवं अतिरिक्त आय उत्पन्न करने वाली परिसंपत्तियों के सृजन हेतु ऋण–ग्राह्यता असामान्य नहीं है। हाँलांकि, वर्ष दर वर्ष वृहत राजस्व एवं राजकोषीय घाटे के साथ–साथ निवेशों पर निम्न अथवा शून्य प्रतिफल यह इंगित करता है कि राज्य शनैःशनैः ऋण जाल में फँसता जा रहा है। राज्य का निवेश लगातार निम्न अथवा शून्य प्रतिफल अंतर्निहित सब्सिडी तथा निवेशों हेतु उच्च दर के ऋणों के उपयोग को दर्शाता है जो बहुत कम लाभ देता है। घाटे पर चलने वाली कंपनियों में निवेश मान्य नहीं है। राज्य के सकल वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रति दायित्वों के अनुपात में भी ह्रास आया जो दर्शाता था कि दायित्वों का अधिकांश भाग परिसंपत्तियों से समर्थित नहीं था। यह दर्शाता था कि या तो राज्य को अपने वर्तमान परिसंपत्तियों से अधिक राजस्व का सृजन करना होगा अथवा चालू राजस्व से ऋण भार के भुगतान का प्रावधान आवश्यक होगा। राज्य के वर्त्तमान राजस्व का शेष भी नाकारात्मक अनवरत है। चालू राजस्व से शेष (बी सी आर) योजना विस्तार के निर्धारण में अहम भूमिका निभाता है तथा ऋणात्मक बी सी आर उस पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है तथा अतिरिक्त अंतः संरचनात्मक सहायता और अन्य राजस्व सृजन करने वाले निवेश हेतु निधियों की उपलब्धता को घटाता है।



अध्याय–II

विनियोजन एवं आवंटन हेतु प्राथमिकताएँ

अध्याय–II

विनियोजन एवं आवंटन हेतु प्राथमिकताएँ

2.1 प्रस्तावना

विभिन्न विनिर्दिष्ट सेवाओं हेतु पूंजीगत एवं राजस्व व्ययों को दर्शाने के लिए प्रतिवर्ष विनियोग लेखाएँ तैयार की जाती है। साथ ही उनमें बजट के भारित एवं दत्तमत मदवाले व्यय भी शामिल होते है जो विनियोजन अधिनियम के अंतर्गत अधिकृत होते है।

भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा विनियोग लेखाओं की लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करता है कि क्या विभिन्न अनुदानों के अंतर्गत किया गया वास्तविक व्यय विनियोजन अधिनियम के अंतर्गत दिए गए प्राधिकार में है तथा संविधान के अंतर्गत जो व्यय प्रभारित किया जाना अपेक्षित है, उसे इस प्रकार प्रभारित किया गया है । यह इसे भी सुनिश्चित करता है कि क्या इस प्रकार किया गया व्यय कानून, संबंधित नियमों विनियमों एवं अनुदेशो के अनुरूप है।

2.2 विनियोजन लेखाओं का सारांश

अनुदानों/विनियोजनो के विरूद्ध वर्ष 2002–03 की अवधि में किए गए वास्तविक व्यय की सारांशित स्थिति निम्नलिखित है :

(रुपये करोड़ में)

	व्यय की प्रकृति	मूल अनुदान/ विनियोजन	पूरक अनुदान/ विनियोजन	कुल	वास्तविक व्यय	बचत
दत्तमत	I. राजस्व	10637.51	885.92	11523.43	9210.94	2312.49
	II. पूँजीगत	1484.92	281.14	1766.06	969.03	797.03
	III. ऋण एवं पेशगियाँ	609.23	241.95	851.18	731.31	119.87
कुल दत्तमत		**12731.66**	**1409.01**	**14140.67**	**10911.28**	**3229.39**
भारित	IV. राजस्व	2895.56	682.71	3578.27	3044.18	534.09
	V. पूँजीगत	शून्य	1.64	1.64	1.64	शून्य
	VI. ऋण	शून्य	15.88	15.88	15.88	शून्य
	VII. लोक ऋण	2767.41	38.33	2805.74	1533.47	1272.27
कुल भारित		**5662.97**	**738.56**	**6401.53**	**4595.17**	**1806.36**
कुल योग		**18394.63**	**2147.57**	**20542.20**	**15506.45**	**5035.75**

नोट : संक्षिप्त आकस्मिक विपत्र से निकाले गये 194.62 करोड़ रुपये के समर्थन में विस्तृत आकस्मिक विपत्र प्राप्त नहीं हुए है।

5035.75 करोड़ रुपये (कुल प्रावधान का 25 प्रतिशत) की समग्र बचत, अनुदानों के 45 एवं विनियोगों के पाँच मामलों में हुए 5045.90 करोड़ रुपये की बचत दो अनुदानों के

10.15 करोड़ रुपये के आधिक्य का निवल परिणाम था। बचत/आधिक्य (विस्तृत विनियोग लेखे) में उनके महत्वपूर्ण विचलन के स्पष्टीकरण हेतु नियंत्री पदाधिकारियों को भेजे गये थे परंतु उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए।

2.3 विनियोग द्वारा आवंटन हेतु प्राथमिकताएँ

2.3.1 बचत के संदर्भ में आवंटन हेतु प्राथमिकताओं का विश्लेषण निम्नलिखित है :

अनुदान सं. 10 – ऊर्जा

(रुपये करोड़ में)

पूंजी (भारित)	अनुदान	कुल अनुदान	व्यय	बचत
मूल	24.10			
पूरक	101.43	125.53	47.35	78.18

बचत मुख्यतः उपशीर्ष "2801" के अंतर्गत बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को विद्युत हेतु अनुदान (बि. रा. वि. बोर्ड) योजना (61.01 करोड़ रुपये) न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम योजना के अंतर्गत ग्रामीण विद्युतीकरण हेत दिया गया अनुदान,(2.97 करोड़ रुपये) बि. रा. वि. बो. को प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, योजना के अंतर्गत ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु दिया गया अनुदान (10.11 करोड़ रुपये) शीर्ष 2810 गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों हेतु दिया गया सहायता अनुदान योजना (2.14 करोड़ रुपये) एवं शीर्ष 2059 लोक कार्य, विद्युत क्रियान्वयन गैर योजना (1.62 करोड़ रुपये) के अंतर्गत हुए । अंतिम बचत का कारण संसूचित नहीं किया गया था।

(रुपये करोड़ में)

पूँजी (दत्तमत)	अनुदान	कुल अनुदान	व्यय	बचत
मूल	568.88			
पूरक	180.91	749.79	630.34	119.45

बचत मुख्यतः शीर्ष "6801" के अंतर्गत – बिहार राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा जारी किये गये ऋणों के विरूद्ध बकाये भुगतान हेतु ऊर्जा परियोजना को दिये गये ऋण गैर योजना (53 करोड़ रुपये) नाबार्ड द्वारा बिहार राज्य जल विद्युत निगम (बी.एस.एच.सी) हेतु बि. रा. वि. बो. योजना को ऋण (91.53 करोड. रूपये) की विमुक्ति नही करने के कारण हुआ था। बचत का कोई कारण नही बताया गया था ।

अनुदान सं. 12 – वित्त

(रुपये करोड़ में)

राजस्व (दत्तमत)	अनुदान	कुल अनुदान	व्यय	बचत
मूल	359.60			
पूरक	6.16	365.76	51.46	314.30

बचत मुख्यतः शीर्ष 2048 के अंतर्गत ऋण शोधन निधि–गैर योजना (रुपये 300.00 करोड़) इत्यादि के छोड़ने या कम करने हेतु विनियोजन में हुआ था। अंतिम बचत का कारण सूचित नहीं किया गया था।

विनियोग सं. 13 – सूद का भुगतान

(रुपये करोड़ में)

राजस्व (भारित)	अनुदान	कुल अनुदान	व्यय	बचत
मूल	2863.90			
पूरक	681.43	3545.33	3021.79	523.54

बचत मुख्यतः बिहार राज्य विकास ऋण गैर योजना (316.54 करोड़ रुपये) पर 2049 सूद भुगतान केन्द्रीय सरकार गैर योजना (68.99 करोड़ रुपये) के राष्ट्रीय लघु बचत को निर्गत विशेष प्रतिभूतियों, लघु बचत संग्रहन गैर योजना (133.62 करोड़ रुपये) के अंश के रूप में पूर्व 1984–85 में प्राप्त ऋण , पूर्व 1979–80 संग्रहन ऋण गैर योजना (29.06 करोड़ रुपये), बीमा तथा पेंशन निधि गैर योजना (20 करोड़ रुपये) आदि के कारण हुआ जो केन्द्र सरकार से प्राप्त ऋण तथा अग्रिम, 15 वर्षीय संग्रहित ब्लॉक ऋण 1990 गैर योजना 23.16 करोड़ रुपये केन्द्र प्रायोजित योजना योजनागत योजना गैर योजना (23.29 करोड़ रुपये) पर ऋण तथा गैर योजना (24.86 करोड़ रुपये) आरक्षी बल के आधुनिकीकरण हेतु ऋण पर अधिक व्यय से पूरा किया गया। बचत एवं आधिक्य का कारण सूचित नहीं किया गया था।

विनियोग सं. 14 – कर्जो की पुनर्अदायगी

(रुपये करोड़ में)

पूँजी (भारित)	विनियोजन	कुल विनियोजन	व्यय	बचत
मूल	2767.41			
पूरक	38.33	2805.74	1533.47	1272.27

बचत मुख्यतः शीर्ष 6003 के अंतर्गत राज्य सरकार का आंतरिक ऋण जो बाजार से 11 प्रतिशत पर बिहार राज्य विकास ऋण 2002–गैर योजना द्वारा लिया गया ऋण (134.49 करोड़ रुपये), भारतीय रिजर्व बैंक से लिया गया अर्थोपाय अग्रिम गैर योजना (1992.87 करोड़ रुपये), उद्योग विभाग हेतु लिए गए ऋण गैर योजना (13.06 करोड़ रुपये) आदि को आधिक्य व्यय शीर्ष 6003 के अंतर्गत अंशतः प्रतितुलित किया गया, यथा राज्य सरकार का आंतरिक ऋण को केन्द्र सरकार से एवं अग्रिम के रूप में लिया गया, वर्ष 1984–85 से पहले के ऋण गैर योजना (738.58 करोड़ रुपये) एवं 132.96 करोड़ रुपये बजट प्रावधान के बिना ही व्यय किया गया आदि। बचत एवं आधिक्य का कारण सूचित नहीं किया गया था।

अनुदान संख्या 20 – स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण

(रुपये करोड़ में)

राजस्व (दत्तमत)	अनुदान	कुल अनुदान	व्यय	बचत
मूल	733.81			
पूरक	23.35	757.16	549.68	207.48

बचत मुख्यतः शीर्ष 2210 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य चिकित्सा महाविद्यालय के अंतर्गत गैर योजना (27.26 करोड़ रुपये) हुए थे, (ऐलोपैथी 19.73 करोड़ रुपये, आयुर्वेदिक 6.15 करोड़ रुपये, होम्योपैथी 1.38 करोड़ रुपये), ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएँ गैर योजना (71.67 करोड़

रुपये), रोगों के नियंत्रण एचं बचाव गैर योजना (30.99 करोड़ रुपये) के अन्तर्गत हुआ था। शीर्ष 2211, परिवार कल्याण के अंतर्गत बचत मुख्यतः खाद्य मिलावट से बचाव–योजना (41.86 करोड़ रुपये) एवं केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं (28.49 करोड़ रुपये) के अंतर्गत हुए थे। ग्रामीण एवं शहरी परिवार कल्याण सेवाएँ – केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं (के. प्रा. यो.) (44.19 करोड़ रुपये)। बचत मुख्यतः प्रजनित शिशु स्वास्थ्य परियोजना – के. प्रा. यो. (60.95 करोड़ रुपये) के अंतर्गत आधिक्य से अंशतः प्रतितुलित किये गये थे। बचत/आधिक्य के कारण को सूचित नहीं किया गया था।

अनुदान सं. 22 – गृह

(रुपये करोड़ में)

राजस्व (दत्तमत)	अनुदान	कुल अनुदान	व्यय	बचत
मूल	1158.48			
पूरक	22.74	1181.22	919.21	262.01

बचत मुख्यतः शीर्ष 2055 के अंतर्गत पुलिस जिला क्रियान्वयन बल (100.97 करोड़ रुपये), ग्राम्य पुलिस बल (16.18 करोड़ रुपये), पुलिस बल के आधुनिकीकरण पर गैर योजना (108 करोड़ रुपये) हुआ था। अंतिम बचत का कारण सूचित नहीं किया गया था।

अनुदान सं. 42 – ग्रामीण विकास

(रुपये करोड़ में)

राजस्व (दत्तमत)	अनुदान	कुल अनुदान	व्यय	बचत
मूल	848.16			
पूरक	95.29	943.45	791.44	152.01

बचत मुख्यतः शीर्ष 2505 ग्रामीण रोजगार इंदिरा आवास योजना – योजना (20.92 करोड़ रुपये), अनुसूचित जाति हेतु विशेष समेकित योजना, योजना (9.96 करोड़ रुपये) एवं समग्र ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम – ढुलाई योजना (7.60 करोड़ रुपये), शीर्ष 2515 के अंतर्गत अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम – गैर योजना (28.39 करोड़ रुपये), जिला पंचायत स्थापना – गैर योजना (33.09 करोड़ रुपये) के अन्तर्गत हुआ था। बचत का कारण सूचित नहीं किया गया था।

(रुपये करोड़ में)

पूँजी (दत्तमत)	अनुदान	कुल अनुदान	व्यय	बचत
मूल	571.17			
पूरक	2.00	573.17	339.74	233.43

बचत मुख्यतः शीर्ष 4515 न्युनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण विकास हेतु पूँजीगत परिव्यय – नाबार्ड – आई आर डी पी (73.68 करोड़ रुपये), प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के अंतर्गत पथ निर्माण – योजना (150.00 करोड़ रुपये) के अन्तर्गत हुआ था। बचत का कारण सूचित नही किया गया था।

अनुदान सं. 44 – माध्यमिक, प्राथमिक एवं व्यस्क शिक्षा

(रुपये करोड़ में)

राजस्व (दत्तमत)	अनुदान	कुल अनुदान	व्यय	बचत
मूल	2698.40			
पूरक	116.40	2814.84	2320.56	494.28

बचत मुख्यतः शीर्ष 2202 सामान्य शिक्षा – प्रारम्भिक शिक्षा – गैर योजना (260.58 करोड़ रुपये), ग्राम पंचायत को सहायता योजना (50.08 करोड़ रुपये), प्रारम्भिक शिक्षा सर्व शिक्षा अभियान – (केन्द्रीय प्रायोजित योजना) (67.84 करोड़ रुपये) माध्यमिक शिक्षा – गैर योजना (62.88 करोड़ रुपये), अनौपचारिक शिक्षा (केन्द्रीय प्रायोजित योजना) (23.35 करोड़ रुपये) एवं योजना (1.86 करोड़ रुपये) एवं ग्यारहवें वित्त आयोग के अंतर्गत (7.12 करोड़ रुपये) हुआ था। बचत का कारण सूचित नहीं किया गया था।

(रुपये करोड़ में)

पूँजी (दत्तमत)	अनुदान	कुल अनुदान	व्यय	बचत
मूल	41.64			
पूरक	37.56	79.20	36.12	43.08

बचत मुख्यतः ग्यारहवें वित्त आयोग के अंतर्गत प्राथमिक स्कूलों के भवन निर्माण – योजना (21.99 करोड़ रुपये), प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के अंतर्गत भवन निर्माण एवं प्राथमिक स्कूलों में पेयजल तथा शौचालयों के व्यवस्था पर – योजना (15.22 करोड़ रुपये) प्रारंभिक शिक्षा हेतु भवनों – सी. पी. एस. (5.05 करोड़ रुपये) आदि में हुआ था। बचत का कारण सूचित नहीं किया गया था।

अनुदान संख्या 49 – जल संसाधन

(रुपये करोड़ में)

राजस्व (दत्तमत)	अनुदान	कुल अनुदान	व्यय	बचत
मूल	244.58			
पूरक	0.01	244.59	206.23	38.36

बचत मुख्यतः शीर्ष 2701 के अंतर्गत वृहत एवं मध्यम सिंचाई परियोजना – कोशी परियोजना का स्थापना – गैर योजना (6.47 करोड़ रुपये), गंडक परियोजना स्थापना – गैर योजना (6.32 करोड़ रुपये), बिहार सिंचाई परियोजना का स्थापना, गैर योजना (3.03 करोड़ रुपये) एवं सिंचाई से प्राप्त राजस्व–गैर योजना (11.58 करोड़ रुपये) पर हुआ था। बचत का कारण सूचित नहीं किया गया था।

(रुपये करोड़ में)

पूँजी (दत्तमत)	अनुदान	कुल अनुदान	व्यय	बचत
मूल	580.09			
पूरक	55.53	635.62	303.62	332.00

बचत मुख्यतः शीर्ष 4701 के अंतर्गत वृहत एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय–योजना (188.57 करोड़ रुपये) एवं शीर्ष 4711 के अंतर्गत बाढ़ नियंत्रण परियोजना

पर पूँजीगत परिव्यय – योजना (71.48 करोड़ रुपये) हुआ था। बचत का कारण सूचित नहीं किया गया था।

अनुदान संख्या 51 – कल्याण

(रुपये करोड़ में)

राजस्व (दत्तमत)	अनुदान	कुल अनुदान	व्यय	बचत
मूल	246.96			
पूरक	44.95	291.91	182.11	109.80

बचत मुख्यतः शीर्ष 2225 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के कल्याण – शिक्षा, आवासीय विद्यालयों, छात्रवृत्ति/वृत्तिका एवं छात्रावास निर्माण आदि पर (35.89 करोड़ रुपये) एवं शीर्ष 2235 सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण – समाज कल्याण, विकलांगों का कल्याण, शिशु एवं परिवार कल्याण (10.22 करोड़ रुपये) एवं शीर्ष 2236 पोषाहार (10.77 करोड़ रुपये) के अंतर्गत हुए थे। बचत का कारण सूचित नहीं किया गया था।

- राज्य सरकार ने 509.02 करोड़ रुपये की निधि विमुक्त नहीं किया था जो इस प्रकार थे – केन्द्रीय योजना के दो अनुदानों के अंतर्गत (6.48 करोड़ रुपये), राज्य योजना के 13 अनुदानों के अंतर्गत (347.30 करोड़ रुपये) एवं केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के आठ अनुदानां के अंतर्गत (155.24 करोड़ रुपये)। विवरण **परिशिष्ट–XI** में दिया गया है।

- पचास मामलों में व्यय दो करोड़ रुपये या उससे अधिक से कम थे एवं प्रत्येक मामलों के कुल प्रावधान से 10 प्रतिशत अधिक था जैसाकि **परिशिष्ट–XII** में दर्शाया गया है। 58 मामलों में, प्रत्येक मामले में 10 लाख रुपये से अधिक के मामले जिनका योग 80.86 करोड़ रुपये था, अनुपयोगित था जो **परिशिष्ट–XIII** में दिखाया गया है।

- वर्ष 2002–03 के दो अनुदानों/विनियोगों में 10.15 करोड़ रुपये के आधिक्य को विधान सभा द्वारा विनियमित किया जाना चाहिए था जैसा कि संविधान की धारा 205 के प्रावधानों के अनुसार आवश्यक था (**परिशिष्ट–XIV**)। अनुदान संख्या 15 के अंतर्गत पेंशन के बकाये 9.68 करोड़ रुपये था।

2.3.2 सतत बचत

चौवालिस मामलों जिनमें 34 अनुदान/विनियोग शामिल थे, उनमें दो करोड़ से अधिक के सतत बचत पाये गये थे एवं प्रत्येक मामलों में कुल प्रावधान का 10 प्रतिशत या उससे अधिक था, जैसा कि **परिशिष्ट–XV** में दर्शाया गया है।

2.3.3 आधिक्य के विनियमन की आवश्यकता

भारत के संविधान के धारा 205 के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार का यह संवैधानिक दायित्त्व है कि वह अनुदान/विनियोग से आधिक्य के व्यय को राज्य विधान सभा से विनियमित कराये तथापि वर्ष 1977–78 से 2001–02 तक 7457.47 करोड़ रुपये एवं 10.15 करोड़ रुपये वर्ष 2002–03 से आधिक्य व्यय का विनियमन मार्च 2004 तक नहीं कराया जा सका था। यह विनियोगों पर विधायिका के नियंत्रण का खुला उल्लंघन था। विस्तृत विवरण **परिशिष्ट–XVI** पर दिया गया है।

2.3.4 बजट प्रावधानों से अधिक का व्यय

अठारह मामलों में वर्ष 2002–03 के दौरान 1006.62 करोड़ रुपये बजट प्रावधान से अधिक व्यय किये गये थे, विवरण **परिशिष्ट–XVII**, साथ ही 195.81 करोड़ रुपये के व्यय चार मामलों में बजट प्रावधानों के बिना ही किये गये थे (विवरणी **परिशिष्ट–XVIII**)।

2.3.5 सतत आधिक्य

एक अनुदान में सतत रूप से महत्त्वपूर्ण आधिक्य की स्थिति थी जैसा कि तालिका में दर्शाया गया है। सतत आधिक्य सरकार द्वारा जाँच की आवश्यकता है।

(रुपये करोड़ में)

क्रम सं.	संख्या एवं अनुदानों के नाम	आधिक्य		
	राजस्व दत्तमत	2000-01	2001-02	2002-03
1.	15- पेंशन	364.97	491.24	9.68

2.3.6 मूल बजट एवं पूरक प्रावधान

वर्ष के दौरान 2147.53 करोड़ रुपये के पूरक प्रावधान दर्शाये गये थे जो मूल बजट प्रावधान (18394.53 करोड़ रुपये) के 11.68 प्रतिशत एवं पिछले वर्ष की तुलना में 36.91 प्रतिशत था।

2.3.7 अनावश्यक/अत्यधिक/अपर्याप्त पूरक प्रावधान

वर्ष 2002 से मार्च 2003 की अवधि में 40 मामलों (**परिशिष्ट–XIX**) में 614.56 करोड़ रुपये के पूरक प्रावधान किये गये थे जो पूर्णतः अनावश्यक थे क्योंकि इन मामलों में व्यय अपने मूल प्रावधानों तक भी नहीं हो पाया था। चौदह मामलों (**परिशिष्ट–XX**) में 192.03 करोड़ रुपये के अतिरिक्त निधि की आवश्यकता थी जबकि 510.62 करोड़ रुपये के पूरक अनुदान किये गये जिसके कारण प्रत्येक मामले में 10 लाख रुपये के अधिक का बचत हुआ।

वर्ष 2002–03 में 10 मामलों में 47.37 करोड़ रुपये के राजस्व एवं पूँजीगत पूरक प्रावधान, 65.63 करोड़ रुपये के आधिक्य व्यय के कारण अपर्याप्त साबित हुए जैसा कि **परिशिष्ट–XXI** में दर्शाया गया है।

2.3.8 निधियों का अत्यधिक/अनावश्यक पुनर्विनियोजन

पुनर्विनियोजन में निधियों का स्थानांतरण एक ही अनुदान के अंतर्गत एक ईकाई जहाँ बचत का अनुमान हो, से दूसरी इकाई जहाँ अतिरिक्त निधि की आवश्यकता हो में की जाती है। छः अनुदानों एवं एक विनियोग के अंतर्गत किये गये पुनर्विनियोजन अनुचित थे क्योंकि वहाँ एक करोड़ रुपये से ज्यादा के बचत पाये गये थे विवरण **परिशिष्ट–XXII** में दिया गया है। । साथ ही 15 मामलों के अनुदान एवं विनियोगों में अत्यधिक अभ्यर्पण के कारण व्यय अधिक हुआ, विस्तृत विवरण **परिशिष्ट–XXIII** में दिया गया है।

2.3.9 अनुमानित बचत अभ्यर्पित नहीं की गई

नियम के अनुसार व्यय करने वाले विभाग को अपने बचत का अनुमान होते ही उन अनुदानों/विनियोगों अथवा उसके किसी भाग को वित्त विभाग को समर्पित कर दिया जाना चाहिए। तथापि वर्ष 2002–03 के अंत में राजस्व प्रभाग के अनुदान/विनियोगों के 22 मामलों एवं पूँजीगत प्रभाग के अनुदान एवं विनियोगों के 8 मामलों में 993.31 करोड़ रुपये का भारी बचत, प्रत्येक मामलों में एक करोड़ रुपये से ज्यादा का अभ्यर्पण विभागों द्वारा नहीं किया गया था (**परिशिष्ट–XXIV**)।

बहत्तर मामलों में कुल बचत 5035.75 करोड़ रुपये में से 4912.56 करोड़ रुपये मार्च 2003 के अंतिम दिन अभ्यर्पित किए गए थे जो व्यय के अपर्याप्त वित्तीय नियंत्रण को दर्शाते है। विस्तृत विवरण **परिशिष्ट–XXV** में दिया गया है।

2.4 मिलान नहीं किया गया व्यय

वित्तीय नियमों के अनुसार विभागीय नियंत्री पदाधिकारियों द्वारा व्यय के विभागीय आँकड़ों का मिलान महालेखाकार द्वारा दर्ज आँकड़ों से समय–समय पर किया जाना चाहिए। वर्ष 2002–03 की अवधि के अतर्गत सत्तासी नियंत्री पदाधिकारियों द्वारा 38 मुख्य शीर्ष के अंतर्गत विनियोग के 1552 इकाईयों में 6567.37 करोड़ रुपये के व्यय असमायोजित रहे। विस्तृत विवरण **परिशिष्ट–XXVI** में। असमायोजित व्यय, कुल व्यय का 42 प्रतिशत था।

2.5 व्यय की तीव्रता

वित्तीय नियमों के अनुसार शासकीय व्यय का वितरण पूरे वर्ष एक समान होना चाहिए। विशेषकर वित्तीय वर्ष के अंत में व्यय की तीव्रता उक्त प्रावधान का सरासर उल्लंघन माना जाता है। वर्ष 2003 के चारों तिमाही एवं मार्च माह की व्यय विवरणी (पूँजीगत एवं राजस्व) **परिशिष्ट–XXVII** में दर्शायी गई है जिससे यह पता चलता है कि मार्च 2003 में वित्तीय वर्ष में कुल व्यय का 40 प्रतिशत व्यय किया गया था जो बजट का वर्ष के अंत में उपयोग दिखाने की प्रवृति को दर्शाता है।

2.6 निधियों की विमुक्ति नहीं किये जाने के कारण अनुदान का अनुपयोग

अस्सी मामलों में कुल 639.82 करोड़ रुपये की निधियों को योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु दिए गए जो सरकार द्वारा योजनाओं की स्वीकृति नहीं दिये जाने के कारण नहीं हो सकी। (**परिशिष्ट–XXVIII**)

2.7 उधार एवं वसूलियों की स्थिति

सरकार द्वारा कुल बजटीय पद्धति के अंतर्गत कुल व्यय हेतु अनुदान मांगें विधान सभा के समक्ष प्रस्तुत की जाती है एवं इनमें से सभी उधार एवं वसूलियों को बाहर रखा जाता है जो कि कम व्यय करके समायोजित की जाती है। पूर्वानूमानित उधार एवं वसूलियों को बजट आकलन में पृथक रूप से दर्शाया जाना चाहिए।

वर्ष 2002–03 की अवधि में अनुदान सं. 49 के अंतर्गत वास्तविक वसूलियों का समायोजन, 0.92 करोड़ रुपये के व्यय में कमी कर की गई थी, यद्यपि वर्ष 2002–03 में बजट आकलन में वसूलियों हेतु कोई प्रावधान नहीं किया गया था। पुनः अन्य शीर्षो के अंतर्गत वसूली लेखाओं में दर्शायी नहीं गई थी। यदि कोई वसूली हो भी तो पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों

में उल्लेखित होने के बावजूद बिहार सरकार द्वारा बजट बनाने की प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था। अनुदान/विनियोगों हेतु मांग का निर्धारण संबंधित शीर्ष (राजस्व एवं पूँजीगत) के अंतर्गत व्यय के सकल राशि के आधार पर किया जाता था एवं पृथक शीर्ष के अंतर्गत "प्राप्तियों एवं वसूलियों की कटौती" वसूलियों को व्यय में कमी कर के दर्शाया जाता था।

2.8 आरक्षित निधि – बजट बनाने की प्रक्रिया में लेखा प्रक्रिया का अनुपालन नहीं किया जाना

अनुदान सं. 39 – प्राकृतिक आपदाओं हेतु सहाय्य

समग्र बजट प्रक्रिया के अंतर्गत, विधानमंडल के समक्ष अनुदान माँगे व्यय हेतु एक समग्र राशि के रूप में प्रस्तुत की जाती है। परिणामस्वरूप वसूली की राशि जो कि व्यय में कमी कर के समायोजित की जाती, उन्हें बजट के निम्नांकित पंक्तियों में वसूली के रूप दर्शायी जाती है। योजनाओं में प्रस्तावित बजटीय एवं लेखाविधि प्रक्रिया के अनुसार निधि द्वारा वित्त प्रदत्त अधिकतम सहाय्य व्यय राशि राज्य सरकार के अनुदान मांगों में निम्नांकित पंक्तियों में वसूली के रूप में दर्शायी जाती है।

इसके विपरीत अनुदान से प्राप्त शुद्ध व्यय की राशि का निर्धारण, अधिकतम साहाय्य व्यय (73.82 करोड़ रुपये) की राशि से घटाने के बाद आपदा साहाय्य निधि में सकल राशि से पूरा करने का प्रावधान है।

आपदा राहत कोष

योजना के अंतर्गत यह आवश्यक था कि राज्य सरकार आपदा साहाय्य निधि के नियंत्रण हेतु एक राज्य स्तरीय समिति का गठन करें। इन निधि से सहाय्य व्यय की अधिकतम राशि का निर्धारण एवं वित्त पोषण उसी समिति द्वारा तय करने के बाद उक्त निधि को घटा कर किया जाता है। समिति के निर्णय के आधार पर राज्य सरकार ने दो स्वीकृति आदेश दिनांक 7 अक्टूबर 2002 एवं 8 जनवरी 2003 को वर्ष 2000–01 एवं 2001–02 में (76.42 करोड़ रुपये) एवं वर्ष 2002–03 में (37.40 करोड़ रुपये) सहाय्य व्यय के रूप में दिए गये तथापि 113.82 करोड़ रुपये के उक्त निधि प्राधिकृत होने के विरूद्ध कुल 131.78 करोड़ रुपये की राशि उक्त निधि से डेबिट की गई।

योजना के अंतर्गत निर्धारित प्रतिभूतियों में किसी प्रकार की राशि का निवेश नहीं किया गया था एवं उक्त राशि को रोकड़ शेष के साथ मिला दिया गया था।

राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक निधि

राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक निधि के रूप में प्राप्त सहायता को केन्द्र सरकार से प्राप्त अनुदान के रूप में दर्शाते हुए राज्य के आपदा सहाय्य निधि में स्थानांतरित किया जाना चाहिए।

वर्ष 2001–02 की अवधि में प्राकृतिक आपदा आकस्मिक निधि से 29.67 लाख रुपये प्राप्त हुए थे। उक्त आपदा राहत राशि का दिनांक 14 मार्च 2001 को स्थानांतरण द्वारा किया जाने वाला आवश्यक समायोजन यद्यपि राज्य सरकार द्वारा अगस्त 2002 में स्वीकृति दे दिये जाने के बावजूद वर्ष 2002–03 के लेखाओं में इसे शामिल नहीं किया गया।

अध्याय–III

निष्पादन समीक्षाएँ

- राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम (एन ए सी पी)
- औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम, 1940 का कार्यान्वयन
- विकलांगों का कल्याण
- त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम

वृहत्त कंडिकाएँ

- अग्नि सुरक्षा एवं नियंत्रण
- छात्रों का वृत्तिका एवं छात्रवृत्ति का भुगतान

अध्याय–III
निष्पादन समीक्षाएँ

इस अध्याय में राज्य में की गई चार निष्पादन समीक्षाएँ (3.1) राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम का कार्यान्वयन, (3.2) औषधि एवं सौन्दर्य प्रसाधन अधिनियम, 1940 का कार्यान्वयन, (3.3) विकलांगों का कल्याण (3.4) त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम तथा दो वृहत् कंडिकाएँ (3.5) अग्नि सुरक्षा एवं नियंत्रण तथा (3.6) छात्रों को मानदेय तथा छात्रवृत्ति का भुगतान शामिल है। राज्य में उपर्युक्त कार्यक्रमों/योजनाओं/गतिविधियों की प्रभावकारिता को आकलित करने के उद्देश्य से ये निष्पादन समीक्षाएँ संपादित की गई है।

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा तथा परिवार कल्याण विभाग

3.1 राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम (एन ए सी पी)

मुख्याकर्षण

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम दीर्घकाल के लिए एच आई वी संक्रमण के विस्तार को कम करने तथा एच आई वी/एड्स के खिलाफ राष्ट्रीय क्षमता को मजबूत करने के उद्देश्य से चलाया गया। राज्य में कार्यक्रम का कार्यान्वयन मुख्यतः समुचित अनुश्रवण के अभाव के कारण बाधित था। अति संवेदनशील समूह हेतु लक्षित प्रयास के अवयवों तथा अल्प संवेदनशील समूह में एच आई वी/एड्स के रोकथाम की भौतिक प्रगति कंडोम प्रोत्साहन को छोड़कर कम या शून्य थी। रक्त अधिकोषों में आधारभूत अंतःसंरचना सुविधाओं की कमी थी। कम खर्च पर एड्स की देखरेख हेतु कोई सामूदायिक केन्द्र नहीं स्थापित किया गया था। संस्थागत सुदृढ़ता की कमी थी। परस्पर संस्थागत सहयोग का अभाव था। इस प्रकार दीर्घकाल के लिए एच आई वी संक्रमण को कम करने तथा एच आई वी/ एड्स से सामना करने की राष्ट्रीय क्षमता के सुदृढ़ीकरण के वांक्षित उद्देश्य व्यापक तौर पर प्राप्त नहीं किया गया।

वर्ष 1998–2002 के दौरान कम खर्च के कारण भारत सरकार द्वारा आवंटित निधि (24.27 करोड़ रुपये) का मात्र 46 प्रतिशत (11.14 करोड़ रुपये) ही विमुक्त हुआ।

वर्ष 1999–2003 के दौरान 0.49 करोड़ रुपये का जागरूकता अभियान पर अधिकाई व्यय विभिन्न अवयवों से निधि का विचलन कर किया गया।

सिविल कार्यों हेतु 15 लाख रुपये के आवंटन के विरूद्ध, एड्स नियंत्रण समिति द्वारा, नाको के सहमति के बिना रक्त अधिकोषों हेतु कमरे के निर्माण के लिए मार्च 2003 में जिला समाहर्त्ताओं को 1.17 करोड़ रुपये का अग्रिम दिया गया।

(कंडिका 3.1.4)

अतिसंवेदनशील समूहों के लिए लक्षित प्रयास के घटकों तथा अल्प संवेदनशील समूहों के लिए एच आई वी/एड्स के रोकथाम की भौतिक प्रगति वर्ष 1998–2003 के दौरान निराशाजनक थी।

रक्त अधिकोषों में वातानुकूलित यंत्रों तथा एलिसा रीडर जैसे आवश्यक साधनों की कमी के कारण रक्त अधिकोष अप्रभावी थे। नाको द्वारा आधुनिकीकरण हेतु 15 रक्त अधिकोषों को आपूर्ति किया गया 107 उपकरण अकार्यशील था चूँकि रक्त अधिकोष को सक्षम प्राधिकारी से कार्य करने का लाइसेंस प्राप्त नहीं था। सात लाईसेंस प्राप्त रक्त अधिकोषों में नाको द्वारा आपूर्ति किए गए 168 उपकरण भी बेकार पड़े थे।

(कंडिका 3.1.7 तथा 3.1.8)

राज्य में कम खर्च पर एड्स की देखरेख शुरू नहीं की गई क्योंकि कोई सामुदायिक देखरेख केन्द्र स्थापित नहीं किया गया था।

(कंडिका 3.1.9)

परस्पर संस्थागत सहयोग नहीं था। जागरूकता प्रचार का स्तर निम्न था तथा कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु जिला स्तर पर कोई संस्था नहीं बनाई गई थी।

(कंडिका 3.1.11)

एड्स मामलों की संख्या जो वर्ष 1998–99 में 10 थी, वर्ष 2001–02 में बढ़कर 63 हो गई।

(कंडिका 3.1.13)

कार्यक्रम के प्रभावी अनुश्रवण पद्धति का अभाव था। ओ. आर. जी. केन्द्र (मई 2000) तथा विश्व बैंक मिशन (मई 2002) द्वारा किए गए कार्यक्रम के प्रभाव पर विवेचना प्रतिवेदन राज्य सरकार के पास उपलब्ध नहीं था।

(कंडिका 3.1.16)

3.1.1 प्रस्तावना

एन ए सी पी का लक्ष्य एच आई वी पोजिटिव/एड्स मामलों के प्रसार को कम करना था

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा वर्ष 1987 में शुरू किया गया। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम I (एन ए सी पी – I) पाँच वर्ष की अवधि हेतु सितम्बर 1992 में शुरू किया गया जो वर्ष 1999 में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम (एन ए सी पी – II) के रूप में चलाया गया। बिहार में योजना वर्ष 1992 में शुरू की गई। एन ए सी पी – I मानव रोगक्षरण क्षमता कमी वायरस (एच आई वी) के प्रसार को कम करने, एच आई वी संक्रमण से जुड़े मृत्यु दर तथा रोगग्रस्तता कम करने तथा एच आई वी संक्रमण के परिणामस्वरूप होने वाले सामाजिक आर्थिक प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से चलाया गया। एन ए सी पी – II के दो मुख्य उद्देश्य थे (i) देश में एच आई वी संक्रमण के प्रसार को कम करना एवं (ii) लम्बी अवधि तक एच आई वी/एड्स से सामना करने हेतु राष्ट्रीय क्षमता को सुदृढ़ करना।

एन ए सी पी का कार्यान्वयन तथा कार्यक्रम के विभिन्न घटकों के अंतर्गत क्रियाकलापों को राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (नाको), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना के अनुसार किया जाना था।

3.1.2 संगठनात्मक ढ़ाँचा

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा तथा परिवार कल्याण विभाग – मुख्य विभाग

राज्य में कार्यक्रम का कार्यान्वयन आयुक्त सह सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा किया गया। वे अपर निदेशक, बिहार राज्य एड्स नियंत्रण कोषांग (जून 1998 तक) तथा परियोजना निदेशक, बिहार राज्य एड्स नियंत्रण समिति (बी एस ए सी एस) द्वारा सहयोगित थे। जिला में कार्यक्रम का कार्यान्वयन असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारिओं, चिकित्सा महाविद्यालयों के प्रधानाध्यापकों, चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों तथा जिला अस्पतालों के अधीक्षकों द्वारा किया गया।

3.1.3 लेखापरीक्षा विस्तार

वर्ष 1998–2003 की अवधि के अभिलेखों की नमूना जाँच की गई

वर्ष 1998–2003 के दौरान एन ए सी पी के कार्यान्वयन की संवीक्षा 10 असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारियों[1], चिकित्सा महाविद्यालयों[2] के चार प्रधानाध्यापकों, चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों[3] के पाँच अधीक्षकों तथा 10 जिलों के जिला अस्पतालों[4] के आठ अधीक्षकों तथा एक निजी अस्पताल[5] के अभिलेखों की नमूना जाँच द्वारा कार्यक्रम के प्रभावकारिता को आकलित करने के उद्देश्य से किया गया।

3.1.4 वित्तीय प्रबंधन

नाको परियोजना के वित्तीय प्रबंधन से निधियों के दयनीय उपयोग, जागरूकता घटक पर ज्यादा व्यय, नाको की स्वीकृति के बिना सिविल कार्यों पर व्यय, अग्रिमों का असमायोजन तथा व्यय के कुछ मामले में अभिश्रवों की अनुपलब्धता प्रकट हुई जिसकी व्याख्या निम्नवत है।

वर्ष 1998–2003 के दौरान भारत सरकार द्वारा निधियों का आवंटन, राज्य को विमुक्त की गई निधियाँ तथा किए गए व्यय निम्नवत थे :

(रुपये करोड़ में)

अवधि	निधियों का आवंटन	आदि शेष	भारत सरकार द्वारा विमुक्त निधियाँ	कुल उपलब्ध निधि	व्यय	बचत	बचत का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8
1998-99	3.74	2.13	1.10	3.23	1.00	2.23	69
1999-00	2.89	2.23	0.57	2.80	0.93	1.87	67
2000-01	2.81	1.87	1.96	3.83	1.04	2.79	73
2001-02	7.41	2.79	4.30	7.09	3.86	3.23	46
2002-03	7.42	3.23	3.21	6.44	6.11	0.33	05
योग	**24.27**		**11.14**	**23.39**	**12.94**	**10.45**	-

1. *भागलपुर, बिहारशरीफ, छपरा, दरभंगा, गया, कटिहार, किशनगंज, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, पूर्णियाँ*
2. *जे एल एन मेडिकल कॉलेज, भागलपुर, दरभंगा मेडिकल कॉलेज, दरभंगा, ए एन एम कॉलेज, गया, एस के मेडिकल कॉलेज, मुजफ्फरपुर*
3. *जे एल एन मेडिकल कॉलेज अस्पताल, भागलपुर, दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल, दरभंगा, ए एन एम कॉलेज अस्पताल, गया, एस के मेडिकल कॉलेज अस्पताल, मुजफ्फरपुर ; पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल, पटना*
4. *बिहारशरीफ, छपरा, गया, कटिहार, किशनगंज, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, पूर्णियाँ*
5. *डंकन अस्पताल, रक्सौल*

वर्ष 1998–2003 के दौरान भारत सरकार द्वारा विभिन्न घटकों पर निधि का आवंटन तथा व्यय निम्नवत था :

घटक संख्या	घटक	भारत सरकार द्वारा आवंटन	व्यय
		(रुपये करोड़ में)	
I	अति संवेदनशील समूहों के लिए प्रयास	4.28	2.13
II	अल्प संवेदनशील समूह के लिए एच आई भी/एड्स की रोकथाम	13.20	6.89
III	कम लागत पर एड्स की सुरक्षा	0.38	0.06
IV	संस्थागत सुदृढ़िकरण	6.12	3.83
V	परस्पर संस्थागत सहयोग	0.29	0.03
	योग	**24.27**	**12.94**

यह पाया गया कि

राज्य द्वारा अल्प व्यय के कारण भारत सरकार द्वारा निधि की कम विमुक्ति

- वर्ष 1998–2002 के दौरान उपलब्ध निधि का मात्र 27 से 54 प्रतिशत का ही उपयोग राज्य द्वारा किया गया। अल्प व्यय के कारण भारत सरकार द्वारा आवंटित निधि (24.27 करोड़ रुपये) का मात्र 46 प्रतिशत (11.14 करोड़ रुपये) ही विमुक्त किया गया। अभिलेख में अल्प व्यय का कोई कारण उपलब्ध नहीं था।

- प्रसंगवश वर्ष 1999–2003 के दौरान जागरूकता अभियान के लिए भारत सरकार द्वारा प्रदत्त निधि (7.15 करोड़ रुपये) से 0.49 करोड़ रुपये अधिक खर्च किया गया। कार्यक्रम के विभिन्न घटकों हेतु निमित्त निधि को विचलित कर व्यय किया गया।

वगैर नाको के सहमति के 1.17 करोड़ रुपये की बड़ी निधि जिला समाहर्त्ताओं को अग्रिम के रूप में दी गई

- हालाँकि वर्ष 2002–03 के दौरान लघु सिविल कार्यों के लिए भारत सरकार द्वारा मात्र 15 लाख रुपये आवंटित किए गए थे, 25 जिला अस्पतालों में रक्त अधिकोषों हेतु तीन–चार अतिरिक्त कमरे तथा 20 जिला अस्पतालों तथा एक चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल में 21 यौन जनित रोग (एस टी डी) के क्लिनिकों के निर्माण के लिए मार्च 2003 के दौरान जिला समाहर्त्ताओं को 1.17 करोड़ रुपये अग्रिम स्वीकृत अनुमान से आठ गुना अधिक बिना नाको के सहमति के किया गया।

सरकार के अपर सचिव, स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि परियोजना निदेशक लोक हित में निधि का अन्तर्क्षेत्रीय पुनर्आवंटन करने के लिए अधिकृत थे। जवाब तर्कसंगत नहीं था, क्योंकि निधि प्रदान करते समय नाको द्वारा विशेष रूप से चर्चा की गई थी कि रक्त सुरक्षा कार्यक्रम, एस टी डी क्लिनिकों तथा स्वैच्छिक परामर्शी तथा जाँच केन्द्रों (वी सी टी सी) हेतु वांक्षित सिविल कार्यों को वगैर नाको के सहमति के नहीं किया जाना चाहिए। इसके अलावे, इन क्षेत्रों में भवन अंतःसंरचना राज्य सरकार द्वारा प्रदान किया जाना था।

17 लाख रुपये के व्यय का विवरण लेखा में दर्ज नहीं

- सहायक निदेशक (स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग) ने पटना सचिवालय कोषागार से 17 लाख रुपये आहरित किया (अगस्त 1995) तथा निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के नाम से बैंक खाते में डाल दिया। राशि को बैंक में रखते समय सहायक निदेशक ने इसे रोकड़ पंजी में खर्च दिखाया। जबकि व्यय का विस्तृत अभिश्रव तथा इसके विरूद्ध उपयोगिता प्रमाणपत्र उपलब्ध नहीं कराया गया। अपर सचिव ने बताया (सितम्बर 2003) कि रोकड़ पंजी तथा अन्य अभिलेख सतर्कत्ता विभाग द्वारा जब्त कर लिया गया जबकि कुछ दूसरे मामलों में विषय जाँचाधीन था।

अग्रिम दी गई निधि समायोजित/वसूलित नहीं की गई

अपर निदेशक, बिहार राज्य एड्स नियंत्रण कोषांग द्वारा वर्ष 1993–96 के दौरान आवागमन खर्च तथा कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु पाँच अधिकारियों चार सेवानिवृत्त सहित, सदर अस्पतालों के आठ अधीक्षकों[6], चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों के सात अधीक्षकों[7], पाँच असैनिक शल्य चिकित्सकों[8] तथा ए टी आई, राँची के निदेशक को दिया गया 23.71 लाख रुपये का अग्रिम असमायोजित/अवसूलित रहा (सितम्बर 2003)। अपर सचिव ने बताया कि मामले की विस्तृत जाँच सतर्कता विभाग से रोकड़ पंजी तथा अन्य अभिलेखों को प्राप्त करने के बाद की जाएगी। उस समय तक सेवा निवृत्त अधिकारियों से अग्रिम की वसूली करना बहुत मुश्किल हो जाएगा।

व्यय का विस्तृत जानकारी उपलब्ध नहीं

- एड्स नियंत्रण कोषांग द्वारा अप्रैल 1996 से जून 1998 के दौरान 26.91 लाख रुपये के व्यय की नमूना जाँच, रोकड़ पंजियों, अभिश्रवों तथा अन्य अभिलेखों के उपलब्ध नहीं किए जाने के कारण नहीं की जा सकी। अपर सचिव ने बताया (सितंबर 2003) कि सतर्कता विभाग द्वारा मामलों की जाँच की जा रही है।

3.1.5 नमूना जाँचित जिलों में निधि का प्रावधान एवं व्यय

नमूना जाँचित 10 जिलों में 28 कार्यान्वयन समितियों द्वारा वर्ष 1998–2003 के दौरान प्राप्त की गई निधियाँ तथा उसके विरूद्ध खर्च निम्नवत थे :

वर्ष	कार्यान्वयन समितियों द्वारा प्राप्त निधि	किया गया खर्च	बी एस सी एस को वापस की गई राशि	बैंक के चालू खाते में रखी गई राशि	
				कार्यान्वयन समितियों द्वारा	जिला समाहर्त्ता द्वारा
	(रुपये लाख में				
1998-99	34.04	23.57	10.47	-	-
1999-00	28.04	24.70	3.34	-	-
2000-01	28.49	16.08	12.41	-	-
2001-02	224.47	180.87	42.28	1.32	-
2002-03	205.38	149..39	8.48	45.51	2.00
योग	**520.42**	**394.61**	**76.98**	**46.83**	**2.00**

(स्रोत : जिला समितियों द्वारा प्रस्तुत)

नमूना जाँचित जिलों में 24 प्रतिशत निधि अनुपयोगित रही

वर्ष 1998–2003 के दौरान 28 कार्यान्वयन समितियों द्वारा प्राप्त 5.20 करोड़ रुपये में से वी एस ए सी एस को 76.98 लाख रुपये वापस किए गए, जबकि सितम्बर 2003 तक 48.83 लाख रुपये अनुपयोगित पड़े रहे।

3.1.6 कार्यक्रम का कार्यान्वयन

एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के छः अवयव हैं यथा अति संवेदनशील समूहों हेतु लक्षित प्रयास, अल्प संवेदनशील समूहों हेतु एड्स की रोकथाम, कम खर्च पर एड्स की देखरेख, संस्थागत

6. *अधीक्षक, सदर अस्पताल, आरा, औरंगाबाद, बिहारशरीफ, देवघर, हाजीपुर, हजारीबाग, मुंगेर, रोहतास*
7. *अधीक्षक, चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल : भागलपुर, दरभंगा, धनबाद, मुजफ्फरपुर, एन एम सी एच पटना, पी एम सी एच पटना, राँची*
8. *असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, बिहारशरीफ, देवघर, हाजीपुर, जमशेदपुर, सासाराम*

सुदृढ़ीकरण, परस्पर संस्थागत सहयोग तथा परिवार स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम। वर्ष 1998–2003 के दौरान कार्यक्रम के विभिन्न अवयवों के भौतिक लक्ष्य की कुल प्राप्ति कम थी (**परिशिष्ट–XXIX**)। प्रत्येक अवयवों का उल्लेख निम्नवत है :

3.1.7 अति संवेदनशील समूहों हेतु लक्षित प्रयास

कंडोम प्रोत्साहन के मामले को छोड़कर भौतिक प्रगति कम या शून्य थी

एड्स मामलों के अति संवेदनशील समूहों को पहचान कर उन्हें गैर सरकारी संगठनों (एन जी ओ) तथा समुदाय आधारित संगठनों (सी बी ओ) के माध्यम से पीअर कौंसलिंग, कंडोम प्रोत्साहन तथा यौन जनित रोग (एस. टी. डी.)/यौन जनित संक्रमणों (एस टी आई) के उपचार की सुविधा प्रदान करनी थी, हाँलाकि जुलाई 2003 तक एड्स मामलों के अति संवेदनशील समूहों की पहचान नहीं की गई। मार्च 2001 तक इसके लिए कोई एन जी ओ/सी बी ओ कार्य नहीं कर रहा था। सरकार द्वारा वर्ष 2001–03 के दौरान निर्धारित लक्ष्य 55 के विरूद्ध मात्र नौ एन जी ओ कार्य कर रहे थे।

इसके अलावे 42 क्लिनिकों के लक्ष्य के विरूद्ध वर्ष 1998–2003 के दौरान मात्र 25 क्लिनिक स्थापित किए गए तथा इस अवधि के दौरान एक से 14 एस टी डी क्लिनिकों द्वारा यौन जनित रोग से ग्रस्त रोगी के उपचार की सूचना दी गई। इन क्लिनिकों में उपचार किए गए रोगियों की संख्या वर्ष 1999–2000 में नौ प्रति दिन से घटकर वर्ष 2002–03 में पाँच प्रति दिन हो गई। राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा 25 में से मात्र 14 एस टी डी क्लिनिकों से प्रगति प्रतिवेदन प्राप्त किए गए। शेष 11 क्लिनिक स्टाफ तथा उपकरणों की कमी के कारण मई 2003 तक अकार्यशील रहे। कंडोम प्रोत्साहन को छोड़कर कार्यक्रम के बाकी अवयवों की भौतिक प्रगति शून्य या नगण्य थी।

3.1.8 अल्प संवेदनशील समूहों में एच आई वी/एड्स की रोकथाम

42 रक्त अधिकोषों में से 32 अकार्यशील थे

राज्य में 42 रक्त अधिकोष हैं। इसमें से छः रक्त अधिकोष चिकित्सा महाविद्यालयों तथा शेष जिला अस्पतालों में स्थापित हैं। इसमें से मात्र 10 रक्त अधिकोषों को औषधि नियंत्रक से इसे चलाने का लाइसेंस प्राप्त है। शेष रक्त अधिकोष वातानुकूलन तथा एलीसा रीडर जैसे आवश्यक उपकरणों के अभाव के कारण मान्यता हेतु वांक्षित शर्त्तों को पूरा नहीं करते थे, इसलिए अकार्यशील थे।

लक्ष्य के विरूद्ध भारी कमी

एच आई वी/एड्स मामलों की रोकथाम हेतु रक्त केन्द्रों की मुख्य भूमिका होती है। हाँलाकि जिला अस्पतालों में रक्त अधिकोषों का खोला जाना, रक्त अधिकोषों का लाइसेंसिंग, रक्त अधिकोषों का आधुनिकीकरण, चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों में रक्त अवयव को अलग करने की सुविधा की व्यवस्था, रक्त अधिकोषों में स्वैच्छिक रक्त दान आदि वर्ष 1998 से वर्ष 2003 के दौरान लक्ष्य से 47 से 90 प्रतिशत तक कम थी। इसके अतिरिक्त राज्य में कोई रक्त अधिकोष नाको द्वारा वृहत्त रक्त अधिकोष के रूप में नहीं मान्य किया गया। अपर सचिव ने बताया कि स्वैच्छिक दान में कमी लोगों में सामान्य रूप से कुपोषण के कारण था। उनका यह कथन स्वीकार्य नहीं था चूँकि 10 सरकारी रक्त अधिकोषों में वर्ष 1998–2003 के दौरान स्वैच्छिक रक्तदान मात्र 4776 यूनिट था जबकि उसी अवधि में 18 प्राइवेट रक्त अधिकोषों द्वारा स्वैच्छिक रक्त दान के रूप में 53317 यूनिट प्राप्त किए गए।

लाइसेंस प्राप्त रक्त अधिकोषों में भी 168 उपकरण बेकार पड़े रहे

नमूना जाँचित चार चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों[9] दो जिला अस्पतालों[10] तथा एक अनुसंधान संस्थान[11] के लाइसेंस प्राप्त रक्त अधिकोषों में पाया गया कि वर्ष 1998–2003 के दौरान नाको द्वारा प्रदत्त 168 उपकरण (मूल्य उपलब्ध नहीं) प्राप्ति की तिथि से ही बेकार पड़े थे।

नाको जिला अस्पतालों[12] के 15 रक्त अधिकोषों के आधुनिकीकरण हेतु दिए गए (1993–2001) 107 उपकरण अस्पताल रक्त अधिकोषों के भंडारों में बेकार थे, क्योंकि राज्य के औषधि नियंत्रकों द्वारा लाइसेंस के अभाव में रक्त अधिकोष अकार्यशील थे।

वी सी टी सी का दयनीय प्रदर्शन

स्वैच्छिक परामर्शी तथा जाँच केन्द्रों (वी सी टी सी) के प्रदर्शन की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि वर्ष 2000–01 में एक केन्द्र पर औसतन पाँच लाभार्थियों ने प्रतिदिन वी सी टी सी का दौरा किया। परन्तु 16 स्थापित केन्द्रों में वर्ष 2002–03 के दौरान औसतन दो लाभार्थियों ने प्रतिदिन वी सी टी सी का दौरा किया।

वी सी टी सी के गतिविधियों का अनुश्रवण नहीं किया गया

इसके अतिरिक्त मुख्यतः परामर्शीयों तथा प्रयोगशाला तकनीशियनों की कमी के कारण राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा वर्ष 2002–03 के दौरान 34 वी सी टी सी में से 16 का प्रदर्शन प्रतिवेदन प्राप्त किया गया।

3.1.9 कम खर्च पर एड्स की देखरेख

कोई सामूहिक देखरेख केन्द्र स्थापित नहीं

इसमें गृह आधारित तथा समुदाय आधारित देखरेख हेतु निधि प्रदान करने के कार्यकलाप सम्मिलित थे। ये कार्यकलाप जिला अस्पतालों में समयानुवर्त्ती संक्रमण के रोक के लिए उपयुक्त औषधि प्रदान करने तथा सही दिशानिर्देश देने का काम करते थे। इनमें लागू पद्धतियों द्वारा दी जाने वाली हस्तक्षेप हेतु गुण तथा लागत की प्रभावकारिता को सुधारने तथा एन जी ओ/सी बी ओ के साझेदारी से समुदाय आधारित अस्पतालों/केन्द्रों, ड्रॉप–इन केन्द्रों तथा गृह आधारित देखरेख केन्द्र जैसे नए सहायता सेवाओं की स्थापना करने के उद्देश्य से रेफरल सेवाएँ प्रदान करने के लिए चयनित राज्य स्तरीय अस्पतालों में प्रशिक्षण देना भी शामिल था। जबकि एच आई वी/एड्स से ग्रस्त लोगों के लिए कोई ऐसा सामुदायिक केन्द्र जुलाई 2003 तक राज्य में स्थापित नहीं हुआ था।

3.1.10 संस्थागत सुदृढ़ीकरण

लक्ष्य से कम प्रशिक्षण कार्यकलाप

इस कार्यक्रम के तहत वर्ष 1999–2000 के दौरान विभिन्न स्तरों पर प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण देना तथा प्रवेश प्रशिक्षण दिया जाना था। परियोजना की बाकी अवधि में पुनश्चर्या प्रशिक्षण दिया जाना था। ऐसा पाया गया कि 600 प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण देने के लक्ष्य के विरूद्ध वर्ष 1999–2000 में मात्र 96 प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया तथा उसके बाद प्रशिक्षकों हेतु कोई प्रशिक्षण नहीं हुआ।

वर्ष 1999–2003 के दौरान 8240 चिकित्सा तथा 16640 पराचिकित्सा कर्मियों को प्रशिक्षण

9. *चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल – डी एम सी एच, दरभंगा, ए एन एम सी एच, गया, एस के एम सी एच, मुजफ्फरपुर, पी एम सी एच, पटना*
10. *जिला अस्पताल – छपरा, मोतिहारी*
11. *आर एम आर आई, पटना*
12. *आरा, औरंगाबाद, बेगूसराय, छपरा, गया, गोपालगंज, जहानाबाद, किशनगंज, मधेपुरा, मधुबनी, मोतिहारी, नालंदा, नवादा, पूर्णियाँ, सीतामढ़ी*

देने के लक्ष्य के विरूद्ध क्रमशः 2366 चिकित्सा (29 प्रतिशत) तथा 8941 पराचिकित्सा कर्मियों (54 प्रतिशत) को प्रशिक्षण दिया गया।

सेनटिनल सर्वेलियन्स से संबंधित कार्यकलाप केवल शहरी क्षेत्र में किया गया

एच आई वी/एड्स सिंड्रोम आधारित सूचना एकत्रित करने हेतु सेनटिनल सर्वेलियन्स वर्ष 1998–2003 के दौरान (47 लक्षित में से) 45 क्षेत्रों के सर्वेक्षण तथा (16450 लक्षित में से) 14713 व्यक्तियों की एच आई वी जाँच राज्य के केवल शहरी क्षेत्रों में की गई। इस प्रकार कार्यक्रम के तहत वांक्षित राज्य में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में एस टी डी के होने की संख्या की गणना नहीं की गई। कार्यक्रम के तहत वांछित खास सर्वेक्षण द्वारा निगरानी, व्यवहारिक निगरानी सर्वेक्षण तथा एड्स मामलों की निगरानी नहीं की जा सकी।

3.1.11 अन्तर्क्षेत्रीय सहयोग

अन्तर्क्षेत्रीय सहयोग नहीं था

एड्स नियंत्रण समिति द्वारा अन्य क्षेत्रों में चल रहे नवीन एच आई वी/एड्स कार्यक्रमों से जानकारी सुनिश्चित करने हेतु परस्पर सहयोग के लिए कोई कार्य योजना नहीं बनाई गई थी।

3.1.12 परिवार स्वास्थ्य जागरूकता अभियान

वर्ष 2002–03 के दौरान कार्यक्रम के इस घटक के अंतर्गत 3.48 करोड़ जनसंख्या को शामिल करने के लक्ष्य के विरूद्ध वर्ष 1999–2003 के दौरान मात्र 0.95 करोड़ लोगों (27 प्रतिशत) ने कैम्प में भाग लिया। इससे इंगित था कि जागरूकता विकास कम था।

जिला स्तर पर कोई समिति गठित नहीं की गई

जिला स्तर पर कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए कोई समिति गठित नहीं की गई। एन जी ओ तथा सी बी ओ वर्ष 2000–01 तक कार्यक्रम के कार्यान्वयन में शामिल नहीं थे।

12.65 लाख रुपये के खर्च पर फरवरी 1998 तथा फरवरी 1999 के मध्य एक हिन्दी फिल्म के तीन क्षेत्रीय भाषाओं (भोजपुरी, मैथिली, नागपुरी) में डबिंग किए गए तथा एड्स नियंत्रण पर तैयार किए गए चार फिल्मों में से केवल एक फिल्म दूरदर्शन पर दिसम्बर 1998 में दिखाया गया।

3.1.13 एच आई वी/एड्स के प्रसार का दर

एच आई वी पोजिटिव तथा एड्स मामलों की संख्या बढ़ी

वर्ष 1998–99 के दौरान जाँचे गए 28290 मामलों में से एच आई वी पोजिटिव मामले 0.12 प्रतिशत (34) थे जो बढ़कर वर्ष 2002–03 के दौरान जाँचे गए 47232 मामलों में से एक प्रतिशत (401) हो गया। इसका विवरण निम्नवत है :

एच आई वी मामले

रक्त जाँच	जाँच किए गए व्यक्ति (संख्या में)				
	1998-99	1999-2000	2000-01	2001-02	2002-03
1. रक्त अधिकोष	26445 (27)	56034 (75)	59011 (68)	85273 (67)	39557 (52)
2. सेनटिनल सर्वेलियन्स	1845 (7)	1988 (13)	2221 (17)	3933 (35)	4726 (63)
3. स्वैच्छिक परामर्शी केन्द्र	-	-	1380 (228)	7803 (883)	2949 (286)
योग	**28290 (34)**	**58022 (88)**	**62612 (313)**	**97009 (985)**	**47232 (401)**

(कोष्ठक के आँकड़े पता लगाए गए एच आई वी मामलों को बताते हैं)

वर्ष 1998–2003 के दौरान कुल 2.93 लाख लोगों की एच आई वी जाँच की गई। इस प्रकार कुल जनसंख्या (आठ करोड़) का एक प्रतिशत की भी जाँच पिछले पाँच वर्षों के दौरान नहीं की गई जिससे कार्यक्रम का दयनीय कार्यान्वयन प्रदर्शित हुआ।

वर्ष 1995–96 में बिहार में पहला एड्स मामला प्रकाश में आया तथा मार्च 2000 तक एड्स के कारण मृत्यु बढ़कर कुल 30 हो गई। एड्स मामलों की संख्या वर्ष 1998–99 में 10 से बढ़कर वर्ष 2000–01 में 63 हो गई, हाँलाकि वर्ष 2002–03 में घटकर 28 हो गई।

पता लगाए गए एड्स मामले तथा एड्स के कारण मृत्यु

वर्ष	एड्स मामले	मृत्यु मामले
	(संख्या में)	
1998-99	10	-
1999-2000	14	30 (मार्च 2000 तक कुल)
2000-01	32	7
2001-02	63	1
2002-03	28	2
योग	**147**	**40**

3.1.14 मानव शक्ति प्रबंधन

अप्रचुर मानव शक्ति

कार्यक्रम के अंतर्गत 31.07.2003 तक विभिन्न प्रकार के पदों के स्वीकृत बल तथा उपलब्ध बल निम्नवत था :

स्वीकृत बल				उपलब्ध बल			
चिकित्सा	परा चिकित्सा	अन्य	योग	चिकित्सा	परा चिकित्सा	अन्य	योग
13	53	99	165	3	35	51	89

इस प्रकार 31 मार्च 2003 तक एन ए सी पी के अंतर्गत 75 प्रतिशत चिकित्सा पद के साथ कुल 46 प्रतिशत पद रिक्त था।

3.1.15 लेखा तथा रोकड़ प्रबंधन

रोकड़ में प्रविष्टि नहीं करने के लिए कोई कार्यवाही नहीं

नाको के निर्देशन के अनुसार, एन ए सी पी निधियों का रोकड़ पंजी तथा बैंक खाता अलग संधारित की जानी थी, परन्तु नमूना जाँचित जिलों में एन ए सी पी निधियों के लिए कोई अलग लेखा संधारित नहीं था। असैनिक शल्य चिकित्सक मोतिहारी के कार्यालय में 14.05.2001 तक एन ए सी पी निधियों के 4.71 लाख रुपये के शेष को 14 मई 2001 को नए खोले गए रोकड़ पंजी में स्थानान्तरित नहीं किया गया था। 4.71 लाख रुपये के प्रविष्टि नहीं करने के लिए जून 2003 तक कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। अपर सचिव ने बाद में बताया (सितम्बर 2003) कि इसकी जाँच की जा रही है।

3.1.16 अनुश्रवण तथा मूल्यांकन

अप्रभावी अनुश्रवण

आयुक्त सह सचिव, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग के सर्वांगीण पर्यवेक्षण के तहत अपर निदेशक, बिहार राज्य एड्स नियंत्रण कोषांग/परियोजना निदेशक, बिहार राज्य एड्स नियंत्रण समिति, एन ए सी पी के अनुश्रवण हेतु जिम्मेवार थे। वे कार्यक्रम के कार्यान्वयन के प्रभावी अनुश्रवण में विफल रहे। आयुक्त सह सचिव की अध्यक्षता में राज्य एड्स नियंत्रण समिति की प्रशासकीय समिति को एन ए सी पी के प्रभावी अनुश्रवण को सुनिश्चित करने के

उद्देश्य से वर्ष 1998–2003 के दौरान त्रैमासिक (उन्नीस बार) करना था जबकि इस अवधि में मात्र बारह बार इसकी बैठक हुई। यह पाया गया कि परियोजना निदेशक द्वारा एस टी डी क्लिनिकों के क्षेत्र संगठनों, वी सी टी सी तथा रक्त अधिकोषों से वर्ष 1998–2003 के दौरान बकाए रिपोर्ट तथा रिटर्न में से मात्र 60 प्रतिशत ही प्राप्त किए गए। परिणामस्वरूप दोषी क्षेत्र संगठनों से संबंधित आवश्यक रिपोर्ट तथा रिटर्न परियोजना निदेशक द्वारा नाको, नई दिल्ली को प्रेषित नहीं किए गए। विवरण निम्नवत थे :

क्रम सं.	योजना का नाम	वर्ष	प्रतिवेदन प्रेषित करने वाली इकाईयाँ	देय रिपोर्ट तथा रिटर्न	परियोजना निदेशक को प्रतिवेदित की गई इकाईयाँ	क्षेत्र संगठनों से प्राप्त रिपोर्ट तथा रिटर्न	कमी	
							इकाईयाँ	रिपोर्ट रिटर्न
			(संख्या में)					
1.	एस टी डी क्लिनिक	1998-03	8 से 25	804	1 से 14	432	7 से 11	372
2.	वी सी टी सी	1998-03	1 से 24	408	1 से 14	276	10	132
3.	रक्त अधिकोष	1998-03	36 से 46	2088	15 से 42	1200	4 से 21	888
	योग			**3300**		**1908**		**1392**

हालाँकि अनुश्रवण एवं मूल्यांकन अधिकारी की नियुक्ति अगस्त 2001 में की गई थी, क्षेत्र संगठनों द्वारा रिपोर्ट एवं रिटर्न प्रेषित करने में कोई सुधार नहीं हुआ। अधिकारी द्वारा राज्य में कार्यक्रम का समय समय पर बीच में तथा अंतिम मूल्यांकन नहीं किया गया।

ओ आर जी केन्द/ विश्व बैंक मिशन के प्रभाव की विवेचना का प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं

नाको ने तीन माह के अंदर एन ए सी पी के मूल्यांकन के लिए ओ आर जी केन्द्र, नई दिल्ली का चयन किया (मई 2000) परन्तु ओ आर जी केन्द्र का राज्य एड्स नियंत्रण समिति पर प्रभाव की विवेचना जून 2003 तक उपलब्ध नहीं था।

विश्व बैंक मिशन द्वारा मई 2002 के दौरान एन ए सी पी (फेज–II) की समीक्षा की गई परन्तु समीक्षा का प्रतिवेदन जून 2003 तक उपलब्ध नहीं था।

3.1.17 निष्कर्ष

बिहार में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम निधि की उपलब्धता के बावजूद कम खर्च के कारण बाधित रहा। कार्यक्रम के विभिन्न घटकों के भौतिक लक्ष्य के विरूद्ध कुल प्रगति कम थी। कमी कार्यक्रम के दो प्रमुख घटकों में विशेषकर परिलक्षित था ; अतिसंवेदनशील समूहों के लक्षित प्रयास कार्य के पाँच प्रकार में से तीन में कमी 69 प्रतिशत से ज्यादा थी तथा अल्प संवेदनशील समूहों में एड्स के रोकथाम के सात प्रकार में से छः में कमी 58 प्रतिशत से ज्यादा थी।

3.1.18 अनुशंसा

- अति संवेदनशील समूहों की पहचान को प्राथमिकता के आधार पर की जानी चाहिए क्योंकि इसकी उपेक्षा होती रही है ;
- अति संवेदनशील समूहों को परामर्श देने के लिए एन जी ओ के चयन पद्धति में तेजी लाने की आवश्यकता है ;
- जिला अस्पतालों में रक्त अधिकोषों का खोला जाना, विद्धमान रक्त अधिकोषों का

आधुनिकीकरण तथा औषधि नियंत्रकों द्वारा लाइसेंस देना कार्यक्रम के महत्त्वपूर्ण पहलू हैं जिस पर प्राथमिकता के आधार पर ध्यान देना चाहिए ;

- क्षेत्र स्तर पर अच्छा समन्वय सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिलों में जिला एड्स नियंत्रण समिति के गठन में तेजी लानी चाहिए।

मामले सरकार को संदर्भित किए गए (अगस्त 2003) ; उनके उत्तर प्राप्त हुए (सितम्बर 2003) जिनको जरूरत के अनुसार यथोचित स्थान पर समीक्षा में समाविष्ट कर लिया गया है।

3.2 औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम, 1940 का कार्यान्वयन

मुख्याकर्षण

सभी राज्यों द्वारा अनुपालन किया जाना वाला औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम 1940 एक केन्द्रीय अधिनियम है। यह अधिनियम एवं उसके अन्य सहयोगी अधिनियम तथा उसके तहत बनाये गये नियमों के द्वारा औषधि तथा सौंदर्य प्रसाधनों के उत्पादन, आयात, वितरण, बिक्री एवं चिकित्सकीय अनुसंधान को विनियमित किया जाता है।

राज्य में अधिनियम को प्रभावी ढ़ंग से कार्यान्वित नहीं किया गया। औषधि नियंत्रक के पास मूल नियंत्रक पंजी नहीं थी जो राज्य के उत्पादन/बिक्री ईकाईयों, अनुज्ञप्तियों की वैधता अवधि, निरीक्षण की तिथि, नमूनाओं के संग्रहण की तिथि तथा जाँच प्रयोगशालाओं की प्रतिवेदन को प्रदर्शित करती हो। उत्पादक तथा बिक्री करने वाली ईकाईयों के अनुज्ञप्तियों का सावधिक नवीकरण नहीं किया गया। बीमार एवं उत्पादक ईकाईयों के सर्वे एवं निरीक्षण में भारी कमी थी। औषधियों के जाँच प्रतिवेदन में एवं अवमानक औषधियों के निर्माता/बिक्रीकर्त्ता के विरूद्ध तदनुसार कार्रवाई में अनावश्यक विलंब किया जाता था। संग्रहित नमूनों के गुणात्मक जाँच हेतु पर्याप्त अंतःसंरचनात्मक सुविधाओं का अभाव था। मूल्य नियंत्रण व्यवस्था प्रचलित नहीं थी। अवमानक औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन के उत्पादन एवं बिक्री की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता था तथा जन साधारण को उचित मूल्य पर आवश्यक जीवनरक्षक दवाओं को उपलब्ध कराने के अभीष्ट उद्देश्य की पूर्ति नहीं हुई।

औषधि नियंत्रक के पास मूल नियंत्रक पंजी नहीं थी जो यह बता सके कि राज्य में उत्पादन/बिक्री इकाईयों की वास्तविक स्थिति क्या थी एवं आवश्यक होने के बावजूद उत्पादक/बिक्री इकाईयों के अनुज्ञप्तियों को सावधिक नवीकरण नहीं किया गया था।

(कंडिका 3.2.5)

वर्ष 1998–2003 की अवधि में राज्य में उत्पादक/बिक्री ईकाईयों के निरीक्षण का लक्ष्य 59 से 68 प्रतिशत कम था। पच्चीस जिलों में, 34 औषधि निरीक्षकों द्वारा किये गये निरीक्षणों में 79 से 86 प्रतिशत की कमी थी।

(कंडिका 3.2.6)

नमूना संग्रह अपने लक्ष्य से 96 से 97 प्रतिशत कम था। राज्य औषधि नियंत्रण प्रयोगशाला, पटना द्वारा वर्ष 1998–2003 के दौरान संग्रहित नमूनों में से केवल 75 प्रतिशत का ही जाँच किया गया। सरकारी विश्लेषक के द्वारा इस कमी का कारण अपर्याप्त संरचनात्मक सुविधा जैसे रसायन, विद्युत आपूर्ति, जाँच उपकरण एवं मानव बल को बताया गया।

(कंडिका 3.2.7)

वर्ष 1998–2003 की अवधि में पाँच क्षेत्रीय अनुज्ञापन पदाधिकारी द्वारा प्रेषित अवमानक औषधियों के 122 मामलों में औषधि नियंत्रक द्वारा कोई दंडात्मक एवं निरोधात्मक कार्य शुरू नहीं की गई थी।

(कंडिका 3.2.8)

राज्य औषधि नियामक प्राधिकारी का औषधि उद्योग/व्यापार, उपभोक्ताओं तथा चिकित्सा पेशे से जुड़े लोगों के साथ समन्वय अभिलेखित नहीं था। इसमें सूचना के प्रसार तथा प्रवर्त्तन प्राधिकारियों के कार्यकलाप के पुनर्निवेशन को बुरी तरह प्रभावित किया।

(कंडिका 3.2.9)

दवाओं के गैरकानूनी उत्पादन एवं व्यापारिक क्रियाकलापों पर निगरानी रखने हेतु किसी गुप्तचर शाखा की स्थापना नहीं की गई। नियमावली के प्रवर्त्तन में तेजी लाने के लिए औषधि निरीक्षकों को कोई प्रशिक्षण नहीं दिया गया।

(कंडिका 3.2.10)

औषधि नियंत्रक ने बताया कि राज्य में मूल्य नियंत्रण व्यवस्था प्रचलित नहीं थी।

(कंडिका 3.2.11)

औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन नियमवाली, 1940 के प्रावधानों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए अभिश्रवण एवं मूल्यांकन व्यवस्था का अभाव था।

(कंडिका 3.2.13)

3.2.1 प्रस्तावना

बीसवीं सदी के शुरूआत में औषधि का आयात विदेशों से किया जाता था। प्रथम विश्वयुद्ध के उपरांत भारतीय एवं विदेशी उत्पादकों द्वारा आयातित उत्पादों के मुकाबला हेतु कम कीमत पर औषधियों का उत्पादन शुरू किया गया। उन उत्पादों में से कुछ निम्न स्तर के एवं हानिकारक थे। तत्पश्चात सरकार ने औषधियों के उत्पादन, वितरण एवं विक्रय को नियंत्रित करने हेतु एक विधेयक लाने का निर्णय लिया। केन्द्रीय विधानमंडल द्वारा 1937 में गठित वरिष्ठ समिति द्वारा बहुत सारे सुझाव अनुशंसित किये गये, जिससे समान रूप से औषधियों के उत्पादन, वितरण एवं आयात पर नियंत्रण किया जा सके एवं अंततः औषधि अधिनियम[1] 10 अप्रैल 1940 को लागू किया गया था।

वर्तमान में औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम, 1940 के अलावा अन्य तत्संबधी नियमों एवं अधिनियमों जिनके द्वारा भारत में औषधियों एवं सौंदर्य प्रसाधनों के उत्पादन, विक्रय, आयात, निर्यात एवं चिकित्सकीय अनुसंधान को नियंत्रित किया जाता है : औषधिय अधिनियम, 1948; औषधि एवं चमत्कारिक निवारक (आपत्तिजनक विज्ञापन) अधिनियम, 1954 ; द नारकॉटिक्स प्रीपरेशन एवं साइकोटोपिक पदार्थ अधिनियम, 1985 ; औषधिय एवं प्रसाधन तैयारी (उत्पाद शुल्क) अधिनियम 1956 ; औषधि (मूल्य) नियंत्रण आदेश, 1995 भारत सरकार द्वारा आवश्यक

1. *औषधि अधिनियम, 1940 का संशोधन दिसंबर 1961 में अंगरागों के निर्माण को विनियमित करने तथा अवमानक एवं गलत चिन्हित अंगरागों के आयात एवं बिक्री पर रोक लगाने हेतु किया गया था।*

पदार्थ अधिनियम, 1955 के तहत् जनसाधारण को जीवन रक्षक औषधियाँ उचित एवं वहनीय मूल्यों पर उपलब्ध कराने हेतु शुरू किया गया। राज्य में इस संबंध में अलग से कोई विधेयक नहीं था। तथापि औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम 1940 ही मुख्य अधिनियम था।

अधिनियम की मुख्य विशेषताएँ :

- औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन, निदानिकों एवं यंत्रों के मानकों को सुनिश्चित करना ;
- आयातित, उत्पादित, वितरित एवं बेचे गये औषधियों एवं दवाओं के गुणों पर नजर रखना ;
- अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के विरूद्ध सख्त उपायों को लागू करना ;
- भारतीय औषधि कोश का प्रकाशन एवं चिकित्सकीय अनुसंधान को विनियमित करना।

वैधानिक कार्य

यह एक केन्द्रीय अधिनियम है एवं सभी राज्य में लागू है। केन्द्र सरकार औषधि, सौंदर्य प्रसाधन एवं निदानिकों के मानक तथा नियामक उपायों को निर्धारित करती है तथा नियमों एवं अधिनियम में संशोधन करती है। यह नये औषधियों को बाजार हेतु प्राधिकरण एवं आयातित औषधियों के मानक को विनियमित करती है। यह रक्त अधिकोषों, लार्ज भोल्युम पेरेनटेरलन्स, टीका एवं सेरा के लिए केन्द्रीय अनुज्ञप्ति अनुमोदन प्राधिकरण है। औषधि तकनीकि सलाहकार समिति (डी.टी.ए.बी.), औषधि परामर्शी समिति (डी.सी.सी) एवं केन्द्रीय औषधि प्रयोगशाला, केन्द्र सरकार के नियंत्रण में हैं।

राज्य सरकार का मुख्य कार्य है : (ए) औषधि उत्पादक एवं विक्रय ईकाईयों को अनुज्ञप्ति प्रदान करना (बी) औषधि जाँच प्रयोगशालाओं को अनुज्ञप्ति प्रदान करना (सी) निर्माण हेतु औषधियों के सूत्रबद्धता को स्वीकृति देना (डी) निर्यात एवं विक्रय ईकाईयों के सावधिक निरीक्षणों द्वारा तथा नमूनाओं के संग्रहण एवं उसके स्वतंत्र जाँच द्वारा औषधियों एवं सौंदर्य प्रसाधनों के गुणों का अनुश्रवण (ई) वैधानिक प्रावधानों के उल्लंघन के मामलों की जाँच एवं अभियोजन (एफ) आयातित औषधियों में मानक का विनियमन एवं (जी) अवमानक औषधियों को वापस लेना।

हानिकारक औषधि अधिनियम, 1930 के संपूरण में भारत सरकार द्वारा औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम, 1940 का प्रतिपादन किया गया। साथ ही औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन नियमावली, 1945 भी लाया गया। इस अधिनियम का उद्देश्य अवमानक औषधियों एवं सौंदर्य प्रसाधनों के उत्पादन एवं आपूर्ति को रोकना था।

3.2.2 कार्यान्वयनकारी अभिकरण : कार्यान्वयन व्यवस्था

सरकार के आयुक्त सह सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा तथा परिवार कल्याण विभाग को बिहार में दवाओं के उत्पादन, बिक्री तथा वितरण के नियमन की पूरी जिम्मेवारी थी। उन्हें औषधि नियंत्रक (राज्य) तथा उप औषधि नियंत्रक एवं एक सहायक औषधि नियंत्रक जैसे उनके अधीनस्थ पदाधिकारियों से सहायता मिलती थी। औषधि नियंत्रक दवाओं के बिक्री के लिए उत्पादन हेतु लाइसेंस प्रदान एवं नवीकरण करने वाले मुख्य अनुज्ञप्ति प्राधिकारी थे। प्रमंडलीय स्तर पर बिक्री, भंडारण एवं वितरण हेतु लाइसेंस प्रदान करने के लिए क्षेत्रीय अनुज्ञप्ति प्राधिकारी के रूप में औषधि निरीक्षक पदास्थापित (जुलाई 1994 से) थे। जिला स्तर पर उत्पादन एवं बिक्री करने वाली इकाईयों के निरीक्षण, जाँच के लिए नमूना संग्रहण एवं क्षेत्रीय तथा राज्य मुख्यालय को प्रतिवेदित करने के लिए औषधि निरीक्षक (डी.आई.) उत्तरदायी थे।

औषधि नियंत्रक (मुख्य अनुज्ञापन प्राधिकारी), पटना आठ क्षेत्रिय अनुज्ञापन प्राधिकारियों[2] एवं औषधि नियंत्रण प्रयोगशाला, पटना के अभिलेखों के नमूना जाँच द्वारा औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम 1940 तथा राज्य में इसके अधीनस्थ नियमों के क्रियान्वयन का वर्ष 1998–2003 की अवधि की समीक्षा, लेखापरीक्षा द्वारा जनवरी 2003 से मई 2003 के बीच किया गया।

3.2.3 निधि का प्रावधान

40 प्रतिशत निधि का उपयोग नहीं हुआ

औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम के प्रशासन के लिए वर्ष 1998–2003 के दौरान प्रावधान किए गए 16.47 करोड़ रुपये में से 6.63 करोड़ रुपये (40 प्रतिशत) का उपयोग नहीं हुआ, जैसा कि नीचे की सारणी में दर्शाया गया है :

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	(+) आधिक्य / बचत(–)
	(रुपये लाख में)		
1998-99	310.91	228.44	(-) 82.47
1999-00	659.69	299.92	(-) 359.77
2000-01	251.54	194.11	(-) 57.43
2001-02	234.28	152.46	(-) 81.82
2002-03	190.21	108.31	(-) 81.90
योग	**1646.63**	**983.30**	**(-) 663.39**

यह ज्ञात हुआ कि शीर्ष 2210 – लोक स्वास्थ्य औषधि नियंत्रण के तहत योजना तथा गैर–योजना, दोनो मदों में बचत हुई। अधिक बचत का कोई कारण वर्ष दर वर्ष अभिलेख में नहीं था। औषधि नियंत्रक (राज्य) ने किसी भी क्षेत्रीय क्षेत्र कार्यालयों एवं सरकारी विश्लेषक से प्राप्ति एवं व्यय की सूचना प्राप्त नहीं की।

3.2.4 अधिनियम की अपर्याप्ताएँ

नवीनीकरण हेतु अपर्याप्त प्रावधान

अनुज्ञप्तियाँ एवं नवीनीकरण प्रमाण पत्र, नियमों के अंतर्गत जारी होने के तिथि से अगले पाँच वर्षों के लिए वैध माने जाते है परन्तु इस बार नवीनीकरण हेतु आवेदन, मूल अनुज्ञप्ति के समाप्त होने से पहले या समाप्त होने के छः माह बाद, दिया जाता है तब मूल अनुज्ञप्ति को सही माना जाता है, यदि अनुज्ञप्ति प्राधिकारी द्वारा कोई अन्य आदेश प्राप्त आवेदन पत्र दिया जाता है। इस प्रकार वैसे मामलों में जहाँ भवनों का निरीक्षण कुछ कारणों से विलंब हो रहा हो एवं बाद में उक्त अनुज्ञप्ति का उपर्युक्त नहीं पाया जाता है तब संबंधित इकाई उस बीच की अवधि में पूरी वैद्यता से काम करता रहता ह। इस तरह इन प्रकारों की खामियाँ को नियमों में आवश्यक संशोधनों के द्वारा सुधारा जाना चाहिए ताकि नवीनीकरण हेतु आवेदन के कम से कम मूल अनुज्ञप्ति के समाप्त होने के तीन माह या छः माह पहले नवीनीकरण प्रमाण पत्र जारी हो सके।

नमूनाओं के जाँच हेतु कोई समय सीमा का न होना

इस अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो निर्माण / विक्रय ईकाईयों के निरीक्षण के क्रम में संग्रहित की गई नमूनाओं के जाँच की निश्चित समय सीमा तय करता हो। इसके परिणामस्वरूप अवमानक / नकली औषधियाँ बाजारों में लगातार बिकती रहती है। नियम 46 में यह अंतनिर्देशित है कि विश्लेषण के बाद जाँच प्रतिवेदन को अविलम्ब भेजा जाना चाहिए। लेकिन जाँच प्रतिवेदन को किसी निश्चित समय सीमा में भेजने का उल्लेख नहीं होने के परिणामस्वरूप बिना जाँच की औषधियों की खपत होती है जो मृत्यु तक का कारण बनती है।

2. भागलपुर, छपरा, दरभंगा, गया, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णियाँ एवं सहरसा

वृहत् एवं लघु अपराधों में अंतर नहीं होना

अधिनियम/नियमों में वृहत् एवं लघु अपराधों में अंतर नहीं किया गया है। इसके चलते विभागीय कार्यवाही हो अथवा अभियोजन प्रारंभ करने का निर्णय औषधि नियंत्रक या औषधि निरीक्षक के विवेक पर छोड़ दिया गया, अधिनियम में इस बात का उल्लेख नहीं है कि विभाग द्वारा किस समय सीमा के अन्दर न्यायालय में मामला दर्ज किया जाना चाहिए जिसके परिणामस्वरूप अपराधियों के खिलाफ कारवाई में विलंब होता था।

नमूनों के मुफ्त प्राप्ति के प्रावधानों का अभाव

वर्तमान प्रावधानों के अनुसार, औषधि नमूनों को औषधि निरीक्षकों द्वारा केवल उनके मूल्यों के भुगतान के उपरांत ही संग्रहित किया जा सकता है। वित्तीय कठिनाईयों के कारण इस मद में निधि का आवंटन प्रायः अपर्याप्त होता है। इसके चलते नियमों में इस प्रावधान के कारण नमूनों के गुणों के विश्लेषण हेतु पर्याप्त मात्रा के संग्रह में बाधा पहुँचते है।

आयुर्वेदिक औषधियों के विक्रय अनुज्ञप्ति हेतु प्रावधानों का अभाव

अधिनियम/नियमों के अंतर्गत एलोपैथिक औषधियों की तरह आयुर्वेदिक औषधियों के विक्रय हेतु किसी अनुज्ञप्ति की आवश्यकता नही है। इसके कारण संबंधित अधिकारियों को अप्रमाणिक, मिलावटीय, वैद्यता अवधि समाप्त आयुर्वेदिक औषधियों के प्रचलन पर रोक लगाने में कठिनाई होती है।

3.2.5 अनुज्ञप्तियाँ

मुख्य नियंत्रक पंजी संधारित नहीं की गई

औषधि नियंत्रक के पास कोई मुख्य नियंत्रण पंजी नहीं थी जो राज्य में संचालित एवं कार्यशील उत्पादन तथा बिक्री करने वाली इकाईयों की संख्या, औषधि निरीक्षक द्वारा जाँच की गई इकाईयों तथा जहाँ जाँच अपेक्षित थी उनकी संख्या दर्शाती। इससे यह प्रतीत होता है कि विभाग में आंतरिक नियंत्रण व्यवस्था का अभाव था।

राज्य स्तर पर आँकड़े के अभाव में लेखापरीक्षा ने क्षेत्रीय एवं जिला कार्यालयों से उत्पादन एवं बिक्री करने वाली इकाईयों से संबंधित सूचना संग्रहित की। अनुज्ञप्तियाँ दो कैलेंडर वर्ष के लिए वैध थी एवं प्रत्येक दो वर्षों में उनका नवीकरण होना था। अगस्त 2001 से अनुज्ञप्तियों की अवधि निर्गत होने की तिथि से पाँच वर्षों के लिए निर्धारित की गई।

वर्ष 1999–2003 के दौरान औषधियों के उत्पादन करने वाली इकाईयों, अनुज्ञप्तियों के नवीकरण के लिए अपेक्षित इकाईयों एवं जिनकी अनुज्ञप्तियों का नवीकरण हुआ उनकी संख्या निम्नवत थी :

(संख्या में)

	निर्गत अनुज्ञप्तियाँ			नवीकृत अनुज्ञप्तियाँ		
वर्ष	अथशेष इकाईया	वर्ष के दौरान निर्गत अनुज्ञप्ति	कुल इकाईयाँ	नवीकरण के लिए अपेक्षित अनुज्ञप्ति	नवीकृत अनुज्ञप्तियाँ	कमी
1999-2000	604	96	700	308	300	8
2000-2001	700	83	783	331	300	31
2001-2002	783	39	822	396	239	157
2002-2003	822	29	851	282	261	21

मार्च 2003 तक कुल 851 उत्पादन इकाईयों में से 21 उत्पादन इकाईयों की अनुज्ञप्तियों का नवीकरण नहीं किया गया। चूँकि 21 इकाईयों, जिनकी अनुज्ञप्तियों का नवीकरण वर्ष 1999–2003 के दौरान नहीं किया गया, के बंद होने का कोई सूचना नहीं थी, इन इकाईयों का बिना अनुज्ञप्ति के संचालन एवं इन इकाईयों द्वारा अवैध/ नकली/मिलावटी दवाओं के उत्पादन की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता था।

औषधि निरीक्षक क्षेत्रों में बिक्री करने वाली इकाईयों के लिए अनुज्ञप्ति प्राधिकारी के रूप में कार्य कर रहे थे

जुलाई 1994 से पहले दवाओं की बिक्री, भंडारण एवं वितरण के लिए अनुज्ञप्ति निर्गत करने का अधिकार संबंधित जिले के असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी को प्राप्त था। जुलाई 1994 से यह अधिकार क्षेत्रीय अनुज्ञप्ति पदाधिकारी को दे दिया गया तथापि मार्च 2003 तक क्षेत्रीय अनुज्ञप्ति प्राधिकारी का कोई पद नहीं था। परिणामस्वरूप औषधि निरीक्षक को क्षेत्रों एवं जिलों में बिक्री करने वाली इकाईयों के लिए अनुज्ञप्ति प्राधिकारी के रूप में कार्य करना पड़ा।

बिक्री करने वाली इकाईयों की अनुज्ञप्तियों का अपर्याप्त नवीकरण

वर्ष 1998–2003 के दौरान दवा बिक्री करने वाली इकाईयों, अनुज्ञप्तियों के नवीकरण के लिए अपेक्षित इकाईयों एवं जिनकी अनुज्ञप्तियों का नवीकरण हुआ उनकी संख्या निम्नवत थी :

(संख्या में)

	निर्गत अनुज्ञप्तियाँ			नवीकृत अनुज्ञप्तियाँ		
वर्ष	अथशेष इकाईया	वर्ष के दौरान निर्गत अनुज्ञप्ति	कुल इकाईयाँ	नवीकरण के लिए अपेक्षित अनुज्ञप्ति	नवीकृत अनुज्ञप्तियाँ	कमी
1998-1999	21972	2429	24401	11655	10079	1576
1999-2000	24401	2768	27169	11893	9534	2359
2000-2001	27169	1283	28452	12508	10737	1771
2001-2002	28452	2572	31024	12302	9144	3158
2002-2003	31024	388	31412	10916	4839	6077

मार्च 2003 तक बिक्री करने वाली 31412 इकाईयों में से 6077 इकाईयों का नवीकरण नहीं किया गया। इन इकाईयों के बिना नवीकरण के जारी रहने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता था क्योंकि इन इकाईयों में भौतिक सत्यापन संबंधी कोई सूचना उपलब्ध नहीं थी जिन्होंने नवीकरण हेतु आवेदन नहीं दिया था।

3.2.6 सर्वेक्षण एवं निरीक्षण

राज्य में निर्धारित मानक से निरीक्षण का लक्ष्य 59 से 68 प्रतिशत कम

औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन नियमावली 1945 में यह प्रावधान है कि प्रत्येक बिक्री/उत्पादन करने वाली इकाईयों का निरीक्षण वर्ष में कम से कम एक बार अवश्य किया जाना चाहिए। संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि सरकार ने प्रत्येक औषधि निरीक्षक के लिए प्रतिमाह 20 निरीक्षण करने का लक्ष्य निर्धारित किया। यद्यपि वे इस बात से अवगत थे कि यह लक्ष्य अधिनियम में प्रावधानित प्रत्येक निर्माण/विक्रय ईकाईयों के निरीक्षण को पूरा नहीं करता था। तद्नुसार राज्य के 43 औषधि निरीक्षकों के लिए एक वर्ष में 10320 निरीक्षण करने का लक्ष्य वर्ष 1998–2003 की अवधि मे प्रतिवर्ष आवश्यक 25000 से 32000 निरीक्षण के विरूद्ध था। इस प्रकार वर्ष 1998–2003 के दौरान निर्धारित लक्ष्य राज्य की उत्पादन/बिक्री करने वाली इकाईयों का 59 से 68 प्रतिशत कम था जैसा कि नीचे दर्शाया गया है :

वर्ष	निरीक्षण करने के लिए अपेक्षित बिक्री करने वाली इकाईयाँ	निरीक्षण के लिए अपेक्षित उत्पादनकर्त्ता इकाईयाँ	निरीक्षण करने के लिए अपेक्षित कुल इकाईयाँ	राज्य द्वारा निर्धारित निरीक्षण का लक्ष्य	कमी	प्रतिशत
1998-1999	24401	604	25005	10320	14685	59
1999-2000	27169	700	27869	10320	17549	63
2000-2001	28452	783	29235	10320	18915	65
2001-2002	31024	822	31846	10320	21526	68
2002-2003	31412	851	32263	10320	21943	68

नमूना जाँचित 25 जिलों में 34 औषधि निरीक्षकों का वर्ष 2000–2003 के दौरान प्रदर्शन निम्न था:

वर्ष	25 जिलों में निरीक्षण हेतु अपेक्षित कुल इकाईयाँ	किए गए निरीक्षणों की संख्या	कमी	प्रतिशत
2000	22036	3028	19008	86
2001	23116	4805	18311	79
2002	25180	5402	19778	79
	70332	**13235**	**57097**	**81**

नमूना जाँचित 25 जिलों में निरीक्षण के काम में 81 प्रतिशत की कमी आई

वर्ष 2000–02 की अवधि में निरीक्षण हेतु अपेक्षित 70332 इकाईयों के विरूद्ध 34 औषधि निरीक्षकों द्वारा सिर्फ 13235 निरीक्षण किए गए। इसके परिणामस्वरूप 25 जिलों में निर्माण/विक्रय इकाईयों के निरीक्षण में 81 प्रतिशत की कमी आई। इसके चलते लगभग पाँच में चार (80 प्रतिशत) निर्माण/विक्रय इकाईयों को बिना निरीक्षण के ही काम करते रहने दिया गया। निरीक्षण करने में आई कमी का कारण उपलब्ध नहीं था।

निरीक्षण संबंधी विहित प्रपत्र संधारित नही किए गए

नियमानुसार दवाओं के उत्पादनकत्ताओं एवं विक्रेताओं को अनुज्ञप्ति प्राधिकारियों से विहित प्रपत्र में प्राप्त निरीक्षण पुस्तिका को पास रखना था। औषधि निरीक्षक की टिप्पणियों को तीन प्रति में विहित प्रपत्र में अंकित करना था। मूल प्रति को निरीक्षण पुस्तिका में रखना था। दूसरी प्रति को अनुज्ञप्ति प्राधिकारी को भेज देना था जबकि तीसरी प्रति औषधि निरीक्षकों को अभिलेख के रूप में रखना था। हाँलाकि औषधि निरीक्षकों ने विहित प्रपत्र में निरीक्षण टिप्पणियाँ अंकित नहीं की। तथापि नमूना जाँचित 34 औषधि निरीक्षकों के अभिलेखों के सभी मामलों में भिन्न तरीकों से अंकित निरीक्षक टिप्पणियाँ औषधि निरीक्षकों के पास उपलब्ध थीं लेकिन उसकी प्रति न तो उत्पादनकर्त्ता/बिक्रेता के पास न ही अनुज्ञप्ति प्राधिकारी अर्थात औषधि नियंत्रक के पास उपलब्ध थी। परिणामस्वरूप किए गए निरीक्षण की सत्यता संदिग्ध थी।

3.2.7 नमूनों का संग्रह एवं औषधियों की जाँच

नमूना जाँचित 25 जिलों में 34 औषधि निरीक्षकों द्वारा प्राप्त नमूनों के संग्रह एवं उनके विश्लेषण निम्नवत थे :

वर्ष	नमूना संग्रह हेतु अपेक्षित कुल इकाईयाँ *	संग्रहित नमूनों की संख्या	कमी	विश्लेषण
2000	22036	589	21447 (97)	389 (66)
2001	23116	845	22271 (96)	599 (71)
2002	25180	1125	24055 (96)	318 (28)
	70332	**2559**	**67793 (96)**	**1306 (51)**

* प्रत्येक इकाईयों के प्रत्येक निरीक्षण पर एक नमूना (कोष्ठक के अंक प्रतिशत दर्शाते है)

लक्ष्य से कम नमूनों का संग्रह तथा संग्रहित नमूने अंशतः विश्लेषित

नमूना संग्रह 96 प्रतिशत कम था एवं केवल 51 प्रतिशत संग्रहित नमूनों का ही विश्लेषण किया गया। इससे यह प्रतीत होता है कि जिलों में औषधि निरीक्षकों द्वारा 95 प्रतिशत उत्पादित एवं विक्रय इकाईयों में से कम से कम एक भी नमूनों की जाँच नहीं की गई। इस प्रकार राज्य में इस नियम को लागू नही किया गया। कम नमूनों के संग्रह का कारण संबंधित औषधि निरीक्षकों द्वारा विक्रेता इकाईयों को नमूनों की लागत के भुगतान के लिए निधि का अभाव बताया गया। बताए गए कारण तर्कसंगत नहीं थें क्योंकि वर्ष 1998–2003 के दौरान प्रत्येक वर्ष अधिक मात्रा में निधि का उपयोग नहीं किया गया। संग्रहित नमूनों के कम विश्लेषण का कारण सरकारी विश्लेषक द्वारा रसायन का अभाव तथा अनियमित विद्युत आपूर्त्ति बताया गया।

अस्पतालों एवं रक्त अधिकोषों से नमूना का संग्रह नहीं

अधिनियम में प्रावधान था कि गुणवत्ता जाँच के लिए औषधि निरीक्षकों द्वारा औषधियों के नमूनों का संग्रह सरकारी अस्पतालों, संस्थानों, रक्त अधिकोष इत्यादि से करना था। तथापि उनके द्वारा वर्ष 1998–2003 के दौरान कोई नमूना संग्रह नहीं किया गया। इस प्रकार 8 करोड़ के भारी जनसंख्या वाले इस राज्य में पाँच वर्षों में एक भी रक्त के नमूना का जाँच नहीं किया गया। परिणामस्वरूप रक्त अधिकोषों द्वारा आपूर्ति हुई रक्त की गुणवत्ता की जाँच नहीं की जा सकी।

उत्पादित औषधि/सौंदर्य प्रसाधन की गुणवत्ता सुनिश्चित नहीं

औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन नियमावली, 1945 के नियम 150 बी के तहत यह अपेक्षित था कि प्रत्येक उत्पादनकर्त्ता इकाई को औषधियों या सौंदर्य प्रसाधन या उनके उत्पादन में प्रयुक्त कच्चे माल की गुणवत्ता, शुद्धता तथा क्षमता की जाँच औषधि नियंत्रक के अनुमोदन से अपने या किसी बाहरी अभिकरण से करानी थी। तथापि राज्य की किसी भी उत्पादनकर्त्ता इकाई द्वारा उत्पादित औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन की गुणवत्ता जाँच के लिए वर्ष 1998–2003 के दौरान औषधि नियंत्रक से अनुमति नहीं माँगी गई। इसप्रकार इकाईयों द्वारा उत्पादित औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन की गुणवत्ता सुनिश्चित नहीं की जा सकती थी।

कोलकत्ता एवं गाजियाबाद स्थित प्रयोगशाला द्वारा जाँच किए गए नमूनों की सूचना उपलब्ध नहीं

औषधियों एवं सौंदर्य प्रसाधन के संग्रहित तथा प्राप्त नमूनों को राज्य औषधि प्रयोगशाला, पटना केन्द्रीय औषधि नियंत्रण प्रयोगशाला, कोलकात्ता तथा केन्द्रीय औषधि प्रयोगशाला संस्थान, गाजियाबाद में विश्लेषित/जाँच करनी थी। नमूनों की जाँच एवं प्रतिवेदन के लिए कोलकत्ता एवं गाजियाबाद को औषधि नियंत्रक (राज्य) द्वारा भुगतान किया जाना था। कोलकत्ता एवं गाजियाबाद की प्रयोगशाला द्वारा जाँच किए गए नमूनों की संख्या एवं उन्हें किए गए भुगतान से संबंधित सूचना नहीं दी गई।

राज्य औषधि नियंत्रण प्रयोगशाला, पटना द्वारा संग्रहित औषधि के केवल 75 प्रतिशत नमूनों की जाँच की गई

संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि राज्य औषधि नियंत्रण प्रयोगशाला, पटना द्वारा वर्ष 1998–2003 के दौरान संग्रहित नमूनों (4352) के 75 प्रतिशत (3247) की जाँच की गई थी जबकि जाँच की गई औषधि के 11 प्रतिशत नमूनों को अवमान घोषित किया गया।

वर्ष	कुल निर्माण/ विक्रय इकाईयाँ	नमूनों का पूर्वशेष	विश्लेषण के लिए प्राप्त नमूने	विश्लेषित नमूने	विश्लेषित नहीं किए गए नमूने	अवमानक घोषित औषधियाँ
1997-98	अप्राप्त	शून्य	408	269	139	50
1998-99	25005	139	581	476	244	79
1999-00	27869	244	402	417	229	66
2000-01	29235	229	822	559	492	78
2001-02	31846	492	732	632	592	37
2002-03	32263	592	1407	894	1105	42
योग	**142618**		**4352**	**3247**		**352**

इससे यह स्पष्ट है कि वर्ष 1998–2003 की अवधि में आवश्यक 146218 नमूनों को एक नमूना प्रति इकाई प्रति वर्ष के दर से केवल 2978 नमूनों का जाँच एवं विश्लेषण किया गया। इस प्रकार, राज्य में मुश्किल से अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन हो पा रहा था। पुनः अवमानक औषधियों के मिलावटी अवैध तथा जाली होने का विवरण अभिलेखित नहीं था। सरकारी विश्लेषक द्वारा नमूनों की जाँच एवं प्रतिवेदन में कमी का कारण रसायन, विद्युत आपूर्त्ति, जाँच–उपकरण तथा मानव क्षमता जैसी अपर्याप्त संरचना की कमी बताया गया। राज्य में आयुर्वेदिक तथा होमियोपैथ प्रणाली की औषधि के जाँच की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। इसके अतिरिक्त नमूनों को विश्लेषित करने की कोई समय–सीमा नहीं थी।

3.2.8 अभियोजन

अवमानक औषधियों के प्रतिवेदन पर कोई दंडात्मक या निवारक कार्रवाई नहीं

औषधि नियंत्रक से निरीक्षणात्मक नियंत्रण के प्रमाणस्वरूप औषधि निरीक्षक के प्रतिवेदन पर औषधि नियम को नही पालन करनेवालो के विरूद्ध कार्रवाई करना अपेक्षित था। तथापि औषधि नियंत्रक ने 1998–2003 के दौरान पाँच क्षेत्रीय अनुज्ञप्ति प्राधिकारियों द्वारा प्रतिवेदित अवमानक औषधि के 122 मामलों में कोई दंडात्मक एवं निवारक कारवाई नहीं शुरू की।

चार क्षेत्रीय कार्यालयों में अभियोजन के मामले की स्थिति निम्नवत थी :

(संख्या में)

वर्ष	अभियोजन के मामले (अथ शेष)	वर्ष के दौरान शुरू किए गए अभियोजन के मामले	कुल अभियोजन के मामले	दोषी	वर्ष के अंत में लंबित मामले
1998-99	10	-	10	-	10
1999-00	10	2	12	-	12
2000-01	12	19	31	-	31
2001-02	31	17	48	12	36
2002-03	36	17	53	-	53

टिप्पणी : नमूना जाँचित चार अन्य क्षेत्रीय कार्यालयों ने कोई सूचना नहीं दी।

अभियोजन के विचाराधीन मामले

चार क्षेत्रीय अनुज्ञप्ति प्राधिकारियों (पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा भागलपुर) के औषधि निरीक्षकों द्वारा वर्ष 1998–99 से वर्ष 2002–03 के दौरान अभियोजन के 65 मामले शुरू किए गए। इनमें से मुजफ्फरपुर क्षेत्र के 12 औषधि बिक्रेताओं को जिन्होंने औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम का उल्लंघन किया था, न्यायालय द्वारा दोषी पाया गया। तथापि अभियोजन के शेष 53 मामलों में न्यायालय की आदेश की प्रतीक्षा थी (मई 2003)।

यद्यपि उत्पादन एवं बिक्री करने वाली इकाईयों पर औचक छापा डालने हेतु राज्य स्तर पर

उत्पादन तथा बिक्री करने वाली इकाईयों पर औचक छापा नहीं डाला गया

छापामार दस्ता औषधि निरीक्षक का पद सृजित एवं नियुक्त किया गया लेकिन पदधारी ने कोई औचक छापा नहीं डाला बल्कि पटना में क्षेत्रीय अनुज्ञप्ति प्राधिकारी के रूप में कार्य किया। हाँलाकि यह ज्ञात हुआ कि 12 औषधि निरीक्षकों द्वारा नौ जिलों[3] में नियम एवं उसके तहत के अधिनियमों का उल्लंघन करने पर 35 औषधि एवं उपकरण जब्त किए गये।

औषधि उद्योग, उपभोक्ताओं तथा चिकित्सा पेशे से जुड़े हुए लोगों के साथ समन्वय नहीं

3.2.9 नियामक प्राधिकारियों के साथ समन्वय

राज्य औषधि नियामक प्राधिकारी का औषधि उद्योग/व्यापार, उपभोक्ताओं तथा चिकित्सा पेशे से जुड़े लोगों के साथ समन्वय अभिलेखित नहीं था। इसमें सूचना के प्रसार तथा प्रवर्त्तन प्राधिकारियों के कार्यकलाप के पुनर्निवेशन को बुरी तरह प्रभावित किया।

3.2.10 गुप्तचर एवं प्रशिक्षण

अधिकारियों के लिए कोई प्रशिक्षण सुविधा तथा कोई गुप्तचर शाखा नहीं

औषधि नियंत्रण प्रशासन द्वारा औषधि के गैरकानूनी उत्पादन एवं व्यावसायिक क्रियाकलापों पर निगरानी रखने हेतु कोई गुप्तचर शाखा का गठन नहीं किया गया था। औषधि नियंत्रण प्रशासन के औषधि निरीक्षकों एवं अन्य पदाधिकारियों को गुप्तचरी पहचान, अन्वेषण, शिकायत की तैयारी एवं उसे भरने तथा अदालती प्रक्रिया के विकास संबंधी मामलों का प्रशिक्षण, जो प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने में मददगार हो सकते थे, नहीं दिया गया।

3.2.11 मूल्य नियंत्रण व्यवस्था

मूल्य नियंत्रण व्यवस्था का प्रचलन नहीं

औषधि नियंत्रक, बिहार ने बताया (अप्रील 2003) कि राज्य में कोई मूल्य नियंत्रण व्यवस्था प्रचलित नहीं थी। उन्होंने यह भी बताया कि भारत सरकार द्वारा निर्धारित औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995 को लागू करने का अधिकार संबंधित जिले के औषधि निरीक्षकों को दिया गया था। तथापि केवल एक औषधि निरीक्षक ने औषधि के अधिक मूल्य निर्धारण के सात मामलों की पहचान की थी (मार्च–अप्रील 2003)। उन मामलों की औषधि निरीक्षक, पटना द्वारा औषधि नियंत्रक को प्रतिवेदित किया गया (अप्रील 2003) लेकिन जून 2003 तक कोई कार्रवाई नहीं की गई थी।

3.2.12 मानवशक्ति प्रबंधन

आवश्यक अधिकारियों की संख्या में कमी

बिहार में औषधि नियंत्रण के प्रशासन के लिए स्वीकृत एवं पदास्थापित कर्मियों की संख्या निम्नवत थी :

पद का नाम	स्वीकृत बल	पदास्थापित कर्मी
औषधि निरीक्षक	221	43
सहायक औषधि नियंत्रक	एक	एक
उप औषधि नियंत्रक	एक	एक
राज्य औषधि नियंत्रक	एक	एक

वित्त विभाग के बिना सलाह लिए ही पद का सृजन

होमियोपैथी तथा यूनानी पद्धति की औषधि के लिए औषधि निरीक्षक का कोई पद नहीं था। विभाग ने वर्ष 1991–92 में औषधि निरीक्षकों के 184 पद का सृजन बिना वित्त विभाग की स्वीकृति के किया जबकि औषधि निरीक्षकों की नियुक्ति नियमावली के अनुसार अपेक्षित था।

3. बेतिया, छपरा, मोतिहारी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, पटना, समस्तीपुर, सिवान एवं सीतामढ़ी

3.2.13 अभिश्रवण एवं मूल्यांकन

पर्यवेक्षण अधिकारियों द्वारा क्षेत्र दौरे की निरीक्षण सारणी निर्धारित नहीं

औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु औषधि नियंत्रक द्वारा प्रशासनिक नियंत्रण के प्रमाणस्वरूप प्रत्येक पर्यवेक्षक स्तर के अधिकारियों के लिए क्षेत्र दौरों की न्यूनतम संख्या निर्धारित करते हुए निरीक्षण की सारणी तैयार की जानी थी। संबंधित प्राधिकारी द्वारा कोई ऐसी निरीक्षण सारणी निर्धारित नहीं की गई। अधिनियम एवं नियमावली के क्रियान्वयन का मूल्यांकन सरकार या किसी बाह्य एजेंसी द्वारा नहीं किया गया। अतः औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम, 1940 तथा उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु अभिश्रवण एवं मूल्यांकन व्यवस्था का अभाव था।

3.2.14 उपसंहार

औषधि नियंत्रण अधिनियम का क्रियान्वयन अनमने तरीके से किया गया। औषधि नियंत्रक के पास उपलब्ध मानव बल राज्य में उत्पादन एवं बिक्री करने वाली इकाईयों का निरीक्षण करने के लिए अपर्याप्त थी। औषधि निरीक्षकों द्वारा किए गए निरीक्षण अधिनियम में निर्धारित मानक से काफी कम थे। पुनः निरीक्षण के काफी मामलों में नमूना का संग्रह नहीं किया गया था। औषधि के संग्रहित नमूने कम थे। चलाए गए अभियोजन के मामले तथा अधिनियम के तहत पाए गए दोषी नगण्य थे जो कोई प्रभाव नहीं डाल सके। इस प्रकार, अंततः बिहार राज्य में अधिनियम के प्रावधानों का मुश्किल से अनुपालन हो रहा था।

3.2.15 अनुशंसा

- औषधि नियंत्रक द्वारा निश्चित समयावधि में नवीकरण हेतु प्राप्त आवेदनों का निपटारा हो सके, के लिए अधिनियम में संशोधन की आवश्यकता है ;
- आयुर्वेदिक औषधियों के गुणों को सुनिश्चित करने हेतु उन्हें भी औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम 1940 के क्षेत्राधिकार में रखते हुए आवश्यक संशोधन किया जाना चाहिए ;
- विवादों को कम करने हेतु अपराधों को संयोजित करने का प्रावधान होना चाहिए ;
- अधिनियम में मिलावटी, अप्रमाणिक एवं गलत ब्रांड की औषधियों के निर्माण या विक्रय उसकी क्षमता के अलावे करने पर, कठोर सजा का प्रावधान किया जाना चाहिए ।
- औषधि के संग्रहित नमूनों का विश्लेषण एवं जाँच एक निश्चित समय सीमा में करना चाहिए एवं मामले का विस्तृत विवरण देना चाहिए ताकि अधिनियम के तहत अभियोजन के मामले प्रभावी ढ़ंग से चलाया जा सके।
- विभाग द्वारा अभियोजन के मामलों का अनुपालन प्रभावी ढ़ंग से किया जाना चाहिए।
- राज्य में मूल्य नियंत्रण व्यवस्था का अस्तित्त्व नहीं था। उपभोक्ताओं के हित को सुरक्षित रखने के लिए इसे मजबूत किया जाना चाहिए।

मामले सरकार को संदर्भित किए गए (अगस्त 2003) ; उनके उत्तर अप्राप्त थे (मार्च 2004)।

कल्याण विभाग

3.3 विकलांगों का कल्याण

मुख्याकर्षण

विकलांगों का कल्याण, विकलांगता के विभिन्न रूपों एवं उपायों की विविधता की ओर निर्देशित रोगनाशक, प्रोत्साहन एवं पुनर्वास मतिविधियों के समन्वय सहित एक जटिल सामाजिक मुद्दा हैं। इसके अतिरिक्त विस्तार के उद्देश्य से विकलांग की परिभाषा अक्षमता के इतने बड़े क्षेत्र में फैली हुई है कि कार्यक्रम लक्ष्यों के वितरण संबंधी विभिन्न एजेन्सियों द्वारा किए गए प्रयास से कोई एक बिन्दु स्वतः उत्पन्न नहीं होता। विकलांगों के लिए कल्याण कार्यकलाप विकलांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों की रक्षा एवं पूर्ण सहभागिता) अधि ानियम, 1995 एवं मानसिक बाधा एवं बहुल अक्षमता अधिनियम, 1999 से शासित होते हैं। ये अधिनियम, विभिन्न तरह की विकलांगता से प्रभावित लोगों को सामाजिक जीवन की मुख्य धारा में शामिल करने का लक्ष्य करते हैं।

समीक्षा से ज्ञात हुआ कि अधिनियम के विभिन्न प्रावधान वर्ष 1998–03 के दौरान अकार्यान्वित रहे तथा शुरू की गई योजनाएँ समन्वय एवं पर्यवेक्षण के अभाव के कारण कुप्रबंधन का शिकार रहीं। परिणामस्वरूप भारत सरकार की निधि का अधिकांश भाग अव्यवहृत रहा एवं योजनाओं का प्रदर्शन नगण्य रहा। इस प्रकार विकलांगों का कल्याण उपेक्षित रहा।

विकलांगता के कारणों का सर्वेक्षण, अन्वेषण, अनुसंधान, विकलांगता रोकने के उपायों को प्रोत्साहित करने, जागरूकता अभियान, लोक शिक्षा, नए सहायक उपकरणों के अनुसंधान एवं डिजाइन करने से संबंधित विकलांगता अधिनियम, 1995 के प्रावधान अधिकांशतः अकार्यान्वित रहे।

(कंडिका 3.3.4)

राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1998–2003 के दौरान भारत सरकार से प्राप्त निधि (145.85 करोड़ रुपये) का 86 प्रतिशत (125.97 करोड़ रुपये) अव्यवहृत रहा तथा बैंकों के चालू खाते में जमा रहा जबकि योजनाओं का क्रियान्वयन धीमा रहा।

(कंडिका 3.3.5)

संयुक्त क्षेत्रीय संसाधन केन्द्र द्वारा अक्षम व्यक्तियों के पुनर्वास तथा मूक बधिरों के विद्यालय भवन की योजना पर कोई व्यर्थ नहीं हुआ था।

कुष्ठ जनित विकलांगता को ठीक करने का कोई उपाय नहीं किया गया।

वर्ष 2001–02 एवं वर्ष 2002–03 के दौरान अपवर्त्तक विभ्रम वाले पहचान में आए क्रमशः 28 एवं 8 प्रतिशत बच्चों को ही मुफ्त चश्मा प्रदान किया गया।

विकलांग लोगों के लिए तकनीकी एवं व्यवसायिक शिक्षा के क्षेत्र में औपचारिक शिक्षा मार्च 2003 तक किसी भी पोलिटेकनिक में प्रारंभ नहीं की गई थी।

(कंडिका 3.3.7)

राज्य योजना के तहत शुरू की गई 11 योजनाओं पर उपलब्ध निधि का 54 प्रतिशत (5.02 करोड़ रुपये) खर्च नहीं किया गया था।

राज्य योजनान्तर्गत 11 में से तीन योजनाओं (मूक एवं वधिर के लिए कार्यशाला, मूक एवं वधिर के लिए विशेष उपकरण, स्पास्टीक बच्चों के लिए विद्यालय) पर व्यय शून्य था जबकि तीन अन्य योजनाओं (नेत्रहीन विद्यालय, नेत्रहीन शिक्षक प्रशिक्षण, आयुक्त विकलांगता) पर उपलब्ध निधि का 10 से 13 प्रतिशत तक नगण्य व्यय था।

कृत्रिम अंग केन्द्र, पटना ने वर्ष 1998–2003 के दौरान केवल 2.32 लाख रुपये मूल्य के सहायक तथा उपकरणों का उत्पादन किया जबकि संस्थान का स्थापना व्यय 77.86 लाख रुपये था।

विशेष नियोजनालय, पटना ने निबंधित विकलांगों के केवल 16 प्रतिशत को ही प्रायोजित किया तथा निबंधित विकलांगों के केवल दो प्रतिशत को ही नौकरी मिली।

प्रखंड सरकारी गारंटी के अभाव में 1405 विकलांग आवेदकों को ऋण का भुगतान नहीं किया गया।

(कंडिका 3.3.8)

गैर सरकारी संगठनों को सहायतानुदान के माध्यम से 4263 विकलांग लोगों के बदले केवल 3224 लोगों को ही लाभ मिला।

(कंडिका 3.3.10)

विकलांगता अधिनियम तथा उसके अंतर्गत योजनाओं के कार्यान्वयन में समुचित् अभिश्रवण प्रक्रिया का अभाव था।

(कंडिका 3.3.11)

3.3.1 प्रस्तावना

"विकलांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों की सुरक्षा एवं पूर्ण सहभागिता) अधिनियम, 1995 जो कि अक्टूबर 1998 में प्रभावी हुआ था, प्रधान विधायी यंत्र है जिसके द्वारा राज्य अक्षम व्यक्ति को आवश्यक सेवा प्रदान करने और अधिनियम से उत्पन्न विशेष आभार पूर्ण करने की कोशिश करता है। जैसा कि अधिनियम का शीर्षक स्वयं इसको स्पष्ट करता है, समान अवसर का प्रावधान, अधिकारों की रक्षा एवं पूर्ण सहभागिता विकलांगों के कल्याण के मुख्य मुद्दे हैं। संबंधित क्षेत्र के संबोधन हेतु, राज्य द्वारा पालन की जाने वाली प्रमुख गतिविधियों में शामिल है :

- अक्षम व्यक्ति की पहचान ;
- प्रबंधन के लिए सांस्थिक ढ़ांचा प्रावधान करना और विशेष अक्षमता के लिए पुनर्वास;
- "अक्षम व्यक्तियों के पुनर्वास हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम" (एन. पी. आर. पी. डी.) ; का कार्यान्वयन
- लोगों में जनसंचार माध्यम द्वारा जागरूकता के सृजन हेतु लोगों की अक्षमता के प्रति विचार को बदलने हेतु और जहाँ आवश्यक हो, सुरक्षा उपाय प्रावधान करना ।

3.3.2 सांगठनिक ढ़ाँचा

सरकार के आयुक्त सह सचिव, कल्याण विभाग राज्य कार्यकारिणी समिति जिसमें सरकार के सचिव, स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण विकास, श्रम एवं नियोजन तथा लोक कार्य विभाग जिन्हें विभिन्न स्तरों पर अपने क्षेत्र अधिकारियों से सहायता प्राप्त थी, के माध्यम से अधिनियम एवं कल्याण योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए पूर्णतः उत्तरदायी थे।

3.3.3 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र

निदेशक, समाज कल्याण, कल्याण, शिक्षा, विज्ञान एवं प्राद्योगिकी, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, आवास, भवन निर्माण, कार्मिक, राजस्व, श्रम एवं नियोजन विभाग, 11 जिला कल्याण पदाधिकारी[13] (डी. डब्ल्यू. ओ.), 11 जिला ग्रामीण विकास अभिकरण[14] (डी. आर. डी. ए.), 11 जिला अस्पताल[15] तथा 13 गैर सरकारी संस्थाओं[16] (एन. जी. ओ.) के अभिलेखों की दिसंबर 2002 तथा जून 2003 के बीच नमूना जाँच के द्वारा इनकी सक्षमता एवं प्रभाव का मूल्यांकन करने के उद्देश्य से विकलांगों के कल्याण के लिए वर्ष 1998–2003 के दौरान योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की गई।

3.3.4 पी. डब्ल्यू. डी. अधिनियम 1995 का कार्यान्वयन

अधिनियम के प्रावधान अकार्यान्वित रहे

पी. डब्ल्यू. डी., अधिनियम 1995 में प्रावधानित था कि सरकारी विभागों, सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों के कार्यकलापों के बीच समन्वय स्थापित करने के साथ–साथ सरकार को विकलांगता से संबंधित योजनाओं एवं विधि–निर्माण के लिए राज्य नीति को प्रतिपादन करना था। सरकार को विकलांग व्यक्तियों की समानता एवं पूर्ण सहभागिता के लिए योजनाओं एवं कार्यक्रमों के प्रभाव का मूल्यांकन एवं अभिश्रवण करने के साथ–साथ ऐसे कदम भी उठाने थे जिससे आम जगह, कार्य–स्थल, विद्यालय तथा अन्य संस्थाओं में बाधा रहित वातावरण सुनिश्चित हो। लेकिन अधिनियम लागू होने के आठ वर्षों बाद भी राज्य द्वारा कोई नीति प्रतिपादित नहीं की गई।

सर्वेक्षण, विकलांगता के कारणों का अन्वेषण एवं अनुसंधान, विकलांगता रोकने के उपायों को प्रोत्साहित करने, जागरूकता अभियान, आम शिक्षा, नए सहायक उपकरणों के अनुसंधान एवं

13. *भागलपुर, भोजपुर, दरभंगा, गया, जमुई, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, पटना, सहरसा, वैशाली एवं पश्चिम चम्पारण*
14. *भागलपुर, दरभंगा, गया, मधुबनी, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नालंदा, पटना, समस्तीपुर, वैशाली तथा पश्चिम चम्पारण*
15. *भोजपुर, दरभंगा, गया, जमुई, कटिहार, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया, वैशाली एवं पश्चिम चम्पारण*
16. *भागलपुर : गिरीजा शंकर दृष्टि विहीन बालिका विद्यालय ; गया : नेहरू युवक केन्द्र संगठन ; मुंगेर : बाबा बैद्यनाथ बालिका मूक बधिर विद्यालय ; मुजफ्फरपुर : रेड क्रास सोसायटी ; नालंदा : प्राकृत्रिक आयोग्य आश्रम ; पटना : आशादीप, भारतीय विकलांग संघ, बिहार वाक्–श्रवण अनुसंधान संस्थान केन्द्र ; बिहार पुनर्वास एवं कल्याण संस्थान, जे. एम. वाक् श्रवण संस्थान, प्राकृत्रिक औषधि पुनर्वास संस्थान, त्रिपोलिया सामाजिक सेवा अस्पताल ; सहरसा : कोशी क्षेत्रीय विकलांग, विधवा, वृद्धा कल्याण समिति*

रूपांकन करने, विकलांगों के लिए पदों को चिह्नित करने इत्यादि से संबंधित अधिनियम के प्रावधान क्रियान्वित नहीं हुए। आयुक्त सह सचिव, कल्याण विभाग ने बताया (नवंबर 2003) कि राज्य नीति प्रतिपादित करने के लिए गठित समिति, मंत्रीमंडल उप समिति के अनुमोदनाधीन थी एवं समाहर्त्ताओं को विकलांगता के कारणों को चिह्नित करने के लिए दल गठित करने को कहा गया था।

जहाँ तक ऑटिज्म सेरेब्रल पाल्सी मानसिक मंदता एवं बहुविध विकलांगता अधिनियम, 1999 वाले व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय न्यास से संबंध है, अक्टूबर 2001 में राज्य स्तर समिति तथा मार्च 2003 में 28 (38 में से) जिलों में स्थानीय स्तर की समितियों के गठन को छोड़कर, राज्य में कोई क्रियाकलाप नहीं था।

3.3.5 वित्तीय परिव्यय तथा व्यय

केन्द्र एवं राज्य सरकार ने विकलांग व्यक्तियों के कल्याण के लिए विभिन्न विभागों को निधि प्रदान किया। वर्ष 1998–2003 के दौरान विभागवार निधि का प्रावधान तथा व्यय निम्नवत थे :

राज्य द्वारा प्राप्त भारत सरकार की निधि के 86 प्रतिशत का उपयोग नहीं किया गया तथा बैंकों के चालू खाते में जमा रहा

क्रम सं.	विभाग का नाम	वर्ष	प्राप्त निधि			उपयोग की गई निधि			शेष		
			(करोड़ रुपये में)								
			भारत सरकार	राज्य	योग	भारत सरकार	राज्य	योग	भारत सरकार	राज्य	योग
1	समाज कल्याण	1998-03	6.37	4.56	10.93	0.02	1.75	1.77	6.35	2.81	9.16
2	ग्रामीण विकास	1998-03	123.29	अनु.	123.29	8.15	-	8.15	115.14	-	115.14*
3	शिक्षा	1998-03	0.37	-	0.37	0.22	-	0.22	0.15	-	0.15
4	श्रम एवं नियोजनालय	1998-03	-	0.35	0.35	-	0.27	0.27	-	0.08	0.08
5	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	2001-02	0.42	-	0.42	0.26	-	0.26	0.16	-	0.16
6	स्वास्थ्य	1998-03	15.40	3.85	19.25	11.23	1.72	12.95	4.17	2.13	6.30
7	कल्याण	1998-03	-	0.47	0.47	-	0.47	0.47	-	-	-
		योग	**145.85**	**9.23**	**155.08**	**19.88**	**4.21**	**24.09**	**125.97**	**5.02**	**130.99**

* विकलांगों के कल्याण के लिए योजना के अनुसार जे. जी. एस. वाई., एस. जी. एस. वाई., आई ए. वाई. तथा पी. एम. जी. वाई. के लिए निधि का तीन प्रतिशत

यह देखा जा सकता है कि उपलब्ध निधि के 84 प्रतिशत (131 करोड़ रुपये) का वर्ष 1998–2003 के दौरान उपयोग नहीं किया गया। विभाग ने राशि को बैंक के चालू खाते में जमा रखा जबकि विकलांगों को लाभ पहुँचाने वाली योजनाओं का क्रियान्वयन बाधित रहा। दूसरी तरफ, बैंकों के चालू खाते में रखी गई राशि पर मार्च 2003 तक 74.18 लाख रुपये के ब्याज की हानि हुई।

उपयोगिता प्रमाण–पत्र भारत सरकार को समर्पित नही किया गया

इसके अतिरिक्त, समन्वयकर्त्ता विभाग होने के नाते कल्याण विभाग ने जुलाई 2003 तक न तो कार्यकारी एजेंसियों से निधि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त किया न ही राज्य द्वारा प्राप्त निधि का उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार को समर्पित किया।

आयुक्त सह सचिव, कल्याण विभाग ने बताया (नवंबर 2003) राज्य स्तरीय समन्वय समिति की बैठक में निधि के उपयोग एवं केन्द्र सरकार को उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने संबंधी मामलें को निपटाया जाएगा।

3.3.6 योजनाओं का कार्यान्वयन

केन्द्र प्रायोजित योजनाओं में संयुक्त क्षेत्रीय संसाधन केन्द्र की स्थापना, शैक्षिक कार्यक्रम, पुनर्वास, कुष्ठ एवं अंधापन नियंत्रण, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए निधि तथा विकलांगों के लिए पोलेटेकनिक के सुधार जैसे विविध कार्यकलाप शामिल थे। राज्य योजनागत योजनाओं का ध्यान शिक्षा, स्वास्थ्य, मूक बधिर के लिए कार्यशाला तथा उनकी विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले उपकरणों पर केन्द्रित था। योजनाएँ मुख्यतः राज्य पदाधिकारियों के कियाशीलता की कमी, निधि का कम उपयोग एवं प्रभावी अनुश्रवण के अभाव से प्रभावित हुई।

3.3.7 केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ

केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के क्रियान्व्यन के लिए उपलब्ध अधिकांश निधि का उपयोग नहीं किया गया। कुष्ठ जनित विकलांगता को ठीक करने का कोई उपाय नहीं किया गया। विकलांगता से प्रभावित व्यक्तियों के लिए तकनीकी/व्यवसायिक पाठ्यक्रम का औपचारिक प्रशिक्षण शुरू नहीं किया गया था।

राज्य में वर्ष 1998–2003 के दौरान विकलांग व्यक्तियों के लाभार्थ केन्द्र से सहायताप्राप्त योजनाओं की प्रगति निम्नवत थी :

क्रम सं.	योजना का नाम	वर्ष	भारत सरकार से प्राप्त निधि	राज्य द्वारा कार्यकारी एजेंसियों को विमुक्त की गई निधि	उपयोग की गई निधि	अव्यवहृत शेष (4–6)
			(लाख रुपये में)			
1	2	3	4	5	6	7
1	समग्र क्षेत्रीय संसाधन केन्द्र	1998-03	50.00	5.00	शून्य	50.00
2	विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम	1998-03	549.00	309.70	1.43	547.57
3	जागरूकता अभियान	1998-03	4.50	4.50	0.50	4.00
4	समेकित विकलांग शिक्षा परियोजना	1998-03	19.08	शून्य	4.01	15.07
5	बिहार शिक्षा परियोजना	1998-03	17.76	शून्य	17.76	शून्य
6	कुष्ठ नियंत्रण	1998-03	1438.22	1438.22	1021.81	416.41
7	अंधापन नियंत्रण	1998-03	102.00	102.00	101.66	0.34
8	मूक बधिर के लिए विद्यालय भवन	1998-03	33.40	33.40	शून्य	33.40
9	विकलांग व्यक्तियों के लिए वर्त्तमान पोलेटेकनिक का सुधार	1998-03	42.00	42.00	26.29	15.71
10	ग्रामीण विकास	1998-03	12329.00	12329.00	815.00	11514.00
		योग	**14584.96**	**14263.82**	**1988.46**	**12596.50**

कार्यकारी एजेन्सियों के पास निधि अव्यवहृत पड़ी रही

- भारत सरकार से प्राप्त 145.85 करोड़ रुपये में से राज्य सरकार ने कार्यकारी एजेंसियों को केवल 142.64 करोड. रुपये ही विमुक्त किया। इस प्रकार 125.97 करोड़ रुपये कार्यकारी एजेंसियों के पास अव्यवहृत पड़ा रहा। उपयोग नही की गई राशि को बैंकों के चालू खाते में रखा गया था।

दो योजनाओं पर कोई व्यय नहीं

- दो योजनाओं (विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए संयुक्त क्षेत्रीय संसाधन केन्द्र एवं मूक–बधिर के लिए विद्यालय भवन) पर कोई व्यय नहीं हुआ जबकि इन योजनाओं के लिए 83.40 लाख रुपये की निधि उपलब्ध थी। दो योजनाओं (विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम एवं जागरूकता अभियान) पर किया गया 1.93 लाख रुपये का कुल व्यय, दूसरे कार्यकलापों के लिए निधि को विचलित कर किया गया था। 19.08 लाख रुपये की उपलब्ध राशि में से 4.11 लाख रुपये का किया गया

व्यय भी समेकित विकलांग शिक्षा परियोजना की योजना पर किया गया जो वास्तविक व्यय नहीं था क्योंकि राशि का भुगतान एक एन.जी.ओ. को किया गया जिसके द्वारा परियोजना पर किए गए व्यय का विभाग द्वारा अनुश्रवण नहीं किया गया था।

विकलांगता ठीक करने के लिए कोई उपाय नहीं

- कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम में कुष्ठजनित विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए कल्याणकारी उपाय या अनुरक्षण प्रदान करना परिकल्पित था। यद्यपि कार्यक्रम पर 10.22 करोड़ रुपये खर्च किए गए लेकिन वर्ष 1998–99 तथा वर्ष 2002–03 के बीच प्रतिवेदित किए गए निम्नलिखित मामलों में विकलांगता को ठीक करने का कोई उपाय या अन्य कल्याणकारी उपाय सरकार द्वारा नहीं किया गया :

वर्ष	1998-99	1999-2000	2000-2001	2001-2002	2002-2003
	(संख्या में)				
विकलांगता के मामले	12885	5542	3018	2642	1400

(स्रोत : विभाग द्वारा दी गई जानकारी)

अंधापन नियंत्रण के लिए निधि अव्यवहृत पड़ी रही

- अंधापन नियंत्रण उपाय पर किए गए 1.02 करोड़ रुपये के व्यय में ''जिला अंधापन केन्द्र, पटना'' द्वारा क्षेत्रीय चक्षु संस्थान को समर्थ बनाने हेतु वर्ष 2000–01 के दौरान ''इंदिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना'' (50 लाख रुपये) एवं पटना चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, पटना (5 लाख रुपये) को स्थानांतरित 55.00 लाख रुपये भी शामिल था। इसमें से इंदिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना द्वारा केवल 24.88 लाख रुपये का उपयोग किया गया तथा पटना चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल द्वारा कोई राशि खर्च नहीं की गई। इस प्रकार इन एजेंसियों के पास सितंबर 2003 तक 30.12 लाख रुपये अव्यवहृत पड़े रहे।

अपवर्तक विभ्रम से ग्रसित बहुत कम बच्चों को मुफत चश्मा प्रदान किया गया

- इसके अतिरिक्त अंधापन नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम में 'विद्यालय नेत्र जाँच' की परिकल्पना की गई थी लेकिन सरकार द्वारा बच्चों की जाँच का लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया। वर्ष 1998–2003 के दौरान जाँच किए गए स्कूली बच्चों की संख्या, पहचान किए गए अपवर्त्तक विभ्रम निम्नवत थे :

वर्ष	जाँच किए गए स्कूली बच्चे	अपवर्त्तक विभ्रम किए गए बच्चे	प्रदान किए गए मुफ्त चश्मे
	(संख्या में)		
1998–01	शून्य	शून्य	शून्य
2001–02	99634	3562	985
2002–03	13654	280	23

(स्रोत : विभाग द्वारा दी गई जानकारी)

वर्ष 2001–02 तथा वर्ष 2002–03 के दौरान जिन स्कूली बच्चों में अपवर्त्तक विभ्रम पाया गया उनमें से क्रमशः केवल 28 एवं आठ प्रतिशत को ही मुफ्त चश्मा प्रदान किया गया जबकि अपवर्त्तक विभ्रम पाए गए सभी बच्चों को मुफ्त में चश्मा प्रदान करना था।

तकनीकी/व्यावसायिक शिक्षा का औपचारिक प्रशिक्षण शुरू नहीं किया गया

- विकलांग व्यक्तियों को तकनीकी तथा व्यावसायिक शिक्षा के मुख्य प्रवाह में लाने की योजना के तहत तीन जिलों (गोपालगंज : 5970 ; पटना : 7308 ; सहरसा : 5536) के पोलिटेकनिक के भौगोलिक परिधि में 18814 विकलांग व्यक्तियों को चिह्नित किया गया। तथापि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा समिति की मंजूरी (दिसंबर 2002) के बाद भी किसी भी पोलिटेकनिक में मार्च 2003 तक औपचारिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम

शुरू नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त प्रत्येक पोलिटेकनिक में एक वर्ष के दौरान 100 निवासियों को तीन माह का अनौपचारिक प्रशिक्षण प्रदान करना था। इसके बदले पटना, गोपालगंज एवं सहरसा पोलिटेकनिक में वर्ष 2002–03 के दौरान 300 में से केवल 107 विकलांग व्यक्तियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

3.3.8 राज्य योजनागत योजनाएँ

राज्य योजनागत योजनाएँ भी कम खर्च, विकलांगता की शुरूआती पहचान करने एवं उसे रोकने हेतु नीति के अभाव, विकलांगों के लिए सहायक उपकरणों के अपर्याप्त उत्पादन एवं पुनर्वास के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण के अभाव के कारण प्रभावित हुई।

राज्य योजनाओं की 54 प्रतिशत राशि अव्यवहृत रही

राज्य योजनागत योजनाओं के तहत 1998–2003 के दौरान कल्याण विभाग का कल्याण कार्यकलापों के लिए बजट प्रावधान एवं व्यय निम्नवत था :

क्रम सं.	योजना	वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत (कोष्ठक में प्रतिशत)
			(लाख रुपये में)		
1	अंधापन नियंत्रण	1998-03	73.12	8.36	64.76 (89)
2	नेत्रहीन शिक्षण प्रशिक्षण	1998-03	8.00	1.00	7.00 (87)
3	वृत्तिका एवं छात्रवृत्ति	1998-03	205.52	142.66	62.86 (31)
4	मूक बधिर के लिए कार्यशाला	1998-02	43.00	शून्य	43.00 (100)
5	मूक बधिर के लिए विशेष उपकरण	1998-03	13.00	शून्य	13.00 (100)
6	सर्वेक्षण	1998-03	29.20	22.20	7.00 (24)
7	विकलांगता आयुक्त	1998-02	9.80	1.00	8.80 (90)
8	स्पास्टिक बच्चों के लिए विद्यालय	1998-03	75.00	Nil	75.00 (100)
9	आयुर्वेदिक कुष्ठ निवारण केन्द्र	1998-03	46.74	46.74	-
10	श्रम एवं नियोजनालय	1998-03	34.85	27.34	7.51 (22)
11.	स्वास्थ्य विभाग	1998-03	384.67	171.69	212.98 (55)
		योग	**922.90**	**420.99**	**501.91 (54)**

(स्रोत : विभाग द्वारा दी गई जानकारी)

11 में से तीन योजनाओं पर कोई व्यय नहीं जबकि तीन अन्य योजनाओं पर नगण्य व्यय

- राज्य योजना के तहत शुरू की गई 11 योजनाओं पर उपलब्ध निधि (9.23 करोड़ रुपये) का 54 प्रतिशत (रुपये 5.02 करोड़) खर्च नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त राज्य योजना के तहत तीन योजनाओं (मूक बधिर के लिए कार्यशाला, मूक बधिर के लिए विशेष उपकरण, स्पास्टिक बच्चों के लिए विद्यालय) पर कुछ भी व्यय नहीं हुआ जबकि तीन अन्य योजनाओं (नेत्रहीनों के लिए विद्यालय, नेत्रहीन शिक्षक प्रशिक्षण, आयुक्त विकलांगता) पर नगण्य व्यय हुआ जो उपलब्ध निधि का 10 से 13 प्रतिशत था।

छात्रवृत्ति तथा वृत्तिका की निधि अभ्यर्पित की गई/व्यपगत हो गई या कोषागार में जमा की गई

- राज्य स्तर पर वर्ष 1998–2003 के दौरान विकलांग बच्चों को छात्रवृत्ति एवं वृत्तिका के भुगतान पर नमूना जाँचित 10 जिलों में उपलब्ध निधि (57.00 लाख रुपये) का केवल 66 प्रतिशत (37.81 लाख रुपये) ही खर्च किया गया। उसी अवधि के दौरान 2112 छात्रों को छात्रवृत्ति एवं वृत्तिका भुगतान करने के लक्ष्य के बदले केवल 1400 छात्रों को ही भुगतान किया गया। 19.19 लाख रुपये की अव्यवहृत निधि को या तो अभ्यर्पित किया गया या व्यपगत हो गई या सरकार की प्राप्ति के रूप में कोषागार में जमा की गई या असैनिक जमा में रखा गया।

विकलांगता की शुरूआती पहचान एवं बचाव के लिए कोई राज्य नीति नहीं

- बिहार सरकार ने कृत्रिम अंग केन्द्र, पटना तथा बिहार भौतिक चिकित्सा एवं व्यावसायिक चिकित्सा महाविद्यालय में वर्ष 1998–2003 के दौरान विकलांग व्यक्तियों के स्वास्थ्य देखरेख पर 1.72 करोड़ रुपये खर्च किया लेकिन विकलांगता की शुरूआती पहचान करने तथा उससे बचाव के लिए कोई राज्य नीति नहीं बनाई।

विकलांगों के लिए सहायक उपकरणों का अपर्याप्त निर्माण

- कृत्रिम अंग केन्द्र, पटना को विकलांग व्यक्तियों के लिए सहायक उपकरण तैयार करना था। संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि केन्द्र ने वर्ष 1998–2003 के दौरान 2.32 लाख रुपये मूल्य के सहायक उपकरण तैयार किया जबकि संस्थान का स्थापना व्यय 77.86 लाख रुपये था। केन्द्र के विभागाध्यक्ष ने सहायक उपकरणों के उत्पादन में कमी का कारण सरकार द्वारा कच्चे माल के लिए अपर्याप्त निधि का प्रावधान, कुशल कारीगरों तथा सहायक उपकरणों के निर्माण हेतु आधुनिक उपस्कर का अभाव बताया।

विद्यालयों में विकलांग बच्चों की नगण्य संख्या रहती थी

- बिहार शिक्षा परियोजना के अभिलेख के अनुसार राज्य के 78 प्रखंडों में छः से 14 वर्ष के आयुवर्ग में विकलांग बच्चों की संख्या 55368 थी। हाँलाकि राज्य में नेत्रहीनों तथा मूक बधिरों के लिए आठ आवासीय विद्यालयों की संयुक्त क्षमता 376 निवासियों की थी। इसकी तुलना में राज्य के सभी आवासीय विद्यालयों में एक प्रतिशत (0.64 प्रतिशत) से भी कम विकलांग बच्चे रहते थे। यह भी ज्ञात हुआ कि इन विद्यालयों में 54 शैक्षणिक तथा 49 गैर शैक्षणिक कर्मियों के स्वीकृत पद के बदले क्रमशः 24 तथा 38 कर्मी ही थे।

मध्य नेत्रहीन विद्यालय उन्नत नहीं किया गया

- सरकार ने भागलपुर के नेत्रहीन मध्य विद्यालय को नौ शैक्षणिक तथा दो गैर शैक्षणिक अतिरिक्त कर्मियों के साथ माध्यमिक स्तर तक उन्नत करने का निर्णय लिया (2001)। इसके लिए वर्ष 2001–02 के बजट में प्रावधानित 25 लाख रुपये खर्च नहीं किए गए तथा विद्यालय के उन्नत करने का कार्य नहीं हुआ। आयुक्त सह सचिव, कल्याण विभाग ने बताया कि विद्यालय की स्वीकृति में विलंब के कारण निधि अव्यवहृत रही।

विद्यालय भवन स्थापित नहीं हुआ

आवासीय मूक बधिर विद्यालय, अनीसाबाद एक किराए के मकान में चल रहा था। सरकार ने विद्यालय भवन के निर्माण के लिए वर्ष 1996–97 के बजट में 21.21 लाख रुपये का प्रावधान किया। इसमें से कोई राशि खर्च नहीं की गई एवं विद्यालय भवन मार्च 2003 तक स्थापित नहीं हुआ।

नए पेशें पर कोई व्यय नहीं

- पचास निवासियों की क्षमता वाले "कमला नेहरू समाज सेवा संस्थान" में पाँच पेशें (लौह, काष्ठ, चर्म, सिलाई एवं वेल्डिंग) में विकलांग व्यक्तियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जा रहा था। यह ज्ञात हुआ कि सितंबर 2000 में एक प्रशिक्षक की मृत्यु के बाद चर्म पेशे में कोई प्रशिक्षण नहीं दिया गया। इसके अतिरिक्त संस्थान में दो नए पेशे (विद्युत उपकरण एवं इलेक्ट्रोनिक) शुरू करने के लिए सरकार ने वर्ष 1998–99 के बजट में 1.89 लाख रुपये का प्रावधान किया। तथापि कोई राशि खर्च नहीं की गई एवं मार्च 2003 तक नया पेशा शुरू नहीं किया गया था।
- इसके अतिरिक्त संस्थान के औजार एवं मशीनों के मरम्मत एवं रखरखाव के लिए वर्ष 1998–2002 के दौरान आवंटित 8.11 लाख रुपये की राशि का उपयोग विभाग द्वारा स्वीकृति के अभाव में मार्च 2003 तक नहीं किया गया था। आयुक्त सह सचिव ने बताया कि संस्थान को प्रशिक्षण देने हेतु ठीक किया जा रहा था।

प्रशिक्षुओं को वृत्तिका नहीं बाँटी गई

प्रशिक्षुओं को वृत्तिका बाँटने हेतु व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र, बिहार को विमुक्त (1999–2000) तीन लाख रुपये की राशि भी मार्च 2003 तक निदेशक, समाज कल्याण विभाग के पास अव्यवहृत पड़ी रही।

- पी. डब्ल्यू. डी. नियमावली 1995 की धारा 33 में परिकल्पित था कि सरकारी नौकरियों में रोजगार का तीन प्रतिशत विकलांग व्यक्तियों के लिए सुरक्षित रहना

चाहिए। राज्य सरकार ने विकलांग व्यक्तियों के लिए पद सुरक्षित करने का प्रस्ताव छः वर्ष व्यतीत होने के बाद अक्टूबर 2001 में पारित किया लेकिन इसकी विज्ञप्ति नवंबर 2002 में निर्गत किया।

लक्षित लाभ के वितरण को सुनिश्चित करने के लिए विशेष कोषांग का सृजन नहीं हुआ

सरकार ने विकलांग व्यक्तियों को अभीष्ट लाभ की प्राप्ति को सुनिश्चित करने एवं निगरानी के लिए किसी विशेष कोषांग का गठन नहीं किया। पटना में पहले से ही अस्तित्वमान विशेष नियोजनालय ने नौकरी के लिए विकलांग व्यक्तियों का नाम प्रवर्तित किया। वर्ष 1998–2003 (दिसंबर 2002 तक) के दौरान विकलांग व्यक्तियों के निबंधन एवं नियोजन का विवरण निम्नवत था :

नियोजनालय द्वारा केवल 16 प्रतिशत निबंधित विकलांगों को प्रवर्तित किया गया तथा केवल दो प्रतिशत निबंधित विकलांगों को नौकरी मिली

वर्ष	विभाग द्वारा सूचित रिक्तियाँ	निबंधित व्यक्ति	नियोजनालय द्वारा प्रायोजित व्यक्ति	व्यक्ति जिन्हें नौकरी मिली	दो से अधिक वर्षों से निबंधित व्यक्ति	व्यक्ति जिन्हें बेरोजगारी भत्ता दिया गया
	(संख्या में)					
1998	5	866[5]	86	11	अनुपलब्ध	शून्य
1999	1	1178[6]	31	1	अनुपलब्ध	शून्य
2000	5	2527[7]	177	शून्य	अनुपलब्ध	शून्य
2001	12	1044[8]	483	5	अनुपलब्ध	शून्य
2002	2	1122[9]	281	9	4571	शून्य
योग	**25**	**6737[10]**	**1058**	**26**	**4571**	

(स्रोत : विभाग द्वारा दी गई जानकारी)

अतः प्रवर्तित व्यक्तियों (1058) के केवल दो प्रतिशत (26) को ही नौकरी मिली। यह भी ज्ञात हुआ कि 68 प्रतिशत (4571)विकलांग व्यक्ति दो वर्षों से भी अधिक से निबंधित थे।

- भारत सरकार ने स्व–रोजगार स्थापित करने हेतु 50,000 रुपये तक 100 प्रतिशत ऋण एवं 50,000 रुपये से अधिक (5 लाख रुपये तक) के लिए 85 से 95 प्रतिशत ऋण उपलब्ध कराने हेतु वर्ष 1997 के दौरान ''राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम'' (एन. एच. एफ. डी. सी.) की स्थापना की।

राज्य द्वारा प्रखंड सरकार गारंटी के अभाव में विकलांगों को ऋण का भुगतान नहीं

बिहार सरकार ने ''बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग विकास निगम'' को माध्यस्थ एजेंसी के रूप में मनोनित किया (फरवरी 1997) जिसने विकलांग व्यक्तियों से 1405 ऋण आवेदन प्राप्त किया लेकिन निगम ने किसी भी विकलांग व्यक्ति को ऋण उपलब्ध नहीं कराया क्योंकि राज्य सरकार द्वारा मार्च 2003 तक 'प्रखंड सरकार गारंटी' नहीं दी गई थी जो एन. एच. एफ. डी. सी. से ऋण की विमुक्ति हेतु पूर्व शर्त्त थी।

3.3.9 अनुसंधान तथा मानव क्षमता विकास

अनुसंधान एवं मानव क्षमता विकास हेतु कोई संस्थान नहीं

राज्य में मार्च 2003 तक अनुसंधान एवं मानव क्षमता विकास के लिए न तो कोई संस्थान था न ही इस क्षेत्र में अनुसंधान को प्रोत्साहित एवं प्रायोजित करने हेतु किसी विश्वविद्यालय या संस्थान को कोई वित्तीय प्रोत्साहन ही दिया गया।

5 *नेत्रहीन : 58 ; बधिर : 52 ; शारीरिक रूप से विकलांग (शा. वि.) : 756*

6 *नेत्रहीन : 76 ; बधिर : 69 ; शारीरिक रूप से विकलांग (शा. वि.) : 1033*

7 *नेत्रहीन : 90 ; बधिर : 116 ; शारीरिक रूप से विकलांग (शा. वि.) : 2321*

8 *नेत्रहीन : 77 ; बधिर : 72 ; शारीरिक रूप से विकलांग (शा. वि.) : 895*

9 *नेत्रहीन : 76 ; बधिर : 63 ; शारीरिक रूप से विकलांग (शा. वि.) : 983*

10 *नेत्रहीन : 377 ; बधिर : 372 ; शारीरिक रूप से विकलांग (शा. वि.) : 5988*

3.3.10 एन. जी. ओ. को सहायतानुदान

राज्य में राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित तथा भारत सरकार द्वारा स्वीकृत एवं विमुक्त तथा एन. जी. ओ. द्वारा उपयोग किया गया संपूर्ण सहायतानुदान उपलब्ध नहीं था।

एन.जी.ओ. को सहायतानुदान से 4263 विकलांग व्यक्तियों के बदले केवल 3224 को ही लाभ पहुँचा

तथापि नमूना जाँच में यह ज्ञात हुआ कि भारत सरकार द्वारा 1998–2003 के दौरान 13 गैर सरकारी संस्थाओं (एन.जी.ओ.) को 5.96 करोड़ रुपये का सहायतानुदान स्वीकृत किया गया। इसमें एन. जी. ओ. को केवल 5.20 करोड़ रुपये विमुक्त किया गया तथा उन्होंने मार्च 2003 तक 4.23 करोड़ रुपये का ही उपयोग किया। शेष 0.97 करोड़ रुपये एन. जी. ओ. के पास अव्यवहृत पड़े रहे। दूसरी तरफ 4263 विकलांग व्यक्तियों के लक्ष्य के बदले केवल 3224 को ही लाभ पहुँचा। **(परिशिष्ट–XXX)**

एन.जी.ओ को दिए गए अनुदान में दुर्विनियोजन की संभावना

- भारत सरकार द्वारा दी गई 39.90 लाख रुपये की स्वीकृति के बदले "प्राकृतिक आरोग्य आश्रम", राजगीर नालंदा को 27.20 लाख रुपये विमुक्त किया गया लेकिन एन. जी. ओ. ने कहा (मई 2003) कि विमुक्त की गई राशि प्राप्त नहीं हुई थी। 27.20 लाख रुपये के संभावित दुर्विनियोजन से इंकार नहीं किया जा सकता। आयुक्त सह सचिव, कल्याण विभाग ने बताया (नवंबर 2003) कि जिलाधिकारी के सामने जाँच के लिए मामला उठाया जाएगा।

एन.जी.ओ को अनुदान विमुक्ति मे देर

- भारत सरकार से जिस वर्ष में सहायतानुदान की स्वीकृति हुई उसमें पाँच एन.जी.ओ. को सहायतानुदान विमुक्त नहीं किया गया जैसा कि नीचे की सारणी में वर्णित है। सहायतानुदान को अनुवर्त्ती वर्षों में 6 से 36 माह के विलंब से विमुक्त किया गया।

क्रम सं.	एन. जी. ओ.	वर्ष	स्वीकृत राशि	वर्ष में विमुक्त
			(लाख रुपये में)	
1	गिरीजा शंकर दृष्टि विहीन बालिका विद्यालय, भागलपुर	1998-99	1.84	1999-2000
2	बाबा बैद्यनाथ बालिका मूक बधिर विद्यालय, मुंगेर	1998-99	2.12	1999-2000
3	भौतिक चिकित्सा पुनर्वास संस्थान, पटना	1998-99	3.44	1999-2000
		1999-2000	8.99	2000-01
4	जे. एम. वाक् श्रवण संस्थान, पटना	1998-99	2.40	2001-02
		1999-2000	14.12	2001-02
		2000-01	14.22	2001-02
5	बिहार वाक्–श्रवण संस्थान, पटना	1998-99	3.52	1999-2000
		1999-2000	1.86	2000-01
	योग		**52.51**	

वृत्तिका एवं आहार शुल्क का अमान्य भुगतान

- भारत सरकार ने बिहार पुनर्वास तथा कल्याण संस्थान, पटना के आवासी एवं दिवसीय छात्रों के आहार शुल्क (25.20 लाख रुपये) तथा वृत्तिका (22.38 लाख रुपये) के भुगतान के लिए वर्ष 1998–2002 के दौरान 47.58 लाख रुपये की स्वीकृति/भुगतान किया। यह ज्ञात हुआ कि एक वर्ष में 12 महीने के वृत्तिका एवं आहार शुल्क का भुगतान किया गया जबकि योजना में इनके लिए एक वर्ष में 10 महीने के भुगतान का ही प्रावधान था। अतः 39.65 लाख रुपये (वृत्तिका : 18.65 लाख रुपये तथा आहार शुल्क : 21.00 लाख रुपये) की अनुमान्य राशि के बदले 47.58 लाख रुपये का भुगतान किया गया परिणामस्वरूप 7.93 लाख रुपये का अमान्य भुगतान हुआ।

3.3.11 अनुश्रवण एवं मूल्यांकन

सात वर्षों में राज्य स्तर समन्वय समिति की एक बार एवं राज्य कार्यकारिणी समिति की तीन बार बैठक हुई

बिहार में कल्याण मंत्री की अध्यक्षता में अगस्त 1996 में गठित राज्य स्तर समन्वय समिति (एस. सी. सी.) की मई 1998 में एक बार बैठक हुई जबकि इसे छमाही बैठक करना अपेक्षित था। सरकार के सचिव, कल्याण विभाग द्वारा शीर्षित अगस्त 1996 में गठित राज्य कार्यकारिणी समिति की अक्टूबर 1998 तथा जून 2002 के बीच में केवल तीन बैठकें हुई जबकि मार्च 2003 तक सात वर्षों की अवधि में 28 बैठकें आयोजित करना अपेक्षित था। यद्यपि विकलांग व्यक्तियों को सहायता प्रदान करने हेतु सरकार द्वारा अगस्त 1997 में "विकलांग व्यक्तियों के लिए राज्य आयुक्त" के कार्यालय की अधिसूचना जारी की गई थी, किसी अधिकारी को पदास्थापित नहीं किया गया। उसी समय से निदेशक, समाज कल्याण को इस पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था। आयुक्त सह सचिव, कल्याण विभाग ने बताया (नवंबर 2003) कि एस. सी. सी. की नियमित बैठक अब हो रही थी तथा वित्तीय बाध्यता के कारण विकलांग व्यक्तियों के लिए आयुक्त की नियुक्ति करना संभव नहीं हो सकेगा।

विकलांगता अधिनियम और उसके अधीन योजनाओं के प्रभाव का मूल्यांकन राज्य सरकार अथवा अन्य दूसरे स्वतंत्र एजेन्सी द्वारा जून 2003 तक नहीं किया गया था।

3.3.12 निष्कर्ष

विकलांगता अधिनियम, 1995 के सर्वेक्षण, अन्वेषण, विकलांगता के कारणों पर अनुसंधान, विकलांगता से बचाव के उपायों के प्रोत्साहन, जागरूकता अभियान, आम विचार, नए सहायक उपकरणों का अनुसंधान एवं रूपांकन इत्यादि से संबंधित मुख्य प्रावधानों का क्रियान्वयन नहीं किया गया था। भारत सरकार की 86 प्रतिशत निधि तथा राज्य सरकार की 54 प्रतिशत निधि का उपयोग नहीं किया गया। राशि या तो बैंकों में या कार्यकारी एजेंसियों के पास पड़ी रही। राज्य योजना के तहत शुरू की गई 11 योजनाओं में से छः पर बहुत कम व्यय हुआ। युवा विकलांगों के लिए शैक्षणिक एवं व्यावसायिक शिक्षा योजना कोई प्रभाव डालने में विफल रही। विकलांगों के हित की निगरानी हेतु विशेष कोषांग का गठन नहीं किया गया था। कतिपय विकलांग व्यक्ति ही नौकरी पा सके। पुराने विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए कोई प्रभावी नीति नहीं बनाई गई।

3.3.13 अनुशंसा

- पी. डब्ल्यू. डी. अधिनियम, 1995 के तहत अपेक्षित विकलांगों के लिए राज्य नीति बनाई जानी चाहिए एवं विकलांगों से संबंधित समुचित कानून भी बनाया जाना चाहिए।
- विकलांगों के लिए आयुक्त की नियुक्ति बिना आगे किसी देरी के होनी चाहिए।
- कार्यकारी विभागों एवं गैर सरकारी संस्थाओं के बीच समन्वय हेतु सांस्थानिक रचनातंत्र की स्थापना अत्यावश्यक है।
- पी. डब्ल्यू. डी. अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए गठित राज्य स्तर समन्वय समिति तथा राज्य कार्यकारिणी समिति को तैयार करना एवं प्रभावी बनाना चाहिए।

सरकार को मामले संदर्भित किए गए (अगस्त 2003) ; उनके उत्तर अप्राप्त थे (मार्च 2004)। तथापि इस समीक्षा में उठाए गए मामले पर विमर्श (नवंबर 2003) के दौरान आयुक्त सह सचिव, कल्याण विभाग द्वारा दिए गए उण्त्तर को, जहाँ आवश्यक समझा गया उस उप कंडिका में शामिल कर लिया गया है।

जल संसाधन विभाग

3.4 त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम

मुख्याकर्षण

चल रही सिंचाई/बहुउद्देशीय परियोजनाओं को पूरा करने में तेजी लाने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ए आई बी पी) परिचालित किया गया (1996–97) जो राज्य के वित्तीय कमी के कारण शिथिल पड़ गया। कार्यक्रम की प्रभावकारिता के आकलन करने के उद्देश्य से वर्ष 1996–2003 के दौरान इसके कार्यान्वयन की समीक्षा की गई।

राज्य में योजना का कार्यान्वयन, अनुपयुक्त एवं मृतप्राय परियोजनाओं के चयन, राज्य के अंश की कम विमुक्ति, केन्द्रीय ऋण सहायता का आंशिक उपयोग, निधि के दुरूपयोग, स्थापना पर अत्यधिक व्यय और विभिन्न अवधि में परियोजना के अयोजनाबद्ध कार्यान्वयन के कारण बाधित रहा। ए. आई. बी. पी. के अधीन परियोजनाओं की लागत में कई गुना वृद्धि हुई यद्यपि सृजित क्षमता का उपयोग नगण्य रहा।

तीन परियोजनाओं के संबंध में राज्यांश की विमुक्ति में 10.96 करोड़ रुपये की कमी हुई, जबकि पाँच अन्य परियोजनाओं में राज्यांश की विमुक्ति मानक से 61.07 करोड़ रुपये अधिक हुई। 29.88 करोड़ रुपये का दुरूपयोग अन्य कार्यालय व्यय पर हुआ।

कार्यपालक अभियन्ता, पश्चिमी कोशी नहर प्रमंडल, खजौली ने विभिन्न प्रमंडलों को 65.55 लाख रुपये मूल्य का सीमेंट बेचा और विक्रय प्राप्ति को मधुबनी कोषागार में सरकार की प्राप्ति के रूप में जमा किया, यद्यपि सीमेंट का क्रय ए. आई. बी. पी. निधि से किया गया था।

(कंडिका 3.4.4)

आठ में से सभी सात परियोजनाओं पर अत्यधिक स्थापना व्यय था जो कि परियोजनाओं के कार्य व्यय के 45 तथा 238 प्रतिशत के बीच था।

(कंडिका 3.4.5)

यद्यपि सिर्फ एक लम्बी अवधि तक क्षीयमान एवं पूर्णता के स्तर तक पहुँची हुई "उच्च लागत परियोजनाओं" का ए. आई. बी. पी. के अधीन चयन करना था। सरकार ने नई परियोजनाएँ जैसे दुर्गावती जलाशय परियोजना और अन्य अनुपयुक्त परियोजनाओं जैसे सोन नहर आधुनिकीकरण योजना और बटाने जलाशय योजना का चयन योजना के अधीन किया।

(कंडिका 3.4.6)

ए. आई. बी. पी. में, सभी सात परियोजनाएँ चार फसल मौसम में पूर्ण की जानी थीं। इसके विरूद्ध छः परियोजनाएँ छः से 14 फसल मौसम के बीतने के बाद भी पूरी नहीं हो सकी थीं।

(कंडिका 3.4.7)

मार्च 2003 तक सात परियोजनाओं द्वारा संयुक्त सिंचाई क्षमता (आई. पी.) का सिर्फ 62 प्रतिशत (7.45 लाख हेक्टेयर) सृजित हुआ था, जबकि ए. आई. बी. पी. के अधीन सृजित सिंचाई क्षमता का सिर्फ 28 प्रतिशत उपयोग किया गया था।

(कंडिका 3.4.8)

प्रक्षेपित प्रति हेक्टेयर लागत की तुलना में सिंचाई क्षमता के सृजन की लागत परियोजनाओं के पुनरीक्षित अनुमानित लागत से बहुत बढ़ गई थी। दुर्गावती जलाशय परियोजना पर 221.62 करोड़ रुपये के व्यय के बावजूद किसी सिंचाई क्षमता का मार्च 2003 तक सृजन नहीं हुआ था।

(कंडिका 3.4.9)

दो पश्चिमी कोसी नहर प्रमंडलों ने यांत्रिकी प्रमंडल, दरभंगा को अक्टूबर 2000 से मार्च 2001 के बीच नहर संरचना के विभिन्न बिन्दुओं के लिए नहर फाटक के निर्माण और उसे लगाने हेतु 75.75 लाख रुपये का भुगतान किया। तथापि, किसी फाटक का निर्माण नहीं हुआ था और राशि बिना किसी लिखित कारण के अनुपयुक्त पड़ी रही।

(कंडिका 3.4.10)

वर्ष 1997–2003 के दौरान तीन विशेष भूमि अर्जन पदाधिकारियों को दो परियोजनाओं के लिए बिना भूमि अर्जन की प्रक्रिया पूर्ण किये 30.86 करोड़ रुपये का अनियमित भुगतान किया गया था। जिसमें से मात्र 5.88 करोड़ रुपये किसानों को दिया गया था और 24.98 करोड़ रुपये बैंक के चालू खातें या असैनिक जमा में रखे रहे, यद्यपि केन्द्रीय ऋण सहायता के अधीन प्राप्त राशि पर 11.5 से 13 प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज लागू था।

(कंडिका 3.4.14)

परियोजना के कार्यान्वयन के अनुश्रवण प्रक्रिया में भारत सरकार के निर्धारित वांछित दिशानिर्देशों के अनुसार कमी थी।

(कंडिका 3.4.17)

3.4.1 प्रस्तावना

चालू परियोजनाओं को चार कार्यशील मौसम में (अर्थात दो वर्ष की अवधि में) पूरा करने में तेजी लाने के लिए त्वरित सिंचाई लाभ योजना (ए. आई. बी. पी.) के तहत अक्टूबर 1996 से भारत सरकार, जल संसाधन मंत्रालय द्वारा राज्य सरकार को केन्द्रीय ऋण सहायता (सी.एल.ए.) मुहैया कराया गया था। प्रारंभ में, बहुदेशीय परियोजनाएँ, 1000 करोड़ से अधिक लागत वाली वृहत एवं मध्यम परियोजनाएँ जो कि लगभग पूर्ण होने वाली थीं, को सम्मिलित किया गया था। कुल प्राक्कलित राशि का विचार नहीं करते हुए मार्च 1997 से 500 करोड़ रुपये लागत की परियोजनाओं को अथवा स्वीकृत परियोजनाएँ जो लगभग पूर्ण होने वाली थीं और जिन्हें अगले चार कृषि मौसम (अर्थात दो वर्ष की अवधि में) में पूर्ण किया जाना था को भी शामिल किया गया था।

सी. एल. ए. को ऋण के रूप में समानुपातिक आधार पर दिया जाना था और इसे त्रैमासिक अवधि में मुक्त किया जाना था। मार्च 1997 (सी. एल. ए.) दो बराबर किस्तों में मुक्त किया जाना था और द्वितीय किस्त केवल राज्य सरकार द्वारा प्रथम किस्त के विरूद्ध समानुपातिक अंशदान दिए जाने के बाद विमुक्त किया जाना था। मार्च 1999 से, निधि 2 : 1 (केन्द्र : राज्य)

के अनुपात में मुहैया कराया जाना था। आठ परियोजनाएँ[1] (एक अंतर्राज्यीय परियोजना सहित) जो कि राज्य में योजना के अधीन लिया गया था, चार फसल मौसम (अर्थात दो वर्ष में) में पूरा किया जाना था।

3.4.2 सांगठनिक ढ़ाँचा

आयुक्त–सह–सचिव, जल संसाधन विभाग राज्य में योजना के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी हैं। उन्हें सचिवालय स्तर पर दो अभियन्ता प्रमुखों तथा एक मुख्य अभियन्ता, मंडल स्तर पर पाँच मुख्य अभियन्ताओं, अंचल स्तर पर 16 अधीक्षण अभियन्ताओं और क्षेत्र में प्रमण्डल स्तर पर 67 कार्यपालक अभियन्ताओं की सहायता प्राप्त है।

3.4.3 लेखापरीक्षा विस्तार

कार्यक्रम के प्रभावकारिता के मूल्यांकन तथा लक्ष्य की उपलब्धि के प्राप्ति के दृष्टिकोण से वर्ष 1996–2003 के दौरान योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा दिसम्बर 2002 और मई 2003 के बीच योजना के अधीन सभी आठ परियोजनाओं (कुल व्यय 891.57 करोड़ रुपये) में से तीन वृहद सिंचाई परियोजनाओं[2] जिसमें कुल व्यय का 25 प्रतिशत (218.35 करोड़ रुपये) शामिल था, के नौ प्रमण्डलों[3] (44 में से) के अभिलेखों की नमूना जाँच से की गई।

3.4.4 वित्तीय प्रबन्धन

योजना के वित्तीय प्रबंधन से पता चला कि कुछ परियोजनाओं के लिए राज्यांश की विमुक्ति अधिक हुई थी, जबकि अन्य मामलों में निधि की कम विमुक्ति हुई थी। सी. एल. ए. का उपयोग नहीं किया जाना, निधि का विचलन, स्थापना प्रभारों का अदेय भुगतान और अत्यधिक स्थापना व्यय भी पाया गया।

वर्ष 1996–2003 के बीच सी. एल. ए. और राज्यांश की विमुक्ति तथा व्यय, जैसा कि जल संसाधन विभाग द्वारा उपलब्ध कराया गया, निम्नवत थे :

(रुपये करोड़ में)

परियोजना का नाम	अवधि	केन्द्र से प्राप्त सी. एल. ए.	वांछित राज्यांश	विमुक्त राज्यांश	कुल उपलब्ध निधि (3+5)	कुल उपयोग की गई सी. एल. ए.		कुल व्यय
						राज्य का अंश	केन्द्र का अंश	
पश्चिमी कोशी नहर परियोजना	1996-03	114.21	69.43	61.99	176.20	61.99	114.21	176.20
दुर्गावती जलाशय परियोजना	1996-03	45.63	23.89	27.04	72.67	27.04	44.49	71.53

1. *पश्चिमी कोशी नहर, दुर्गावती जलाशय, ऊपरी किऊल जलाशय, बिलासी जलाशय, ओरहनी जलाशय, सोन नहर आधुनिकीकरण, बटाने जलाशय ओर बाणसागर जलाशय (अन्तर्राज्यीय)*
2. *पश्चिमी कोशी नहर परियोजना, दुर्गावती जलाशय परियोजना और सोन नहर आधुनिकीकरण योजना*
3. *दुर्गावती बांध प्रमण्डल सं.–II ; दुर्गावती दक्षिणी नहर प्रमण्डल, चेनारी ; सिंचाई प्रमण्डल, दाऊदनगर; बांध प्रमण्डल, इन्द्रपुरी ; पश्चिमी कोशी नहर प्रमण्डल, बेनीपट्टी ; पश्चिमी कोशी नहर प्रमण्डल न. 1, जयनगर ; पश्चिमी कोशी नहर प्रमण्डल, झंझारपुर ; पश्चिमी कोशी नहर प्रमण्डल, दरभंगा, पश्चिमी कोशी नहर प्रमण्डल न. 1, सकरी*

(रुपये करोड़ में)

परियोजना का नाम	अवधि	केन्द्र से प्राप्त के. ऋ. स.	वांछित राज्यांश	विमुक्त राज्यांश	कुल उपलब्ध निधि (3+5)	कुल उपयोग की गई के. ऋ. स.		कुल व्यय (राज्य + केन्द्र का अंश)
						राज्य का अंश	केन्द्र का अंश	
सोन नहर आधुनिकीकरण	1998-03	73.66	40.33	82.69	156.35	82.69	76.58	159.27
ऊपरी किऊल जलाशय	1996-03	19.09	13.35	11.15	30.24	11.15	18.70	29.85
ओरहनी जलाशय	1997-03	11.40	9.47	10.20	21.60	10.20	11.21	21.41
बिलासी जलाशय	1997-01	3.39	2.91	3.36	6.75	3.36	3.22	6.58
बटाने जलाशय	2000-03	3.34	1.67	0.35	3.69	0.35	0.70	1.05
बाण सागर जलाशय (अन्तर्राज्य)	1997-03	83.50	43.50	57.88	141.38	57.88	83.50	141.38
योग		**354.22**	**204.55**	**254.66**	**608.88**	**254.66**	**352.61**	**607.27**

जाँच में निम्नवत पाया गया :

राज्यांश की कम विमुक्ति

- तीन परियोजनाओं के लिए (पश्चिमी कोशी नहर, ऊपरी किऊल जलाशय, बटाने जलाशय) राज्यांश की विमुक्ति 10.96 करोड़ रुपये से कम थी जबकि पाँच अन्य परियोजनाओं के लिए राज्यांश की विमुक्ति मानक से 61.07 करोड़ रुपये अधिक थी। सरकार ने बताया (दिसम्बर 2003) कि बटाने जलाशय परियोजना के अधीन अधिकांश निधि, बिहार और झारखण्ड के बीच अन्तर्राज्यीय मुद्दों के समाधान नहीं होने के कारण अनुपयुक्त पड़ा रहा।

देय राशि से अधिक भुगतान

- बाण सागर जलाशय परियोजना तीन राज्यों की सम्मिलित अंतर्राज्यीय परियोजना है यथा बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। परियोजना का कार्यान्वयन मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किया जा रहा है। वर्ष 1997–2003 के दौरान देय 127 करोड़ रुपये की राशि के विरूद्ध परियोजना पर 141.38 करोड़ रुपये का व्यय मध्य प्रदेश सरकार को भुगतान दर्शाता है।

सी. एल. ए. नहीं विमुक्त किया गया

- परियोजना के कार्यान्वयन के लिए सी. एल. ए. के दो किस्तों की विमुक्ति के मानदण्ड के विरूद्ध पिछले वर्षों में विमुक्त सी. एल. ए. के राज्य सरकार द्वारा उपयोग नहीं किए जाने के कारण विभिन्न वर्षों में कोई भी सी. एल. ए. को किस्त विमुक्त नहीं की गई थी, जो नीचे का तालिका में दिखाया गया है।

क्रम सं.	परियोजना	वर्ष जिसमें किस्त की विमुक्ति नहीं हुई
1	पश्चिमी कोशी नहर	1997–98, 2001 और 2002–03
2	दुर्गावती जलाशय	1997–98 और 2001–02
3	ऊपरी किऊल जलाशय	1997–98 और 2001–02
4	ओरहनी जलाशय	1999–2000
5	सोन नहर आधुनिकीकरण	1999–2000, 2001–02 और 2002–03
6	बटाने जलाशय	2001–02 और 2002–03
7	बाणसागर (अन्तर्राज्यीय)	2000–01, 2001–02 और 2002–03

निधि का दुरूपयोग

पाँच परियोजनाओं के 23 प्रमण्डलों ने 29.88 करोड़ रुपये फोटो कॉपियर, वायरलेस सेट और वाहन की खरीद, भवनों और कॉलोनी सड़क के मरम्मत एवं रख–रखाव, टेलीफोन विपत्रों एवं विद्युत प्रभारों के भुगतान और गृहरक्षकों और कोर्ट केसों पर भुगतान में दुरूपयोग किया गया जो निम्नांकित है :

(रुपये लाख में)

परियोजना	फोटो कॉपियर	टेली फोन	वायरलेस सेट	कॉलोनी सड़क एवं भवन मरम्मत एवं रख रखाव	बिजली बिल	वाहन	गृहरक्षकों को भुगतान	धन मुकदमें और कोर्ट फीस पर भुगतान	कुल
पश्चिमी कोशी नहर	3.30	0.24	-	7.92	-	-	12.40	60.48	84.34
दुर्गावती	0.95	0.11	0.20	81.75	9.90	-	3.81	-	96.72
सोन आधुनिकी–करण	1.15	0.17	-	7.92	2720.46	13.84	-	-	2743.54
ऊपरी किऊल जलाशय	0.90	0.11	5.53	13.32	1.07	-	-	-	20.93
ओरहनी जलाशय	3.62	-	-	35.00	2.56	-	-	1.57	42.75
कुल	**9.92**	**0.63**	**5.73**	**145.91**	**2733.99**	**13.84**	**16.21**	**62.05**	**2988.28**

स्थापना प्रभारों का अदेय भुगतान

31 जनवरी 2002 तक छः परियोजनाओं (पश्चिमी कोशी नहर : 6.56 करोड़ रुपये ; दुर्गावती जलाशय : 0.20 करोड़ रुपये ; सोन आधुनिकीकरण : 1.34 करोड़ रुपये ; ऊपरी किऊल जलाशय : 1.47 करोड़ ; ओरहनी जलाशय : 2.56 करोड़ रुपये ; बिभासी जलाशय : 0.21 करोड़ रुपये) द्वारा स्थापना व्यय के मद पर 12.34 करोड़ रुपये का अदेय भुगतान हुआ।

भंडार को बेचकर राशि को राज्य प्राप्तियों में जमा करना

कार्यपालक अभियन्ता, पश्चिमी कोशी नहर प्रमण्डल, खजौली ने कमला साइफन, पश्चिमी कोशी मूख्य नहर के आर. डी. 139.10 के निर्माण के लिए वर्ष 1997–98 से वर्ष 2002–03 के बीच ए. आई. बी. पी. निधि से 6 एजेन्सियों[4] से 7.75 करोड़ रुपये मूल्य का सीमेंट खरीदा। यह पाया गया कि कार्यपालक अभियन्ता ने 65.55 लाख रुपये का सीमेंट विभिन्न प्रमण्डलों को नकद बेचा और राशि को मधुबनी कोषागार में राज्य की प्राप्तियाँ के रूप में जमा किया। इस प्रकार ए. आई. बी. पी. निधि का दुरूपयोग राज्य के प्राप्तियों को बढ़ाने के लिए किया गया।

बिहार सरकार द्वारा यथानिर्देशित (10 मार्च 2003), कार्यपालक अभियन्ता, पश्चिमी कोशी नहर प्रमण्डल, दरभंगा ने ए. आई. बी. पी. के क्षेत्र के बाहर, ए. आई. बी. पी. निधि से 6 लाख रुपये के तीन बैंक ड्राफ्टों की व्यवस्था दिल्ली विकास प्राधिकरण (आवास विभाग) को तीन फ्लैटों की खरीद के लिए निबंधन शुल्क के भुगतान के लिए किया। तदोपरान्त, बैंक ड्राफ्ट पाने के बाद उसने उन्हें निरस्त किया और राशि को दरभंगा कोषागार में राज्य सरकार के प्राप्तियों के रूप में जमा किया गया (31 मार्च 2003)।

4 *ग्रासिम सीमेंट लि., रायपुर ; रेमण्ड सीमेंट लि., बिलासपुर ; कल्याणपुर सीमेंट लि., बिरला सीमेंट कॉरपोरेशन लि., निर्माण सीमेंट लि., प्रिज्म सीमेंट लि., सतना*

3.4.5 कार्य एवं स्थापना पर व्यय

परियोजना प्रतिवेदन के अनुसार स्थापना पर व्यय कार्य व्यय के 10 से 12 प्रतिशत तक सीमित होना चाहिए। इसके विरूद्ध सात परियोजनाओं में स्थापना व्यय कार्य व्यय के 45 और 238 प्रतिशत के बीच स्थित थी, जो निम्न है :

क्रम सं.	अवधि	परियोजना	व्यय		
			कार्य	स्थापना	कुल
			(लाख रुपये में)		
1.	1996-2003	पश्चिमी कोशी नहर	176.21	113.13 (64)	289.34
2	1996-2003	दुर्गावती जलाशय	71.53	53.51 (75)	125.04
3	1998-2003	सोन नहर आधुनिकीकरण	159.27	73.72 (46)	232.99
4	1996-2003	ऊपरी किऊल जलाशय	29.85	33.70 (113)	63.55
5	1997-2003	ओरहनी जलाशय	21.41	9.62 (45)	31.03
6	1997-2001	बिलासी जलाशय	6.58	7.56 (115)	14.14
7	2000-03	बटाने जलाशय	1.05	2.50 (238)	3.55
	योग		**465.89**	**293.74**	**759.63**

(कोष्ठक में दिये अंक प्रतिशत को सूचित करते हैं)

द्रष्टव्य : बाणसागर बांध परियोजना के अधीन स्थापना व्यय नहीं था।

इस प्रकार परियोजनाओं पर स्थापना व्यय अत्यधिक था। सरकार ने बताया (दिसम्बर 2003) कि परियोजनाओं के अधिकांश कर्मचारी स्थायी थे जिसके कारण स्थापना पर अत्यधिक व्यय था।

3.4.6 परियोजनाओं का चुनाव

ए.आई.बी.पी द्वारा ज्यादा क्षेत्रों में अतिरिक्त सिचाई पर जोर

बिहार के पुनर्गठन (नवम्बर 2000) से पहले राज्य में 49 अपूर्ण वृहत एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाएँ थीं। इनमें से 15 वृहत एवं मध्यम परियोजनाएँ ए. आई. बी. पी. के अधीन चुनी गई थी (1996–2001)। पुनर्गठन के बाद आठ परियोजनाएँ बिहार में बची रहीं। इसमें से, एक परियोजना (बाणसागर बांध परियोजना) एक अन्तर्राज्यीय परियोजना है। शेष सात परियोजनाओं को वर्ष 1999–2002 के दौरान पूर्ण करने के लिए लिया गया (2004–06 तक बढ़ाया गया)। इन ए. आई. बी. पी. परियोजनाओं द्वारा 585.05 हजार हेक्टेयर भूमि के अतिरिक्त सिंचाई निम्न तालिका में यथानिर्दिष्ट सुनिश्चित करना था ; जो निम्नवत दिखाया गया है ।

परियोजना	परियोजना के प्रारम्भ की तिथि/ए. आई. बी. पी. के अधीन लेने की तिथि	अनुमानित लागत		ए. आई. बी. पी. में सम्मिलित करने से पूर्व व्यय	ए. आई. बी. पी. के अधीन सम्मिलित कार्य का मूल्य	अन्तिम सिंचाई क्षमता	ए. आई. बी. पी. से पूर्व सृजित क्षमता	ए. आई. बी. पी. के अन्तर्गत सृजित की जाने वाली क्षमता
		मूल	ए. आई. बी. पी. के अधीन लेते समय संशोधित					
		(रुपये करोड़ में)				(क्षेत्र हेक्टेयर में)		
पश्चिमी कोशी नहर	1971/ 1996	13.49	904.01*	257.40	646.61	2,34,800	22750	212050
सोन नहर आधुनिकीकरण	1995/ 1998	235.93	493.17	79.67	413.50	909410	585420	323990
ऊपरी किऊल जलाशय	1978/ 1996	8.07	159.16*	108.33	50.83	19500	7320	12180
दुर्गावती जलाशय	1976/ 1996	25.30	234.41	154.36	80.05	20297	nil	20297

परियोजना	परियोजना के प्रारम्भ की तिथि/ए. आई. बी. पी. के अधीन लेने की तिथि	अनुमानित लागत		ए. आई. बी. पी. में सम्मिलित करने से पूर्व व्यय	ए. आई. बी. पी. के अधीन सम्मिलित कार्य का मूल्य	अन्तिम सिंचाई क्षमता	ए. आई. बी. पी. से पूर्व सृजित क्षमता	ए. आई. बी. पी. के अन्तर्गत सृजित की जाने वाली क्षमता
		मूल	ए. आई. बी. पी. के अधीन लेते समय संशोधित					
		(रुपये करोड़ में)				(क्षेत्र हेक्टेयर में)		
बटाने जलाशय	1976/ 2000	4.01	57*	39.70	17.30	9870	6380	3490
बिलासी जलाशय	1982/ 1997	1.46	23.83*	17.46	6.37	4050	शून्य	4010
ओरहनी जलाशय	1978/ 1997	2.96	58.76*	38.74	20.02	9717	160	9557
योग		**291.22**	**1930.34**	**695.66**	**1234.68**	**1207644**	**622030**	**585614**

* आँकड़ें केन्द्रीय जल आयोग/भारत सरकार के प्रतिवेदित किन्तु 884.56 करोड़ रुपये, 106.53 करोड़ रुपये, 33.11 करोड़ रुपये, 15.31 करोड़ रुपये और 37.86 करोड़ रुपये के लिए क्रमशः प्रशासनिक स्वीकृत।

अक्षम परियोजनाओं का अविवेकपूर्ण चयन

कार्यक्रम के अंतर्गत केवल वैसी परियोजनाएँ जिनके पूर्ण होने की स्थिति में भारी निवेश की आवश्यकता थी तथा जो चार फसल मौसमों में पूरी की जानी थी, का चयन किया गया था। चयनित परियोजनाओं में से किसी का भी चार फसल मौसम में पूर्ण होना निश्चित नहीं था। राज्य जल संसाधन विभाग ने ए. आई बी. पी. के अधीन उत्तरी कोयल सिंचाई परियोजना (एन. के. आई. पी.) को सम्मिलित नहीं किया, यद्यपि इसे तीसरे पंचवर्षीय परियोजना में लिया गया था (1972), जिसे 1.23 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई क्षमता थी, जिसपर संशोधित अनुमानित लागत (439.03 करोड़ रुपये) का 91 प्रतिशत (400.44 करोड़ रुपये) मार्च 1996 तक, पहले ही खर्च हो चुका था।

इसके प्रतिकूल, सरकार ने सिर्फ 20297 हेक्टेयर भूमि के सिंचाई क्षमता सृजन सामर्थ्य और 0.79 प्रतिशत लाभ लागत अनुपात (जनवरी 2000 के संशोधित अुनमान के अनुसार आगे 0.28 घटाया गया, के लिए दुर्गावती जलाशय योजना का चयन किया। परियोजना की समाप्ति पर परियोजना का लाभ लागत अनुपात और कम हो जानी थी। केन्द्रीय जल आयोग के मानक के अनुसार सिर्फ 1.5 से अधिक लाभ लागत अनुपात वाली परियोजनाएँ अस्तित्त्व में थी। सरकार ने दो दूसरे अनुपयुक्त सिंचाई परियोजनाओं यथा सोन नहर आधुनिकीकरण योजना तथा बटाने जलाशय परियोजना का भी चयन किया।

3.4.7 योजना का निष्पादन

परियोजना के विभिन्न घटकों की भौतिक प्रगति यथा निम्नवत थी :

परियोजना	किया गया कार्य	अवयव (प्रतिशत में)				
		बाँध/शीर्ष कार्य	मुख्य एवं शाखा नहर	वितरिका	जलमार्ग	संरचना
1. पश्चिमी कोशी नहर	31 मार्च 1996	100	48	25	25	11(174)
	31 मार्च 2003	100	95	37	26	29 (453)
2. दुर्गावती जलाशय	31 मार्च 1996	34	13	शून्य	शून्य	शून्य
	31 मार्च 2003	90	62	5	शून्य	6 (32)
3. ऊपरी किऊल जलाशय	31 मार्च 1996	80	50	शून्य	शून्य	8 (54)
	31 मार्च 2003	98	93	80	शून्य	72 (504)

परियोजना	किया गया कार्य	अवयव (प्रतिशत में)				
		बाँध / शीर्ष कार्य	मुख्य एवं शाखा नहर	वितरिका	जलमार्ग	संरचना
4. ओरहनी जलाशय	31 मार्च 1997	40	22	शून्य	शून्य	शून्य
	31 मार्च 2003	99.8	99.05	90	40	83 (284)
5. बिलासी जलाशय	31 मार्च 1997	70	27	5	शून्य	शून्य
	31 मार्च 2001	100	100	100	100	100 (88)
6. सोन नहर आधुनि–कीकरण	31 मार्च 1998	100	1	शून्य	शून्य	एक से कम (16)
	31 मार्च 2003	100	68	56	शून्य	62 (4192)
7. बटाने जलाशय	31 मार्च 2000	98	70	50	शून्य	57 (370)
	31 मार्च 2003	98	72	52	शून्य	62 (404)

संख्या प्रतिशत के रूप में हैं (कोष्ठक में अंक, संख्या को निर्दिष्ट करते हैं।)

कोई भी परियोजना समय सारणी के अनुसार पूर्ण नही हो सकी

यद्यपि योजना के अधीन वांछित कोई भी परियोजना चार फसल मौसम में पूर्ण नहीं हो सकी। जबकि बिलासी जलाशय परियोजना मार्च 2001 में पूर्ण हो चुकी थी, अगस्त 2003 तक सी. डब्ल्यू. सी. को कोई समापन प्रमाण पत्र नहीं सौंपा गया था, जबकि दूसरी छः परियोजनाएँ छः से 14 फसल मौसम की समाप्ति के बाद भी पूर्ण नहीं हो सकी थीं।

मुख्य तथा शाखा नहर, जल वितरिका और जल मार्ग में काफी संरचनाएँ 17 से 94 प्रतिशत के बीच (कुल संख्या 4689, 10558 में से) अपूर्ण रहीं। परिणामस्वरूप, जल क्षेत्र में नहीं पहुँच सका और जो भी क्षमता परियोजना में किये कार्य द्वारा सृजित हुआ था, का लाभजनक रूप में उपयोग नहीं हो सका।

आयुक्त एवं सचिव ने बताया (दिसम्बर 2003) कि परियोजना के लक्ष्य के अनुसार पूर्ण करने के लिए सभी प्रयास किये जा रहे थे।

3.4.8 सिंचाई क्षमता

सातों परियोजनाओं में सृजित किए जाने वाले मूल सिंचाई क्षमता, सृजित क्षमता और इसका उपयोग मार्च 2003 तक निम्न थे :

परियोजना	सिंचाई क्षमता (हेक्टेयर में)					
	लक्षित		सृजित		उपयोगित	
	अधिकतम	ए. आई. बी. पी. के अधीन	अधिकतम	ए. आई. बी. पी. के अधीन	अधिकतम	ए. आई. बी. पी. के अधीन
पश्चिमी कोशी नहर	2,34,800	2,12,050	29,480 (13)	6,730 (3)	8,014 (27)	1,821 (27)
दुर्गावती जलाशय	20,297	20,297	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ऊपरी किऊल जलाशय	19,500	12,180	16,500 (85)	9,180 (75)	9,869 (60)	2,549 (28)
ओरहनी जलाशय	9,717	9,557	5,994 (62)	5,834 (61)	2388 (40)	2,228 (38)

परियोजना	सिंचाई क्षमता (हेक्टेयर में)					
	लक्षित		सृजित		उपयोगित	
	अधिकतम	ए. आई. बी. पी. के अधीन	अधिकतम	ए. आई. बी. पी. के अधीन	अधिकतम	ए. आई. बी. पी. के अधीन
बिलासी जलाशय	4,050	4,050	4,050 (100)	4,050 (100)	3,223 (80)	3,223 (80)
सोन नहर आधुनिकीकरण	9,09,410	3,23,990	6,81,420 (75)	96,000 (30)	3,84,510 (56)	24,471 (25)
बटाने जलाशय	9,870	3,490	7380 (75)	1000 (29)	2137 (29)	लागू नहीं
योग	**1,20,7644**	**5,85614**	**744824 (62)**	**122794 (21)**	**410141 (55)**	**34292 (28)**

(कोष्ठक के अंक प्रतिशत को निर्दिष्ट करते हैं)

लक्षित सिंचाई क्षमता का सिर्फ 21 प्रतिशत ए. आई. बी. पी. के तहत सृजित हुआ

लक्षित सिंचाई क्षमता का 21 प्रतिशत ए. आई. बी. पी. के तहत सृजित हुआ था। अधिकतम सृजित सिंचाई क्षमता के तुलना में ए. आई. बी. पी. के तहत सिंचाई क्षमता सृजन में वृद्धि सिर्फ 16 प्रतिशत थी। पुनः ए. आई. बी. पी. के तहत सृजित सिंचाई क्षमता का सिर्फ 28 प्रतिशत का उपयोग हुआ था किन्तु सिंचाई क्षमता के लगभग सभी उपयोग की तुलना में ए. आई. बी. पी. के तहत सिर्फ 8 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई थी। बिलासी जलाशय परियोजना जो कि मार्च 2001 में पूर्ण हुई थी कि स्थिति में सृजित क्षमता का उपयोग मात्र 80 प्रतिशत था। कमी के लिए कोई कारण उपलब्ध नहीं था।

सृजन और सिंचाई क्षमता के आंकड़े अविश्वसनीय

संवीक्षा से यह ज्ञात हुआ कि सृजित और उपयुक्त सिंचाई क्षमता के आंकड़े विश्वसनीय नहीं थे क्योंकि सभी छः अपर्ण परियोजानाओं में, मुख्य और शाखा नहरों, वितरिका और जल मार्ग पर संरचना सहित कार्य का वृहत् हिस्सा अपूर्ण रहा और इसलिए जल अन्तिम सिरों पर सिंचाई के उद्देश्य से उपलब्ध नहीं था।

सचिव ने बताया कि क्षमता के सृजन का सिंचाई परियोजनाओं में व्यय से एक ही समय में मिलान करना संभव नहीं था। जबकि सचिव के कथन के बारे में दो राय नहीं हो सकती थी, कि इन परियोजनाओं में सिंचाई क्षमता का सृजन लक्ष्य से काफी पीछे था तथा सृजित क्षमता का उपयोग भी नगण्य था। इसके अलावे ए. आई. बी. पी. का एक प्राथमिक उद्देश्य परियोजनाओं के सिंचाई क्षमता सृजन को इस प्रकार बढ़ाना था कि न्यूनतम व्यय से अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके। वस्तुतः सी. डब्लू. सी. मानक के अनुसार सिंचाई परियोजनाओं को लाभ लागत अनुपात पर आधारित लागत प्रभावी भी होना था। इस प्रकार, योजना में विचारित सिंचाई क्षमता सृजन को त्वरित करने में सरकार नाकाम रही।

इसके अलावे केन्द्रीय जल आयोग (सी. डब्लू. सी.) को बिहार सरकार द्वारा दिए वार्षिक प्रतिवेदन के अनुसार, 101.83 हजार एकड़ भूमि का सिंचाई क्षमता वर्ष 1999–03 के दौरान सोन नहर आधुनिकीकरण योजना और ओरहनी जलाशय योजना के अधीन सृजित हुआ था। हालांकि राज्य सरकार द्वारा प्रकाशित वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन के अनुसार दोनों परियोजनाओं द्वारा कुल सिंचाई क्षमता का सृजन मात्र 65.60 हजार हेक्टेयर था।

3.4.9 सिंचाई क्षमता के सृजन की लागत का प्रभाव

प्रति हेक्टेयर सिंचाई क्षमता[5] के मूल अनुमानित लागत की तुलना में परियोजना का संशोधित अनुमान निम्नलिखित था :

परियोजना	मूल प्रक्षेपित लागत	संशो–धित लागत	सृजित की जाने वाली क्षमता	प्रति हेक्टेयर लागत		प्रति हेक्टेयर लागत में वृद्धि	मार्च 2003 तक व्यय	मार्च 2003 तक सृजित क्षमता
				परिया–जना के मूल प्रक्षेपित लागत के अनुसार	परियो–जना के संशोधित लागत के अनुसार			
	(रुपये करोड़ में)		(हेक्टेयर में)	(रुपये में)			(रुपये करोड़ में)	(हेक्टेयर में)
पश्चिमी कोशी नहर	13.49	904.01	234800	575	38501	37926	530.05	29480
दुर्गावती जलाशय	25.30	234.41	20297	12465	115490	103025	221.62	शून्य
ऊपरी किऊल जलाशय	8.07	159.16	19500	4138	81621	77483	130.89	16500
सोन नहर आधुनिकीकरण	235..93	493.17	323990	7282	15222	7940	312.84	96000
बिलासी जलाशय	1.46	23.83	4050	3605	58840	55235	26.83	4050
बटाने जलाशय	4.01	57.00	9870	4063	57751	53688	41.19	7380
ओरहनी जलाशय	2.96	58.76	9717	3046	60471	57425	58.83	5994
योग	**291.22**	**1930.34**	**622224**				**1322.25**	**1,59,404**

लागत के विस्तार में कई गुना वृद्धि

इस प्रकार प्रति हेक्टेयर प्रारंभिक प्रक्षेपित लागत की तुलना में, सिंचाई क्षमता सृजन की लागत परियोजना के संशोधित प्राक्कलित लागत में पर्याप्त वृद्धि हुई। परियोजना के पूर्ण होने पर सिंचाई की लागत प्रति हेक्टेयर सृजित होनेवाले सिंचाई क्षमता से बढ़ने की संभावना थी। दुर्गावती जलाशय परियोजना पर मार्च 2003 तक 221.62 करोड़ रुपये के व्यय के बावजूद (71.53 करोड़ रुपये सी. एल. ए. के कार्य पर सहित) कोई सिंचाई क्षमता सृजित नहीं हुआ था।

परियोजना के कार्यान्वयन में पाई गई कमियाँ

ए. आई. बी. पी. के अधीन दो परियोजनाओं (पश्चिमी कोसी और दुर्गावती) के प्रदर्शन के मूल्यांकन से ज्ञात हुआ कि परियोजनाएँ मुख्यतः अयोजनाबद्ध और कार्य के दोषपूर्ण कार्यान्वयन के कारण बाधित रहीं।

3.4.10 पश्चिमी कोशी नहर परियोजना

ए. आई. बी. पी. के अधीन की गई सात परियोजनाओं में से, पश्चिमी कोशी नहर परियोजना 1961 में अनुमोदित पूर्व पंचवर्षीय योजना एक अन्तर्राष्ट्रीय परियोजना थी।

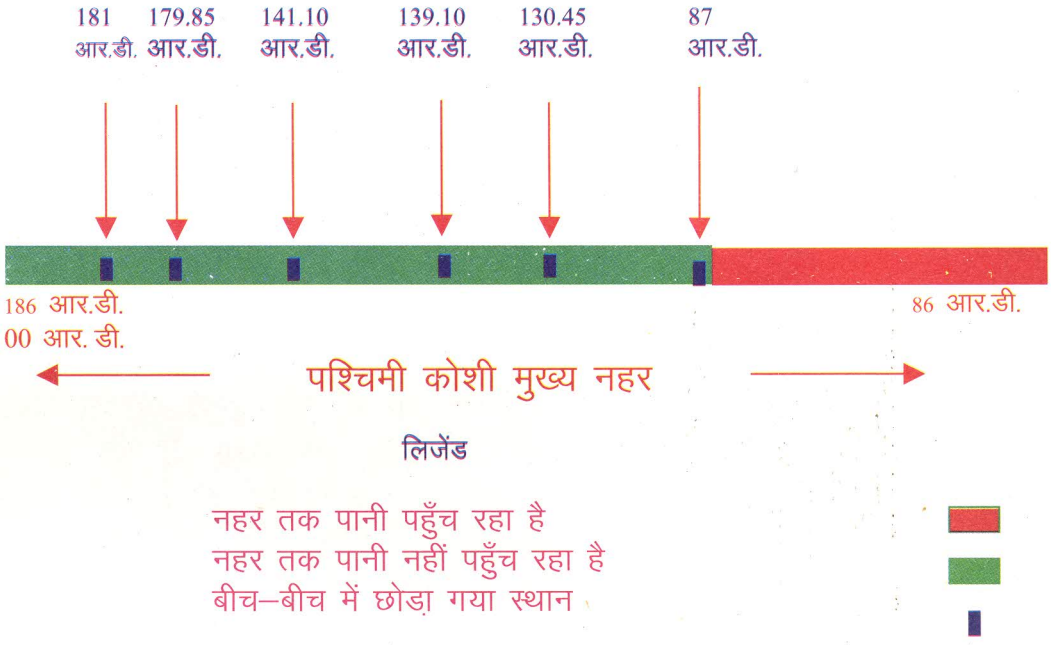
5 *सोन नहर आधुनिकीकरण के विरूद्ध दिखाया गया सिंचाई क्षमता पुराने सृजित 5,88,420 हेक्टेयर क्षमता के अतिरिक्त सोन नहर के आधुनिकीकरण द्वारा सृजित क्षमता है।*

जाँच में पाई गई त्रुटियाँ निम्न प्रकार थी :

विभिन्न अयामों में कार्य का अयोजनाबद्ध कार्यान्वयन से सृजित क्षमता का अनुपयोग हुआ

- ए. आइ. बी. पी. के दिशानिर्देशों के अनुसार, न्यूनतम व्यय पर अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए परियोजना को विवेकपूर्ण क्रमिक ढंग से पूर्ण करना था। शाखा नहर, माइनर और वितरिका के साथ मुख्य नहर के 0 आर. डी. से 86 आर. डी. प्रारम्भिक जल मार्ग (जहाँकि निकास मार्ग पर जल उपलब्ध था) के कार्य के पूर्ण करने के बदले चार शाखा नहरों और मुख्य नहर के 141 आर. डी. के बाद तीन माइनर का निर्माण कार्य लिया गया था यद्यपि नहर के आर. डी. 86 के आगे जल उपलब्ध नहीं था।

प्रसंगवश झंझारपुर शाखा नहर, मुख्य नहर से 69 आर. डी. पर पूरी तरह पूर्ण था, फिर भी वितरिका और माइनर के निर्माण का कार्य प्रारंभ नहीं किया गया था। इस प्रकार सृजित क्षमता का उपयोग नहीं हुआ था, यद्यपि ए. आई. बी. पी. के अधीन कार्य पर 176.20 करोड़ रुपये सहित परियोजना पर 530.05 करोड़ रुपये का व्यय हुआ था। सरकार ने बताया (दिसम्बर 2003) कि सिंचाई क्षमता के सृजन में मुख्य बाधा भूमि अर्जन थी।



- आर. डी. 41 से आर. डी. 100 के बीच झंझारपुर शाखा नहर के खुदाई का कार्य नौ एजेन्सियों को 62.85 लाख रुपये के एकरारनामे की लागत पर वर्ष 1999–2001 तक पूर्ण करने हेतु आवंटित किया गया था। यह पाया गया कि एजेन्सियों ने आर. डी. 43 से आर. डी. 100 का मिट्टी कार्य 58.80 लाख रुपये की लागत पर पूर्ण किया तथा आर. डी. 41 से आर. डी. 43 के बीच कार्य अपूर्ण रहा। परिणामस्वरूप 58.80 लाख रुपये का व्यय अनुत्पादक हुआ चूँकि जल आर. डी. 40 से आगे नहीं पहुँच सका था। आयुक्त एवं सचिव ने बताया कि आर. डी. 41 से आर. डी. 43 के बीच कार्य पूर्ण हो गया था तथा आर. डी. 100 तक जल उपलब्ध था। जाँच में मुख्य अभियन्ता ने यद्यपि इस बात का पूर्णतया अनुमोदन नहीं किया था (मार्च 2004)।

एक एजेन्सी द्वारा कार्य छोड़ने पर अनुबंध की दण्डात्मक धारा नहीं लगाई गई

- पश्चिमी कोशी मुख्य नहर के आर. डी. 139.10 पर कमला नदी पर साइफन के निर्माण का कार्य कलकत्ता के एक फर्म को 55.46 करोड़ रुपये की लागत पर (प्राक्कलित लागत से 29.85 प्रतिशत अधिक) 15 जून 2000 तक पूर्ण करने हेतु आवंटित किया गया (15 अक्टूबर 1997)। यद्यपि एजेन्सी ने 44.11 करोड़ रुपये मूल्य का कार्य (80 प्रतिशत) 15 जून 2001 तक पूरा किया तथा उसके बाद कोई प्रगति नहीं थी, क्योंकि एजेन्सी ने परियोजना का कार्य छोड़ दिया था। कार्य के पूरा करने में कमी के लिए अनुबंध की दण्डात्मक धारा परियोजना प्रबंधन द्वारा दण्ड (1.11 करोड़ रुपये) की वसूली के लिए जो कि कार्य के अनुबंध मूल्य का दो प्रतिशत था तथा मार्च 2003 तक मूल एजेन्सी के जोखिम और लागत पर दूसरे एजेन्सी द्वारा बाकी कार्य पूरा करने के लिए व्यवस्था नहीं की गई थी। अभिलेख में इसका कोई कारण दर्ज नहीं था।

विभाग ने बाकी कार्य के पूर्ण करने के लिए 16.44 करोड़ रुपये का संशोधित अनुमान तैयार किया (जनवरी 2003)। परिणामस्वरूप प्राक्कलित लागत 5.09 करोड़ रुपये से बढ़ गयी। आयुक्त एवं सचिव ने बताया (दिसम्बर 2003) कि कार्य का पुनः निविदा हुई थी और मूल ठीकेदार द्वारा कार्य के अपूर्णता का मामला पंचाट में था किन्तु यह पाया गया कि ठीकेदार, न कि विभाग पंचाट में गया था।

परित्यक्त कार्य पुनः प्रारम्भ नहीं हुआ

- धौरी नदी पर साइफन का निर्माण कार्य 13.13 करोड़ रुपये की लागत पर कलकत्ता की उसी एजेन्सी को (प्राक्कलित लागत के 44.09 प्रतिशत अधिक) 24 जून 2001 तक (30 जून 2002 तक विस्तारित) पूर्ण करने हेतु आवंटित किया गया (मार्च 1998)। एजेन्सी ने 9.16 करोड़ रुपये का भुगतान प्राप्त करने के पश्चात् बिना कोई कारण बताये कार्य को अक्टूबर 2001 में छोड़ दिया। शेष कार्य मार्च 2003 तक पुनः प्रारंभ नहीं हुआ था। आयुक्त एवं सचिव ने बताया कि कार्य की पुनः निविदा हुई थी और मूल ठीकेदार द्वारा कार्य के अपूर्णता का मामला पंचाट में था।

वर्षों से रेलवे के पास निधि लंबित

- कार्यपालक अभियन्ता, पश्चिमी कोशी नहर प्रमण्डल, झंझारपुर ने पूर्व रेलवे को झंझारपुर शाखा नहर के आर. डी. 63.80 और आर. डी. 100.785 और डुमरियाही उपवितरिका के आर. डी. 3.10 पर तीन पुलों के निर्माण हेतु 1.23 करोड़ रुपये (मार्च 1991, मार्च 2000 और मार्च 2001) का भुगतान किया। इसके विरूद्ध झंझारपुर शाखा नहर के आर. डी. 63.80 पर 37.65 लाख रुपये मूल्य का एक पुल पूर्ण हुआ था। दूसरे दोनों पुलों पर कार्य विभाग द्वारा उचित अनुसरण के अभाव के कारण मार्च 2003 तक प्रारंभ नहीं हुआ था। रेलवे के पास पड़े 85.30 लाख रुपये रुपये में से, 63.45 लाख रुपये ए. आई. बी. पी. निधि से संबंधित था। आयुक्त एवं सचिव ने बताया कि विभाग रेलवे से मामले की खोज कर रहा था।

मार्च 2001 से निधि अनुपयुक्त पड़ी रही

- दो पश्चिमी कोशी नहर प्रमण्डलों (दरभंगा : 62.75 लाख रुपये ; झंझारपुर : 13 लाख रुपये) ने अक्टूबर 2000 से 2001 के बीच यांत्रिकी प्रमण्डल, दरभंगा को नहर संरचना के विभिन्न बिन्दुओं पर नहर फाटक लगाने और निर्माण हेतु 75.75 लाख रुपये का भुगतान किया। यद्यपि अप्रील 2003 तक कोई फाटक का निर्माण नहीं हुआ था और न ही संरचना में लगाया गया था। संपूर्ण राशि यांत्रिकी प्रमण्डल के पास अनुपयुक्त पड़ी रही। इसका कोई कारण उपलब्ध नहीं था। आयुक्त एवं सचिव ने बताया कि विभाग ऐसे त्रुटियों से बचने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रहा था।

- निदेशक, क्रय एवं परिवहन, जल संसाधन विभाग ने कार्यपालक अभियन्ता, पश्चिमी कोशी नहर प्रमण्डल संख्या – 2, खजौली के लिए 31 मार्च 2000 तक 2960 रुपये प्रति टन के दर से 10650 टन सीमेंट की आपूर्त्ति हेतु कल्याणपुर सीमेंट लिमिटेड को क्रय आदेश निर्गत किया था।

एक सीमेन्ट कम्पनी से सीमेन्ट क्रय की अतिरिक्त लागत नहीं वसूली गई

यह पाया गया कि सीमेंट कम्पनी सीमेन्ट की आपूर्त्ति में विफल रही। इसके लिए कोई कारण नहीं उपलब्ध करया गया। परिणामस्वरूप, निदेशक, क्रय एवं परिवहन ने एक दूसरे एजेन्सी से 3175 रुपये प्रति टन की दर से 8460 टन सीमेंट क्रय किया (सतना सीमेन्ट, 18.19 लाख रुपये के अतिरिक्त व्यय पर)। यद्यपि विभाग ने दोषी सीमेंट कम्पनी के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही प्रारम्भ करने का निश्चय किया (जून 2000) और तत्पश्चात् वसूली की राशि 41.20 लाख रुपये निर्धारित किया गया, किन्तु अगस्त 2003 तक कम्पनी के सुरक्षित जमा राशि 3.16 लाख रुपये की जब्ती के अतिरिक्त कोई अन्य कानूनी कार्यवाही कम्पनी के विरूद्ध प्रारंभ नहीं की गई थी। आयुक्त एवं सचिव ने बताया कि विभाग ने मंत्री के निर्देशों के बावजूद मई 2000 में दोषी फर्म के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई प्रारंभ की थी, किन्तु जाँच में यह पाया गया कि इस प्रकार की कोई कार्रवाई जनवरी 2004 तक नहीं की गई थी।

अग्रिम भुगतान के विरूद्ध सामग्री की आपूर्त्ति नहीं

- निदेशक, क्रय एवं परिवहन द्वारा निर्गत दिसम्बर 1999 के तीन क्रय आदेशों के अनुसरण में परेषिती कार्यपालक अभियन्ता, पश्चिमी कोशी सिंचाई प्रमण्डल सं. 1 और प्रमण्डल सं.2 जयनगर (मार्च 2000) द्वारा तीन एजेन्सियों (राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, कलकत्ता : 93.88 लाख रुपये ; भारती इस्पात प्राधिकरण, बोकारो : 73.25 लाख रुपये और टाटा लौह एवं इस्पात कम्पनी, जमशेदपुर : 195.17 लाख रुपये) को विभिन्न विशिष्टताओं के (229.78 टन) 1525 टन लौह घड़ों की तत्काल आपूर्त्ति हेतु 3.62 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया था। इसके विरूद्ध 33.83 लाख रुपये लागत का 229.78 टन लौह छड़ की आपूर्त्ति एजेन्सियों द्वारा (आर. आई. एन. एल : 9.15 लाख रुपये ; सेल : 4.83 लाख रुपये ; टिस्को : 19.85 लाख रुपये) मई 2003 तक बिना कोई कारण बताए नहीं की गई थी, किन्तु आपूर्त्ति में कमी के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। लौह छड़ों की आपूर्त्ति में कमी के कारण बिभाग को हुए नुकसान की भी उनके द्वारा आकलन नहीं की गई थी। आयुक्त एवं सचिव ने बताया कि मामले की जाँच की जा रही थी।

3.4.11 दुर्गावती जलाशय परियोजना

दुर्गावती जलाशय परियोजना के उत्पलव–मार्ग के निर्माण का कार्य हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कन्सट्रक्शन लिमिटेड, कलकत्ता को एकल प्रस्ताव के आधार पर 24 माह (अर्थात जनवरी 2001 तक) के अन्दर पूर्ण करने हेतु 45.09 करोड़ रुपये के अनुबंध लागत पर प्रदान किया गया (जनवरी 1999)।

संग्रह अग्रिम पर ब्याज के कम दर लगाने के कारण हानि

संविदा के अनुसार सामग्री लागत को छोड़कर अनुबंध लागत से 10 प्रतिशत की दर पर दो करोड़ रुपये का संग्रहण अग्रिम उधार ब्याज दर से एजेन्सी को दी गई थी (मार्च 1999)। अस्सी प्रतिशत निर्माण कार्य के पूर्ण होने से पहले अग्रिम तथा ब्याज की वसूली की जानी थी। यह पाया गया कि दुर्गावती बांध प्रमण्डल सं.–II भीतरीबांध ने आठ प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज लगाया यद्यपि केन्द्रीय ऋण सहायता पर वर्ष 1998–99 के दौरान उधार पर ब्याज की दर 12.5 प्रतिशत थी तथा उस समय भारतीय स्टेट बैंक की चालू उधार दर 15.81 प्रतिशत थी। इस प्रकार सी. एल. ए. की उस समय का चालू उधार दर (12.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष) लगाए जाने

के बदले, संग्रहण अग्रिम पर सिर्फ आठ प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगाया गया जिससे दो करोड़ रुपये संग्रहण अग्रिम पर ब्याज की कम वसूली से 9.19 लाख रुपये की हानि हुई।

सरकार के आयुक्त एवं सचिव ने बताया (दिसम्बर 2003) कि दुर्गावती उत्पलव मार्ग के निर्माण हेतु निविदा का निर्णय वित्त विभाग के सहमति से हुआ था जो आर. बी. आई. के उधार दर पर संग्रहण अग्रिम पर ब्याज के उद्ग्रहण हेतु सहमत था। उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि आर. बी. आई. का कोई उधार दर नहीं होता था। इसमें बैंक दर होता था जिसके आधार पर वह अन्य बैंकों को अग्रिम प्रदान किया था, जबकि उधार दर सामान्यतः व्यावसायिक बैंकों के होते हैं जिनपर वे अन्य एजेन्सियों को ऋण देते हैं।

3.4.12 बाणसागर जलाशय परियोजना

सी. डब्ल्यू.सी. से क्लियेरंस की कमी के कारण कार्य का अकार्यान्वयन

बिहार, मध्यप्रदेश और उत्तरप्रदेश राज्य के बीच त्रिपक्षीय समझौते के आधार पर सोन नदी पर बनने वाली बाणसागर जलाशय परियोजना के अधीन बाणसागर बांध के निर्माण की 25 प्रतिशत लागत बिहार सरकार द्वारा वहन करनी थी। जलाशय में संग्रह की जाने वाली 40 लाख एकड़ फीट जल में से, 10 लाख एकड़ फीट बिहार के लिए आवंटित किया जाना था। बांध को जून 2004 तक पूर्ण करना प्रस्तावित था। बाणसागर बांध से प्राप्त जल जमनिया पम्प नहर और इन्द्रपुरी जलाशय (पूर्व में कदवान जलाशय के नाम से जाना गया) द्वारा सिंचाई के लिए उपयोग किया जाना था किन्तु सी. डब्ल्यू. सी. से क्लियरेंस के कारण यह निर्णय ए. आई. बी. पी. के अधीन नहीं ली गई थी। वर्ष 2002–03 के दौरान 10 लाख एकड़ फीट के चिह्नित आवंटन के विरूद्ध बिहार राज्य द्वारा 2.51 लाख एकड़ फीट जल कम प्राप्त की गई थी। आयुक्त एवं सचिव ने बताया कि सिर्फ जल का आंधिक संग्रह हो रहा था क्योंकि परियोजना कार्यान्वयन स्तर में थी।

3.4.13 अन्य रोचक तथ्य

सामुदायिक सहभागिता

राष्ट्रीय जल नीति के अनुसार नहर व्यवस्था का प्रबंधन जल वितरण स्तर या ग्राम्य स्तर पर स्थापित प्रयोक्ता समितियों को सौंपा जाना था। ये समितियाँ प्रचालन और अनुरक्षण, जलकर के निर्धारण के साथ–साथ वसूली के लिए जिम्मेवार थी। समितियों द्वारा प्राप्त जलकर का तीस प्रतिशत सरकार को देय था तथा शेष व्यवस्था के प्रचालन और अनुरक्षण पर व्यय करना था।

सामुदायिक सहभागिता एक परियोजना में आरंभ की गई

यह पाया गया कि सहभागी सिंचाई प्रबन्धन (पी. आई. एम.) योजना बिहार में वर्ष 1996–97 में मात्र सोन नहर प्रणाली के पटना मुख्य नहर में प्रायोगिक आधार पर आरंभ की गई थी। इसे अन्य परियोजनाओं में आरंभ नहीं किया गया था। जल संसाधन विभाग ने नौवीं पंचवर्षीय योजना में पी. आई. एम. योजना के तहत कुल सिंचाई योग्य कमांड क्षेत्र के 10 प्रतिशत और दसवें पंचवर्षीय योजना में 50 प्रतिशत लेने की योजना थी।

नौवीं पंचवर्षीय योजना (गंडक परियोजना, पश्चिमी कोशी परियोजना और सोन नहर प्रणाली में) के दौरान इस योजना के अधीन ली जाने वाली कुल 1.97 लाख हेक्टेयर प्रक्षेपित भूमि में से, सिर्फ 22532 हेक्टेयर भूमि (10 किसान समितियों द्वारा) सोन नहर प्रणाली द्वारा दसवें पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष में ली जा सकी। अन्य परियोजनाओं में पी. आई. एम. के तहत

कोई क्षेत्र नहीं लिया जा सका तथा परियोजनाओं के नहरों का प्रचालन और अनुरक्षण किसानों के बीच जागरूकता की कमी और सरकार द्वारा उनके बीच संदेश के विस्तार हेतु प्रभावी कदम के अभाव के कारण स्थानान्तरित नहीं की गई थी। आयुक्त एवं सचिव ने बताया कि पी. आई. एम. ने जोर पकड़ लिया था तथा योजना वर्ष 2003–04 के दौरान पूर्ण होने की अवस्था में थी।

बिना भू–अर्जन प्रक्रिया के पूर्ण किए एस. एल. ए. ओ. को मुआवजा राशि का भुगतान

3.4.14 भूमि के अर्जन हेतु अनियमित भुगतान

भू–अर्जन के लिए, प्रमण्डलों के कार्यपालक अभियन्ताओं द्वारा किसानों को क्षतिपूर्त्ति विशेष भू–अर्जन प्रदाधिकारियों (एस. एल. ए. ओ.) के माध्यम से सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृति के पश्चात् सिर्फ वांछित भूमि के अनुमानित लागत के देय था। यह पाया गया कि 28.42 करोड़ रुपये दो एस. एल. ए. ओ. (सकरी और दरभंगा) को 13 प्रमण्डलों[6] द्वारा वर्ष 1997–2003 के दौरान पश्चिमी कोशी नहर परियोजना में नहर की खुदाई के लिए वांछित भूमि के अधिग्रहण हेतु प्रदान किया गया था, यद्यपि अधिग्रहण के अधीन भूमि की प्राक्कलित लागत स्वीकृत नहीं हुई थी और भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया मार्च 2003 तक पूर्ण नहीं हुई थी। इसी तरह 2.44 करोड़ रुपये एस. एल. ओ., सासाराम को वर्ष 2000–02 के दौरान दो प्रमण्डलों[7] द्वारा दुर्गावती जलाशय परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु बिना भूमि के प्राक्कलित लागत के स्वीकृति और भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूर्ण किए मार्च 2003 तक प्रदान किया गया था।

असैनिक जमा/बैंक में निधि का रखा जाना

वर्ष 1997–2003 के दौरान एस. एल. ए. ओ. को प्रदत्त 30.86 करोड़ रुपये में से, मात्र 5.88 करोड़ रुपये किसानों को प्रदान किया गया तथा शेष 24.98 करोड़ रुपये की राशि को प्रारंभ में बैंक के चालू खाता में रखा गया तदन्तर असैनिक जमा में स्थानान्तरित किया गया जिसपर 6–8 प्रतिशत प्रभावी ब्याज दर था यद्यपि सी. एल. ए. पर 11.5 से 13 प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज दर था।

आयुक्त एवं सचिव ने बताया कि दरभंगा कोषागार में राशि के जमा संबंधी मामला देखा जा रहा था।

3.4.15 लेखापरीक्षित व्यय विवरणी का अप्रस्तुतीकरण

यद्यपि राज्य सरकार द्वारा सी. डब्ल्यू. सी. को परियोजना का लेखापरीक्षित व्यय विवरणी वित्तीय वर्ष के पूर्ण होने के नौ माह के अन्दर प्रस्तुत करना वांछित था, वर्ष 1998–2003 के दौरान किसी भी परियोजना के संबंध में ऐसा कोई विवरणी सी. डब्ल्यू. सी. को प्रस्तुत नहीं किया गया। आयुक्त एवं सचिव ने बताया कि लेखापरीक्षित व्यय विवरणी संबंधित मुख्य अभियन्ताओं से मांगी जा रही थी।

3.4.16 परिसम्पत्ति पंजी का संधारण नहीं

परियोजना पदाधिकारियों द्वारा परिसम्पत्ति पंजी का संधारण नहीं किया गया था। परियोजनाओं ने परिचालन संपत्तियों का भी अभिलेख, जिसके अनुसार किसानों को सुनिश्चित जल आपूर्त्ति प्रदान की गई, नहीं रखा। आयुक्त एवं सचिव ने बताया कि विभाग द्वारा मामले की छानबीन की जा रही है।

3.4.17 अनुश्रवण

ए. आई. बी. पी. के दिशा निर्देशों के अनुसार द्विस्तरीय अनुश्रवण प्रणाली, एक राज्य स्तर पर तथा दूसरा परियोजना स्तर पर लागू करना था। राज्य स्तर की अनुश्रवण समिति को

6 *अंधराठि, राजनगर, झंझारपुर, सकरी, मधुबनी ; सकरी II, सकरी I, राजनगर II, दरभंगा, बेनीपुर, मधुबनी II, बहेरी, केवटी, खुटौना*

7 *दुर्गावती बायां नहर प्रमण्डल, भीतरी बांध, दुर्गावती दाहिना नहर प्रमण्डल, चेनारी*

अनुश्रवण प्रणाली की कमी

त्रैमासिक बैठक करनी थी जबकि परियोजना स्तर की समिति को प्रत्येक माह बैठक करनी थी। परियोजना स्तर पर हुए बैठकों का प्रतिवेदन राज्य समिति के साथ–साथ राष्ट्रीय तकनीकी समिति को प्रस्तुत करना था। राज्य स्तर पर हुए बैठकों का प्रतिवेदन राष्ट्रीय स्तर पर तकनीकी समिति को प्रस्तुत करना था। समिति सदस्यों को परियोजना के प्रगति के भौतिक अनुश्रवण हेतु कम से कम दो बार परियोजना स्थल का निरीक्षण करना वांछित था। हालांकि मई 2003 तक राज्य या परियोजना स्तर पर ऐसे किसी समिति का गठन नहीं हुआ था। अधीक्षण अभियन्ता (अनुश्रवण) ने कहा (जुलाई 2003) कि परियोजनाओं अनुश्रवण राज्य और परियोजना स्तर पर किया जा रहा था।

प्रभाव विश्लेषण नहीं किया गया

परियोजनाओं के प्रभाव का मूल्यांकन राज्य सरकार या किसी अन्य बाहरी एजेन्सी द्वारा नहीं किया गया था। ओरहनी जलाशय परियोजना को छोड़कर, जिसका प्रभाव निर्धारण योजना आयोग के पहल पर सी. डब्ल्यू. सी. द्वारा जल एवं ऊर्जा परामर्शी सेवाएँ लिमिटेड (भारत सरकार उपक्रम) को सौंपा गया था (मई 2001), किन्तु इसकी कोइ उपलब्धि, प्रदान नहीं कराई गई थी। आयुक्त एवं सचिव ने बताया कि ए. आई. बी. पी. के अनुश्रवण और मूल्यांकन के संबंध में दिशानिर्देश विभाग को उपलब्ध नहीं थी। उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि परियोजना के कार्यान्वयन हेतु भारत सरकार से दिशानिर्देशों का प्राप्त करना सरकार का दायित्त्व था। इसके अतिरिक्त परियोजना का कार्यान्वयन लागत प्रभावी ढ़ंग से सुनिश्चित करने तथा समय सीमा के अनुसार लक्षित उद्देश्य प्राप्त करने के उद्देश्य से परियोजना कार्यान्वयन एजेन्सी का दायित्त्व था कि अनुश्रवण, निरीक्षण तथा परियोजना के कार्यान्वयन का मूल्यांकन करें।

3.4.18 निष्कर्ष

ए. आई. बी. पी. के अधीन अत्यधिक निवेश के बावजूद लक्ष्य के विरूद्ध सिंचाई क्षमता का सृजन मात्र 21 प्रतिशत था और उपयोग सृजित क्षमता का मात्र 28 प्रतिशत था। यह मुख्यतः इस तथ्य के कारण था कि मुख्य एवं शाखा नहर की वितरण प्रणाली तीन परियोजनाओं में अपूर्ण थी तथा वितरिका एवं जल मार्गों के निर्माण की प्रगति सामान्यतः अधिकांश परियोजनाओं में अपर्याप्त थी। कोई परियोजना चार फसल मौसम में पूर्ण नहीं हो सकी जैसाकि योजना में विहित था।

3.4.19 अनुशंसा

- ए. आई. बी. पी. के अंतर्गत व्यय की मात्रा को ध्यान में रखकर, समय सीमा के अन्तर्गत परियोजना क्षेत्र में सिंचाई क्षमता सृजन को बढ़ाने हेतु आवश्यक प्रयास किए जाने चाहिए।
- एक निश्चित समय सीमा में वितरिका प्रणाली और जल मार्ग के विकास द्वारा सिंचाई क्षमता के उपयोग को आवश्यक रूप से बढ़ाना चाहिए।
- भू–अर्जन पूर्ण करने के लिए समय सीमा योजना होनी चाहिए। सभी संरचनाएँ जैसे बांध और शीर्ष कार्य, मुख्य नहर और शाखा नहर और वितरण प्रणाली जल को क्षेत्र में पहुँचाने हेतु इस तरीके से पूर्ण करना चाहिए कि अधिकतम क्षमता का उपयोग न्यूनतम व्यय पर एक निश्चित अवधि में हो सके।
- परियोजनाओं का चुनाव उनके जीवनक्षम क्षेत्र विस्तार और उनके चार फसल मौसम में संभावित पूर्णता के आधार पर होना चाहिए।

मामलें सरकार को निर्देशित किया गया था (सितम्बर 2003) ; उनके द्वारा प्राप्त उत्तर (दिसम्बर 2003) समीक्षा में सम्मिलित किया गया।

गृह (पुलिस) विभाग

3.5 अग्नि सुरक्षा एवं नियंत्रण

बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम 1948 अग्नि शमन संगठन एवं अग्नि निरोधक उपायों को बेहतर ढंग से अधिनियमन हेतु प्रारंभ किया गया था। राज्य में 28 जिलों (कुल 37 जिलों में से) में 32 अग्निशमन ईकाईयाँ शहरी क्षेत्रों में अग्नि निरोधक कार्यो के लिए स्थापित की गई थी, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए किसी प्रकार के अग्नि निरोधक सेवा का प्रावधान नहीं किया गया था।

राज्य में दी जा रही अग्नि शमन सेवाएँ केन्द्रीय स्थायी अग्निशमन सलाहकार समिति (एस एफ ए सी) के मानकों के अनुरूप नहीं थी जिसके कार्य मानकों का देश के सभी राज्यों को पालन करना था। यद्यपि बिहार सरकार ने न तो एस एफ ए सी के मानकों को लागू किया न ही अप्रील 2004 तक इस सम्बन्ध में कोई नियम बनाया।

दिसम्बर 2002 से मई 2003 की अवधि में राज्य अग्निशमन अधिकारी, पटना के नौ अग्निशमन केन्द्रों[1] एवं केन्द्रीय भंडार, पटना सिटी के वर्ष 1997–2003 तक के अभिलेखों की नमूना जाँच की गई, साथ ही होटल मौर्या एवं बारह सिनेमा घरों[2] के अग्नि निरोधक एवं नियंत्रण हेतु उपलब्ध सुविधाओं का भी निरीक्षण किया गया। महत्त्वपूर्ण तथ्य निम्नलिखित थे :

3.5.1 निधियों का आवंटन एवं व्यय

वर्ष 1997–2003 की अवधि में निधियों का बजट आवंटन एवं व्यय निम्नलिखित था :

वर्ष	उपलब्ध निधि				व्यय				बचत			
	राज्य सरकार	दसवें वित्त आयोग	11वें वित्त आयोग	कुल	राज्य सरकार	दसवें वित्त आयोग	11वें वित्त आयोग	कुल	राज्य सरकार	दसवें वित्त आयोग	11वें वित्त आयोग	कुल
	(रुपये लाख में)											
1997-98	323.80	172.75	-	496.55	297.95	154.15	-	452.10	25.85	18.60	-	44.45
1998-99	921.22	शून्य	-	921.22	705.48	शून्य	-	705.48	215.74	शून्य	-	215.74
1999-00	898.45	488.16	-	1386.61	790.60	400.07	-	1190.67	107.85	88.09	-	195.94
2000-01	768.09	-	शून्य	768.09	626.58	-	शून्य	626.58	141.51	-	शून्य	141.51
2001-02	844.18	-	शून्य	844.18	460.29	-	शून्य	460.29	383.89	-	शून्य	383.89
2002-03	801.36	-	298.65	1100.01	649.12	-	शून्य	649.12	152.24	-	298.65	450.89
योग	**4557.10**	**660.91**	**298.65**	**5516.66**	**3530.02**	**554.22**	शून्य	**4084.24**	**1027.08**	**106.69**	**298.65**	**1432.42**

जाँच में निम्नलिखित तथ्य प्रकट हुए :

26 प्रतिशत निधियों का उपयोग नहीं किया गया

- वर्ष 1997–2003 की अवधि में 26 प्रतिशत उपलब्ध निधि का उपयोग मुख्यतः वेतन बकाया का भुगतान नहीं करने एवं अग्नि शमन संयंत्रों के क्रय की असंस्वीकृति के कारण नहीं किया जा सका था।

1 *पटना, पटना सिटी, सिवान, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गया, आरा, कटिहार और दरभंगा*

2 *पटना – उमा ; सिवान–दरबार और शेखर ; मुजफ्फरपुर : दीपक, जवाहर ; लहेरियासराय : लाईट हाउस ; दरभंगा : पूनम ; कटिहार : हरदयाल, प्रकाश ; भागलपुर : अजन्ता , दीपप्रभा ; गया : आनंद।*

दसवें एवं ग्यारहवें वित्त आयोग की पर्याप्त निधि का वर्ष 1998–99 से 2001–02 की अवधि में अव्यवहृत अथवा अवरूद्ध रही

- दसवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित कुल बजट प्रावधान 6.61 करोड़ रुपये में से 5.54 करोड़ रुपये व्यय किये गये थे। इनमें से 2.86 करोड़ रुपये के जो संयंत्र क्रय किये गये थे, का उपयोग नहीं हो रहा था तथा 1.87 करोड़ रुपये (मई 2000 से जुलाई 2003 तक) स्टैट बैंक ऑफ इंडिया में लेटर ऑफ क्रेडिट के रूप में इटली के एक फर्म से संयंत्रों की आपूर्ति के लिए रखे हुए थे। 11वें वित्त आयोग के अधीन 2.99 करोड़ रुपये बजट प्रावधान में से कोई राशि 2002–03 के दौरान व्यय नहीं हुआ था।

पुराने कर्जों पर सूद का भुगतान

- इन व्ययों में 17.69 लाख रुपये के वे अनुमान्य कर्जे के भुगतान भी सम्मिलित थे जो वर्ष 1999–2000 और वर्ष 2000–01 की अवधि में, भारतीय सामान्य बीमा निगम को, अग्निशमन सेवाओं हेतु राज्य सरकार द्वारा अगस्त 1984 से जनवरी 1988 की अवधि में लिये गये 2.64 करोड़ रुपये के ऋण के एवज में दिये गये थे।

भारी रोकड़ शेष से जोखिम

- वर्ष 1997–2003 की अवधि में प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में भारी अंतः रोकड़ शेष[3], आहरित निधियों में से 63.09 लाख रुपये से 5.40 करोड़ रुपये, राज्य अग्नि शमन अधिकारी द्वारा रखा गया था, जिससे शासकीय निधि के दुर्विनियोजन का जोखिम था। इससे यह भी पता चला कि बजट प्रावधान को व्यपगत होने से बचाने के लिए राज्य अग्नि सेवा अधिकारी द्वारा निधियों को निकाला गया था जो कि नियमों के अधीन अनुमान्य नहीं था।

3.5.2 अग्निशमन सेवाओं का प्रदर्शन

राज्य में अग्निशमन सेवाओं के प्रदर्शन में पाई गई कमियाँ निम्नलिखित थीं :

अग्निशमन स्टेशन (केन्द्र) की स्थापना में अनुक्रिया समय का ध्यान नहीं रखा गया

- स्थायी अग्निशमन सलाहकार समिति (दिसम्बर 1976) के मानदण्डों के अनुसार अग्निशमन केन्द्रों की संख्या अनुक्रिया समय पर आधारित होनी चाहिए जोकि उच्च जोखिम और सघन निर्मित क्षेत्र में अधिकतम तीन मिनट और अन्य क्षेत्रों में व्यस्ततम आवागमन समय (घनों) में इसे पाँच मिनट से अधिक नहीं होना चाहिए।

16 नए अग्निशमन केन्द्रों की स्थापना हेतु उपकरण अक्रिय पड़े रहे

राज्य में अग्निशमन केन्द्रों का स्थान निर्धारण जोखिम विश्लेषण (उच्च/मध्यम/निम्न जोखिम क्षेत्र) के आधार पर निश्चित नहीं किया गया था और न ही यह प्रत्येक 50,000 जनसंख्या के लिए एक अग्निशमन इकाई के मानदण्ड पर आधारित था। राज्य में जनसंख्या के मानदण्ड के आधार पर 56 अग्निशमन केन्द्र के स्थान पर भौगोलिक आधार पर विभिन्न जिलों में 32 अग्निशमन केन्द्र अवस्थित थे। पुनः राज्य के नौ जिलों[4] में अग्निशमन केन्द्र नहीं था और उनकी अन्य जिलों के नजदीकी अग्निशमन केन्द्र से दूरी 20 से 60 कि.मी. तक थी।

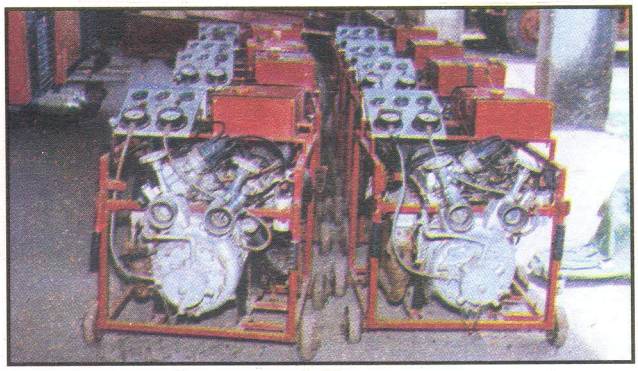
राज्य अग्निशमन पदाधिकारी, पटना ने दशम् वित्त आयोग के अनुदान में से 16 नए अग्निशमन केन्द्रों[5] की स्थापना हेतु 2.86 करोड़ रुपये की लागत पर 23 जल टेंडर, 6 जीप टेंडर, एक फोम टेंडर, आठ पोर्टेबुल पम्प और एक हाइड्रॉलिक प्लेटफार्म (15 मीटर) की

3 *मार्च 1998 : 67.95 लाख रुपये, 1999 : 126.85 लाख रुपये, मार्च 2000 : 539.65 लाख रुपये, मार्च 2001 : 63.09 लाख रुपये, मार्च 2002 : 76.59 लाख रुपये*

4 *अररिया (40 कि. मी.), बाँका (50 कि.मी.), बक्सर (40 कि.मी.), जमुई (50 कि.मी.), लक्खीसराय (60 कि.मी.), मधेपुरा (20 कि.मी.), शेखपुरा (40 कि.मी.), शिवहर (25 कि.मी.) और सुपौल (30 कि.मी.)।*

5 *दस नये जिला मुख्यालय : बक्सर, सुपौल, लक्खीसराय, जमुई, बाँका, शेखपुरा, शिवहर, मधेपुरा, अररिया, अरवल 4 अतिरिक्त केन्द्र : गया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, मधुबनी, दो नये अग्निशम केन्द्र : फुलवारी शरीफ, कंकड़बाग।*

खरीद की (मार्च 1998)। उपस्कर केन्द्रीय भण्डार, पटना सिटी के खुली हवा में मई 2003 तक अप्रयुक्त पड़े रहे और सरकार द्वारा मानव बल की स्वीकृति न होने के कारण किसी नए अग्निशमन केन्द्र की स्थापना भी नहीं की गई थी।



पोर्टेबल पम्प



जीप टेंडर



हाइड्रोलिक प्लेटफार्म (15 मीटर)



वाटर टेंडर

केन्द्रीय भंडार, पटना सिटी में अव्यवहृत संयंत्र जो खुले आकाश में पड़े हुए थे

अग्निशमन जल टेंडर आवश्यकता से कम थे

- पाँच अग्निशमन केन्द्रों[6] में 15 जल टेंडरों का स्वीकृत बल था। इसके विरूद्ध केवल नौ जल टेंडर उपलब्ध थे। साथ ही अग्निशमन केन्द्र छपरा में एक पोर्टेबल पम्प कम था।

ऊँचे भवनों में अग्नि शमन सेवाओं के लिए प्रशिक्षित मानव बल एवं उपकरणों का अभाव

- विस्फोटक निर्माण इकाईयों, फेक्ट्रीयों, कर्मशालाओं, मुख्य पेट्रोलियम एवं तेल संस्थानों, हवाई अड्डों, ऊर्जा एवं अन्य उत्पादक इकाईयों, ऊँचे भवनों में होने वाली आग सम्बन्धी घटनाओं को रोकने एवं नियंत्रण हेतु बिहार अग्निशमन केन्द्रों के पास प्रशिक्षित मानव बल का अभाव था।

अधिकतर अग्निशमन केन्द्रों निजी भवनों में अवस्थित थे।

- 32 में से केवल 3 अग्निशमन ईकाईयाँ (पटना, गया एवं मुजफ्फरपुर) अपने भवनों में अवस्थित थे। तीन अग्शिमन केन्द्रों (आरा, कटिहार, दरभंगा) का कार्यान्वयन भवन जर्जर स्थिति में था।

किराया मुफ्त आवास अग्निशमन पदाधिकारियों को सामान्यतः नहीं थी

- स्थायी अग्निशमन सलाहकार समिति के मानकों के अनुसार अग्निशमन केन्द्रों में कार्यरत कर्मियों को मुफ्त आवास अग्निशमन केन्द्र परिसर में उपलब्ध कराया जाना था ताकि वे आवश्यकता होने पर बिना समय गँवाये जल्द अग्नि निरोधक कार्रवाई को अंजाम दे सके। तथापि राज्य में केवल दो अग्निशमन अधिकारिकयों (पटना एवं गया) को मुफ्त आवास की सुविधा उपलब्ध थी एवं मुजफ्फरपुर तथा गया केन्द्रों पर 16 आवासों (मुजफ्फरपुर : 6 एवं गया : 10) की सुविधा अग्नि कर्मियों के लिए उपलब्ध थी।

अकार्यशील सूचना प्रणाली

- बिहार अग्निशमन सेवा के सूचना तंत्र को उन्नत करने हेतु दसवें वित्त आयोग के योजना के तहत् 25 वॉट के 40 वी. एच. एफ. मोबाईल वायरलेस सेट, अग्निशमन केन्द्र एवं अग्निशमन वाहनों के मध्य संचार उपलब्ध कराने हेतु अग्निशमन वाहनों में स्थापित किये गये थे एवं 98 वी एच एफ हैंडसेट आगे के अग्निशमन वाहन जो दुर्घटना स्थल पर स्थित होता है एवं पीछे को सहायता देने वाले अन्य अग्निशमन वाहनों के बीच बेहतर तालमेल हेतु वर्ष 1997–98 में 15.75 लाख रुपये व्यय करके उपलब्ध कराये गये थे। पुनः वर्ष 1999–2000 में दो, 100 फीट ऊँचे वायरलेस टॉवर पटना एवं पटना सिटी में 3.29 लाख रुपये व्यय करके स्थापित किये गये थे। उपर्युक्त प्रणाली वायरलेस टॉवर एवं वायरलेस सेटों के मध्य संचार लिंकेज नेटवर्क के नहीं होने की वजह से अकार्यशील थी जिसपर 19.04 लाख रुपये का अलाभप्रद व्यय हुए थे।

अग्नि दुर्घटनाओं से व्यापक जन एवं धन की क्षति

- वर्ष 1997–98 से 2001–02 के बीच बिहार में 9785 अग्नि संबंधी घटनाएँ हुई थीं, जिससे 197 मानव जीवन, 1354 पशुजीवन एवं 59.57 करोड़ रुपये की सम्पत्ति की हानि हुई।

अग्नि दुर्घटनाओं को रोकने में जल्द प्रतिरोध कर्रवाई का अभाव

नमूना जाँचित नौ अग्निशमन केन्द्रों में अग्नि शमन कर्मियों के घटना स्थल पर पहुँचने एवं आवश्यक कार्रवाई शुरू करने संबंधी, तथ्य यथा, दिनांक एवं समय का कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं था। इसलिए अग्निशमन सेवा हेतु प्रतिक्रिया समय सुनिश्चित नहीं किया जा सका था। यह पाया गया कि वर्ष 1998 से 2002 के मध्य बिहार अग्निशमन सेवा के नौ अग्निशमन केन्द्रों द्वारा कुल 4212 अग्नि सूचनाओं को प्राप्त किया गया। इनमें से 1469 सूचनाओं में अग्निशमन दस्ते के पहुँचने से पहले ही आग पर काबू पाया जा चुका था एवं 2.58 करोड़ रुपये की संपत्ति के नुकसान को नहीं बचाया जा सका था।

6 *पटना, डेहरी, किशनगंज, कटिहार और भभुआ*

अग्निशमन केन्द्र में जल संसाधन की कमी

पटना स्थित अग्निशमन केन्द्र को छोड़कर अन्य किसी भी अग्निशमन केन्द्र पर फायर हायड्रेन्ट एवं स्थायी जल टैंक की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। इन अग्निशमन केन्द्रों को जल तलाब या नदी या अन्य उपलब्ध व्यवस्था से करना था। यह पाया गया कि वर्ष 1998 से 2003 के मध्य नौ अग्निशमन केन्द्रों पर 28 जल टेंडरों द्वारा जल प्राप्ति हेतु 3 से 53 किलोमीटर की यात्रा की गई थी।

उपयोग करने वालों के विचार नहीं लिये गये थे

- नमूना जाँचित नौ अग्निशमन केन्द्रों में से किसी भी केन्द्र पर उपयोग करने वाले लोगों से यथा वांछित विचार नहीं लिये गये।

- स्थायी अग्नि सुरक्षा सलाहकार परिषद के अनुशंसाओं के आधार पर प्रत्येक अग्निशमन केन्द्र पर एक एम्बुलेंस गाड़ी होनी चाहिए थी जबकि बिहार में किसी भी केन्द्र पर यह उपलब्ध नहीं था।

वाहनों का दूसरी सेवाओं के लिए दुरूपयोग किया गया

वर्ष 1998 से 2002 की अवधि में अग्निशमन केन्द्रों के वाहनों एवं अन्य सुविधाओं का दुरूपयोग स्थानीय प्रशासन द्वारा सड़कों पर पानी के छिड़काव, स्टेडियम, हैलिपैड, मंदिर धोने, टेलिफोन बिल जमा करने और उच्च सरकारी कर्मियों के घर पर पानी आदि पहुँचाने के लिए किया गया जो बिहार पुलिस मैन्युअल के नियम 1272 के अधीन निषिद्ध था और सुविधायें प्रदान करने के क्रम में अग्निशमन केन्द्र में जल टेंडर वाहनों द्वारा 558 दिनों में 23472 किलोमीटर की यात्रा की गई जिसपर ईंधन मद में 1.20 लाख रुपये का व्यय आया।

अग्नि दुर्घटनाओं के अवधि में गलत सूचनाओं के विरूद्ध कार्रवाई का अभाव

- वर्ष 1998–2002 के अवधि में नौ अग्निशमन केन्द्रों पर 126 गलत सूचनाएँ प्राप्त हुई जिसके आधार पर केन्द्र के वाहनों द्वारा 1611 कि. मी. की दूरी तय की गई। गलत सूचनाएँ भेजने वालों के खिलाफ बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम, 1948 के अनुभाग 16 के अन्तर्गत अग्निशमन केन्द्र अधिकारी द्वारा कार्रवाई नहीं की गई।

प्रशिक्षण एवं जागरूकता क्रियाकलाप के ब्यूरो का न होना

- स्थायी अग्निशमन सलाहकार परिषद के मानकों के अनुसार राज्य के प्रत्येक अग्निशमन केन्द्र पर प्रशिक्षण व्यूरो की स्थापना की जानी चाहिए किन्तु ऐसा कोई ब्यूरो बिहार में कर्मियों के आधुनिक संयंत्रों एवं अग्नि विपदा पर नियंत्रण तथा रोकथाम की जानकारी प्राप्त करने के लिए स्थापित नहीं की गई थी।

वाहनों के मरम्मती हेतु कर्मशालाओं का नहीं होना

- विभाग के पास केन्द्रीय अथवा चलंत किसी भी प्रकार का कर्मशाला समय पर उपस्कर के मरम्मत एवं रखरखाव हेतु नहीं था। निजी एजेन्सियों द्वारा वाहनों एवं उपस्कर के मरम्मत एवं रखरखाव पर वर्ष 1997–2002 के अवधि में 83.83 लाख रुपये का व्यय किया गया था।

- स्थायी अग्निशमन सलाहकार परिषद के मानकों के अनुसार अधिक ऊँचाई वाले (15 मीटर से अधिक) भवनों का सर्वेक्षण कर यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए था कि उक्त भवनों के मालिकों द्वारा पर्याप्त अग्निनिरोधक उपाय निर्धारित समय सीमा में किया गया कि नहीं। यद्यपि बिहार अग्निशमन सेवा द्वारा मई 2003 तक किसी प्रकार का सर्वेक्षण नहीं किया गया था।

अग्नि प्रतिवेदन बहुत ज्यादा विलम्बित

- स्थायी अग्निशमन सलाहकार परिषद के मानको के अनुसार सभी अग्निशमन एवं अन्य विशेष सेवाओं संबंधी प्रतिवेदन अग्निशमन केन्द्र अधिकारी द्वारा दुर्घटनाओं की सूचना 48 घंटों के अंदर (छुट्टी और रविवार को छोड़कर) प्रस्तुत किया जाना चाहिए। बिहार के नौ अग्निशमन केन्द्रों पर वर्ष 1998 से 2002 की अवधि में राज्य अग्निशमन अधिकारी, पटना को 2 से 82 दिनों के बाद सूचना दी गई।

3.5.3 मानव बल प्रबंधन

31 मार्च 2003 को बिहार अग्निशमन सेवा के स्वीकृत बल एवं पदस्थापित बल निम्नलिखित थे :

स्वीकृत बल के अनुसार कार्यरत बल का न होना

(संख्या में)

क्रम सं.	पदनाम	स्वीकृत पद	पदस्थापित बल	रिक्त पद
1	राज्य अग्निशम अधिकारी	1	शून्य	1
2	प्रमंडलीय अग्निशमन अधिकारी	1	शून्य	1
3	सहायक अग्निशमन अधिकारी	4	3	1
4	अग्निशमन केन्द्र अधिकारी	33	10	23
5	उपअधिकारी केन्द्र	32	14	18
6	लीडींग अग्निशमन कर्मि	102	83	19
7	अग्निशमन कर्मि	375	299	76
8	अन्य	95	87	8
	कुल	**643**	**496**	**147**

उपर्युक्त तालिका में यथानिर्दिष्ट राज्य अग्निशमन अधिकारी एवं प्रमंडलीय अग्निशमन अधिकारी के महत्त्वपूर्ण पद के साथ ही अग्निशमन केन्द्र अधिकारी, उप अधिकारी केन्द्र, लीडिंग अग्निशमन कर्मी तथा अग्निशमन कर्मियों के अधिकांश पद रिक्त थे।

3.5.4 अन्य बिन्दुएँ

ढ़ाँचा बनाने वाली एजेन्सी को उच्च दर पर कार्य आवंटित किया गया

- गृह (पुलिस) विभाग के केन्द्रीय क्रय समिति ने (11 मार्च 2000 को) 10 जीप टेंडर तथा 36 जल टेंडर वाहन के ढ़ॉचा खरीद के लिए एजेन्सी को क्रमशः एक लाख रुपये एवं 3.58 लाख रुपये में आवंटित करने का निर्णय लिया जबकि दो अन्य एजेन्सीयों द्वारा कम दर क्रमशः 87,542 रुपये एवं 3.11 लाख रुपये निविदा के विरूद्ध आवदेन किया गया था।

समिति द्वारा एजेन्सी को इस आधार पर ऊँचे दर प्रदान किया गया कि राज्य के पंजीकृत लघु उद्योग ईकाई को ऊँचा दर (15 प्रतिशत) अनुमान्य थी जबकि ऊँचे दर पर इन एजेन्सियों से सिर्फ निर्मित समान क्रय करने का प्रावधान था न कि ढ़ाँचागत निर्माण करवाने का। इसप्रकार अविवेकपूर्ण ढ़ंग से ऊँचे दर पर एजेन्सी को कार्य आवंटित करने से 18.96 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय हुआ।

तीन वर्षों से एक फर्म के नाम पर एल ओ सी के रूप में 1.87 करोड़ रुपये का अवरूद्ध रहना

- राज्य अग्निशमन अधिकारी द्वारा ट्रेजरी से (मार्च 2000) 1.87 करोड़ रुपये निकाले गये एवं भारतीय स्टेट बैंक में इटली के एक फर्म से हाईड्रोलिक प्लेटफार्म सह टर्न टेबुल लेडर (40 मीटर ऊँचाई वाला) के क्रय हेतु 1.87 करोड़ रुपये का लेटर ऑफ क्रेडिट के रूप में जमा (15 मई 2000) किया गया तथा दिसम्बर 2003 तक सरकार द्वारा उचित प्रयास नहीं किये जाने के कारण संयंत्र की आपूर्ति नहीं हो पाई थी और तीन वर्षों से अधिक समय तक अवरूद्ध राशि पर सूद के रूप में 78.90 लाख रुपये की हानि (11.5 प्रतिशत प्रति वर्ष) दिसम्बर 2003 तक थी।

भंडार के भौतिक सत्यापन संबंधी किसी अभिलेख का अभाव

- बिहार राज्य के सभी अग्निशमन केन्द्रों के भंडार के रूप काम करने वाली केन्द्रीय भंडार, पटना के भौतिक सत्यापन संबंधी कोई प्रतिवेदन लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराये गये।

लेखाओं का नियमों के अनुरूप संधारण नहीं किया जाना

- राज्य अग्निशमन अधिकारी, पटना के रोकड़ पंजी का संधारण 1 अप्रैल 1997 से 31 मार्च 2002 की अवधि में बिहार कोषागार संहिता भाग–I के नियम 86 के अनुसार नहीं हुआ था। मार्च 2001 में रोकड़ बही में दर्ज 12 प्रविष्टियों को छोड़कर बाकी का सत्यापन राज्य अग्निशमन अधिकारी द्वारा नहीं किया गया था। बिहार पुलिस मैनुअल के नियम 940 के अनुसार बकाया भुगतानों के विरूद्ध द्वितीय संक्षिप्त हस्ताक्षर नहीं किये गये थे। रोकड़ बही मशीन द्वारा क्रमांकित नहीं थी। जिसके चलते रोकड़ बही में जाली प्रविष्टियों की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। यह भी पाया गया कि वर्ष 1998 से मार्च 2002 की अवधि में पाँच अग्निशमन केन्द्रों (कटिहार, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सीवान एवं भागलपुर) द्वारा 2.22 लाख रुपये प्राप्त किये गये थे जबकि इससे संबंधित एडवाईस स्लीप संबंधित अग्निशमन केन्द्रों के रोकड़ बही में दर्ज नहीं थे।

3.5.5 पर्यवेक्षण एवं मूल्यांकन

प्रभावी पर्यवेक्षण का अभाव

प्रदत्त अग्निशमन सेवाओं का सावधिक पर्यवेक्षण एवं मूल्यांकन प्रभावी ढ़ंग से नहीं किया गया। परिणामस्वरूप पर्याप्त निधि का प्रावधान अनुपयोगीत रही ; दसवें एवं ग्यारहवें वित्त आयोग से प्राप्त अनुदानों का समुचित उपयोग अग्निशमन सेवाओं के उन्नयन एवं स्थापना में नहीं किया गया, अग्निशमन सेवा केन्द्र समुचित रूप से संसाधित नहीं हो पाये ; सूचना तंत्र का विकास नहीं हो पाया एवं अग्निशमन केन्द्रों में जल संसाधन की कमी थी।

3.5.6 निष्कर्ष

राज्य में अग्निशमन सेवा अपर्याप्त थी। 37 जिलों में से नौ जिलों में अग्निशमन सेवा नहीं थी। राज्य में 32 उपलब्ध केन्द्रों द्वारा अपनी सेवाओं का प्रभावी निष्पादन, प्रशिक्षित, मानव बल की कमी, ऊँचे भवनों में होने वाली आग दुर्घटनाओं में सही संचालन हेतु उपकरण की कमी एवं अग्निशमन केन्द्रों पर जलापूर्ति के पर्याप्त साधन उपलब्ध न होने के कारण, नहीं हो पा रहा था। अधिकांश अग्नि टेंडर एवं 1998 के दौरान उपलब्ध कराये गए अन्य उपकरण निष्क्रिय और अनुपयोगित रहे। आंतरिक नियंत्रण प्रणाली अप्रभावी थी।

3.5.7 अनुशंसाएँ

- राज्य सरकार को स्थायी अग्नि सुरक्षा सलाहकार समिति के मानकों को स्वीकार करते हुए उनके अनुरूप अग्निशमन सेवा हेतु नियमों को बनाना चाहिए;
- अग्नि दुर्घटनाओं को रोकने के लिए अग्नि निरोधक दस्ते का गठन किया जाना चाहिए ;
- रिक्त पदों को प्राथमिकता के आधार पर भरा जाना चाहिए
- सभी प्रकार के भवनों/स्थानों पर आग दुर्घटनाओं को रोकने के लिए नियमित प्रशिक्षण एवं सावधिक रिफ्रेशर पाठ्यक्रम द्वारा प्रशिक्षित मानव बल का विकास किया जाना चाहिए ;
- उपलब्ध सभी उपकरण आवश्यकता वाले अग्निशमन केन्द्रों को बिना आगे विलंब के सौंपा जाना चाहिए।

उपर्युक्त तथ्य सरकार को (अगस्त 2003) संदर्भित किये गये थे, उनका जवाब (मार्च 2004) नहीं प्राप्त हुआ था।

कल्याण एवं शिक्षा विभाग

3.6 छात्रों को वृत्तिका एवं छात्रवृत्ति का भुगतान

अ. जा./अ. ज. जा., अ. पि. जा. तथा मेधावी छात्रों को भुगतेय वृत्तिका एवं छात्रवृत्ति

भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार के कल्याण एवं शिक्षा विभाग द्वारा मेधावी छात्रों एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति (अ. जा./अ. ज. जा.), अन्य पिछड़ी जातियों (अ. पि. जा.) इत्यादि जेसे समाज के आर्थिक एवं सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना था। कल्याण एवं शिक्षा विभाग तथा राज्य के 37 जिलों में से नौ[1] में उनके क्षेत्र कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना जाँच करके 1998–03 के दौरान छात्रों को वृत्तिका एवं छात्रवृत्ति के भुगतान की समीक्षा अप्रील तथा जुलाई 2003 के बीच की गई।

3.6.1 कल्याण विभाग द्वारा राज्य में छात्रों (अ.जा./अ.ज.जा. तथा अ.पि.जा.) को वृत्तिका तथा छात्रवृत्ति के भुगतान के लिए किए गए निधि के प्रावधान तथा उसके विरूद्ध व्यय, जैसा कि विभाग द्वारा बताया गया, निम्नवत थे :

बजटीय निधि का अधिकांश खर्च नहीं

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत	बचत का प्रतिशत
	(करोड़ रुपये में)			
1998 99	79.87	42.71	37.16	47
1999-2000	83.80	43.67	40.13	48
2000-2001	87.48	12.96	74.52	85
2001-2002	45.51	22.56	22.95	50
2002-2003	48.65	31.26	17.39	36
योग	**345.31**	**153.16**	**192.15**	**56**

1998–2003 के दौरान 192.15 करोड़ रुपये के अधिक बचत का कोई कारण नहीं बताया गया था। बचत में अनुसूचित जाति (86.93 करोड़ रुपये), अनुसूचित जन जाति (50.40 करोड़ रुपये) तथा अन्य पिछड़ी जातियों (54.82 करोड़ रुपये) के छात्रों के लिए उद्दिष्ट निधि शामिल थी।

3.6.2 नमूना जाँचित नौ जिलों में 1998–03 के दौरान उपलब्ध निधि (56.43 करोड़ रुपये) का 33 प्रतिशत (18.76 करोड़ रुपये) खर्च नहीं किया गया था। बचत की राशि और अधिक होगी क्योंकि नमूना जाँचित 10 प्रखंड विकास पदाधिकारियों तथा छः जिला कल्याण पदाधिकारियों ने कोषागार से निधि की निकासी कर 10.99 करोड़ रुपये राज्य प्राप्ति (10.47 करोड़ रुपये) एवं असैनिक जमा (51.66 लाख रुपये) में जमा किया। कोषागार से निकासी की गई निधि को व्यय मान लिया गया था।

जिला कल्याण पदाधिकारियों ने कहा (मई–जून 2003) कि छात्रवृत्ति की स्वीकृति के लिए छात्रों से आवेदन पत्र प्राप्त नहीं होने के कारण छात्रों को वृत्तिका एवं छात्रवृत्ति का वितरण नहीं किया गया। उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि उपयुक्त छात्रों से आवेदन की अप्राप्ति इस बात की सूचक थी कि संबंधित कार्यालय प्रधानों ने इस योजना को प्रचारित करने तथा छात्रों से आवेदन प्राप्त करने के लिए कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया। छात्रों से छात्रवृत्ति

1 *भागलपुर, दरभंगा, गया, कटिहार, मोतिहारी, मुंगेर, पटना, पूर्णिया तथा वैशाली*

के लिए आवेदन विद्यालय प्रधान द्वारा प्रत्येक वर्ष अप्रील तक प्राप्त किये जाने थे। सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्रखंड (प्राथमिक/मध्य विद्यालयों के लिए), अनुमंडल (उच्च विद्यालयों के लिए) तथा जिला स्तर (प्रवेशिकोत्तर के लिए) की छात्रवृत्ति समिति को तुरंत भुगतान हेतु एक माह के अंदर छात्रों की छात्रवृत्ति की जाँच एवं अनुमोदन करना था।

असैनिक जमा में निधि को रखना

इसके अतिरिक्त नमूना जाँचित नौ में से छः[2] जिलों में जिला कल्याण पदाधिकारी द्वारा 1998–03 के दौरान वृत्तिका तथा छात्रवृत्ति के भुगतान हेतु कोषागार से निकासी की गई 51.66 लाख रुपये की राशि को असैनिक जमा में रख दिया गया तथा जून 2003 तक राशि का उपयोग नहीं किया गया था। सरकार के आयुक्त एवं सचिव, कल्याण विभाग ने बताया (नवंबर 2003) कि वित्तीय वर्ष के अंत में निकासी की गई राशि को असैनिक जमा में रख दिया गया था। वक्तव्य स्वीकार्य नहीं था क्योंकि असैनिक जमा में रखने के लिए निधि की निकासी नियमानुसार अनुज्ञेय नहीं थी।

3.6.3 पाँच जिला कल्याण पदाधिकारियों[3] ने 1998–03 के दौरान उच्च/मध्य/प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को संबंधित वित्तीय वर्ष में वृत्तिका एवं छात्रवृत्ति की भुगतान हेतु 99 प्रखंड विकास पदाधिकारियों को 21.56 करोड़ रुपये विमुक्त किया लेकिन एक से पाँच वर्षों बाद भी प्रखंड विकास पदाधिकारियों द्वारा जून 2003 तक उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं दिया गया था जबकि अग्रिम दी गई राशि संबंधित वर्षों में जिला पदाधिकारियों के खाते में व्यय रूप में दर्ज कर दी गई थी। आयुक्त एवं सचिव ने बताया (नवंबर 2003) कि उन्होंने संबंधित जिलाधिकारियों को मामले से अवगत कराया था एवं भारत सरकार को उपयोगिता प्रमाण पत्र शीघ्र भेज दिया जाएगा।

छात्रवृत्ति का संदेहास्पद नगद भुगतान

3.6.4 यद्यपि प्रवेशिकोत्तर तथा उच्च विद्यालय छात्रवृत्ति का भुगतान लाभार्थियों को केवल बैंक या पोस्ट ऑफिस बचत खाते के माध्यम से करना था तथा प्रत्येक योग्य छात्र का बैंक या पोस्ट ऑफिस में बचत खाता खुलवाना जिला/अनुमंडल पदाधिकारी को सुनिश्चित करना था, दो महाविद्यालयों[4] के प्राचार्यों तथा छः प्रखंड विकास पदाधिकारियों[5] ने 66.57 लाख रुपये नगद भुगतान किया। ये भुगतान प्रथम दृष्टया संदेहास्पद थे क्योंकि भुगतान पंजी पर प्राप्तकर्त्ता का हस्ताक्षर एक ही आदमी द्वारा किया हुआ लगता था। सरकार द्वारा मामले की जाँच की आवश्यकता थी। प्रखंड विकास पदाधिकारियों ने कहा (अप्रील एवं जून 2003) कि भविष्य में ऐसी अनियमितता दुहराई नहीं जाएगी। आयुक्त एवं सचिव ने कहा (नवंबर 2003) कि जिलाधिकारी को मामले से अवगत करा दिया गया था।

छात्रवृत्ति का कम भुगतान

3.6.5 अ. पि. जा. के छात्रों को प्रवेशिका पूर्व छात्रवृत्ति 25 रुपये से लेकर 250 रुपये के परिवर्ती दर (दिवा छात्रः 25 रुपये से 50 रुपये ; आवासी : 200 रुपये से 250 रुपये) से एक वर्ष में 10 माह का भुगतान करना था। इसके अतिरिक्त प्रत्येक लाभार्थी को प्रत्येक वर्ष 500 रुपये के तदर्थ निधि का भुगतान करना था। तथापि पाँच प्रखंड विकास पदाधिकारियों[6] ने 1998–03 के दौरान 1838 छात्रों को 15.29 लाख रुपये की अनुमान्य राशि के बदले वृत्तिका

2 *भागलपुर : 11.22 लाख रुपये ; गया : 4.39 लाख रुपये ; मातिहारी : 7.92 लाख रुपये; मुंगेर : 21.16 लाख रुपये ; पूर्णिया : 1.65 लाख रुपये ; कटिहार : 5.32 लाख रुपये*

3 *गया, मोतिहारी, मुंगेर, पटना एवं वैशाली*

4 *मुंगेर : 1.55 लाख रुपये तथा पूर्णिया : 14.20 लाख रुपये*

5 *गया : 21.52 लाख रुपये ; मानपुर : 13.07 लाख रुपये ; हाजीपुर : 3.67 लाख रुपये ; बिदुपुर : 5.90 लाख रुपये, बंजरिया : 0.12 लाख रुपये तथा तुरकोलिया : 3.54 लाख रुपये*

6 *तुरकोलिया, बंजरिया, बिदुपुर, गया तथा मानपुर*

एवं छात्रवृत्ति के रूप में 6.69 लाख रुपये का भुगतान किया परिणामस्वरूप 8.60 लाख रुपये का कम भुगतान किया गया।

वर्ष के अंत में विमुक्त निधि का उपयोग नहीं

3.6.6 जिला कल्याण पदाधिकारी, गया ने 2001–02 के दौरान महाविद्यालय/विश्वविद्यालय के छात्रों को वृत्तिका एवं छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं किया क्योंकि वित्तीय वर्ष के अंत में विमुक्त की गई 71.99 लाख रुपये की निधि की निकासी 31 मार्च तक नहीं हो सकी और अंततः वह व्यपगत हो गई।

प्रखंड कल्याण पदाधिकारी द्वारा भुगतान सत्यापित नहीं

3.6.7 प्रामाणिक छात्रों को भुगतान सुनिश्चित करने हेतु प्राथमिक तथा मध्य विद्यालय के छात्रों को वृत्तिका/छात्रवृत्ति का भुगतान प्रखंड कल्याण पदाधिकारी (बी. डब्ल्यू. ओ.) की उपस्थिति में करना था तथा जिन्हें यह सत्यापित करना था कि वृत्तिका/छात्रवृत्ति का भुगतान उनकी उपस्थिति में हुआ। तीन जिलों के पाँच प्रखंड विकास पदाधिकारियों[7] ने 1998–03 के दौरान प्रखंड विकास पदाधिकारियों द्वारा प्रमाणक पर बिना भुगतान के प्रमाणपत्र दर्ज किए ही 1.83 करोड़ रुपये का भुगतान किया। अतः 1.83 करोड़ रुपये के भुगतान की प्रमाणिकता सत्यापित नहीं की जा सकी। आयुक्त एवं सचिव ने कहा (नवंबर 2003) कि संबंधित जिलाधिकारी को मामले से अवगत कराया जाएगा।

उद्दिष्ट निधि का दुरूपयोग

3.6.8 जिला कल्याण पदाधिकारी, पूर्णिया ने 1995–2001 के दौरान छात्रों की वृत्तिका/छात्रवृत्ति के भुगतान के लिए रखी गई 25.32 लाख रुपये की निधि का दुरूपयोग वाहन के रख रखाव एवं मरम्मत (9.80 लाख रुपये) तथा आवासीय विद्यालय के मरम्मत (15.52 लाख रुपये) पर किया।

3.6.9 जिला स्तर समिति, मोतिहारी ने 1998–03 के दौरान छात्रवृत्ति के भुगतान हेतु अ. पि. जा. के 4251 कॉलेज छात्रों का चयन किया। इसमें से 2250 छात्रों (अ. पि. जा.) को 18.42 लाख रुपये की छात्रवृत्ति का भुगतान किया गया जबकि शेष 2001 छात्रों को भुगतान किए जाने वाले 15.64 लाख रुपये का भुगतान जून 2003 तक नहीं किया गया था। जिला कल्याण पदाधिकारी, मोतिहारी ने कहा (जुलाई 2003) कि उन्हें छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं किया गया क्योंकि छात्रों द्वारा बैंक/पोस्ट ऑफिस में बचत खाता नहीं खोला गया था। यह कथन स्वीकार्य नहीं था क्योंकि योजना के अनुसार लाभार्थी छात्रों द्वारा बैंक/पोस्ट ऑफिस में ऐसे खाते खोलना सुनिश्चित करने के लिए जिला कल्याण पदाधिकारी/अनुमंडल कल्याण पदाधिकारी खुद उत्तरदायी थे। आयुक्त एवं सचिव ने कहा (नवंबर 2003) कि छात्रों को वर्ष के दौरान छात्रवृत्ति के भुगतान हेतु संबंधित जिलाधिकारियों को आवश्यक निर्देश निर्गत किया जा रहा था।

3.6.10 लाभार्थियों को 1998–2003 के दौरान छात्रवृत्ति के भुगतान के लक्ष्य एवं भौतिक प्रगति निम्नवत थी :

7 *मानपुर : 32.50 लाख रुपये ; गया : 57.40 लाख रुपये ; बिहुपुर : 31.41 लाख रुपये ; हाजीपुर : 46.01 लाख रुपये तथा तुरकोलिया : 15.45 लाख रुपये*

क्रम सं.	छात्रवृत्ति का नाम	1998–99		1999–2000		2000–01		2001–02		2002–03	
		लक्ष्य	उप–लब्धि	लक्ष्य	उप–लब्धि	लक्ष्य	उप–लब्धि	लक्ष्य	उप–लब्धि	लक्ष्य	उप–लब्धि
		(संख्या लाख में)									
I	अनुसूचित जाति										
	प्रवेशिकोत्तर	0.84	0.49	0.63	0.41	0.29	0.18	0.72	0.19	0.36	0.24
	उच्च विद्यालय	3.31	2.62	3.37	1.99	0.38	0.38	1.36	0.94	1.36	0.93
	प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय	5.42	5.17	6.15	4.15	1.32	1.31	3.56	2.06	4.04	3.15
	तकनीकी	0.06	0.03	0.06	0.03	-	-	0.02	0.02	0.02	0.01
	नापाक क्षेत्रों में कार्यरत माता–पिता के बच्चों को वृत्तिका	0.15	0.09	0.16	0.08	0.03	0.02	0.27	0.05	0.15	0.05
	मुसहर	0.45	0.34	0.25	0.13	-	-	0.28	0.17	0.28	0.11
	योग	**10.23**	**8.74(85)**	**10.62**	**6.79(64)**	**2.02**	**1.89(94)**	**6.21**	**3.43 (55)**	**6.21**	**4.49(72)**
II	अनुसूचित जन जाति										
	प्रवेशिकोत्तर	1.06	0.38	0.60	0.23	0.08	0.01	-	-	0.02	0.01
	उच्च विद्यालय	1.55	1.29	1.50	0.61	0.01	0.01	0.10	0.04	0.10	0.04
	प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय	2.54	2.20	2.44	2.42	0.04	0.03	0.24	0.11	0.24	0.18
	तकनीकी	0.06	0.02	0.06	0.01	-	-	-	-	-	-
	योग	**5.21**	**3.89(75)**	**4.60**	**3.27(71)**	**0.13**	**0.05(38)**	**0.34**	**0.15 44)**	**0.36**	**0.23(64)**
III	अन्य पिछड़े वर्ग										
	प्रवेशिकोत्तर	0.62	0.29	0.77	0.30	0.12	0.12	0.39	0.21	0.77	0.36
	उच्च विद्यालय	0.46	0.40	0.46	0.32	0.15	0.15	0.47	0.29	0.52	0.37
	प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय	0.51	0.51	0.51	0.35	0.75	0.74	1.44	0.53	1.59	1.28
	तकनीकी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	प्रवेशिकापूर्व	-	-	-	-	0.30	0.20	-	-	-	-
	योग	**1.59**	**1.20(75)**	**1.74**	**0.97(56)**	**1.32**	**1.21(92)**	**2.30**	**1.03 (45)**	**2.88**	**2.01(70)**

(कोष्ठक के अंक प्रतिशत दर्शाते है।)

भौतिक प्रगति में कमी का कोई कारण उपलब्ध नहीं

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग की छात्रों को छात्रवृत्ति के भुगतान की लक्ष्य के विपरीत भौतिक प्रगति क्रमशः 55 एवं 94, 38 एवं 75 तथा 45 एवं 92 प्रतिशत के बीच थी। कमी का कोई कारण उपलब्ध नहीं था।

मेघावी छात्रों को छात्रवृत्ति का कोई भुगतान नहीं

3.6.11 बिहार सरकार ने 1998–2003 के दौरान माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा मेघावी छात्रों को छात्रवृत्ति के भुगतान के लिए 5.15 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया था। इसमें से कोई राशि खर्च नहीं की गई क्योंकि विभाग द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारी को कोई निधि विमुक्त नहीं की गई तथा पूरी राशि व्यपगत हो गई।

3.6.12 उपसंहार

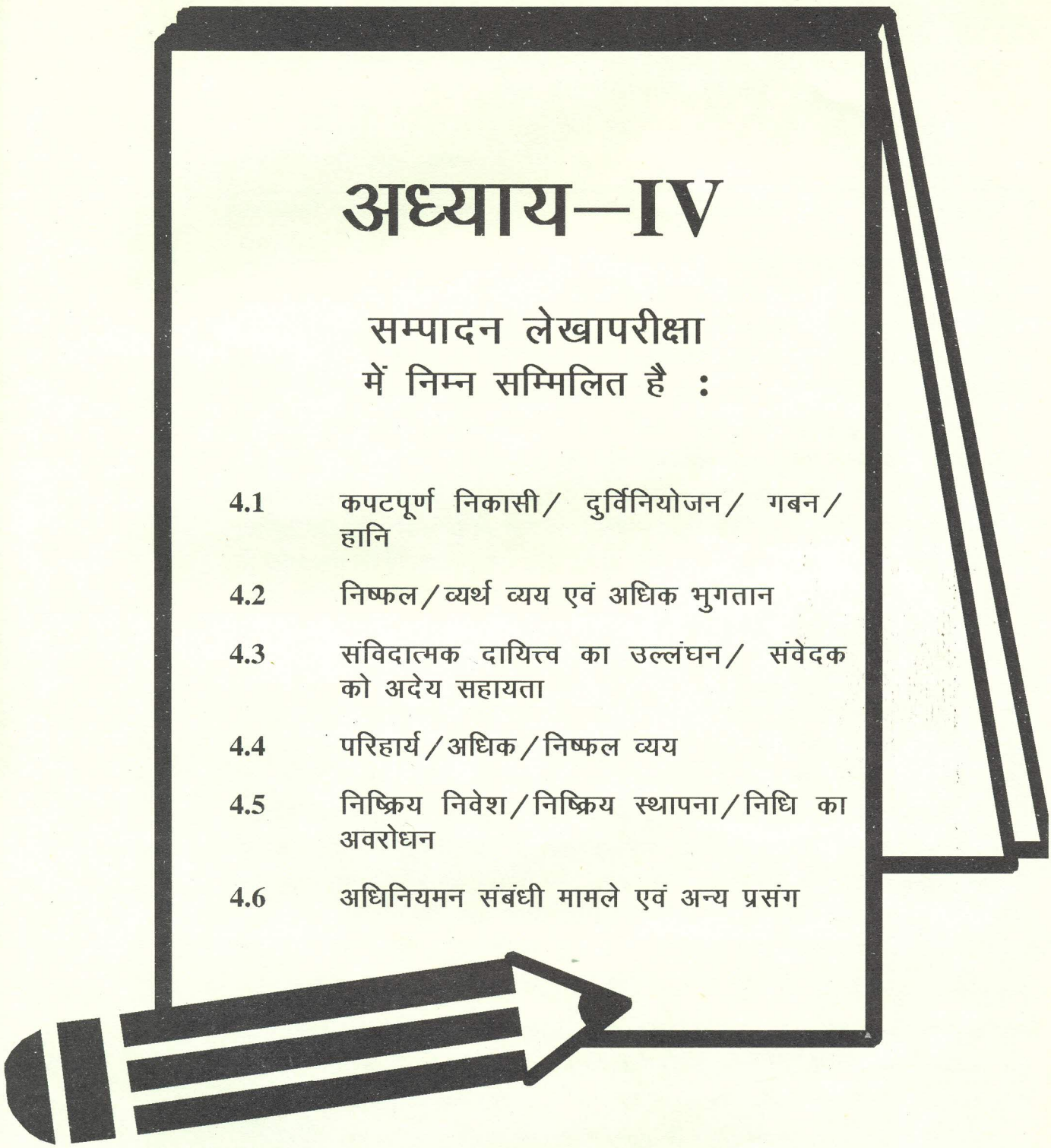
निधि दुरूपयोग/अनुपयोग के कारण अ. जा., अ. ज. जा. तथा अ. पि. जा. के लक्षित वर्गों के अधिकांश छात्र वृत्तिका एवं छात्रवृत्ति के भुगतान से वंचित रहे। कल्याण विभाग द्वारा

उद्दिष्ट निधि को राज्य प्राप्ति/असैनिक जमा में जमा कर दिया गया। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने 1998–2003 के दौरान मेधावी छात्रों के लिए 5.15 करोड़ रुपये के कुल बजट प्रावधान में से कोई राशि का भुगतान नहीं किया।

3.6.13 अनुशंसा

- आवेदन माँगने, छात्रवृत्ति का अनुमोदन करने तथा छात्रों को तुरंत भुगतान करने की समय सारणी बनानी चाहिए तथा पालन करना चाहिए
- विद्यालय प्रधानों तथा प्रखंड, अनुमंडल एवं जिला स्तर पर सरकारी अधिकारियों को छात्रों के बीच जागरूकता उत्पन्न करने हेतु प्रभावी कदम उठाना चाहिए ;
- उद्दिष्ट निधि का अंशतः उपयोग/अनुपयोग से बचने के लिए विद्यालय, प्रखंड, अनुमंडल तथा जिला स्तर पर नियमित अन्तराल (मासिक, त्रैमासिक, छमाही) पर प्रभावी अनुश्रवण करना चाहिए।

सरकार को मामले संदर्भित किए गए (अगस्त/सितंबर 2003) ; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे (मार्च 2004)। तथापि सरकार के आयुक्त एवं सचिव, कल्याण विभाग के साथ मामले पर विमर्श किया गया (नवंबर 2003) जिनके मामले पर उत्तर को उन उप कंडिकाओं में शामिल कर लिया गया था जहाँ आवश्यक समझा गया।



अध्याय–IV

सम्पादन लेखापरीक्षा में निम्न सम्मिलित है :

4.1 कपटपूर्ण निकासी/ दुर्विनियोजन/ गबन/ हानि

4.2 निष्फल/व्यर्थ व्यय एवं अधिक भुगतान

4.3 संविदात्मक दायित्त्व का उल्लंघन/ संवेदक को अदेय सहायता

4.4 परिहार्य/अधिक/निष्फल व्यय

4.5 निष्क्रिय निवेश/निष्क्रिय स्थापना/निधि का अवरोधन

4.6 अधिनियमन संबंधी मामले एवं अन्य प्रसंग

अध्याय–IV

सम्पादन लेखापरीक्षा

4.1 कपटपूर्ण निकासी / दुर्विनियोजन / गबन / हानि

वन एवं पर्यावरण विभाग

4.1.1 संदेहास्पद व्यय

वाल्मिकी राजकीय व्यापार प्रमंडल, बेतिया में 1.33 करोड़ रुपये का अग्रिम भुगतान संदेहास्पद था।

वन संरक्षक, वाल्मिकी व्याघ्र योजना के अनुरोध पर मुख्य वन संरक्षक सह मुख्य वन्य प्रतिपालक, बिहार ने वन प्रमंडल पदाधिकारी (डी. एफ. ओ.) वाल्मिकी राजकीय व्यापार प्रमंडल (वी. एस. टी. डी.) बेतिया को 28 मार्च 2001 को 1.33 करोड़ रुपये की अतिरिक्त निधि I, प्रमण्डल से ऐसे निधियों की माँग के बगैर दो अन्य प्रमंडलों (वाल्मिकी व्याघ्र परियोजना प्रमंडल I तथा II) जिनका विस्तार हेतु 31 मार्च 2001 तक स्वीकृति प्राप्त नहीं था, से संबंधित सड़कों, पुलों एवं भवनों के मरम्मति एवं रख रखाव तथा अन्य आकस्मिक व्ययों (टेलीफोन, विद्युत शुल्क, वर्दियों एवं अन्य कार्यालय खर्च) हेतु प्रदान की, जिनके जीवन विस्तार के लिए सरकार से 31 मार्च 2001 तक स्वीकृति नहीं दी गई थी, क्योंकि उन प्रमंडलों के परिचालन का विस्तार सरकार द्वारा वर्ष के अंतिम दिन (31 मार्च 2001) को दिया गया था। इसके अतिरिक्त इन दो प्रमंडलों (वाल्मिकी व्याघ्र योजना I एवं II) में 2000–01 के दौरान ऐसे व्यय की न तो सरकार द्वारा स्वीकृति थी न ही व्यापारिक गतिविधि के लिए साख–पत्र परिचालन हेतु महालेखाकार से कोई प्राधिकार प्राप्त था।

प्रमंडलीय वन पदाधिकारी, वी.एस.टी.डी., बेतिया के अभिलेखों की जाँच से ज्ञात हुआ कि डी. एफ. ओ. ने 1.33 करोड़ रुपये की पूरी राशि को 28 मार्च 2001 से 30 मार्च 2001 तक दो क्षेत्र पदाधिकारियों को दिया। इन क्षेत्र पदाधिकारियों ने इस राशि को 31 मार्च 2001 को वनपालों को अग्रिम के रूप में दे दिया तथा 1.33 करोड़ रुपये की पूरी राशि प्रमंडल के लेखे में खर्च के रूप में प्रदर्शित कर दी गई। इसमें से 82.88 लाख रुपये का व्यय डी. एफ. ओ. द्वारा अस्वीकृत निर्माण एवं मरम्मत कार्य पर दिखाया और सक्षम पदाधिकारी की स्वीकृति से बचने के लिए व्यय को 5000 रुपये की छोटी–छोटी राशि में बाँट कर दिखाया। 50 लाख रुपये की शेष राशि को आकस्मिक व्यय तथा कार्यालय व्यय के रूप में खर्च किया गया। प्रमंडल में 1.33 करोड़ रुपये के व्यय का कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं था।

इस प्रकार प्रमंडलीय लेखे के मार्च 2001 में दर्ज किए गए 1.33 करोड़ रुपये का कुल व्यय प्रत्यक्षतः संदेहास्पद था। प्रमंडलीय वन पदाधिकारी, वी. एस. टी. डी., बेतिया ने बताया (मई 2003) कि प्रधान मुख्य वन संरक्षक के स्तर पर मामले की जाँच चल रही थी तथा यथासमय लेखापरीक्षा को इसके परिणाम की जानकारी दे दी जाएगी।

मामला सरकार को संदर्भित किया गया (अगस्त 2003)। सरकार के उप सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग ने बताया (दिसम्बर 2003) कि संबंधित सभी 60 कर्मियों को निलंबित कर दिया गया था तथा उनके विरूद्ध विभागीय कारवाई शुरू की गई थी। प्रधान मुख्य वन संरक्षक, जो सेवा निवृत्त हो चुके थे, के विरूद्ध कारवाई के लिए भारत सरकार को संदर्भित किया गया था तथा भारतीय वन सेवा के दो अन्य अधिकारियों के विरूद्ध कारवाई शुरू की गई थी। उन्होंने यह भी बताया कि उन सभी के विरूद्ध पुलिस में एफ. आई. आर. दर्ज करने के लिए वन संरक्षक, बेतिया को निर्देश दिया गया था।

गृह (कारा) विभाग

4.1.2 निधि का दुर्विनियोजन

जिला कारा सहरसा में रोकड़ पंजी के संधारण में नियमों का अनुपालन नहीं करने के कारण 19.18 लाख रुपये का दुर्विनियोजन हुआ।

बिहार कोषागार संहिता भाग–I के नियम 86 में प्रावधान है कि सभी वित्तीय लेन–देन अविलम्ब रोकड़ पंजी में अंकित किया जाना चाहिए तथा कार्यालय प्रधान द्वारा जाँच के प्रमाणस्वरूप अभिप्रमाणित होना चाहिए।

जिला कारा सहरसा के अभिलेखों की जाँच (अप्रील 2001) से ज्ञात हुआ कि कारा अधीक्षक (निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी) ने 1 सितंबर 1999 से 19 नवंबर 1999 के दौरान के वित्तीय लेन–देन को अभिप्रमाणित नहीं किया था। इसके अतिरिक्त 20 नवंबर 1999 से 4 फरवरी 2000 की अवधि के दौरान हुए 21.35 लाख रुपये के वित्तीय लेन–देन रोकड़ पंजी में दर्ज नहीं थे। अभिलेखों की जाँच से यह भी स्पष्ट हुआ कि कारा अधीक्षक ने सहरसा कोषागार से उसी अवधि के दौरान 39 विपत्रों के माध्यम से 21.35 लाख रुपये (वेतन, सा.भ.नि. तथा पेंशन के 18 विपत्र पर 10.75 लाख रुपये तथा कार्यालय व्यय एवं संवेदक को भुगतान के लिए 21 विपत्र पर 10.60 लाख रुपये) की निकासी की। 21.35 लाख रुपये में 10.75 लाख रुपये के वितरण को रोकड़ बही में नहीं दर्शाया गया था जबकि रोकड़ बही लिखा गया था तथा इस राशि को भुगतान पंजी में वितरित दर्शाया गया था। 10.60 लाख रुपये के वितरण का न तो कोई प्रमाण था न ही यह राशि रोकड़ शेष का हिस्सा थी।

यह भी ज्ञात हुआ कि तत्कालीन रोकड़पाल ने 5 फरवरी 2000 को अपने उत्तराधिकारी को 19.64 लाख रुपये (9.04 लाख रुपये 19 नवंबर 1999 का रोकड़ शेष + 10.60 लाख रुपये) के बदले 0.46 लाख रुपये का प्रभार सौंपा था। यद्यपि अधीक्षक, जिला कारा, सहरसा ने पुलिस में तत्कालीन रोकड़पाल के विरूद्ध सभी संबंधित अभिलेखों एवं लेखा का प्रभार नहीं सौंपने के लिए एफ.आई.आर. दर्ज किया (9 फरवरी 2001)। लेकिन उन्होंने 19.18 लाख रुपये के दुर्विनियोजन के लिए मई 2003 तक कोई एफ. आई. आर. दर्ज नहीं किया।

उत्तरदायित्त्व निर्धारित करने तथा निवारक कार्यवाही करने के उद्देश्य से रोकड़पंजी के नियमानुसार संधारण में अधीक्षक के विफलता के कारण 19.18 लाख रुपये के दुर्विनियोजन की सरकार द्वारा जाँच की आवश्यकता थी।

मामला सरकार को संदर्भित किया गया (जून 2003) ; उनके उत्तर अप्राप्त थे (अप्रैल 2004)।

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

4.1.3 सामग्रियों की संदेहास्पद आपूर्ति

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रमंडल, सहरसा में 16.48 लाख रुपये मूल्य की सामग्रियों के संदेहास्पद आपूर्ति के लिए भुगतान।

कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रमंडल, सहरसा ने अगस्त 2000 तथा मार्च 2001 के दौरान 16.48 लाख रुपये मूल्य के नलकूप के अतिरिक्त पूर्जों की अधिप्राप्ति दो स्थानीय फर्मों से की। फर्मों ने 38 विपत्रों के माध्यम से सामग्रियों की आपूर्ति की। उन विपत्रों की सत्यता प्रत्यक्षतः संदेहास्पद थी क्योंकि आपूर्ति के सभी विपत्रों की संख्या 3 से 7 माह की अवधि में भी क्रमानुसार थी तथा फर्म ने अगस्त 2000 से मार्च 2001 के दौरान इस प्रमंडल के अलावे किसी भी अन्य एजेंसी से व्यापार किया हो, ऐसा प्रतीत नहीं होता था।

अधीक्षक, वाणिज्यि कर, सहरसा के अभिलेखों के प्रति–सत्यापन से भी ज्ञात हुआ कि दो में से एक फर्म नवंबर 2000 में ही बंद हो गया था जबकि दूसरे फर्म का अस्तित्व ही नहीं था। ये सभी दर्शाते थे कि भुगतान के प्रमाणक एवं उनपर भंडार–प्रविष्टि प्रमाणपत्र जाली थे।

इस प्रकार सामग्रियों की संदेहास्पद आपूर्ति पर 16.48 लाख रुपये व्यय किये गये थे। कार्यपालक अभियंता ने बताया (अक्टूबर 2002) कि क्रय आदेश उच्च अधिकारियों द्वारा निर्गत किया गया था, जिसके आधार पर भुगतान किया गया। सरकार द्वारा मामले की जाँच की आवश्यकता है।

मामला सरकार को संदर्भित किया गया (जून 2003) ; उनके उत्तर अप्राप्त थे (अप्रैल 2004)।

राजस्व विभाग

4.1.4 सरकारी धन का गबन

जिला नजारत उप समाहर्त्ता, जहानाबाद, आहरण एवं संवितरण पदाधिकारी की रोकड़ पंजी के संधारण में विफलता के कारण 5.93 लाख रुपये का गबन हुआ।

बिहार कोषागार संहिता भाग–I के नियम 86 में प्रावधान है कि सभी वित्तीय लेन–देन अविलम्ब रोकड़ पंजी में अंकित किया जाना चाहिए तथा कार्यालय प्रधान द्वारा जाँच के प्रमाणस्वरूप अभिप्रमाणित होना चाहिए।

जिला नजारत, जहानाबाद की पंचायत–चुनाव से संबंधित रोकड़ पंजी एवं अग्रिम पंजी की छानबीन (मार्च 2003) से पाया गया कि पंचायत चुनाव कराने हेतु 24 कर्मियों को फरवरी 2001 से दिसंबर 2001 के दौरान दिए गए कुल 63,000 रुपये के अग्रिम का समायोजन 21 अगस्त 2002 तक लंबित था। इसके बदले 21 अगस्त 2002 को, जब तत्कालीन आहरण एवं संवितरण पदाधिकारी, नजारत उप समाहर्त्ता, जहानाबाद ने रोकड़ पंजी का प्रभार सौंपा, रोकड़ पंजी में 21 अगस्त 2002 तक 6.56 लाख रुपये का बकाया दर्शाया गया था। इससे 5.93 लाख रुपये का गबन सुगम हुआ।

गबन की घटना नजारत उप समाहर्त्ता, जहानाबाद द्वारा रोकड़ पंजी के प्रत्येक प्रविष्टि को अनुप्रमाणित/सत्यापित करने, रोकड़ पंजी को प्रतिदिन लिखने को सुनिश्चित करने तथा प्रत्येक माह के अंत में रोकड़ के भौतिक शेष की गणना नियमों के तहत करने में विफलता के कारण गबन हुआ।

नजारत उप समाहर्त्ता ने बताया (मार्च 2003) कि नाजिर (रोकड़पाल) से राशि की वसूली की जाएगी। उन्होंने यह भी बताया (मई 2003) कि जाँच की गई थी एवं जाँच प्रतिवेदन जिला समाहर्त्ता को सौंपी गई थी। हाँलाकि इस मामले में हुई आगे की प्रगति लेखापरीक्षा को नवंबर 2003 तक सूचित नहीं की गई।

मामला सरकार को संदर्भित किया गया (अगस्त 2003) ; उनके उत्तर अप्राप्त थे (अप्रैल 2004)।

ग्रामीण विकास विभाग

4.1.5 अस्वीकृत प्रमाणकों के माध्यम से संदेहास्पद लेन देन

प्रखंड विकास पदाधिकारी, नरहट, नवादा में 1 से 15 वर्षों तक अस्वीकृत/ असमायोजित रहे प्रमाणकों के तहत हुए 11.82 लाख रुपये के लेन–देन संदेहास्पद थे।

वित्तीय नियमावली (बिहार कोषागार संहिता के नियम 305 के साथ पठित बिहार वित्तीय नियम के नियम 115) के प्रावधानों के अनुसार निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह देखने के लिए उत्तरदायीं हैं कि व्यय उपलब्ध विनियोग के अधीन है तथा उन्हें बिना बजट प्रावधान के सरकारी राशि का व्यय नहीं करना चाहिए।

अभिलेखों की नमूना जाँच से ज्ञात हुआ (मई 2002) कि प्रखंड विकास पदाधिकारी, नरहट, नवादा ने वित्तीय नियमों का उल्लंघन करते हुए वर्ष 1988–2002 के दौरान उपलब्ध रोकड़ शेष में से 11.82 लाख रुपये बिना बजट प्रावधान के ही कार्यालय पर खर्च किये। इस व्यय के प्रमाणकों को रोकड़ शेष के भाग के रूप में रखा, जो नियमों के तहत अनुज्ञेय नहीं था। ये प्रमाणक निधि के प्रावधान के अभाव में 1 से 15 वर्षों अक्टूबर 2003 तक, लेखे में अस्वीकृत एवं असमायोजित रहे। प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा व्यय नियंत्रण तथा रोकड़ प्रबंधन प्रक्रिया को समाप्त करते हुए यह व्यय किया गया था तथा इन प्रमाणकों की विश्वसनीयता संदेहास्पद थी।

यह पाया गया कि 11.82 लाख रुपये में से केवल 7.11 लाख रुपये के अस्वीकृत प्रमाणक उपलब्ध थे। यह दर्शाता था कि रोकड़ पंजी के अंतिम शेष में अस्वीकृत प्रमाणकों की संख्या बढ़ाकर 4.71 लाख रुपये का गबन कर लिया गया।

प्रखंड विकास पदाधिकारी, निकासी एवं व्ययन अधिकारी की रोकड़ पंजी में प्रविष्टि तथा भौतिक रोकड़ शेष के साथ–साथ अस्वीकृत प्रमाणकों की सत्यता को अनुप्रमाणित करने, जो नियमों के तहत अपेक्षित था, में विफलता के कारण यह गबन सुगम हुआ।

प्रखंड विकास पदाधिकारी, नरहट, नवादा ने बताया (मई 2002) कि संबंधित कर्मी (प्रखंड नाजीर) के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी तथा लेखापरीक्षा को इसके परिणाम से अवगत कराया जाएगा। बाद में उन्होंने सूचित किया (अक्टूबर 2003) कि 4.71 लाख रुपये के गायब अस्वीकृत प्रमाणकों को खोज लिया गया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि 1988–2002 के दौरान हुए 11.82 लाख रुपये का पूरा व्यय लेखे में 1 से 15 वर्षों तक अस्वीकृत रहा तथा व्यय की सत्यता संदेह से परे नहीं थी।

मामला सरकार को संदर्भित किया गया (जुलाई 2003) ; उनके उत्तर अप्राप्त थे (अप्रैल 2004)।

4.1.6 अग्रिम भुगतानों का दुर्विनियोजन

प्रखंड विकास कार्यालय, चोरौत, सीतामढ़ी में लाभार्थियों को तुरंत वितरित करने के लिए 9 कर्मियों को दिया गया 35.62 लाख रुपये का अग्रिम 1 से 6 वर्षों तक वितरित नहीं किया गया।

प्रखंड विकास पदाधिकारी (बी. डी. ओ.), चोरौत (सीतामढ़ी) के अभिलेखों की जाँच से ज्ञात हुआ (फरवरी 2002) कि इंदिरा आवास योजना, बाढ़ राहत, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन तथा छात्रवृत्ति इत्यादि के लाभार्थियों को तुरंत वितरित करने के लिए फरवरी 1997 से मार्च 2001 तक तत्कालिन बी. डी. ओ. सहित 12 कर्मियों को 35.62 लाख रुपये की अग्रिम दी गई। हाँलाकि कर्मियों ने 1 से 6½ वर्षों तक इन अग्रिमों का न तो कोई लेखा प्रस्तुत किया न ही अभिलेख में लाभार्थियों को इन्हें वितरित करने संबंधी कोई साक्ष्य था। अतः संबंधित कर्मियों द्वारा सरकारी धन के दुर्विनियोजन से इंकार नहीं किया जा सकता था। विवरण निम्नवत था :

क्रमांक	कर्मियों का नाम एवं पदनाम	अग्रिम की राशि (रुपये में)	प्राप्ति की अवधि	अग्रिम का प्रयोजन
1	अरूण कुमार भट्टाचार्य, बी. डी. ओ., चोरौत	22,03,010	मार्च 1997 से मई 1999	इंदिरा आवास योजना के लाभार्थियों को तुरंत वितरित करने हेतु
2	शंभु प्रसाद चौरसिया, प्रधान सहायक	55,000	–	इंदिरा आवास योजना के लाभार्थियों को तुरंत वितरित करने हेतु
3	हिमांशु भूषण ठाकुर, उद्योग विस्तार पदाधिकारी, पुपरी सह चोरौत	10,23,386	अक्टूबर 1997 से अगस्त 2000	सामाजिक सुरक्षा पेंशन, बाढ़ राहत तथा छात्रवृत्ति के लाभार्थियों को तुरंत वितरित करने हेतु
4	दिनबंधु मिश्रा, सहकारिता पदाधिकारी	35,000	फरवरी 1997 एवं जुलाई 1997	सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लाभार्थियों को तुरंत वितरित करने हेतु
5	राम विलास यादव, पंचायत सेवक	1,42,200	फरवरी 1998 से दिसंबर 1999	सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लाभार्थियों को तुरंत वितरित करने हेतु
6	कपिलेश्वर दास, पंचायत सेवक	25,000	मार्च 2001	वृद्धावस्था पेंशन के लाभार्थियों को तुरंत वितरित करने हेतु
7	परमानंद झा, पंचायत सेवक	51,225	मार्च 1999 से मार्च 2001	इंदिरा आवास योजना के लाभार्थियों को वितरित करने हेतु
8	सुशील कुमार वर्मा, कल्याण पदाधिकारी	10,088	मार्च 2001	छात्रवृत्ति के लाभार्थियों के बीच वितरित करने हेतु
9	अवध बिहारी पांडेय, लिपिक	16,800	अगस्त 1999	लाभार्थियों (मातृत्व) को सहायता अनुदान तुरंत वितरित करने हेतु
	योग	**35,61,709**		

जिन कर्मियों को निधि अग्रिम की गई थी उनसे लाभार्थियों को वितरण सुनिश्चित करने में बी. डी. ओ. विफल रहे। पूर्व में भुगतान किए गए अग्रिमों का समायोजन सुनिश्चित किए बगैर उन्होंने कर्मियों को लगातार अग्रिम का भुगतान किया।

बी. डी. ओ. ने सूचित किया (सितंबर 2003) कि अनुमंडल पदाधिकारी, पुपरी ने तत्कालीन बी. डी. ओ. के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज किया था (सितंबर 2003) तथा उन्हें सर्टिफिकेट नोटीस निर्गत किया गया था लेकिन दूसरे कर्मियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। मामले की आगे की प्रगति प्रतीक्षित (दिसम्बर 2003) थी।

मामला सरकार को संदर्भित किया गया (मई 2003) ; उनके उत्तर अप्राप्त थे (अप्रैल 2004)।

कल्याण विभाग

4.1.7 संदेहास्पद वितरण

बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, मनीगाँछी, दरभंगा के कार्यालय में 13.16 लाख रुपये के संदेहास्पद व्यय को लेखा में दर्ज करने से सरकारी धन का गबन सुगम हुआ।

बिहार कोषागार संहिता भाग I के नियम 86 में प्रावधान है कि सभी वित्तीय लेन देन को उनके होते ही रोकड़ पंजी में अंकित किया जाना चाहिए तथा कार्यालय प्रधान द्वारा जाँच के प्रमाणस्वरूप अभिप्रमाणित होना चाहिए।

बाल विकास परियोजना पदाधिकारी (सी. डी. पी. ओ.), मनीगाँछी (दरभंगा) के अभिलेखों की जाँच से 13.16 लाख रुपये के गबन का पता चला (जनवरी 2003) जैसा नीचे वर्णित है :

- जुलाई 1995 तथा नवंबर 1999 के बीच कर्मियों[1] से मानदेय के 2.99 लाख रुपये के रोकड़ की वसुली को रोकड़ पंजी में नहीं लिया गया।
- एक ए. एन. एम. (मीरा देवी) के पक्ष में निकासी (1.12.1999) की गई 40,000/– रुपये के भविष्य निधि अग्रिम को रोकड़ पंजी में उन्हें वितरित दर्शाया गया था जबकि इस राशि की प्राप्ति से उन्होंने इंकार किया (13 अगस्त 2001)। अतः रोकड़ पंजी में प्राप्तकर्त्ता की जाली प्राप्ति दर्ज की गई थी। इसके अतिरिक्त दो विपत्रों के माध्यम से निकासी (17.4.1996) की गई भविष्य निधि अग्रिम की 20,000/– रुपये रोकड़ पंजी में भुगतान किया हुआ दर्शाया गया था, जबकि प्राप्तकर्त्ता की प्राप्ति नहीं थी।
- एक चिकित्सक के बकाए वेतन एवं भत्ता के भुगतान हेतु 48,000/– रुपये का एक चेक नाजीर द्वारा दिनांक 9 नवंबर 1999 को भुनाया गया था। उसने रोकड़ पंजी में इस चेक को भुनाने तथा राशि के वितरण को नहीं दर्शाया था।
- रोकड़ पंजी में 10 सेविकाओं एवं 13 सहायिकाओं को वर्ष 1997–98 से वर्ष 1999–2000 के दौरान 2.84 लाख रुपये के मानदेय का वितरण दर्शाया गया था जबकि इन वर्षों के दौरान उन्हें किसी मानदेय की स्वीकृति नहीं दी गई थी।
- 12 सितंबर 1997 को रोकड़ पंजी के अंतशेष में अग्रिम के रूप में दर्शाए गए 4.95 लाख रुपये में से 2.11 लाख रुपये के अग्रिम भुगतान का विवरण नहीं था। इसके अतिरिक्त फरवरी–जून 1998 के दौरान रोकड़ पंजी में अंकित 0.70 लाख रुपये का अग्रिम भुगतान किए जाने वाले अधिकारी/कर्मी का नाम, अग्रिम का प्रयोजन तथा वास्तविक प्राप्तकर्त्ता की प्राप्ति इत्यादि उपलब्ध नहीं थी।
- भारतीय स्टेट बैंक, सकरी बाजार के पासबुक में 8 अगस्त 1995 को 1,25,773.55 रुपये का शेष दर्शित था, लेकिन रोकड़ पंजी के बैंक कालम में 1,65,773.55 रुपये का शेष था, परिणामतः 40,000/– रुपये रोकड़ की कमी थी।
- रोकड़ पंजी में दर्शित 14 अगस्त 1997 को 0.80 लाख रुपये तथा जून 1998 से अगस्त 2000 के दौरान के 0.31 लाख रुपये के असमायोजित प्रमाणक उपलब्ध नहीं थे।

1. *सेविका/सहायिक, सहायक नर्स तथा दाई (ए. एन. एम.) तथा एक चिकित्सक*

- वर्ष 1995–96 में ही अनुपयोगी घोषित एवं उसी समय से नहीं चलने वाले वाहन (सं. 4258) की मरम्मति पर वर्ष 1995–96 से 2000 के दौरान किया गया 1.93 लाख रुपये का व्यय संदेहास्पद था।

मामला सरकार को संदर्भित किया गया (जून 2003)। सरकार के आयुक्त एवं सचिव, समाजिक कल्याण विभाग ने बताया (नवंबर 2003) कि जिलाधिकारी, दरभंगा ने दोषी अधिकारियों के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज किया था तथा उनके विरूद्ध यथाशीघ्र आरोप लगाने हेतु पुलिस अधीक्षक, दरभंगा से आग्रह किया गया था (फरवरी 2003)। दोषी अधिकारियों के विरूद्ध विभागीय कार्रवाई भी शुरू की जा रही थी।

4.2 निष्फल/व्यर्थ व्यय एवं अधिक भुगतान

भवन निर्माण एवं आवास विभाग

4.2.1 सचिवालय परिसर में नवनिर्मित कांफ्रेंस हॉल के छत का ध्वस्त हो जाना

भवन निर्माण प्रमंडल, पटना में उच्चतम संवेदक को अविवेकपूर्ण ढंग से कार्य प्रदान करने के कारण अतिरिक्त लागत (20 लाख रुपये) आई तथा संवेदक को अनुचित सहायता (7.46 लाख रुपये) प्रदान की गई तथापि पाँच वर्षों में सिंचाई भवन के समक्ष क्रांफ्रेस हॉल का निर्माण नहीं हो सका। त्रुटिपूर्ण पर्यवेक्षण के कारण हॉल का छत भी ध्वस्त हो गया।

पटना में सिंचाई भवन के सामने एक ''कांफ्रेंस हॉल'' के निर्माण के कार्य के लिए भवन निर्माण तथा आवास विभाग बिहार द्वारा 3.49 करोड़ रुपये का प्रशासनिक अनुमोदन किया गया (फरवरी 1998)। कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण प्रमंडल सं.–I, पटना द्वारा बिना तकनीकी स्वीकृति तथा प्रशासनिक अनुमोदन के भी पहले कार्य के लिए निविदा आमंत्रित की गई (अगस्त 1997)।

भवन निर्माण प्रमंडल संख्या–I, पटना के अभिलेखों की जाँच से ज्ञात हुआ (सितंबर 2002) कि तीन एजेंसियों ने निविदा का प्रत्युत्तर दिया। निम्नतम उद्धृत दर 1.95 करोड़ रुपये की आकलित राशि से 5.74 प्रतिशत अधिक थी। हाँलाकि निविदा आमंत्रित करते समय की नोटिस में अनुबद्ध 180 दिन की वैधता अवधि के बीत जाने के बाद अभियंता प्रमुख द्वारा शीर्षित विभाग की निविदा समिति द्वारा डेढ़ वर्षों के बाद निविदा का निर्णय किया गया (15 फरवरी 1999)। परिणामतः प्रथम एवं द्वितीय निम्नतम संवेदकों ने अपने द्वारा उद्धृत दर पर कार्य क्रियान्वित करने से इंकार कर दिया तथा अभियंता प्रमुख द्वारा मई 2001 (19 नवंबर 2002 तक विस्तारित) तक कार्य पूरा करने के लिए उच्चतम निविदादाता को 2.26 करोड़ रुपये पर, जो आकलित लागत से 15.75 प्रतिशत अधिक था, आवंटित किया गया (सितंबर 1999) जिसके परिणामस्वरूप 20.00 लाख रुपये के अतिरिक्त लागत आई।

कार्यपालक अभियंता ने बताया (जून 2003) कि कार्य अधूरा था (सितंबर 2002) तथा 2.21 करोड़ रुपये पहले ही खर्च हो चुके थे। उन्होंने यह भी बताया कि भवन का छत गिर गया था तथा मामला जाँचाधीन था। सचिवालय परिसर में जहाँ बगल में ही कार्य के पर्यवेक्षण के

लिए पूरा अभियंत्रण विभाग अवस्थित था – निर्मित हो रहे भवन का ढह जाना आश्चर्यजनक था। कार्य के क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी अधिकारी (कार्यपालक अभियंता, सहायक अभियंता तथा कनीय अभियंता) कार्य का पर्यवेक्षण करने में विफल रहे थे।



नवर्निमित काफ्रेंस हॉल भवन के ध्वस्त छत

इसके अतिरिक्त एजेंसी को कार्य के लिए 47.34 लाख रुपये मूल्य की सामग्री निर्गत की गई तथा आश्चर्यजनक रूप से एजेंसी को योजना के सामग्री घटक पर भी प्रतिशत वृद्धि (15.75 प्रतिशत) की सहमति दी गई जो स्वीकार्य नहीं थी, जिसके परिणामस्वरूप एजेंसी को 7.46 लाख रुपये की अतिरिक्त अदेय वित्तीय सहायता प्राप्त हुई।

इस प्रकार निविदा के निर्णय में अत्यधिक विलंब के परिणामस्वरूप उच्चतम निविदादाता को अविवेकपूर्ण ढंग से 20.00 लाख रुपये के अतिरिक्त लागत पर कार्य प्रदान किया गया। इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा निर्गत सामग्रियों के लागत में अस्वीकार्य प्रतिशत वृद्धि की सहमति देते हुए एजेंसी को 7.46 लाख रुपये की अदेय वित्तीय सहायता प्रदान की गई। इसके अलावे खराब गुणवत्ता वाले कार्य एवं दोषपूर्ण पर्यवेक्षण के कारण भवन का छत गिर गया। परिणामतः पाँच वर्षों के बाद एवं 2.21 करोड़ रुपये व्यय करने के बाद भी भवन अधूरा ही रहा।

मामला सरकार को संदर्भित किया गया (जून 2003) ; उनके उत्तर अप्राप्त थे (अप्रैल 2004)।

4.3 संविदात्मक दायित्व का उल्लंघन/संवेदक को अदेय सहायता

ग्रामीण विकास विभाग

4.3.1 ईंट आपूर्तिकर्त्ता को अदेय वित्तीय सहायता

प्रखंड विकास कार्यालय, अलावाली, खगड़िया में आपूर्तिकर्त्ताओं को 25.59 लाख रुपये के अदेय वित्तीय सहायता के कारण अग्रिम अतिदेय रह गए।

बिहार कोषागार संहिता का नियम 411 में प्रावधान है कि सामान्यतः संवेदक को अग्रिम देना निषिद्ध है तथा एक ऐसी व्यवस्था बनाए रखने के लिए हर तरह का प्रयास किया जाना चाहिए जिसके तहत किए गए कार्य के अतिरिक्त कोई भुगतान न हो।

प्रखंड विकास पदाधिकारी (बी. डी. ओ.), अलावली, जिला खगड़िया के अभिलेखों की जाँच से ज्ञात हुआ (दिसंबर 2002) कि बी.डी.ओ. ने जिला योजनागत योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए 19 जनवरी 1991 तथा 25 मई 1993 के बीच सात ईंट आपूर्त्तिकर्त्ताओं[1] को 28.27 लाख रुपये की अग्रिम दी। दो आपूर्त्तिकर्त्ताओं के 2.68 लाख रुपये के अग्रिम का समायोजन दिसंबर 2002 तक हो गई थी लेकिन 2.68 लाख रुपये के ईंटों की प्राप्ति एवं लेखा का कोई सबूत नहीं था। सात आपूर्त्तिकर्त्ताओं ने 25.59 लाख रुपये के बकाए अग्रिम के बदले किसी तरह के ईंट की आपूर्त्ति नहीं किया।

यह भी पाया गया कि, किसी कार्यादेश, आपूर्त्ति किए जाने वाले ईंटों की मात्रा का उल्लेख एवं आपूर्त्ति की अवधि के बिना ही अग्रिमें दी गई। इस प्रकार बी.डी.ओ. ने अविवेकपूर्ण अग्रिम भुगतान करते हुए ईंट के आपूर्त्तिकर्त्ताओं को अदेय वित्तीय सहायता प्रदान किया। उन्होंने मई 2003 तक 10 से 12 वर्षों की अवधि में अतिदेय अग्रिम की वसूली हेतु कोई प्रयास नहीं किया।

मामला सरकार को संदर्भित किया गया (जून 2003) ; उनके उत्तर अप्राप्त थे (अप्रैल 2004)।

4.4 परिहार्य / अधिक / निष्फल व्यय

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

4.4.1 हस्त नलकूपों सहित लौह पृथक्करण संयंत्र पर निष्फल व्यय

सही रखरखाव की व्यवस्था न होने के कारण लौह पृथक्करण संयंत्र के निर्माण पर 1.54 करोड़ रुपये का निष्फल व्यय हुआ साथ ही कटिहार जिले की ग्रामीण आबादी को पेय जल सुविधा से वंचित किया गया।

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार सरकार ने पेयजल में से अधिक लौह अंश को हटाने के लिए 1998–99 के दौरान कोशी अमृत पेयजल योजना (के. ए. पी. वाई.) की शुरूआत की। तदनुसार कटिहार जिले के 1232 राजस्व गाँवों में (प्रति गाँव दो संयंत्र की दर से) 2464 नलकूपों सहित लौह पृथक्करण संयंत्र का निर्माण 10830 रुपये प्रति नलकूप की दर से 2.67 करोड़ रुपये की आकलित लागत पर करना था। बिहार सरकार ने मार्च 1999 तक सभी 2464 लौह पृथक्करण संयंत्रों के निर्माण के लिए जुलाई 1998 में 2.72 करोड़ रुपये विमुक्त किया।

कार्यपालक अभियंता, लो. स्वा. अ. प्रमंडल, कटिहार ने लौह पृथक्करण संयंत्र सहित नलकूपों के लक्षित निर्माण के विरूद्ध मार्च 2003 तक 2.71 करोड़ रुपये की कुल लागत पर विभागीय तौर पर नलकूपों सहित 2151 लौह पृथक्करण संयंत्रों का निर्माण किया। इसके परिणामस्वरूप कटिहार जिले में नलकूप सहित 2151 लौह पृथक्करण संयंत्रों के निर्माण पर 38.00 लाख रुपये का अतिरिक्त लागत आई।

इसके अतिरिक्त मार्च 2003 तक इस योजना के तहत लक्षित 1232 में से केवल 1076 गाँव ही शामिल हुए।

1. *रामचंद्र पासवान : 6,62,500 रुपये , कृष्णा सिंह : 5,97,500 रुपये, अनिल कुमार : 5,97,500 रुपये, उमेश कुमार : 70,000 रुपये, राजेन्द्र प्रसाद सिंह : 6 लाख रुपये, उदय सिंह : 2.50 लाख रुपये, दिनेश कुमार : 0.50 लाख रुपये*

प्रसंगवश, निर्मित 2151 लौह पृथक्करण संयंत्रों में से 1225 मार्च 2003 तक अकार्यशील थे। परिणामस्वरूप उनके निर्माण पर 1.54 करोड़ रुपये का निष्फल व्यय हुआ। कार्यपालक अभियंता, लो. स्वा. प्रमंडल, कटिहार ने कहा (मई 2003) कि लाभार्थियों ने लौह पृथक्करण संयंत्र को साफ नहीं किया। उन्होंने पहले बताया था (मई 2002) कि संयंत्र मरम्मत के योग्य नहीं थे।

इसप्रकार, प्रमंडल द्वारा लाभार्थियों के बीच मरम्मत के लिए जागरूकता लाने हेतु प्रभावी कारवाई के अभाव, प्रशिक्षण के अभाव एवं ग्रामीणों को आवश्यक क्षेत्र उपकरण की आपूर्त्ति नहीं करने, जो योजना के तहत आवश्यक था, के परिणामस्वरूप अधिकांश गाँवों में योजना के उद्देश्य को प्राप्त नहीं किया जा सका। दूसरी तरफ किसानों को उपकरण आपूर्त्ति करने के लिए 1998–99 के दौरान मिली 0.97 लाख रुपये की निधि को प्रत्यावर्तित कर दिया गया।

मामला सरकार को संदर्भित किया गया (जून 2003) ; उनके उत्तर अप्राप्त थे (अप्रैल 2004)।

राजस्व विभाग

4.4.2 ब्याज भुगतान पर परिहार्य व्यय

जिलाधिकारी, पटना द्वारा आपूर्त्तिकर्त्ताओं को समय पर भुगतान नहीं करने के कारण ब्याज (17.94 लाख रुपये) का परिहार्य भुगतान।

सरकार ने जिलाधिकारी, पटना को कंबल, शाल इत्यादि के क्रय हेतु 66.41 लाख रुपये प्रदान किया। जिलाधिकारी, पटना ने बिना निविदा आमंत्रित किए जनवरी 1997 में स्थानीय डीलर/आपूर्त्तिकर्त्ताओं से 44.93 लाख रुपये मूल्य के 25574 कंबल तथा शाल का क्रय किया तथा 20 लाख रुपये स्थानीय आपूर्त्तिकर्त्ताओं को अग्रिम के रूप में भुगतान किया एवं 46.41 लाख रुपये बैंक में रखा (मार्च 1997)।

चूँकि जिलाधिकारी ने आपूर्त्तिकर्त्ताओं को 24.93 लाख रुपये की शेष राशि का भुगतान नहीं किया, आपूर्त्तिकर्त्ता 24.93 लाख रुपये के बकाए के साथ उसपर चक्रवृद्धि ब्याज के भुगतान के लिए न्यायालय की शरण में चले गए (1999)। हाँलाकि मामले के विचाराधीनता की अवस्था में सरकारी वकील ने जिलाधिकारी को सूचित किया (मार्च 2000) कि आपूर्त्तिकर्त्ता ब्याज एवं अदालती खर्च छोड़ने के लिए तैयार है अगर उन्हें बकाए राशि का भुगतान कर दिया जाए। जिलाधिकारी, पटना ने इस प्रस्ताव का कोई उत्तर नहीं दिया। अंततः न्यायालय ने चार आपूर्त्तिकर्त्ताओं के बकाए का भुगतान करने के साथ–साथ आदेशित राशि पर ब्याज (18 प्रतिशत की दर से) एवं मुकदमा खर्च देने का निर्णय दिया (अप्रील 2000)। सरकारी वकील ने जिलाधिकारी को आदेशित राशि का भुगतान करने की सलाह दी (जून 2000) लेकिन जिलाधिकारी ने भुगतान नहीं किया। परिणामस्वरूप आपूर्त्तिकर्त्ताओं ने आदेशित राशि की वसूली हेतु पुनः न्यायालय में मामला दायर किया। इस पर जिलाधिकारी ने आपूर्त्तिकर्त्ताओं को 24.93 लाख रुपये का भुगतान किया (जनवरी 2001) तथापि न्यायालय ने भुगतान की राशि (24.93 लाख रुपये) को जनवरी 2001 तक जमा हुए 17.94 लाख रुपये के ब्याज के बदले समायोजित करने का आदेश दिया (मार्च 2001)। जिलाधिकारी द्वारा उच्च न्यायालय में इसके विरूद्ध दायर दीवानी संशोधन आवेदन को फरवरी 2002 में खारिज कर दिया गया।

लेखापरीक्षा के द्वारा इसे बताये जाने पर (जून 2003) जिलाधिकारी, पटना ने सूचित किया (दिसंबर 2003) ब्याज के भुगतान के लिए निधि की माँग सरकार से की जा रही थी।

अतः सरकारी वकील के सलाह पर आपूर्त्तिकर्त्ताओं को तुरंत भुगतान करने तथा कोर्ट के आदेश के पालन में जिलाधिकारी की विफलता के परिणामस्वरूप जनवरी 2001 तक 17.94 लाख रुपये के ब्याज का परिहार्य भुगतान तथा जून 2003 तक का 6.45 लाख रुपये ब्याज का अतिरिक्त परिहार्य दायित्त्व हुआ, इसके अतिरिक्त 17.94 लाख रुपये के मूलधन का भुगतान नहीं हुआ। दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कोई कारवाई नहीं की गई।

मामला सरकार को संदर्भित किया गया (जून 2003) ; उनके उत्तर अप्राप्त थे (अप्रैल 2004)।

पथ निर्माण विभाग

4.4.3 पथ कार्य में अतिरिक्त लागत

पथ निर्माण प्रमंडल सं. – I, गया के अंतर्गत पथ कार्य में स्टोन मेटल तथा डब्लयू. बी. एम./बी. एस. जी. के अधिक प्रावधान के कारण अतिरिक्त लागत 31.36 लाख रुपये।

पथ निर्माण प्रमंडल सं. – I, गया के अभिलेखों की जाँच से ज्ञात हुआ कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में आवागमन सुगम करने हेतु गया–शेरघाटी पथ (0 से 32 कि.मी.) के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण की प्रशासनिक स्वीकृति, 3.94 करोड़ रुपये (1997–98) की दी गई। अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग, पटना द्वारा 3.72 करोड़ रुपये की तकनीकी स्वीकृति (सितंबर 1998) दी गई। पथ कार्य को दो भागों में (भाग–I : 0 से 15 कि. मी. तथा भाग–II : 16 से 32 कि. मी.) विभक्त किया गया। दोनो भाग का कार्य गया की एक एजेंसी को जून 2000 तक (मार्च 2001 तक विस्तारित) पूरा करने के लिए क्रमशः 1.53 करोड़ रुपये एवं 2.11 करोड़ रुपये पर आवंटित (दिसंबर 1998) किया गया।

दोनों अनुबंधों की तकनीकी स्वीकृति में 75 मि. मी. मोटे स्टोन मेटल की खपत अनुबंधित थी लेकिन अधीक्षण अभियंता, पथ अंचल, गया द्वारा भाग–I के तहत 91 मि. मी. मोटी स्टोन मेटल तथा भाग–II के तहत 116 मि.मी. स्टोन मेटल के लिए मात्रा विपत्र अनुमोदित किया गया था (नवंबर 1998) एवं तदनुसार अनुबंध किया गया (दिसंबर 1998)। बिना कोई कारण बताए श्रेणीगत मेटल के विनिर्देशन में परिवर्त्तन करने के परिणामस्वरूप पथ कार्य के तकनीकी स्वीकृति में अनुबंधित प्रावधान से 23.37 लाख रुपये के अतिरिक्त लागत पर 3869 घन मी. अधिक स्टोन मेटल की खपत हुई।

इसके अतिरिक्त भाग–I में वाटर बाउंड कम्पैक्टेड ब्रोकेन स्टोन मेटल (वाटर बाउंड मैकाडम–डब्ल्यु. बी.एम.) के 27820 वर्ग मी. स्वीकृत पथ सतह को बढ़ाकर 38182 वर्ग मी. कर दिया गया। डब्ल्यू. बी. एम. के ऊपर 20 मि. मी. अलकतरायुक्त पूर्वमिश्रित सतह के साथ बिल्ट अप स्प्रे ग्राउटिंग (बी. एस. जी.) करने के परिणामस्वरूप 7.99 लाख रुपये मूल्य के 10362 वर्ग मी. क्षेत्र में अधिक बी. एस. जी एवं पूर्व मिश्रित सतह के कार्य का क्रियान्वयन हुआ।

इसप्रकार, स्टोन मेटल तथा डब्ल्यु. बी. एम./बी. एस. जी. कार्य के अधिक प्रावधान के परिणामस्वरूप पथ कार्य की लागत में 31.36 लाख रुपये की वृद्धि हुई।

मामला सरकार को संदर्भित किया गया (जून 2003) ; उनके उत्तर अप्राप्त थे (अप्रैल 2004)।

पथ निर्माण विभाग

4.4.4 अधिकाई व्यय

पथ निर्माण प्रमंडल, आरा द्वारा पथ कार्य पर किए गए 37.68 लाख रुपये मूल्य के भंडार सामग्रियों की अधिक आपूर्त्ति तथा बिल्ट अप स्प्रे ग्राउटिंग पर अधिक व्यय की वसूली तीन वर्षों के उपरांत भी लंबित रही।

आरा–बक्सर राज्य पथ के 0 से 35वें कि.मी. तक का मजबूतिकरण कार्य के लिए 3.81 करोड़ रुपये का प्रशासनिक अनुमोदन (मार्च 1998) तथा 3.75 करोड़ रुपये की तकनीकी स्वीकृति (अप्रील 1998) दी गई। मुख्य अभियंता ने कार्य के लिए 2.89 करोड़ रुपये (मात्रा विपत्र पर आधारित) की आकलित लागत की निविदा आमंत्रित की (सितंबर 1998)। उन्होंने कार्य को निम्नतम संवेदक को आकलित लागत से 16 प्रतिशत अधिक घटाव विभाग द्वारा आपूर्ति की जाने वाली सामग्रियों का मूल्य (78.53 लाख रुपये) पर दिया जबकि मंत्रीमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग के निर्देशानुसार (जुलाई 1986) आकलित लागत से 10 प्रतिशत अधिक के दर का अनुमोदन अनुज्ञेय नहीं था।

कार्यपालक अभियंता, पथ कार्य प्रमंडल, आरा ने अक्टूबर 1999 तक कार्य पूरा करने के लिए एजेंसी के साथ अनुबंध किया। हाँलाकि संविदा प्रक्रिया पूरा करने के पहले से ही एजेंसी ने कार्यपालक अभियंता द्वारा निर्गत कार्य आदेश (अक्टूबर 1998) के आधार पर अक्टूबर 1998 में ही कार्य शुरू कर दिया था। राज्य पथ को सरकार के राष्ट्रीय उच्च पथ खंड को सौंपे जाने (दिसंबर 2000) तक एजेंसी ने 2.81 करोड़ रुपये मूल्य के कार्य का क्रियावन्यन किया तथा भुगतान प्राप्त किया था। संवीक्षा से इसके अतिरिक्त निम्नलिखित ज्ञात हुआ :

- 25.68 लाख रुपये (70.50 रुपये प्रति वर्ग मी. की दर से 36430 वर्ग मी.) के विल्ट अप स्प्रे ग्राउटिंग (बी. एस. जी.) जो पथ कार्य का आवश्यक अंग होता है, की तकनीकी स्वीकृति दी गई थी। इसके बदले 51.22 लाख रुपये मूल्य के (70.50 रुपये प्रति वर्ग मी. की दर से 72654 वर्ग मी.) बी. एस. जी. कार्य कराया गया तथा भुगतान किया गया। परिणामस्वरूप 25.54 लाख रुपये मूल्य के 36224 वर्ग मी. अधिक बी. एस. जी. कार्य का क्रियान्वयन हुआ जिसे मुख्य अभियंता, केंद्रीय रूपांकन संगठन, पटना द्वारा अस्वीकार किया गया। अस्वीकृत राशि की वसूली मार्च 2004 तक नहीं हुई थी।

- सामग्रियों के स्थल लेखा की नमूना जाँच से ज्ञात हुआ कि पथ के मरम्मत कार्य के लिए निर्गत (दिसंबर 1999) 12.14 लाख रुपये मूल्य के 146.42 टन अलकतरा की खपत कार्य में नहीं हुई तथा मई 2003 तक उसकी वसूली नहीं हुई थी।

अतः अधिक बी. एस. जी. कार्य के क्रियान्वयन तथा अलकतरा की चोरी का कुल मूल्य 37.68 लाख रुपये था, की वसूली कार्य समाप्ति के तीन वर्ष उपरांत भी नहीं हुई।

मामला सरकार को संदर्भित किया गया (जून 2003) ; उनके उत्तर अप्राप्त थे (अप्रील 2004)।

4.4.5 पथ कार्य में सामग्रियों का संदेहास्पद उपयोग

पथ निर्माण कार्य में बगैर विशेष स्वीकृति के 88.70 लाख रुपये मूल्य के स्टोन मेटल का अधिक इस्तेमाल हुआ तथा भुगतान किया गया। इसके अतिरिक्त संवेदक को आवश्यकता से अधिक की गई अलकतरे की आपूर्ति (90.29 लाख रुपये) अवसूलित रही।

नक्सली क्षेत्र में उत्तम पथ निर्माण की योजना के अंतर्गत 1997–98 के दौरान बिहार–एकंगर–तेलहरा पथ (0 से 35.47 कि. मी.) के सुधार एवं मरम्मत करने की स्वीकृति हुई। इस कार्य की तकनीकी स्वीकृति मुख्य अभियंता (केंद्रीय रूपांकन संगठन), पथ निर्माण विभाग, पटना द्वारा 4.62 करोड़ रुपये की प्रदान की गई (अप्रील 1998)। अधीक्षण अभियंता ने कार्य को अप्रील 1999 तक पूरा करने के लिए एक एजेंसी को 4.29 करोड़ रुपये की संविदित लागत पर प्रदान किया (सितंबर 1998)। तकनीकी स्वीकृति के अनुसार पथ की चौड़ाई को 5.5 मीटर तक चौड़ा करना था।

पथ निर्माण प्रमंडल, बिहारशरीफ के अभिलेखों की जाँच से ज्ञात हुआ (दिसंबर 2002) कि पथ के चौड़ा किए गए भाग के 26344.27 वर्ग मी. क्षेत्र में 3951.19 धन मी. बालू भराई (150 मि. मी. मोटी) की गई। इस क्षेत्र में वाटर बाउन्ड मैकाडम (डब्ल्यु. बी. एम.) सतह तैयार करने के लिए स्टोन मेटल ग्रेड I का 100 मि. मी. तथा ग्रेड II एवं ग्रेड III प्रत्येक का 75 मि. मी. के अनुपात के स्वीकृत आकलन के अनुसार स्टोन मेटल ग्रेड I के 2634.13 घ. मी. तथा ग्रेड II एवं ग्रेड III प्रत्येक के 1975.59 घ.मी. की आवश्यकता थी। उपर्युक्त आवश्यकता के बदले कार्य में स्टोन मेटल ग्रेड I के 6053.84 घ. मी. तथा ग्रेड II के 5439.11 घ.मी. एवं ग्रेड III के 5664.12 घ.मी. का ही उपयोग हुआ था (सभी सघन माप)। अतः कार्य में आवश्यकता से अधिक के स्टोन मेटल ग्रेड I, II एवं III के क्रमशः 3419.71 घ.मी., 3463.52 घ.मी. तथा 3688.53 घ.मी. जिनका मूल्य 88.70 लाख रुपये था का उपयोग हुआ था तथा भुगतान किया गया था (मार्च 2001)।

पथ कार्य में सामग्रियों के अधिक खपत का कोई कारण अभिलेख में नहीं था। यहाँ तक कि मूल आकलन भी पुनरीक्षित नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त पथ कार्य का आकलन स्थल की स्थिति सुनिश्चित कर तैयार की गई थी तथा अनुबंध करने वाली एजेंसी ने स्थल की स्थिति जानकर ही संविदा में दर का प्रस्ताव किया था। अतः कार्य में 88.70 लाख रुपये मूल्य के स्टोन मेटल के इतनी अधिक मात्रा का उपयोग संदेहास्पद था।

संवीक्षा से और ज्ञात हुआ कि कार्य में कुल आवश्यक 1551.56 टन अलकतरा के बदले एजेंसी को कार्य के लिए 1624.28 टन अलकतरा निर्गत किया गया (1998–2000) यद्यपि मंत्रीमंडल समन्वय विभाग, बिहार सरकार के तकनीकी कोषांग के आदेशानुसार (दिसंबर 1983) किसी एजेंसी को आवश्यकता से अधिक सामग्री निर्गत नहीं करना था। इसके बावजूद प्रमंडल द्वारा किसी एजेंसी को कार्य में 15 दिनों के अंदर संभावित खपत योग्य सामग्रियों को ही निर्गत करना था। इसके विरूद्ध कार्य में 685.79 टन अलकतरा की खपत हुई तथा शेष 938.48 टन (1624.28 टन – 685.79 टन) जिनका मूल्य 90.29 लाख रुपये था (9621 रुपये प्रतिटन की दर से 938.48 टन) की वसुली फरवरी 2004 तक एजेंसी से नहीं हुई थी। एजेंसी ने मार्च 2001 में 2.91 करोड़ रुपये के भुगतान के बाद कार्य बंद कर दिया एवं उसके बाद कार्य प्रारंभ नहीं किया। हाँलाकि कार्यपालक अभियंता ने एजेंसी को कार्य प्रारंभ करने के लिए तथा कार्य के क्रियान्वयन में चूक के लिए दंडधारा को लागू करने का निर्देश निर्गत नहीं किया।

अतः पथ कार्य में 88.70 लाख रुपये मूल्य के स्टोन मेटल का संदेहास्पद उपयोग एवं उसी पथ कार्य के लिए एजेंसी को निर्गत 90.28 लाख रुपये मूल्य के 938.48 टन अलकतरा की वसुली नहीं हुई।

मामला सरकार को संदर्भित किया गया (जून 2003) ; उनके उत्तर अप्राप्त थे (अप्रील 2004)।

4.4.6 अतिरिक्त लागत तथा पथ की संदेहास्पद मरम्मती

पथ निर्माण प्रमंडल, सहरसा में निर्माणाधीन पथ के मरम्मती कार्य पर किया गया 28.22 लाख रुपये का व्यय संदेहास्पद था।

पंसलवा–बैद्यनाथपुर पथ (22.2 कि.मी. से 36.7 कि.मी.) के 14.5 कि. मी. के चौड़ीकरण (3.09 कि.मी. से 5.49 कि.मी.) तथा मजबूतिकरण के लिए 3.48 करोड़ रुपये का प्रशासनिक अनुमोदन दिया गया (दिसंबर 1998)। तथापि उसी पथ (22.2 कि. मी. से 40 कि. मी.) के 17.8 कि. मी. के निर्माण के लिए 4.18 करोड़ रुपये की तकनीकी स्वीकृति दी गई। पथ निर्माण प्रमंडल सहरसा ने 4.02 करोड़ रुपये के परिमाण विपत्र के आधार पर निविदा आमंत्रित किया (दिसंबर 1998)। निविदा के प्रत्युत्तर में एक एजेंसी को कार्य 4.38 करोड़ रुपये पर प्रदान किया गया जो प्राक्कलित लागत से 10 प्रतिशत अधिक था। तदनुसार कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण प्रमंडल, सहरसा ने एजेंसी के साथ कार्य को मई 2000 तक पूरा करने का अनुबंध किया (मार्च 1999) जबकि कार्य पहले ही शुरू हो चूका था (फरवरी 1999)।

यह पाया गया (नवंबर 2002) कि एजेंसी ने 3.30 करोड़ रुपये का भुगतान प्राप्त करने के बाद बिना कोई कारण बताए मार्च 2002 में कार्य बंद कर दिया। हालांकि कार्य छोड़ देने पर कार्यपालक अभियंता ने एजेंसी के विरूद्ध अनुबंध के अनुसार कोई दंडात्मक कारवाई शुरू नहीं किया। इसके बदले कार्यपालक अभियंता ने शेष कार्य पूरा करने के लिए 1.35 करोड़ रुपये का नया प्राक्कलन तैयार कर अधीक्षण अभियंता को प्रस्तुत किया (जनवरी 2002) जिन्होंने मुख्य अभियंता के अनुमोदन से रखरखाव एवं मरम्मत उपशीर्ष के अंतर्गत प्राक्कलन की स्वीकृति दी जबकि कार्य मूल प्रकृति का था। कार्य अक्टूबर 2002 तक पूरा करने के लिए उसी एजेंसी को आवंटित किया गया (मई 2002) जिसने पहले कार्य बंद कर दिया था। मार्च 2003 तक एजेंसी को 1.35 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया था। इसके परिणामस्वरूप 27 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय हुआ।

दिलचस्प है कि जबकि पहले अनुबंध के तहत मूल कार्य प्रगति पर था, प्रमंडल ने 1999–2000 के दौरान उसी पथ के मरम्मत एवं रखरखाव (छोटे खड्डे मरम्मत सहित) पर 28.22 लाख रुपये खर्च किया जबकि पथ के उसी हिस्से में मूल निर्माण का कार्य पूरा नहीं हुआ था। इस प्रकार जहाँ पथ के चौड़ीकरण एवं मजबूतिकरण का मूल कार्य प्रगति पर था वहीं उस पथ के मरम्मति पर किया गया 28.22 लाख रुपये का व्यय संदेहास्पद था।

मामला सरकार को संदर्भित किया गया (जून 2003) ; उनके उत्तर अप्राप्त थे (अप्रैल 2004)।

4.4.7 परिहार्य अतिरिक्त व्यय

निविदा पर निर्णय लेने में चूक के कारण सिटी पथ प्रमंडल, पटना के तहत उल्लार–मसौढ़ी पथ कार्य में 32.85 लाख रुपये का परिहार्य अतिरिक्त व्यय हुआ।

नक्सल प्रभावित क्षेत्र में उल्लार–मसौढ़ी पथ (12 से 22 कि.मी.) के चौड़ीकरण एवं मजबूतिकरण के लिए 1.30 करोड़ रुपये का प्रशासनिक अनुमोदन (मार्च 1998) एवं 1.11 करोड़ रुपये की तकनीकी स्वीकृति (अप्रील 1998) दी गई। कार्यपालक अभियंता, पटना सिटी पथ निर्माण प्रमंडल, गुलजारबाग, पटना ने 1.11 करोड़ रुपये की आकलित लागत पर मार्च 1998 तथा जनवरी 2001 के बीच कार्य के लिए चार बार निविदा आमंत्रित किया। इस पर एक से दो एजेंसियों (तीन बार : दो एजेंसी ; एक बार : एक एजेंसी) ने प्रत्युत्तर दिया। हालांकि अधीक्षण अभियंता, केंद्रीय अंचल, पटना ने पाँच वर्षों तक निविदा पर निर्णय लेने के लिए कोई कारवाई शुरू नहीं की जबकि सरकार द्वारा इस कार्य के लिए 1998–2002 में प्रदान किए गए 1.25 करोड़ रुपये में से 1.09 करोड़ रुपये अभ्यर्पित कर दिए गए तथा 16 लाख रुपये पथ के मरम्मती पर खर्च कर दिए गए। तदनंतर अभियंता प्रमुख ने निविदा प्रक्रिया को अमान्य करते हुए चार किलोमीटर (17.80 कि. मी. से 21.80 कि.मी.) के विस्तार में 1.22 करोड़ रुपये की प्राक्कलित लागत पर विभागीय तौर पर चौड़ीकरण एवं मजबूतिकरण करने का आदेश दिया (जनवरी 2003)।

नमूना जाँच में यह भी पाया गया (जून 2003) कि प्रमंडल ने मार्च 2003 तक वाटर बाउंड मैकाडम (डब्ल्यू. बी. एम.) स्तर तक का पथ कार्य 48.88 लाख रुपये (सामग्री : 43.23 रुपये + श्रम : 5.65 लाख रुपये) की लागत पर किया जबकि पथ की उसी विस्तार के लिए उसी वाटर बाउंड मैकाडम का प्राक्कलित लागत 16.03 लाख रुपये था। परिणामस्वरूप मुख्यतः पथ पटल के बर्बाद होने (24.83 लाख रुपये) तथा मूल्य वृद्धि (8.02 लाख रुपये) के कारण 32.85 लाख रुपये की परिहार्य अतिरिक्त लागत आई। पथ कार्य अक्टूबर 2003 तक अधूरा रहा।

इस प्रकार अधीक्षण अभियंता की पाँच वर्षों तक निष्क्रियता के कारण 32.85 लाख रुपये का परिहार्य अतिरिक्त व्यय हुआ।

मामला सरकार को संदर्भित किया गया (जून 2003) ; उनके उत्तर अप्राप्त थे (अप्रील 2004)।

4.4.8 अविवेकपूर्ण ढंग से पथ कार्य को प्रदान करना

आरा–सासाराम पथ को अविवेकपूर्ण ढंग से प्रदान करने तथा मुख्य अभियंता द्वारा दंडात्मक कार्रवाई नहीं लगाए जाने के अविवेकपूर्ण फैसले के कारण अतिरिक्त व्यय (31.92 लाख रुपये) तथा लागत अतिरेक (1.22 करोड़ रुपये) हुआ था।

आरा–सासाराम पथ (नक्सल प्रभावित क्षेत्र) के 4 से 50 कि.मी. के चौड़ीकरण एवं मजबूतिकरण के लिए 5.92 करोड़ रुपये के प्रशासनिक अनुमोदन (मार्च 1998) तथा 5.50 करोड़ रुपये की तकनीकी स्वीकृति (अप्रील 1998) दी गई। कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण प्रमंडल, आरा ने 4.77 करोड़ रुपये के प्राक्कलित लागत पर अगस्त 1998 में निविदा आमंत्रित किया। इस पर दो एजेंसियों (प्राक्कलित लागत से 39.40 अधिक विशाल व्यूल्टेक एवं 45 प्रतिशत अधिक कार्तिक कुमार) ने प्रत्युत्तर दिया।

पथ निर्माण प्रमंडल, आरा के अभिलेखों के नमूना जाँच (मई 2002 एवं मई 2003) से ज्ञात हुआ कि एक ही एजेंसी ने दो नामों पर दर उद्धृत किया तथा विभागीय निविदा समिति ने बिना प्रतियोगी दर प्राप्त किए उस एजेंसी (विशाल व्यूल्टेक) को विभागीय सामग्रियों की लागत को छोड़कर 4.89 करोड़ रुपये के लिए प्राक्कलित लागत से 16.8 प्रतिशत अधिक पर कार्य प्रदान करने का अनुमोदन किया। कार्यपालक अभियंता ने जून 1999 (जून 2001 तक विस्तारित) तक कार्य पूरा करने के लिए एजेंसी के साथ अनुबंध किया। परिणामस्वरूप कार्य को एकल निविदा आधार पर अनधिकृत रूप से प्रदान किया गया। एजेंसी ने 4.92 करोड़ रुपये मूल्य का कार्य करने तथा मार्च 2000 तक भुगतान प्राप्त करने के बाद कार्य बंद कर दिया।

अभियंता प्रमुख ने अनुबंध के दंडात्मक जोखिम एवं लागत धारा को लागू किए बिना अनुबंध ा समाप्त कर दिया (अगस्त 2001)। इसके प्रतिकूल उन्होंने अनियमित रूप से मुख्य अभियंता (संचार) को इस मूल कार्य को मरम्मती लेखा शीर्ष से पूरा कराने का निदेश दिया। तदनुसार मुख्य अभियंता ने मरम्मती शीर्ष के तहत बचे हुए कार्य के लिए 1.19 करोड़ रुपये का अनुमोदन किया (मार्च 2002) जिसमें पूर्ववर्त्ती एजेंसी द्वारा पहले ही किए गए पथ कार्य के अधूरे निर्माण के कारण क्षतिग्रस्त पथ सतह के भाग के लिए 62.32 लाख रुपये शामिल था। कार्यपालक अभियंता पथ निर्माण प्रमंडल, आरा ने मरम्मत कार्य के लिए मार्च 2002 में निविदा आमंत्रित किया। विभागीय निविदा समिति ने जनवरी 2003 तक कार्य पूरा करने हेतु एक एजेंसी को 1.19 करोड़ रुपये पर कार्य प्रदान किया (जून 2002)। एजेंसी ने मार्च 2003 तक 46.24 लाख रुपये मूल्य का कार्य क्रियान्वित किया जिसमें क्षतिग्रस्त पथ कार्य को दुबारा करने पर किया गया 31.92 लाख रुपये का खर्च शामिल था तथा दिसम्बर 2003 तक कार्य अधूरा रहा।

इस प्रकार एक खास संवेदक को अविवेकपूर्ण ढंग से संविदा प्रदान करने, विभागीय अधिकारियों द्वारा संविदा की दंडात्मक धारा को लागू नहीं करने तथा एजेंसी द्वारा संविदा के अनुसार कार्य की पूर्णता सुनिश्चित करने में विफलता के परिणामस्वरूप क्षतिग्रस्त पथ कार्य को फिर से करने पर हुआ 31.92 लाख रुपये का परिहार्य अतिरिक्त व्यय के साथ ही 1.22 करोड़ रुपये (4.92 करोड़ रुपये + 1.19 करोड़ रुपये – 4.89 करोड़ रुपये) का प्राक्कलित लागत से अधिक व्यय हुआ।

मामला सरकार को संदर्भित किया गया (जून 2003) ; उनके उत्तर अप्राप्त थे (मार्च 2004)।

4.4.9 पथ के अधूरे निर्माण पर निष्फल व्यय

बिना भूमि अधिग्रहण किए राजेन्द्रनगर एवं पटना नया बाई पास पथ के बीच संपर्क पथ कार्य को शुरू करने के परिणामस्वरूप पथ के अधूरे निर्माण पर 41.30 लाख रुपये का निष्फल व्यय हुआ।

82.56 लाख रुपये के लिए प्रशासनिक अनुमोदन (मार्च 1991) प्राप्त राजेन्द्रनगर रेल ऊपरी पुल के दक्षिण सिरे से पटना नया बाई पास पथ तक के संपर्क पथ (कंकड़बाग पथ सं.–3) के उन्नयन एवं निर्माण के कार्य के दो भागों (रेल ऊपरी पुल के दक्षिणी क्षोर पथ से 1285 मीटर के लिए 45.77 लाख रुपये तथा उससे आगे बाई पास पथ तक के 1285 मीटर के लिए 40.68 लाख रुपये) 86.45 लाख रुपये की तकनीकी स्वीकृति दी गई (दिसंबर 1998)। निविदा प्रक्रिया (दिसंबर 1998) के बाद मुख्य अभियंता, संचार, दक्षिण बिहार संभाग, पटना ने पहले भाग के कार्य (1285 मीटर) को अक्टूबर 1999 तक पूरा करने के लिए दो एजेंसियों को (फरवरी 1999 तथा 19 जून 1999) परिमाण विपत्र मूल्य से पाँच प्रतिशत अधिक 35.18 लाख रुपये पर

तथा दूसरे भाग के कार्य को जून 2000 तक पूरा करने के लिए दूसरी एजेंसी (फरवरी 2000) को परिमाण विपत्र मूल्य से पाँच प्रतिशत अधिक 40.07 लाख रुपये पर प्रदान किया। सभी तीनों एजेंसियों ने जून 2001 तक 41.30 लाख रुपये का कार्य संपादित किया तथा भुगतान पाया एवं उसके बाद पथ निर्माण के लिए जमीन के अभाव में कार्य बंद कर दिया।

लेखापरीक्षा में यह ज्ञात हुआ (मार्च 2003) कि तकनीकी स्वीकृति देने तथा एजेंसी को कार्य प्रदान करने के समय पथ के दूसरे भाग के प्रस्तावित निर्माण के बीच का हिस्सा निर्माण के लिए खाली नहीं था एवं निजी मकान पटना क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण की मंजूरी के बगैर निर्मित थे। कार्यपालक अभियंता, नूतन राजधानी प्रमंडल, पथ निर्माण विभाग, पटना ने प्राक्कलन की तैयारी/स्वीकृति तथा निर्माण शुरू करने के पहले पथ का अतिक्रमण मुक्त संरेखन सुनिश्चित नहीं किया जबकि मंत्रीमंडल समन्वय (गोपनीय कोषांग) विभाग के जुलाई 1986 में निर्गत प्रस्ताव की कंडिका 4.5 एवं 7.5 के अनुसार भूमि अधिग्रहण के बिना किसी कार्य को शुरू नहीं करना चाहिए था। इसके परिणामस्वरूप मकान मालिकों द्वारा पथ के निर्माण में व्यवधान हुआ तथा कार्य छोड़ दिया गया।



निजी भवनों द्वारा अवरूद्ध राजेन्द्र नगर पटना–न्यु बाईपास सड़क

इस प्रकार भूमि की उपलब्धता के बिना पथ कार्य शुरू करने के कारण पथ के अधूरे निर्माण पर 41.30 लाख रुपये का निष्फल व्यय हुआ। इसके अतिरिक्त राजेन्द्र नगर रेलवे ऊपरी पुल से पटना नया बाई पास पथ के बीच पथ संपर्क स्थापित करने के लक्षित उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हुई।

मामला सरकार को संदर्भित किया गया (जून 2003) ; उनके उत्तर अप्राप्त थे (अप्रैल 2004)।

पथ निर्माण विभाग
(राष्ट्रीय उच्च पथ शाखा)

4.4.10 रेलवे पुल से जुड़ने वाले रास्ते के निर्माण में अतिरिक्त लागत

बिना समुचित सर्वेक्षण एवं जाँच के हाजीपुर में रेलवे पुल से जुड़ने वाले रास्ते के निर्माण का कार्य शुरू करने के कारण 1.62 करोड़ रुपये की अतिरिक्त लागत आई।

राष्ट्रीय उच्च पथ 19 के हाजीपुर–पटना खंड के पहला कि.मी. में हाजीपुर स्थित रेलवे उपरी पुल के दक्षिणी पहुँच पथ के निर्माण के लिए भूतल परिवहन एवं उच्च पथ मंत्रालय (एम ओ आर टी एच) द्वारा मार्च 1998 में 4.55 करोड़ रुपये का प्रशासनिक अनुमोदन एवं तकनीकी

स्वीकृति दी गई। कार्यपालक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, गुलजारबाग, पटना ने 4.24 करोड़ रुपये के परिमाण विपत्र के आधार पर निविदा आमंत्रित किया। एक एजेंसी को कार्य जून 2001 तक (जून 2002 तक विस्तारित) पूरा करने के लिए 4.88 करोड़ रुपये की लागत पर जो आकलित लागत से 15 प्रतिशत अधिक था, आवंटित किया गया। कार्य जून 1999 में शुरू हुआ। एजेंसी को जुलाई 2003 तक 5.23 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया।

राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, गुलजार बाग, पटना के अभिलेखों की संवीक्षा से ज्ञात हुआ (अगस्त 2002) कि मूल तकनीकी स्वीकृति के अनुसार तीन शहतीर व्यवस्था (गर्डर सिस्टम), 'ए' श्रेणी के सील कोट के साथ 20 मि. मी. पूर्व मिश्रित सतह का प्रावधान था। तदंतर बिना किसी औचित्य तथा स्थल स्थिति में परिवर्त्तन के, रूपांकन बदलकर चार शहतीर व्यवस्था कर दिया गया तथा विनिर्देशन भी बदलकर 75 मि. मी. अलकतरा युक्त गिट्टी एवं 40 मि.मी. अर्द्धघना सतह कर दिया गया। रुपांकन में सुधार एवं विनिर्देशन में परिवर्त्तन के कारण विभाग द्वारा एम ओ आर टी एच, भारत सरकार, नई दिल्ली को 7.36 करोड़ रुपये के प्रस्तुत (नवंबर 2001) पुनरीक्षित प्राक्कलन में 76.46 लाख रुपये का अतिरिक्त प्रावधान किया गया। जबकि एम ओ आर टी एच द्वारा केवल 6.17 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई (जनवरी 2003)। पुनरीक्षित प्राक्कलन में पुल से जुड़ने वाले मार्ग में हुए 12 मीटर ऊँचे मिट्टी कार्य को कटाव से सुरक्षित रखने हेतु मिट्टी कार्य के ऊपर घास लगाने के बदले पत्थर बैठाने के लिए 47.26 लाख रुपये का प्रावधान भी शामिल था।

जब कार्य प्रगति पर था तब रुपांकन एवं विनिर्देशन में हुआ परिवर्त्तन दर्शाता था कि बिना समुचित सर्वेक्षण एवं अन्वेषण के ही जुड़ने वाले मार्ग के कार्य का प्रशासनिक अनुमोदन एवं तकनीकी स्वीकृति मिली तथा उसे शुरू भी कर दिया गया परिणामस्वरूप 1.62 करोड़ रुपये की प्राक्कलित अतिरिक्त लागत आई जिसमें ऊपर वर्णित 1.24 करोड़ रुपये (76.46 लाख रुपये + 47.26 लाख रुपये) शामिल थे। इसमें से 52.29 लाख रुपये (नरम लौह छड़ : 25.64 लाख रुपये ; कंकरीट तथा अन्य की मात्रा में वृद्धि : 26.65 लाख रुपये) जुलाई 2003 तक खर्च हो चुके थे।

मामला सरकार को संदर्भित किया गया (जून 2003) ; उनके उत्तर अप्राप्त थे (अप्रील 2004)।

जल संसाधन विभाग

4.4.11 शाखा नहर के अधूरे निर्माण पर निष्फल व्यय

जमीन अधिग्रहण के बिना पश्चिमी कोशी परियोजना के आर. डी. 95 से आर. डी. 125 तक शाखा नहर निर्माण का कार्य प्रारंभ करने के कारण अधूरे निर्माण पर दो करोड़ रुपये का निष्फल व्यय हुआ।

जुलाई 1986 में निर्गत मंत्रीमंडल समन्वय (गोपनीय कोषांग) विभाग के प्रस्ताव की कंडिका 4.5, के साथ पठित कंडिका 7.5 के अनुसार भूमि अधिग्रहण एवं निधि उपलब्धता के बिना कोई कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए था।

इन निर्देशों का उल्लंघन करते हुए सरकार के संयुक्त सचिव, जल संसाधन विभाग ने 45334 हेक्टेयर जमीन के लिए सिंचाई क्षमता सृजित करने हेतु पश्चिमी कोशी मुख्य नहर के आर. डी. 95 से आर. डी. 125 तक ककरघाटी शाखा नहर के निर्माण का कार्य एक एजेंसी को 2.19 करोड़ रुपये (दो करोड़ रुपये की आकलति राशि से 9.50 प्रतिशत अधिक) पर दिया (नवंबर 1999)। तदनुसार कार्यपालक अभियंता, पश्चिमी कोशी नहर प्रमंडल, बेनीपुर, दरभंगा ने 5 जून 2001 तक कार्य पूरा करने के लिए एजेंसी के साथ अनुबंध किया (जनवरी 2000)।

तदंतर (मार्च 2001) मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, दरभंगा के आदेशानुसार कार्यपालक अभियंता ने उसी एजेंसी से यांत्रिक माध्यम से 150 मीटर से आगे ½ कि.मी. तक 16.88 लाख रुपये की अतिरिक्त लागत पर मिट्टी ढुलाई हेतु अनुपूरक अनुबंध किया यद्यपि मूल आकलन में यांत्रिक साधन से मिट्टी ढ़ोना अनुबंधित नहीं था।

एजेंसी ने विभिन्न भागों में दो करोड़ रुपये मूल्य का कार्य क्रियान्वित करने के बाद विभिन्न बिन्दूओं पर भूमि का अधिग्रहण नहीं होने के कारण कार्य बंद कर दिया (जून 2001)। उसके बाद मुख्य अभियंता, दरभंगा ने अनुबंध समाप्ति का आदेश दिया (दिसंबर 2001) तथा जून 2002 में दो करोड़ रुपये के अंतिम विपत्र का भुगतान किया गया।

लेखापरीक्षा में यह पाया गया (फरवरी 2003) कि कार्य प्रारंभ करने के पहले भूमि अधिग्रहण करने के लिए विभागीय अधिकारियों द्वारा समुचित पहल के अभाव में विभिन्न बिंदूओं पर भूमि का अधिग्रहण फरवरी 2003 तक नहीं हुआ था। परिणामस्वरूप शाखा नहर का निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ था। अतः विभिन्न बिन्दूओं पर बिना भूमि अधिग्रहण किए ही शाखा नहर का निर्माण प्रारंभ करने के परिणामस्वरूप अधूरे शाखा नहर के निर्माण पर दो करोड़ रुपये का निष्फल व्यय हुआ। इसके अतिरिक्त 45334 हेक्टेयर जमीन के लिए सिंचाई क्षमता सृजित करने के उद्देश्य की पूर्ति नहीं हुई।

मामला सरकार को संदर्भित किया गया (जून 2003) ; उनके उत्तर अप्राप्त थे (अप्रैल 2004)।

4.4.12 निष्फल व्यय

अधूरे नहर निर्माण एवं तिर्यक निकास संरचना पर 3.01 करोड़ रुपये का निष्फल व्यय।

प्रस्ताव के तहत निर्गत (जुलाई 1986) सरकारी निर्देशों के अनुसार भूमि अधिग्रहण किए बिना कोई कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, डिहरी ने विभागीय निविदा समिति की अनुशंसा पर 28898 हेक्टेयर भूमि को कृषि योग्य कमांड क्षेत्र सृजित करने के लिए दुर्गावती बाँध के चेन सं. 78 से 103.20 पर नहर एवं तिर्यक निकास संरचना के निर्माण का कार्य 2000–01 के दौरान चार विभिन्न एजेंसियों को 4.46 करोड़ रुपये के आकलित लागत के बदले 4.03 करोड़ रुपये पर सौंपा (मार्च 2001)। कार्यपालक अभियंता, दुर्गावती दाँया मुख्य नहर, चेनारी ने कार्य को मार्च तथा अगस्त 2002 के बीच पूरा करने के लिए मार्च 2001 से अगस्त 2001 के दौरान अनुबंध किया।

यह पाया गया कि प्रमंडल ने विशेष भू–अर्जन पदाधिकारी (एस. एल. ए. ओ.), सासाराम को भूमि अधिग्रहण के लिए माँगपत्र अक्टूबर 2001 में दिया जबकि एजंसियों को कार्य मार्च 2001 में ही (मार्च से अगस्त 2001 के दौरान अनुबंध किए गए) सौंप दिया गया था। यद्यपि भूमि का अधिग्रहण नहीं हुआ था तथा नहर एवं तिर्यक निकास संरचना का निर्माण अवरोधित रहा, इसके अतिरिक्त चेन 90.50 से 95.55 के तहत का कार्य जून 2003 तक प्रारंभ नहीं किया गया था।

इस प्रकार आवश्यक भूमि के अधिग्रहण बिना ही कार्य प्रारंभ करने से नहर एवं तिर्यक निकास संरचना के अधूरे निर्माण पर जून 2003 तक 3.01 करोड़ रुपये का निष्फल व्यय हुआ। किसी कर्मचारी पर कमी के लिए उत्तरदायित्व निश्चित नहीं किया गया था।

मामला सरकार को संदर्भित किया गया (जून 2003) ; उनके उत्तर अप्राप्त थे (अप्रैल 2004)।

4.4.13 पथ कार्य में निष्फल निवेश

उत्तरी कोयल बाँध, मोहम्मदगंज के ऊपर पथ पुल कार्य को बीच में रोकने से दो करोड़ रुपये का निष्फल निवेश हुआ।

संयुक्त सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार ने विभागीय निविदा समिति की अनुशंसा पर मोहम्मदगंज में उत्तरी कोयल बाँध के निर्विध्न संचालन एवं बाँध पर लोगों के आवागमन को नियंत्रित करने हेतु उसपर दोहरा पथ पुल के निर्माण का कार्य हिन्दुस्तान इस्पात कार्य निर्माण लिमिटेड, राँची को 4.92 करोड़ रुपये की लागत (3.41 करोड़ रुपये की आकलित लागत से 44 प्रतिशत अधिक) पर दिया (अप्रील 1999) जबकि मंत्रीमंडल सचिवालय तथा समन्वय विभाग के निर्देश (जुलाई 1986) के अनुसार आकलित लागत से 10 प्रतिशत से अधिक के दर का अनुमोदन अनुज्ञेय नहीं था।

कार्यपालक अभियंता, उत्तरी कोयल बाँध प्रमंडल, मोहम्मदगंज ने 24 माह के अंदर कार्य को पूरा करने के लिए एजेंसी के साथ अनुबंध किया (मई 1999)। तथापि एजेंसी ने मार्च 2001 तक दो करोड़ रुपये का कार्य क्रियान्वित किया तथा उसके बाद कार्य बंद कर दिया। कार्यपालक अभियंता ने कहा (सितंबर 2001) कि निधि की अनुपलब्धता के कारण कार्य बंद हो गया।

यह ज्ञात हुआ (दिसंबर 2002) कि प्रमंडल 1999–2001 के दौरान उपलब्ध 2.05 करोड़ रुपये में से 92.63 लाख रुपये खर्च करने में विफल रहा। 1999–2001 के दौरान उपलब्ध निधि कालातीत हो गई तथा सरकार ने उसके बाद निधि प्रदान नहीं किया। प्रमंडल की तरफ से कार्य पूरा करने का कोई प्रयास नहीं किया गया एवं अधूरे कार्य पर किया गया दो करोड़ रुपये का निवेश निष्फल रहा।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित करने पर (जून 2003) सरकार के आयुक्त एवं सचिव, जल संसाधन विभाग ने कहा (सितंबर 2003) कि वित्त विभाग के अनुमोदन के बाद एजेंसी को कार्य प्रदान किया गया था। उन्होंने यह भी कहा कि शेष कार्य के लिए बिहार एवं झारखंड सरकार के बीच लागत अनुपात का निर्णय होने के बाद गंगा एवं सोन प्रबंधन बोर्ड निधि आवंटित करेगा। इसके बाद मामले की प्रगति उनके द्वारा सूचित नहीं की गई थी (अप्रैल 2004)।

4.4.14 क्षतिपूर्ति के भुगतान में चूक

भूमि की क्षतिपूर्ति के आदेशित राशि के भुगतान में चूक के कारण 31 लाख रुपये के ब्याज का परिहार्य भुगतान हुआ।

दो विशेष भू–अर्जन पदाधिकारियों (मुजफ्फरपुर एवं औरंगाबाद) ने बागमती परियोजना के क्रियान्वयन एवं उत्तरी कोयल मुख्य नहर तथा बसडीहा जल वितरिका के निर्माण के कारण विस्थापित हुए लोगों के पुनर्वास हेतु अगस्त 1976 तथा जुलाई 1982 में 32.71 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया।

दो गाँवों (मुसाचले : सीतामढ़ी जिला, झीकीटिया : औरंगाबाद जिला) के भू–स्वामियों ने विभाग द्वारा अधिग्रहित भूमि के क्षतिपूर्ति दर के पुनरीक्षण के लिए 1986, 1991 तथा 1992 के दौरान उप न्यायाधीश I के न्यायालय (सीतामढ़ी तथा औरंगाबाद) में चार मामले दायर किए।

न्यायालय ने 1700 रुपये से 2600 रुपये प्रति डिसमिल भूमि के परिवर्त्ती दर से भूस्वामियों को 99.80 लाख रुपये के क्षतिपूर्त्ति का भुगतान करने का आदेश दिया (दिसंबर 1991, दिसंबर 1992, जनवरी 1994 तथा अप्रील 1995)। आदेशित राशि में मुआवजा के साथ भूमि के

अधिग्रहण के अधिसूचना की तिथि से अधिनिर्णय की घोषणा तक 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष की अतिरिक्त राशि के अलावे भूमि के दखल की तिथि से एक वर्ष के लिए नौ प्रतिशत की दर एवं उसके बाद 15 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज का भुगतान शामिल था।

तथापि दोनों भू–अर्जन पदाधिकारियों ने मुख्यतः न्यायालय के निर्णय पर कानूनी सलाह प्राप्त करने तथा सरकार से निधि प्राप्त करने में विलंब के कारण 99.80 लाख रुपये की आदेशित राशि के भुगतान में चूक किया। उन्होंने भूस्वामियों को 1.31 करोड़ रुपये के क्षतिपूर्ति की बढ़ी राशि का भुगतान किया (मार्च 1995, जनवरी 1998, फरवरी 1998, जून 2000), परिणामस्वरूप भूस्वामियों को 31 लाख रुपये के ब्याज का परिहार्य भुगतान किया गया। सरकार द्वारा आदेशित राशि का भुगतान नहीं करने की जाँच नहीं की गई तथा उत्तरदायी अधिकारियों के विरूद्ध कोई कारवाई नहीं की गई।

मामला सरकार को संदर्भित किया गया (जून 2003) ; उनके उत्तर अप्राप्त थे (अप्रैल 2004)।

4.5 निष्क्रिय निवेश/निष्क्रिय स्थापना/निधि का अवरोधन

पशुपालन विभाग

4.5.1 निष्क्रिय कर्मियों पर निरर्थक व्यय

चारा विकास कार्यालय में 1990–91 से कर्मचारी बिना कार्य के थे जिससे उनपर 65.05 लाख रूपये का निरर्थक व्यय हुआ ।

चारा विकास कार्यालय (एफ.डी.ओ.) बिहार, पटना, वर्ष 1980 में ग्रामीण क्षेत्र के मैदानों से हरे चारा के अधिकतम उत्पादन को प्राप्त करने की प्रकिया और कार्यविधि के प्रदर्शन हेतु स्थापित किया गया था । तद्नुसार कार्यालय को प्लॉटों का नमूना चयन, मृदा संवर्द्धन की क्रियाविधि, बीज के उन्नत किस्म का चुनाव करना था ।

लेखापरीक्षा में पाया गया (जून 2002) कि प्लॉटों एवं मृदा इत्यादि के चयन हेतु नमूना सर्वेक्षण नही हुआ था तथा विभाग द्वारा योजना के प्रारंभ से कोई लक्ष्य नहीं निर्धारित हुआ था । एफ. डी.ओ. ने बताया (जून 2002) कि कोई कार्य नहीं किया जा सका क्योंकि योजना के कियान्वयन हेतु निधि कभी भी प्रदान नही की गई थी तथा चारा के उत्पादन एवं प्रर्दशन हेतु 1990–91 से काई लक्ष्य नहीं निश्चित किया गया था । इस प्रकार सात कर्मचारियों (चारा विकास अधिकारी : 1 ; प्रधान लिपिक : 1 ; एवं अन्य : 5) के दल वाला कार्यालय 1990–91 से बिना कार्य के रहा तथा 1990 और 2004 के बीच उनके वेतन एवं भत्तों पर 65.05 लाख रूपये का निरर्थक व्यय हुआ ।

मामला सरकार को संदर्भित किया गया था (जून 2003) । सरकार के उप सचिव, पशुपालन विभाग ने बताया (अगस्त 2003) कि कार्यालय के कार्यकलापों को पुनर्जीवित करने हेतु कार्यवाही की जा रही थी ।

4.5.2 अकार्यशील तरल नाइट्रोजन संयंत्र पर निरर्थक व्यय

तरल नाइट्रोजन संयंत्र में पदस्थापित अधिकारी बिना कार्य के रहे तथा उनपर अप्रील 1992 से मार्च 2003 तक 1.05 करोड़ रुपये का निरर्थक व्यय हुआ।

हिमीकृत वीर्य बैंक, चंदवारा, मुजफ्फरपुर में स्थापित (अप्रील 1989) तरल नाइट्रोजन संयंत्र को साँढ़ एवं भैंसों से प्राप्त वीर्य को हिमीकृत रूप में सुरक्षित रखने हेतु तरल नाइट्रोजन का उत्पादन (27 लीटर प्रति घंटे की दर से) करना था। इस तरह से सुरक्षित रखे गए वीर्य का तीन प्रमंडलों (तिरहुत, दरभंगा तथा सारण) में मवेशी विकास की आवश्यकता को पूरा करने हेतु गाय एवं भैंस में कृत्रिम गर्भाधान के रूप में प्रयोग करना था।

लेखापरीक्षा में ज्ञात हुआ (दिसंबर 2001 तथा मई 2003) कि तरल नाइट्रोजन संयंत्र में उत्तेजित भीड़ द्वारा मार्च 1992 में आग लगा दी गई। परिणामस्वरूप संयंत्र का विद्युत उत्पादक सेट तथा आंतरिक विद्युतिकरण क्षतिग्रस्त हो गया एवं अप्रील 1992 से ही संयंत्र संचालित नहीं हुआ। 2.70 लाख रुपये की लागत पर मरम्मत के आकलन (जून 1994) वाला क्षतिग्रस्त आंतरिक विद्युतिकरण एवं विद्युत उत्पादक सेट की मरम्मत मई 2003 तक नहीं गई क्योंकि सरकार द्वारा कोई निधि प्रदान नहीं की गई।

परिणामस्वरूप संयंत्र में कार्यरत मानव शक्ति (परियोजना पदाधिकारी : 1 ; लिपिक–1 ; गर्भाधान पदाधिकारी : 1 ; तकनीशीयन : 5 ; मैकेनिक : 1 ; ड्राइवर : 1 ; साँढ़पालक, चपरासी एवं रात्रि प्रहरी : 4) अप्रील 1992 से ही बिना कार्य के रहे और अप्रील 1992 से मार्च 2003 के दौरान उनके वेतन एवं भत्ते पर 1.05 करोड़ रुपये का निरर्थक व्यय हुआ था क्योंकि विभागाध्यक्ष ने विभाग में दूसरी जगह लाभप्रद ढंग से उनकी सेवाओं का उपयोग करने के लिए कोई कारवाई नहीं की। इसके अतिरिक्त सरकार को कृत्रिम गर्भाधान के लिए गाय एवं भैंस के मालिकों से मिलने वाले राजस्व की भी हानि हुई।

इसके अतिरिक्त, तीन प्रमंडलों में कृत्रिम गर्भाधान का क्रियाकलाप अनुपस्थित/उपेक्षित रहा।

मामला सरकार को संदर्भित किया गया (जून 2003) ; उनके उत्तर अप्राप्त थे (अप्रील 2004)।

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, राजस्व विभाग तथा कल्याण विभाग

4.5.3 असैनिक जमा/बैंक में सरकारी धन का अनियमित जमा

पाँच आहरण एवं संवितरण पदाधिकारियों ने कोषागार से 8.09 करोड़ रुपये की निकासी की तथा अनियमित रूप से उन्हें असैनिक जमा/बैंकों में रखा।

नियम में प्रावधान है कि कोषागार से किसी धन की निकासी नहीं करनी चाहिए जबतक उसके तत्काल भुगतान की आवश्यकता न हो। बजट अनुदान को कालातीत होने से बचाने के लिए भी कोषागार से निकासी नहीं करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त वित्तीय वर्ष के अंत में असंवितरित रही राशि को लेखा के समुचित शीर्ष के तहत कोषागार में जमा कर देना चाहिए। इन संहित प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए कोषागार से निधि की निकासी विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा की गई तथा असैनिक जमा/बैंकों में रख दिया गया। विवरण नीचे दिए गए है :

(करोड़ रुपये में)

क्रम सं.	विभाग का नाम/ पदाधिकारी का पद	निकासी की गई निधि/ माह तथा वर्ष	प्रयोजन	असैनिक जमा में रखी गई राशि/ अवधि	बैंक में जमा की गई राशि	अभ्युक्ति
1	निबंधक, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना	1.00 रुपये मार्च 2002	पटना में प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान के निर्माण के लिए केंद्रीय सहायता (सी ए)	मार्च 2002 से मई 2003 के बीच एक करोड़ रुपये तथा जून से दिसंबर 2003 तक 50 लाख रुपये		असैनिक जमा से जून 2003 में 50 लाख रुपये की निकासी की गई। इसमें से 20 लाख रुपये कर्मियों के वेतन पर खर्च किए गए।
2	जिला कल्याण पदाधिकारी, अररिया	1.08 रुपये 1997–99	अ. जा./अ. ज. जा. के लिए परिवारोन्मुख आय सृजन योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए केंद्रीय सहायता	0.47 रुपये फरवरी 2002 से दिसंबर 2003	0.52 रुपये	इसके अतिरिक्त लाभार्थियों को ऋण हिस्से के भुगतान के लिए 52.00 लाख रुपये जनवरी 2001 से दिसंबर 2001 के दौरान 12 बैंकों में जमा किया गया।
3	जिला कल्याण पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर	1.96 रुपये 1997–99	–वही–	1.84 रुपये अप्रील 2002 से दिसंबर 2003	1.84 रुपये	1997–98 से मार्च 2002 तक बैंक चालु खाते में 1.84 करोड़ रुपये जमा किए गए।
4	जिला कल्याण पदाधिकारी, बेतिया	3.62 रुपये (अव्यवहृत शेष)/ मार्च 2002	–वही–	0.44 रुपये मार्च 2002 से दिसंबर 2003	0.85 रुपये	अप्रील 1998 के पहले बैंकों में 0.85 करोड़ रुपये जमा किए गए। मार्च 2002 तक 61.41 लाख रुपये का ब्याज अर्जित हुआ जिसमें से 44.18 लाख रुपये असैनिक जमा में रखा गया।
5	जिलादण्डाधिकारी जिला नजारत, समस्तीपुर	1.13 रुपये 1998–99	संपूर्ण साक्षरता अभियान के क्रियान्वयन के लिए	–	1.13 रुपये	सितंबर 2000 तक राशि को चालु खाते में रखा गया जिससे 12.40 लाख रुपये के ब्याज की हानि हुई। इसके बाद राशि को बैंक के बचत खाते में स्थानांतरित किया गया।
	कुल			**3.75 रुपये**	**4.34 रुपये**	

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित करने पर (जून 2003), सरकार के सचिव, कल्याण विभाग ने कहा (अक्टूबर 2003) कि लाभार्थियों को भुगतान करने में बैंक के असहयोग के कारण मुजफ्फरपुर के बैंकों में निधि अव्यवहृत रही तथा समाधान निकालने के लिए कारवाई की जा रही थी लेकिन वे जिला कल्याण पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर द्वारा असैनिक जमा में रखी गई 1.84 करोड़ रुपये की निधि की सफाई नहीं दे सके। अन्य प्राधिकारियों ने अभी तक उत्तर नहीं दिया था (अप्रील 2004)।

स्वास्थ्य, स्वास्थ्य शिक्षा तथा परिवार कल्याण विभाग

4.5.4 निधि के उपयोग में अनावश्यक विलंब

डी. एम. सी. एच. में कैंसर के मरीजों को विशिष्ट उपचार उपलब्ध कराने हेतु कोबाल्ट मशीन भवन निर्माण अधूरा रहने के कारण, प्रतिष्ठापित नहीं हुआ।

भारत सरकार ने राज्य सरकार को कैंसर के लिए विशिष्ट उपचार प्रदान करने हेतु कोबाल्ट मशीन के क्रय एवं दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल में प्रतिष्ठापन के लिए 50 लाख रुपये प्रदान किया (1990–91)। राज्य सरकार ने अधीक्षक, डी. एम. सी. एच. को अस्पताल के कैंसर यूनिट में कोबाल्ट भवन के निर्माण के लिए इसमें से 31.69 लाख रुपये विमुक्त किया (30 मार्च 1993) जिन्होंने राशि की निकासी की तथा उसे "असैनिक जमा" में रख दिया (31 मार्च 1993)। अधीक्षक ने "असैनिक जमा" से जनवरी 1995 में राशि की निकासी की तथा उसे भारतीय स्टेट बैंक, दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय शाखा, लहेरियासराय के चालू खाते में रख दिया जहाँ जून 1999 तक राशि अव्यवहृत पड़ी रही जबकि नियमानुसार बैंक के चालू खाते/"असैनिक जमा" में रखने हेतु निधि की निकासी उचित नहीं थी।

अधीक्षक ने कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण प्रमंडल, दरभंगा को भवन के निर्माण हेतु 31.69 लाख रुपये (जुलाई 1999 : 15 लाख रुपये + जुलाई 2002 : 16.69 लाख रुपये) विमुक्त किया जबकि मुख्य अभियंता, भवन निर्माण, लहेरियासराय, दरभंगा ने अधीक्षक, डी. एम. सी. एच. को पहले ही सूचित कर दिया था (अप्रील 1998) कि भवन के लिए 60 लाख रुपये (इसके अतिरिक्त फरवरी 2003 में पुनरीक्षित 74.62 लाख रुपये) की पुनरीक्षित लागत की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर ही कोबाल्ट भवन के निर्माण का कार्य शुरू हो सकेगा। कार्यपालक अभियंता ने 33 प्रतिशत कार्य पर अप्रील 2003 तक 23.68 लाख रुपये खर्च किया।

लेखापरीक्षा में यह ज्ञात हुआ (जुलाई 2002 तथा मार्च 2003) कि अधीक्षक ने मार्च 2003 तक न तो प्रमण्डल को अतिरिक्त निधि उपलब्ध कराई न ही उन्होंने भाभा आणविक अनुसंधान केन्द्र से भवन के रूपांकन का अनिवार्य अनुमोदन प्राप्त किया। इसके अलावे विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई निधि के उपयोग का सरकार द्वारा अनुश्रवण नहीं किया गया।

अतः अधीक्षक, डी. एम. सी. एच. एवं सरकार द्वारा योजना एवं पहल के अभाव में भवन दस वर्षों से अधिक समय बीतने के बावजूद अधूरा रहा तथा कोबाल्ट मशीन प्रतिष्ठापित नहीं हो सकी, परिणामस्वरूप 23.68 लाख रुपये का निष्फल व्यय हुआ। इसके अतिरिक्त 31.69 लाख रुपये को चालू बैंक खाते में रखने के कारण राज्य सरकार को 18.36 लाख रुपये के ब्याज (12 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से) की हानि हुई।

मामला सरकार को संदर्भित किया गया (मई 2003) ; उनके उत्तर अप्राप्त थे (अप्रैल 2004)।

पशुपालन विभाग

4.5.5 कर्मियों की अधिकता के कारण निरर्थक व्यय

जिला पशुपालन कार्यालय, मुजफ्फरपुर में 12 साँढ़ पालकों, जो बिना कार्य के रहे तथा उन पर 58.61 लाख रुपये का निरर्थक व्यय हुआ।

जिला पशुपालन पदाधिकारी (जि. प. प.), मुजफ्फरपुर के अभिलेखों की जाँच (जुलाई 2002) से ज्ञात हुआ कि जिला पशुपालन कार्यालय, मुजफ्फरपुर में अप्रील 1997 से जून 2002 के दौरान आठ साँढ़ पालकों के स्वीकृत पद के बदले 20 साँढ़ पालक पदस्थापित थे परिणामस्वरूप 12 साँढ़ पालक अधिक पदस्थापित थे। इसके अतिरिक्त मुजफ्फरपुर जिले के पशुफार्म में अप्रील 1997 से ही कोई साँढ़ नहीं था। जि. प. प. ने 12 साँढ़ पालकों के अधिक पदस्थापना तथा सभी 20 साँढ़ पालकों, जो 1997 से ही बिना कार्य के रहे, की सेवाओं का विभाग में दूसरी जगह सार्थक उपयोग करने हेतु सरकार को मामला संदर्भित नहीं किया। यह भी देखा गया कि स्वीकृत बल से अधिक (अप्रील 1997 से मार्च 2003) के साँढ़ पालकों का वेतन जि. प. प. द्वारा कोषागार से वेतन विपत्र पर गलत प्रमाणपत्र, कि वेतन एवं भत्ते स्वीकृत बल के अधीन हैं, देते हुए निकासी की गई।

अतः 12 साँढ़ पालकों का अनधिकृत पदस्थापन हुआ था जिनपर अप्रील 1997 से मार्च 2002 के दौरान 34.47 लाख रुपये के वेतन का अनियमित भुगतान हुआ। इसके अतिरिक्त सभी 20 साँढ़ पालकों, जो अप्रील 1997 से जून 2003 के दौरान बिना कार्य के रहे, के वेतन एवं भत्ते पर पर 58.61 लाख रुपये का निरर्थक व्यय हुआ। जि. प. प., मुजफ्फरपुर ने कहा (जुलाई 2003) कि साँढ़ पालकों को भुगतान चपरासी तथा चौकीदार के स्वीकृत बल के विरूद्ध किया गया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि चपरासी एवं चौकीदार का कार्य साँढ़ पालकों के कार्य से भिन्न प्रकृति का था। इसके अतिरिक्त चपरासी एवं चौकीदार के पद के बदले अधिक साँढ़ पालकों को नियुक्त करने का अनुमोदन सरकार से प्राप्त नहीं किया गया था।

मामला सरकार को संदर्भित किया गया (जून 2003) ; उनके उत्तर अप्राप्त थे (अप्रैल 2004)।

4.6 अधिनियमन संबंधी मामले एवं अन्य प्रसंग

उच्चतर शिक्षा विभाग

4.6.1 कॉलेज तथा छात्रावास भवन सी. आर. पी. एफ. के आधिपत्य में

अनुग्रह नारायण कॉलेज, पटना का स्नात्तकोत्तर भवन एवं भीमराव अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर का स्नात्तकोत्तर छात्रावास सी. आर. पी. एफ. द्वारा कब्जा कर लिया गया था जिसने छात्रों की पढ़ाई को प्रभावित किया। उनसे 73.57 लाख रुपये के किराए की वसूली भी नहीं की गई।

मगध विश्वविद्यालय, बोध गया के अंतर्गत अनुग्रह नारायण विश्वविद्यालय, पटना ने स्नात्तकोत्तर (कला) के कक्षा आयोजन हेतु 36 कमरे वाले तीन मंजिला भवन का 30.59 लाख रुपये की लागत पर निर्माण (अक्टूबर 1994) किया। भवन निर्माण के दौरान ही सी. आर. पी. एफ. ने

इस भवन पर अनधिकृत रूप से कब्जा कर लिया (जुलाई 1992) तथा इसके लिए किसी किराए का भुगतान नहीं किया। महाविद्यालय के प्राचार्य ने कुल सचिव, मगध विश्वविद्यालय, बोध गया को स्नात्तकोत्तर कक्षा के संचालन हेतु भवन को खाली कराने तथा इसके दखल के समय से 50000 रुपये प्रतिमाह की दर से सी. आर. पी. एफ. से किराया वसूली करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का अनुरोध किया (मार्च 2003)। तथापि कुल सचिव ने कोई कारवाई नहीं की तथा न तो सी. आर. पी. एफ. से जुलाई 1992 से मई 2003 की अवधि के लिए कुल 65.50 लाख रुपये किराए की वसूली की गई न ही जून 2003 तक भवन खाली



सी. आर. पी. एफ. द्वारा अधिकृत ए. एन. कॉलेज, पटना का स्नात्तकोत्तर भवन

उसी तरह बी. आर. ए. बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर के 153 (86 तथा 67) सीटों की संयुक्त क्षमता वाले दो स्नात्तकोत्तर छात्रावास (2 तथा 5) कुलपति, बी. आर. ए. बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर की मौखिक सहमति पर अप्रील 1996 से ही सी. आर. पी. एफ. के कब्जे में था। तथापि विश्वविद्यालय के सी. आर. पी. एफ. द्वारा दखल किए गए दो छात्रावासों के किराए की वसूली नहीं की एवं जनवरी 2003 तक वसूली नहीं किया गया कुल भाड़ा 8.07 लाख रुपये था।

अतः सी. आर. पी. एफ. के आधिपत्य से महाविद्यालय एवं छात्रावास भवन को मुक्त कराने में दोनों विशविद्यालयों की विफलता के परिणामस्वरूप कार्यालय/छात्रावास भवन का अनधिकृत उपयोग हुआ तथा छात्र शैक्षिक एवं छात्रावास सुविधा से वंचित रहे। इसके अतिरिक्त 73.57 लाख रुपये के किराए की वसूली नहीं हुई।

मामला सरकार को संदर्भित किया गया (जून 2003) ; उनके उत्तर अप्राप्त थे (अप्रैल 2004)।

पथ निर्माण विभाग

4.6.2 पथ कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित नहीं की गयी

बालू भराई के अभाव में हरनौत–बेलछी–चंडी पथ में 1.05 करोड़ रुपये के व्यय पर किए गए कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित नहीं थी।

नक्सली क्षेत्र में पथ के विकास की योजना के अंतर्गत हरनौत–बेलछी–चंडी पथ के एक से 16 कि. मी. के सुधार एवं मरम्मत के लिए पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना द्वारा 1.71 करोड़ रुपये का प्रशासनिक अनुमोदन किया गया (मार्च 1998)। मुख्य अभियंता, केन्द्रीय रूपांकन संगठन (सी. डी. ओ.), पथ निर्माण विभाग, पटना द्वारा 1.46 करोड़ रुपये की तकनीकी स्वीकृति दी गई (अप्रील 1998)। आकलन के अनुसार पथ के 3.05 मीटर की विद्यमान चौड़ाई को 5.5 मीटर तक चौड़ा करना प्रस्तावित था। स्वीकृत आकलन में (क़) खाना कटाई (ख) बालू भराई (ग) I, II एवं III श्रेणी के स्टोन मेटल (घ) प्राइमर कोट (च) 50 मि. मी. व्यूल्टअप स्प्रे ग्राउटिंग (बी. एस. जी.) (छ) 10 प्रतिशत लेवलिंग कोर्स तथा (ज) 20 मि. मी. प्रीमिक्स कारपेट के लिए भी प्रावधान था। कार्य को मार्च 1999 तथा मई 2000 के बीच पूरा करने के लिए एक एजेंसी को तीन अनुबंधों के तहत 1.77 करोड़ रुपये के मात्रा विपत्र मूल्य के बदले 1.94 करोड़ रुपये पर आवंटित किया गया।

पथ निर्माण प्रमंडल, बिहारशरीफ के अभिलेखों की संवीक्षा (दिसंबर 2002) से ज्ञात हुआ कि बालू भराई कार्य को छोड़कर स्वीकृत आकलन में किए गए प्रावधान के सभी मदों को अनुबंध में शामिल किया गया था। इसके अतिरिक्त चौड़ा किए गए भाग के खाना कटाई में बिना बालू भराई के ही I, II एवं III श्रेणी के स्टोन मेटल दिए गए तथा प्राइमर कोट, 50 मि. मी. बिल्ट अप स्प्रे ग्राउटिंग तथा 20 मि. मी. प्रीमिक्स कारपेट जैसे कार्य के अन्य मदों को नवनिर्मित वाटर बाउंड मैकाडम (डब्ल्यू. बी. एम.) की सतह पर क्रियान्वित किया गया। पथ को चौड़ा किए गए भाग में उप आधार को मजबूत करने तथा उसके सामर्थ्य को बढ़ाने (कैलिफोर्निया वहन अनुपात : सी. बी. आर.) के लिए बालू भराई कार्य आवश्यक था।

अतः पथ के चौड़ा किए गए भाग में बालू भराई के अभाव में 1.05 करोड़ रुपये की लागत पर क्रियान्वित कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित नहीं थी। मुख्य अभियंता, के. रू. सं., पथ निर्माण विभाग ने कहा (मार्च 2004) कि आकलन की तकनीकी स्वीकृति कार्यपालक अभियंता द्वारा तैयार एवं प्रस्तुत किए गए आकलन के आधार पर किया गया था। उन्होंने यह भी कहा कि हो सकता है विद्यमान उप आधार बालूयुक्त हो जिसके चलते बालू भराई का प्रावधान छोड़ दिया गया हो। उत्तर अस्पस्ट एवं अस्वीकार्य था क्योंकि तात्कालीन कार्यपालक अभियंता के टिप्पणी (सितंबर 1998) के अनुसार मूल आकलन में 150 मि. मी. मोटे बालू भराई का प्रावधान था।

मामला सरकार को संदर्भित किया गया (जून 2003) ; उनके उत्तर अप्राप्त थे (अप्रैल 2004)।

जल संसाधन विभाग

4.6.3 भवन पर अनधिकृत आधिपत्य

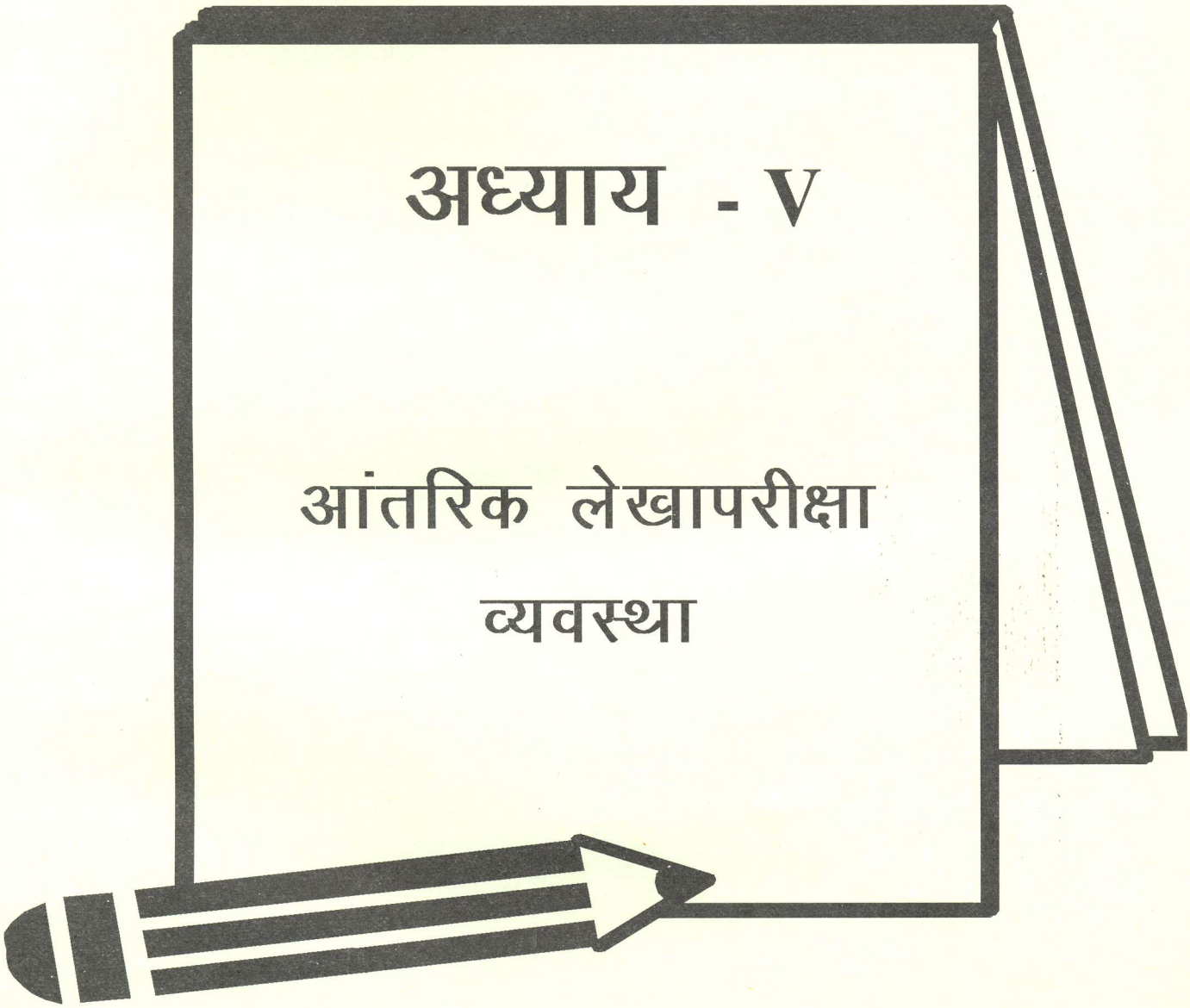
शीर्ष कार्य प्रमंडल, वीरपुर तथा सिंचाई प्रमंडल, पूर्णियाँ के आवासीय भवन कार्यरत एवं सेवानिवृत्त कर्मियों के अनधिकृत कब्जे में थे तथा उनके द्वारा 49.42 लाख रुपये के दंड किराया का भुगतान नहीं किया गया था।

यह ज्ञात हुआ कि शीर्ष कार्य प्रमंडल, वीरपुर (60) तथा सिंचाई प्रमंडल, पूर्णियाँ (94) के 154 सरकारी आवासीय क्वार्टर अक्टूबर 1981 से जून 2000 तक विभागीय/अन्य कर्मियों, जो या तो स्थानांतरित या सेवानिवृत्त हो चूके थे, के अनधिकृत कब्जे में थे। इनमें से 112 (वीरपुर में 60 तथा पूर्णिया में 52) मार्च 2003 तक अनधिकृत कब्जे में रहे। कर्मियों से सरकारी क्वार्टर के अनधिकृत आधिपत्य के कारण 49.42 लाख रुपये के दंड किराया की वसूली मई 2003 तक नहीं की गई थी।

कार्यपालक अभियंता ने अनधिकृत दखलकारों को बेदखल करने के लिए जिला प्रशासन से अनुरोध किया था (मई 2000 तथा दिसम्बर 2002)। तथापि उन्होंने अनधिकृत दखलकारों के विरूद्ध कानूनी कारवाई शुरू करने हेतु उच्च विभागीय पदाधिकारियों के सामने मामले को नहीं रखा।

अतः कार्यपालक अभियंता की तरफ से पहल के अभाव में मई 2003 तक सरकारी आवासीय क्वार्टर अनधिकृत कब्जे में रहे तथा 49.42 लाख रुपये के दंड किराए की वसूली नहीं हुई।

मामला सरकार को संदर्भित किया गया (जून 2003) ; उनके उत्तर अप्राप्त थे (अप्रैल 2004)।



अध्याय - V

आंतरिक लेखापरीक्षा व्यवस्था

अध्याय–V

5 आंतरिक लेखापरीक्षा व्यवस्था

5.1 भूमिका

बिहार सरकार ने 1953 में अपने विभिन्न विभागों के आंतरिक लेखापरीक्षा करने हेतु विभिन्न विभागों के आंतरिक लेखापरीक्षा कोषांगों को मिलाकर वित्त विभाग के नियंत्रण में एक आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा का गठन किया।

5.2 सांगठनिक ढ़ाँचा

मुख्य लेखा नियंत्रक द्वारा शीर्षित एवं लेखा नियंत्रक/उप नियंत्रक द्वारा सहयोग प्राप्त, आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा सचिव सह आयुक्त, वित्त विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता था। क्षेत्रों में आंतरिक लेखापरीक्षा, वरीय लेखा परीक्षकों द्वारा की जाती थी तथा प्रमंडलीय मुख्यालय में उप नियंत्रक द्वारा पर्यवेक्षण किया जाता था।

इसके प्रभाव का मूल्यांकन करने के उद्देश्य से आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा के वर्ष 1998–99 से 2002–03 के दौरान के क्रियाकलाप की समीक्षा की गई। पाए गए तथ्य निम्नवत थे :

5.3 आंतरिक लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र

आंतरिक लेखापरीक्षा का मुख्य कार्य यह देखना है कि सरकारी विभागों में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली व्यवस्थित है या नहीं। यह देखने के साथ–साथ आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा का मुख्य कार्य वित्तीय अनियमितताओं को रोकने, अपव्यय, गबन या धोखाधड़ी के मामलों का पता लगाने तथा उसे सरकार को सूचित करना था। तथापि आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा ने सरकार के सभी विभागों को लेखापरीक्षा में शामिल नहीं किया है। इसके द्वारा विभिन्न विभागों की लेखापरीक्षा, सामान्यतः संबंधित विभाग द्वारा लेखापरीक्षा की अधियाचना पर ही किया जाता है। कभी–कभी इसके द्वारा कारा, बिक्री कर, स्वास्थ्य, आपूर्त्ति, योजना, ग्रामीण विकास तथा उद्योग विभागों की लेखापरीक्षा बिना संबंधित विभाग की अधियाचना पर भी किया गया है।

5.4 संहिता एवं नियमावली का अभाव

आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा के पास दिसंबर 2003 तक सरकारी विभागों की आंतरिक लेखापरीक्षा करने हेतु कोई संहिता, नियमावली इत्यादि नहीं था। उनके पास लेखापरीक्षा करने हेतु 1974 के पहले निर्गत महत्त्वपूर्ण निर्देशों/परिपत्रों का सार–संग्रह था।

5.5 मानव क्षमता

आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा में 31 दिसंबर 2003 को कर्मियों की स्वीकृत संख्या तथा पदास्थापन स्थिति निम्नवत थी :

क्रमांक	कर्मियों की श्रेणी	स्वीकृत संख्या	पदस्थापना स्थिति
1	वरीय लेखापरीक्षक श्रेणी II	332	286
2	वरीय लेखापरीक्षक श्रेणी I	103	43
3	उप लेखा नियंत्रक	65	11
4	लेखा नियंत्रक	13	1
	योग	**512**	**341**

5.6 प्रशिक्षण

लेखापरीक्षकों को उनकी नियुक्ति के समय उनके वरीय सहकर्मियों द्वारा 12 सप्ताह का एकमुश्त प्रशिक्षण प्रदान किया जाता था, उसके बाद वित्तीय मामलों से संबंधित सरकार के

नवीनतम निर्देशों तथा विकास व्यय में बहुविद वृद्धि के संदर्भ में लेखापरीक्षा की अधिक आवश्यकता से अवगत कराने हेतु कोई प्रशिक्षण नहीं दिया जाता था। अतः सावधिक अंतर्गृह प्रशिक्षण तथा बाह्य विशेषज्ञों की तैनाती के माध्यम से पेशेवर दक्षता के विकास के लिए किसी भी प्रक्रिया का अभाव था।

5.7 आंतरिक लेखापरीक्षा का प्रदर्शन

- लेखापरीक्षा कार्यक्रम की समीक्षा से ज्ञात हुआ कि लेखापरीक्षा कार्य परिगणित कार्यदिवस में पूरा नहीं किए गए तथा सामान्यतः उसे पुनरीक्षित किया गया जो दर्शाता था कि लेखापरीक्षा कार्यक्रम लागत प्रभावी नहीं था।

- लेखापरीक्षा के प्रभाव तथा लोक उत्तरदायित्त्व को बढ़ाने हेतु लेखापरीक्षित कार्यालय द्वारा लेखापरीक्षा अवलोकन के आलोक में पर्याप्त, शीघ्र तथा समुचित अनुवर्त्ती कार्रवाई आवश्यक थी। पाँच वर्षों में निर्गत निरीक्षण प्रतिवेदन तथा उनके अनुपालन की स्थिति निम्नवत थी :

(संख्या में)

वर्ष	निर्गत निरीक्षण प्रतिवेदन	किए गए आंशिक अनुपालन	शेष
1998–99	177	128	49
1999–2000	355	143	212
2000–2001	230	187	43
2001–2002	1090	262	828
2002–2003	496	340	156
योग	**2348**	**1060**	**1288**

अतः आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा द्वारा 1998–2003 के दौरान निर्गत 55 प्रतिशत निरीक्षण प्रतिवेदन दिसंबर 2003 तक उपेक्षित रहे। 1060 निरीक्षण प्रतिवेदन का अनुपालन भी आंशिक रूप से ही किया गया था। यह भी ज्ञात हुआ कि निरीक्षण प्रतिवेदन को निर्गत करने में 1 माह से 15 वर्षों तक का विलंब हुआ।

- आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा द्वारा पता लगाए गए गबन/दुर्विनियोजन की वर्षवार स्थिति निम्नवत थी :

वर्ष	कंडिका (संख्या)	गबन/दुर्विनियोजन की गई राशि (लाख रुपये में)
1998–99	60	14.36
1999–2000	110	108.72
2000–2001	67	44.72
2001–2002	अनु.	492.35
2002–2003	अनु.	103.93
योग		764.08

(अनु. : अनुपलब्ध)

लेखापरीक्षा संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि गबन/दुर्विनियोजन के राशि की वसूली दिसंबर 2003 तक नहीं की गई थी।

लेखापरीक्षा टिप्पणियों की गुणवत्ता

सोलह विभागों से संबंधित 100 निरीक्षण प्रतिवेदनों की नमूना जाँच की गई। इन प्रतिवेदनों

में 1275 कंडिकाएँ शामिल थीं, जिनमें से 41.87 लाख रुपये राशि मूल्य की 77 कंडिकाएँ गबन/दुर्विनियोजन से संबंधित थीं। शेष 1198 कंडिकाओं में रोकड़ पंजी तथा सेवा पुस्तिका के संधारण, विस्तृत आकस्मिक विपत्र जमा नहीं करने, अधिक रोकड़ शेष, असमायोजित अग्रिम, वेतन एवं भत्ते का अधिक भुगतान, भंडार का लेखा नहीं होना, भंडार के भौतिक सत्यापन का अभाव, भंडार पंजी का अनुचित संधारण, निधि का विचलन, दैनिक मजदूरों को भुगतान, यात्रा व्यय इत्यादि से संबंधित टिप्पणियाँ थी।

5.8 उपसंहार

आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा प्रभावी नहीं था। इसने विवेकाधीन लेखापरीक्षा किए जाने वाले का समुचित प्राथमिकता क्रम चिह्नित नहीं किया। भौतिकता एवं जोखिम को निर्धारित करने हेतु लेखा परीक्षित कार्यालय एवं उसके संगठन के बारे में इसने सूचना संग्रह नहीं किया। इसने संहिता, अन्य मार्गदर्शक टिप्पणियाँ एवं लेखापरीक्षा करने हेतु पेशेवर दक्षता के विकास करने संबंधी निर्देशों को तैयार नहीं किया।

5.9 अनुशंसा

- लेखापरीक्षा के लिए संहिता एवं नियमावली को विकसित एवं समय–समय पर उसे अद्यतन किया जाना चाहिए ;
- लेखापरीक्षा की समुचित रूप से योजना बनानी चाहिए एवं इन योजनाओं के क्रियान्वयन की उपयुक्त नियंत्रण बही के माध्यम से निगरानी रखनी चाहिए ;
- लेखापरीक्षा कर्मियों की प्रशिक्षण एवं पुनश्चर्या पाठ्यक्रम के माध्यम से लेखापरीक्षा दक्षता का विकास करना चाहिए।

विक्रम चन्द्र

पटना
दिनांक

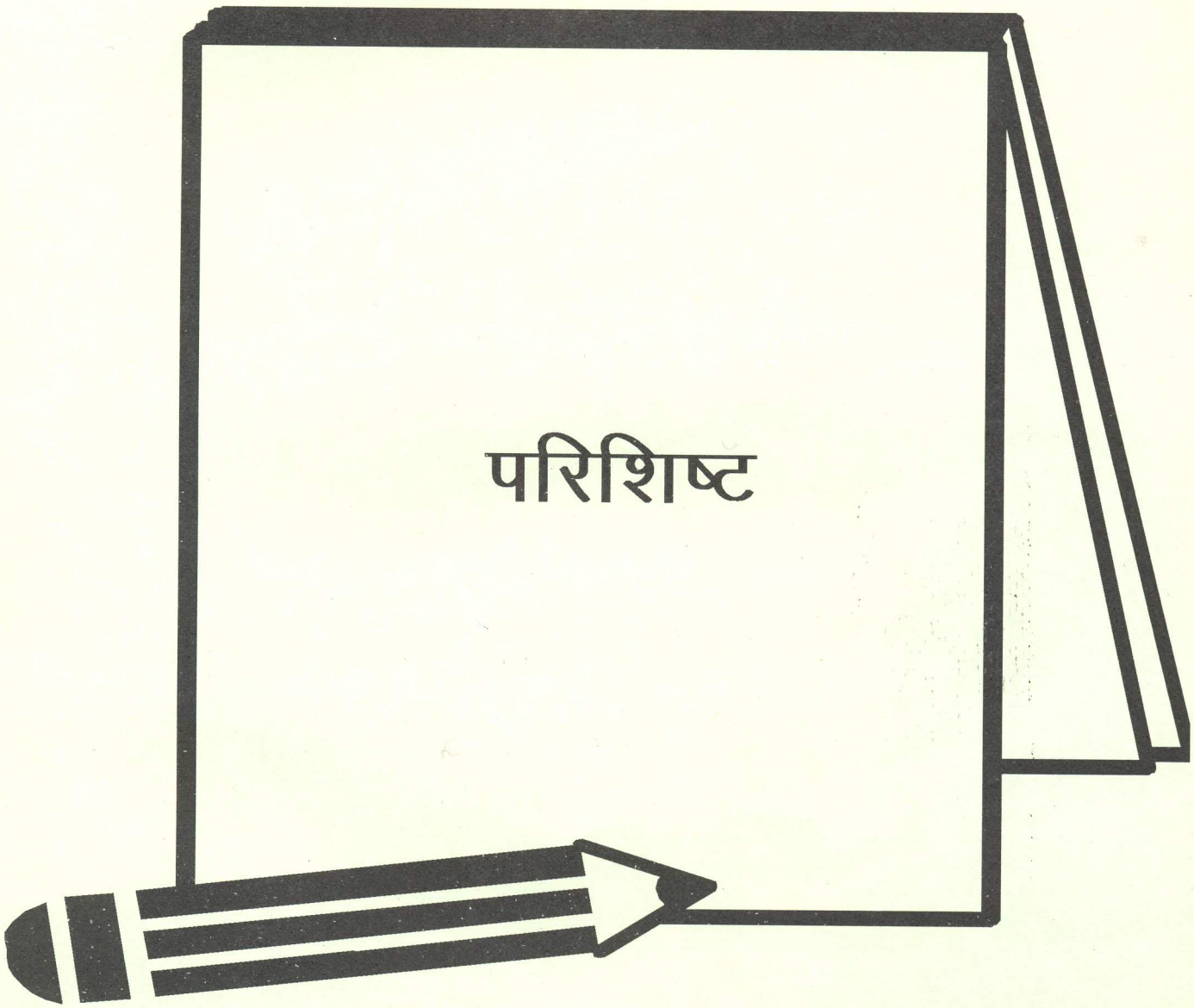
(विक्रम चन्द्र)
प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार

प्रतिहस्ताक्षरित

वि. ना. कौल

नई दिल्ली
दिनांक

(विजयेन्द्र नाथ कौल)
भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक



परिशिष्ट

परिशिष्ट–I

(संदर्भ : कंडिका 1.3 ;पृष्ठ : 3)

बिहार सरकार की वित्तीय स्थिति का सार

(करोड़ रुपये में)

31 मार्च 2002 को		दायित्व		31 मार्च 2003 तक
9682.03		**आंतरिक ऋण**		**12471.62**
	5883.47	ब्याज सन्निहित बाजार ऋण	7083.31	
	0.56	ब्याज रहित बाजार ऋण	2.15	
	13.78	भारतीय जीवन बीमा निगम से ऋण	13.78	
	3784.22	अन्य संस्थानों आदि से ऋण	5372.38	
472.93		अर्थोपाय पेशगियाँ रिजर्व बैंक के पास जमा में गिरावट		930.28
11791.71		**केन्द्र सरकार से ऋण एवं पेशगियाँ**		**11665.58**
	588.98	1984–85 के पूर्व के ऋण	529.29	
	3846.97	गैर–योजना ऋण	2926.21	
	7286.29	राज्य योजना कार्यक्रम हेतु ऋण	8140.85	
	9.91	केन्द्रीय योजना कार्यक्रम हेतु ऋण	11.43	
	16.60	केन्द्रीय प्रायोजित योजना कार्यक्रम हेतु ऋण	14.74	
	42.96	अर्थोपाय पेशगियाँ	42.96	
350.00		**आकस्मिकता निधि**		**350.00**
7684.16		**लघु बचतें, भविष्य निधि आदि**		**7879.24**
2278.01		**जमा**		**2773.10**
447.54		**सुरक्षित निधि**		**459.88**
-		**प्रेक्षण अंतशेष**		-
-		**उचंत एवं विविध अंतशेष**		-
32706.38		**योग**		**36529.70**
31 मार्च 2002 को		**परिसंपत्तियाँ**		**31 मार्च 2003 तक**
13361.23		**सकल वित्तीय परिव्यय**		**14330.98**
	668.67*	कंपनियों, निगमों आदि के शेयरों में निवेश	694.34	
	12674.56	अन्य पूँजीगत परिव्यय	13636.64	
7473.60		**ऋण एवं पेशगियाँ**		**8205.21**
	5508.24	ऊर्जा परियोजनाओं हेतु ऋण	6138.58	
	1889.12	अन्य विकास ऋण	1993.98	
	76.24	सरकारी सेवकों आदि को ऋण	72.65	
93.82		**पेशगियाँ**		**94.03**
1620.32		**प्रेषण अंतशेष**		**1662.61**
965.95		**उचंत एवं विविध अंतशेष**		**864.13**
128.57		**रोकड़**		**1023.14**
		कोषागार में रोकड़ एवं स्थानीय प्रेषण		
	78.12	विभागीय अंतशेष	75.26	
	0.17	स्थानीय रोकड़ अग्रदाय	0.18	
	50.28	रोकड़ शेष का निवेश तथा अन्य सुरक्षित निधि का निवेश	947.70	
		रिजर्व बैंक के पास जमा		
9062.89		**सरकारी लेखे में घाटा**		**10349.60**
	1320.06	(i) चालू वर्ष का राजस्व घाटा	1286.71	
	7742.83	(ii) पूरे वर्ष तक संचित घाटा (iii) विविध सरकारी लेखे	9062.89	
32706.38		**योग**		**36529.70**

* *आँकड़े वित्त लेखे 2000–01 एवं 2001–02 से 2.19 करोड़ / 2.18 करोड़ रुपये से वर्ष 1998–99 से पूर्व के कथन सं. 14 की त्रुटियों के प्रोफार्मा सुधार में बदलाव के कारण मेल नहीं खाते हैं।*

परिशिष्ट–II

(संदर्भ : कंडिका 1.4 ; पृष्ठ : 3)

वर्ष 2002–03 की प्राप्तियों एवं संवितरण का सार

(करोड़ रुपये में)

प्राप्तियाँ				संवितरण				
2001-02			2002-2003	2001-02				2002-2003
	खंड अ : राजस्व					गैर–योजना	योजना	कुल
9839.29	I. राजस्व प्राप्तियाँ		10968.42	11159.35	I. राजस्व व्यय	10900.70	1354.43	12255.13
2318.95	कर राजस्व	2761.05		6322.88	सामान्य सेवाएँ	6556.42	17.72	6574.14
286.70	करेत्तर राजस्व	260.82		3532.23	सामाजिक सेवाएँ	3372.55	543.16	3915.71
6176.62	संघीय करों एवं शुल्कों का राज्यांश	6549.23		2478.13	शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	2533.49	170.02	2703.51
267.08	गैर योजना अनुदान	290.32		518.61	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	385.57	167.73	553.30
477.20	राज्य योजना कार्यक्रम हेतु अनुदान	670.05		136.33	जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं नगर विकास	148.08	71.03	219.11
312.74	केन्द्रीय योजना एवं कन्द्र प्रायोजित योजना एवं कार्यक्रमों हेतु अनुदान	436.95		8.16	सूचना एवं प्रसारण	10.77	0.03	10.80
				99.93	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों एवं अन्य पिछड़ा वर्गो के कल्याण	59.92	23.36	83.29
				25.66	श्रम एवं श्रम कल्याण	40.52	31.84	72.36
				258.13	समाज कल्याण एवं पोषाहार	186.32	79.14	265.46
				7.28	अन्य	7.88	-	7.81
				1302.42	आर्थिक सेवाएँ	969.90	793.56	1763.46
				260.57	कृषि एवं तत्संबंध कार्यकलाप	201.99	47.30	249.29
				480.62	ग्रामीण विकास	170.37	618.86	789.23
				324.30	कृषि एवं बाढ़ नियंत्रण	302.23	54.51	356.74
				13.73	ऊर्जा	NIL	36.66	36.6
				30.37	उद्योग एवं खनिज	45.95	18.87	64.82
				127.75	परिवहन	191.71	2.37	194.08
					विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं वातावरण			
				65.08	सामान्य आर्थिक सेवाएँ	57.65	14.99	72.64
				1.82	सहायतानुदान एवं अंशदान	1.82		1.82
1320.06	II. खंड ब में ले जाए गए राजस्व घाटे		1286.71					
11159.35	योग खंड अ		12255.13			10900.70	1354.43	12255.13
	खंड ब – अन्य							
(-) 474.38	III स्थायी अग्रिमों तथा रोकड़ शेष निवेश को शामिल करते हुए आरंभिक रोकड़ शेष		- 344.35	742.48	II. पूँजीगत परिव्यय	0.19	969.55	969.74
				19.19	सामान्य सेवाएँ	-	80.92	80.92
				43.49	सामाजिक सेवाएँ	-	142.12	142.12
				23.57	शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति		46.69	46.69
				2.72	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण		18.34	18.34
				17.00	जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं नगर विकास		75.02	75.02
				0.20	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियो एवं अन्य पिछड़ा वर्गों का कल्याण		2.07	2.07
					सामाजिक कल्याण एवं पोषाहार			
					अन्य			
				679.80	आर्थिक सेवाएँ	0.19	746.51	746.70
				-	कृषि एवं तत्संबंधी कार्यकलाप		5.67	5.67
				334.12	ग्रामीण विकास	-	337.32	337.32
				299.95	कृषि एवं बाढ़ नियंत्रण	-	309.88	309.88
				10.73	ऊर्जा	-	-	-
				0.60	उद्योग एवं खनिज	-	2.86	2.86
				34.40	परिवहन	0.19	90.78	90.97
				नगण्य	सामान्य आर्थिक सेवाएँ	-		

प्राप्तियाँ				संवितरण			
2001-02			2002-03	2001-02			2002-03
12.95	**IV. ऋण एवं पेशगियों की वसूली**		15.58	533.71	**III. ऋण एवं पेशगियों का संवितरण**		747.19
	ऊर्जा परियोजनाओं से			482.42	ऊर्जा परियोजनाओं हेतु	630.34	
7.99	सरकारी सेवकों से	8.70		6.85	सरकारी सेवकों को	5.11	
4.96	अन्य से	6.88		44.44	अन्य को	111.74	
					IV. राजस्व घाटे में लाई गई कमी		1286.71
3757.67	**V. लोक ऋण प्राप्तियाँ**		**4189.80**	**624.02**	**V. लोक ऋण का पुनर्भुगतान**		1526.35
2681.01	आंतरिक ऋण, अर्थोपाय पेशगियाँ एवं ओवरड्राफ्टों के अलावा	2934.64		95.79	आंतरिक ऋण, अर्थोपाय पेशगियाँ एवं ओवरड्राफ्टों के अलावा	145.06	
	अर्थापाय पेशगियों एवं ओवरड्राफ्टों के तहत कुल लेन–देन			-	अर्थापाय पेशगियों एवं ओवरड्राफ्टों के तहत कुल लेन–देन		
1076.66	केन्द्र सरकार से ऋण एवं पेशगियाँ	1255.16		528.23	केन्द्र सरकार को ऋण एवं पेशगियों का भुगतान	1381.29	
3093.43	**VI. लोक लेखा प्राप्तियाँ**		**5584.15**	**3513.74**	**VI. लोक लेखा संवितरण**		4822.34
770.05	लघु बचतें, भविष्य निधि आदि	963.20		710.44	लघु बचतें, भविष्य निधि आदि	768.13	
67.01	सुरक्षित निधि	144.13		.01	सुरक्षित निधि	131.78	
2067.65	जमा एवं पेशगियाँ	3026.90		1888.88	जमा एवं पेशगियाँ	2532.03	
- 446.56	उचंत एवं विविध	333.26		218.89	उचंत एवं विविध	231.45	
635.28	प्रेषण	1116.66		695.52	प्रेषण	1158.95	
				- 344.35	**VII. रोकड़ अंतशेष**		92.85
					कोषागार में रोकड़ एवं स्थानीय प्रेषण		
				- 472.93	रिजर्व बैंक में जमा	- 930.28	
				78.40	विभागीय रोकड़ शेष जिसमें स्थायी अग्रिम शामिल है	75.54	
				50.18	रोकड़ अंतशेष निवेश	947.59	
6389.67	योग – खंड ब		9445.18	6389.67	योग		9445.18

परिशिष्ट–III

(संदर्भ : कंडिका 1.4 ; पृष्ठ : 3)

निधि का स्रोत एवं उपयोग

(करोड़ रुपये में)

2001-2002	स्रोत			2002-2003
9839.29		**राजस्व प्राप्तियाँ**		**10968.42**
12.95		**ऋण एवं पेशगियों की वसूली**		**15.58**
3133.65		**लोक ऋण में वृद्धि**		**2663.45**
- 420.31		**लोक लेखा से निवल प्राप्तियाँ**		**761.81**
	59.61	लघु बचतों, भविष्य निधियों आदि में वृद्धि	195.07	
	178.77	जमा एवं पेशगियों में वृद्धि	494.87	
	67.00	सुरक्षित निधियों में वृद्धि	12.35	
	- 665.45	उचंत एवं विविध लेनदेनों का निवल प्रभाव	101.81	
	-60.24	प्रेषण लेनदेनों का निवल प्रभाव	- 42.29	
		रोकड़ शेष में कमी		
12565.58	**कुल**			**14409.26**
2001-2002	**उपयोग**			**2002-2003**
11159.35		**राजस्व व्यय**		**12255.13**
533.71		**विकास एवं अन्य उद्देश्यों के लिए उधार देना**		**747.19**
742.48		**पूँजीगत व्यय**		**969.74**
130.04		**रोकड़ शेष में वृद्धि**		**437.20**
12565.58	**योग**			**14409.26**

विवरणी I, II एवं III के लिए व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ

1. दी जा रही विवरणियों में संक्षिप्त लेखा वित्त लेखे की टिप्पणियों एवं व्याख्याओं के साथ पढ़ी जानी है।

2. सरकारी लेखे मुख्यतः रोकड़ आधारित होने के कारण सरकारी खाते का घाटा जैसा कि प्रदर्श–I में दर्शाया गया है, रोकड़ आधार पर स्थिति बताता है जो कि बढ़ोत्तरी आधारित वाणिज्यिक लेखाकरण के विपरीत है। परिणामस्वरूप भुगतेय या प्राप्त मद अथवा मूल्य ह्रास अथवा भंडार आँकड़ों में विविधता इत्यादि वाले मद लेखे में अंकित नहीं होते हैं।

3. प्रेषण, उचन्त एवं विविध शेषों में निर्गत किन्तु भुगतान न किए गए चेक, अन्य राज्य की ओर से किये गए भुगतान तथा अन्य लम्बित लेन–देनों का निपटारा आदि सम्मिलित है।

4. बिहार पुनर्गठन विधेयक, 2000 (वर्ष 2000 का सं. 30) के तहत निर्धारित तिथि (15 नवम्बर 2000) के ठीक पहले संयुक्त बिहार राज्य के परिसंपत्तियों एवं दायित्वों का बँटवारा तथा अन्य वित्तीय समायोजन अभी तक मात्र लोक ऋण एवं रोकड़ शेष के सम्बन्ध में किया गया है।

5. लेखा में दर्शाए गए आँकड़ों तथा आर. बी. आई. द्वारा सूचित "रिजर्व बैंक के साथ जमा" शीर्ष के तहत आँकड़ों में 37.19 करोड़ रुपये (नामे) का अंतर था।

परिशिष्ट–IV

(संदर्भ : कंडिका 1.4, पृष्ठ 3)

राज्य सरकार के वित्त के कालबद्ध आँकड़े

(करोड़ रुपये में)

	1998-99	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03
खण्ड अ : प्राप्तियाँ					
1. राजस्व प्राप्तियाँ	**9296**	**10659**	**11177**	**9839**	**10968**
(i) कर राजस्व	**2862(29)**	**3085(29)**	**2809(25)**	**2319(24)**	**2761(25)**
विक्रय, व्यापार आदि पर कर	1822(68)	2068(67)	1821(65)	1413(61)	1648(60)
राज्य उत्पाद	240(9)	278(9)	243(9)	239(10)	242(9)
वाहन पर कर	165(6)	178(6)	224(8)	142(6)	178(6)
मुद्रांक एवं निबंधक शुल्क	279(10)	326(11)	302(11)	304(13)	348(13)
भू–राजस्व	25 (1)	29(1)	34(1)	34(2)	36(1)
अन्य कर	151(6)	206(7)	185(7)	187(8)	309(11)
(ii) करेत्तर राजस्व	**1146(12)**	**1166(11)**	**712(6)**	**287(3)**	**261(2)**
(iii) संघीय करों एवं शुल्कों में राज्यांश	**4441(48)**	**4962(46)**	**6576(59)**	**6177(63)**	**6549(60)**
(iv) भारत सरकार से अनुदान	**1027(11)**	**1446(14)**	**1080(10)**	**1057(11)**	**1397(13)**
2. विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3. कुल राजस्व एवं गैर–ऋण पूँजीगत प्राप्तियाँ	**9296**	**10659**	**11177**	**9839**	**10968**
4. ऋण एवं पेशगियों की वसूली	**10**	**12**	**11**	**13**	**16**
5. लोक ऋण प्राप्तियाँ	**3543**	**3473**	**3528**	**3758**	**4190**
आंतरिक ऋण (अर्थोपाय पेशगियाँ एवं ओवरड्राफ्ट को छोड़कर)	734	427	2045	2681	2935
अर्थोपाय पेशगियों एवं ओवरड्राफ्टों के तहत निवल लेनदेन	-	-	237	-	-
भारत सरकार से ऋण एवं पेशगियाँ[1]	2809	3046	1246	1077	1255
6. संचित निधि में कुल प्राप्तियाँ (3+4+5)	**12849**	**14144**	**14716**	**13619**	**15174**
7. आकस्मिकता निधि प्राप्तियाँ	**-**	**3**	**-**	**-**	**-**
8. लोक लेखा प्राप्तियाँ	**35744**	**31087**	**10462**	**7719**	**5584**
9. राज्य की कुल प्राप्तियाँ (6+7+8)	**48593**	**45234**	**25178**	**21329**	**20758**
खण्ड 'ब' – व्यय					
10. राजस्व व्यय	**11563(89)**	**14362(86)**	**13507(89)**	**11159(90)**	**12255(88)**
योजना	1737(15)	1541(11)	839(6)	867(8)	1354(11)
गैर–योजना	9826(85)	12821(89)	12668(94)	10292(92)	10901(89)
सामान्य सेवाएँ (ब्याज भुगतान सहित)	5309(46)	6505(45)	6983(52)	6323(57)	6574(54)
आर्थिक सेवाएँ	2240(19)	2326(16)	1713(13)	1302(12)	1763(14)
सामाजिक सेवाएँ	4012(35)	5483(38)	4809(35)	3532(31)	3916(32)
सहायता अनुदान एवं योगदान	2.21	48.06	1.96	1.82	1.82
11. पूँजीगत व्यय	**824**	**1233**	**1076**	**742**	**970**
योजना	818(100)	1233(100)	1076(100)	742(100)	970(100)
गैर–योजना	6	नगण्य	नगण्य	नगण्य	नगण्य
सामान्य सेवाएँ	10(1)	11(1)	9(1)	19(2)	81(8)
आर्थिक सेवाएँ	665(81)	1125(91)	983(91)	680(92)	747(77)
सामाजिक सेवाएँ	149(18)	97(8)	84(8)	43(6)	142(15)
12. ऋण एवं पेशगियों का संवितरण	**579**	**1072**	**680**	**534**	**747**
13. कुल (10+11+12)	**12966**	**16667**	**15263**	**12435**	**13972**
14. लोक ऋण का पुनर्भुगतान	**511**	**799**	**807**	**624**	**1526**
आंतरिक ऋण (अर्थोपाय पेशगियों एवं ओवरड्राफ्टों को छोड़कर)	15	240	71	96	145

[1] *भारत सरकार से प्राप्त अर्थोपाय पेशगियों को शामिल करना है।*

(करोड़ रुपये में)

	1998-99	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03
अर्थोपाय पेशगियों एवं ओवरड्राफ्टों के तहत निवल लेन–देन	-	-	186	-	-
भारत सरकार से ऋण एवं पेशगियाँ	497	559	550	528	1381
15. आकस्मिकता निधि से विनियोजन	-	-	-	-	-
16. संचित निधि से कुल संवितरण (13+14+15)	13467	17466	16070	13059	15498
17. आकस्मिकता निधि संवितरण	-	-	-	-	-
18. लोक लेखा संवितरण	35887	27533	8966	8060	4822
19. राज्य सरकार द्वारा कुल संवितरण (16+17+18)	49354	44999	25036	21119	20320
खंड–स : घाटा					
20. राजस्व घाटा (1–10)	2267	3703	*2330*	*1320*	*1287*
21. राजकोषीय घाटा (3+4–13)	3660	5996	4075	2583	2988
22. प्रारंभिक घाटा (–)/ आधिक्य (+) (21–23)	1248	3129	933	(-) 46	(-) 34
खण्ड – घ : अन्य आँकड़ें					
23. ब्याज भुगतान (राजस्व व्यय में शामिल)	2412	2867	3142	2629	3022
24. राजस्व व्यय का बकाया (कोष्ठक में कर एवं करेत्तर राजस्व प्राप्तियों का प्रतिशत)	1616 (42)	2211 (52)	1012 (29	2629 (47)	3022 (86.91)
25. स्थानीय निकायों को वित्तीय सहायता	859	705	634	1237	अनुपलब्ध
26. उपयोगित अर्थोपाय पेशगियाँ / ओवरड्राफ्ट (दिन)	शून्य	117	188	229	1
27. अर्थोपाय पेशगियों /ओवरड्राफ्ट पर ब्याज	शून्य	शून्य	12	12	नगण्य
28. सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.)	66253	72083	49383	50987	56688
29. राजकोषीय दायित्व (वर्षांत)	28826	30612	28444	31883	35249
30. ब्याज सहित लंबित प्रत्याभूति (वर्षांत)	190	172			
31. गारंटी दी गयी अधिकतम राशि (वर्षांत)	अनु.	अनु.	अनु.	अनु.	अनु.
32. अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	23	23	23	22	22
33. अपूर्ण परियोजनाओं पर अवरूद्ध पूँजी	86	136	116	30	शून्य

टिप्पणी : कोष्ठक में अंक प्रत्येक उपशीर्ष के योग के प्रतिशत (लगभग) दर्शाते हैं।

बिहार सरकार द्वारा प्रदत्त शीघ्र आंकलित आँकड़े।

परिशिष्ट–V

(संदर्भ : कंडिका 1.4 ; पृष्ठ 4)

अध्याय–I में प्रयुक्त शब्दावली तथा उनके गणना का आधार

शब्दावली	गणना का आधार
पैरामीटर की उत्पलावकता	पैरामीटर की वृद्धि दर / सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि
पैरामीटर (Y) की तुलना में पैरामीटर (X) की उत्प्लावकता	पैरामीटर (X) की वृद्धि दर / पैरामीटर (Y) की वृद्धि दर
वृद्धि दर (वृ. द.)	[(चालू वर्षों की राशि / पूर्व वर्ष की राशि)–1] *100
प्रवणता / औसत	पाँच वर्षों की अवधि में वृद्धि की प्रवणता (एल ओ जी ई एस टी (1997–98 की राशि : 2002–03 की राशि–1*100)
अंश विचलन / पैरामीटर का विचलन दर	राजस्व अथवा व्यय, मामलानुसार, में पाँच साल की अवधि में प्राचल के प्रतिशतांश की प्रवणता
विकास व्यय	सामाजिक सेवाएँ + आर्थिक सेवाएँ
भारित ब्याज दर (राज्य द्वारा भुगतान किया गया औसत ब्याज)	ब्याज भुगतान / [(पूर्व वर्ष के राजकोषीय दायित्वों की राशि + चालू वर्ष का राजकोषीय दायित्व) / 2] * 100
ब्याज विस्तार	सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि – भारित ब्याज दरें
दिए गए ऋणों के प्रतिशत के रूप में प्राप्त ब्याज	प्राप्त ब्याज [(आरंभ शेष + ऋण एवं पेशगियों का अंतशेष / 2] * 100
राजस्व घाटा	राजस्व प्राप्तियाँ – राजस्व व्यय
राजकोषीय घाटा	राजस्व व्यय + पूँजीगत व्यय + निवल ऋण एवं पेशगियाँ – राजस्व प्राप्तियाँ – विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ
प्रारंभिक घाटा	राजकोषीय घाटा – ब्याज भुगतान
चालू राजस्व से शेष (बी सी आर)	राजस्व प्राप्तियों में से सभी योजना अनुदान तथा आयोजनेत्तर राजस्व व्यय को घटाकर जिसमें 2048–ऋण परिहार्य अथवा विनियोग को कमी के अंतर्गत उधार सम्मिलित नही है।

परिशिष्ट–VI

(संदर्भ : कंडिका 1.7.2 ; पृष्ठ 13)

मार्च 2003 तक भुगतान किए गए सहायता अनुदान जिनके उपयोगिता प्रमाण पत्र सितंबर 2003 तक अप्राप्त थे

14.11.2000 तक संयुक्त बिहार

(लाख रुपये में)

क्रम सं.	विभाग	वर्ष जिसके लिए अनुदान भुगतान किए गए	बकाये उपयोगिता प्रमाण पत्र		प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र		उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रतीक्षित	
			संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
14.11.2000 तक संयुक्त बिहार								
1.	पशुपालन	2000-2002 तक	511	1533.53	शून्य	शून्य	511	1533.53
		2002-03	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2.	कृषि	2000-2002 तक	167	4811.84	शून्य	शून्य	167	4811.84
		2002-03	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
3.	सहकारिता	2000-2002 तक	471	7149.69	शून्य	शून्य	471	7149.69
		2002-03	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
4.	शिक्षा	2000-2002 तक	56	4214.91	शून्य	शून्य	56	4214.91
		2002-03	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
5.	आरक्षी	2000-2002 तक	6	559.94	शून्य	शून्य	6	559.94
		2002-03	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
6.	लोक कार्य	2000-2002 तक	555	512.12	शून्य	शून्य	555	512.12
		2002-03	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
7.	कल्याण	2000-2002 तक	1615	2909.22	शून्य	शून्य	1615	2909.22
		2002-03	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
8.	चिकित्सा	2000-2002 तक	778	2233.09	शून्य	शून्य	778	2233.09
		2002-03	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
9.	नगर विकास	2000-2002 तक	6852	22915.76	शून्य	शून्य	6852	22915.76
		2002-03	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
10.	उद्योग	2000-2002 तक	2495	33639.88	शून्य	शून्य	2495	33639.88
		2002-03	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
11.	अन्य	2000-2002 तक	6684	30702.84	शून्य	शून्य	6684	33702.84
		2002-03	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	योग		**80190**	**111182.82**	**शून्य**	**शून्य**	**20190**	**111182.82**

(लाख रुपये में)

क्रम सं.	विभाग	वर्ष जिसके लिए अनुदान भुगतान किए गए	बकाये उपयोगिता प्रमाण पत्र		प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र		उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रतीक्षित	
			संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
15.11.2000 से विभाजित बिहार								
1.	पशुपालन	2001-2002	5	187.75	शून्य	शून्य	5	187.75
		2002-03	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2.	शिक्षा	2001-2002	30	7808.03	शून्य	शून्य	30	7808.03
		2002-03	21	1164.30	15	461.07	6	703.23
3.	कल्याण	2001-2002	28	1135.34	शून्य	शून्य	28	1135.34
		2002-03	6	7736.71	6	7736.71	शून्य	शून्य
4.	सहकारिता	2001-2002	6	152.25	शून्य	शून्य	6	152.25
		2002-03	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
5.	उद्योग	2001-2002	37	980.74	शून्य	शून्य	37	980.74
		2002-03	19	891.83	शून्य	शून्य	19	891.83
6.	नगर विकास	2001-2002	207	1909.35	2	100.50	205	1808.85
		2002-03	18	3100.64	6	1577.93	12	1522.71
7.	अन्य	2001-2002	141	14088.70	शून्य	शून्य	141	14088.70
		2002-03	6	756.48	3	446.58	3	309.90
	योग	**2001-02**	**454**	**26262.16**	**2**	**100.50**	**452**	**26161.66**
		2002-03	**70**	**13649.96**	**30**	**10222.29**	**40**	**3427.67**
	कुल योग			**151094.94**		**10322.79**		**140772.15**

परिशिष्ट–VII

(संदर्भ : कंडिका 1.7.3 ; पृष्ठ 13)

स्वायत्तशासी निकायों द्वारा राज्य विधायिका को सौंपे गए लेखाओं की वस्तुस्थिति का विवरण

क्रम सं.	निकाय का नाम	नि.म.ले.प. को सौंपे गए लेखा के लेखा परीक्षा की अवधि	वर्ष, जब तक के लेखा बकाए हैं	वर्ष, जबतक के लेखे प्रस्तुत किए गए	वर्ष जबतक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन जारी किए गए हैं	वर्ष जब तक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन राज्य विधायिका को सौंपे गए	लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के अपूर्णता के कारण
1.	बिहार राज्य हाऊसिंग बोर्ड, पटना	1994-2004	1994-95 से 1998-99	1993-94	1993-94	1993-94	
2.	बिहार खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, पटना	1987-88 से 2002-2003	1987-88 से 2002-03	1986-87	1986-87	1986-87	
3.	बिहार राज्य वैधिक सेवा प्राधिकार, पटना	2002-03	2002-03	2001-02	2001-02	2001-02	

परिशिष्ट–VIII

(संदर्भ : कंडिका 1.8.1 ; पृष्ठ 14)

अपूर्ण सिंचाई परियोजनाओं की सूची जहाँ वृहत पूँजी अवरूद्ध थी

क्रम सं.	परियोजना/योजना का नाम	व्यय (रुपयों में)		
		2001–02 तक	2002–03	
1	पश्चिमी कोशी नहर परियोजना	3,33,42,53,952	शून्य	3,33,42,53,952
2	पूर्वी कोशी परियोजना फेज–II	55,99,59,036	शून्य	55,99,59,036
3	गंडक परियोजना फेज–II	47,49,77,945	शून्य	47,49,77,945
4	समेकित जल निस्सरण परियोजना	अनुपलब्ध	शून्य	अनुपलब्ध
5	उत्तर कोयल परियोजना	3,64,84,27,186	शून्य	3,64,84,27,186
6	कोणार सिंचाई परियोजना	70,64,21,627	शून्य	70,64,21,627
7	औरंग जलाशय परियोजना	36,52,74,217	शून्य	36,52,74,217
8	कदवाँ जलाशय	30,40,000	शून्य	30,40,000
9	दुर्गावती जलाशय	52,05,61,397	शून्य	52,05,61,397
10	सोन नहर आधुनिकीकरण परियोजना	74,68,36,314	शून्य	74,68,36,314
11	राष्ट्रीय जल प्रबंधन परियोजना	अनुपलब्ध	शून्य	अनुपलब्ध
	योग (क)	**10,35,97,51,674**	**शून्य**	**10,35,97,51,674**
1	नकटी जलाशय योजना	14,01,03,285	शून्य	14,01,03,285
2	ऊपरी शंख जलाशय	11,53,52,305	शून्य	11,53,52,305
3	राम रेखा जलाशय	2,95,83,886	शून्य	2,95,83,886
4	पमेश खेरा जलाशय योजना	अनुपलब्ध	शून्य	अनुपलब्ध
5	कंस जलाशय योजना	8,65,89,490	शून्य	8,65,89,490
6	सोनुआ जलाशया योजना	24,52,39,163	शून्य	24,52,39,163
7	भैरवा जलाशय योजना	7,40,57,882	शून्य	7,40,57,882
8	केसो जलाशय योजना	3,22,10,882	शून्य	3,22,10,882
9	धानसिंह टोली जलाशय योजना	14,82,53,933	शून्य	14,82,53,933
10	कतरी जलाशय योजना	33,35,73,432	शून्य	33,35,73,432
11	कामसजोर जलाशय योजना	17,34,77,499	शून्य	17,34,77,499
	योग (ख)	**1,37,84,41,757**	**शून्य**	**1,37,84,41,757**
	कुल योग (क+ख)	**11,73,81,93,431**	**शून्य**	**11,73,81,93,431**

परिशिष्ट–IX

(संदर्भ : कंडिका 1.8.4 ; पृष्ठ 15)

विभागीय प्रबंधित वाणिज्यिक/अर्द्ध–वाणिज्यिक उपक्रम, जिन्होंने स्थापना काल से ही प्रोफार्मा लेखा तैयार नहीं किया है

क्रम सं.	वाणिज्यिक/अद्धवाणिज्यिक उपक्रमों के नाम	इकाई की संख्या	उपक्रमों के स्थापना की तिथि
	पशुपालन एवं मत्स्य विभाग		
1	केन्द्रीय पौल्ट्री फार्म, पटना	1	दिसम्बर 1948
2	क्षेत्रीय पौल्ट्री फार्म, भागलपुर	1	दिसम्बर 1959
3	क्षेत्रीय पौल्ट्री फार्म, मुजफ्फरपुर	1	अक्टूबर 1971
	उद्योग विभाग		
4	आदर्श लौह कार्यशाला	5	1956-61
5	आदर्श काष्ठ कार्यशाला	8	1956-64
6	अधिप्राप्ति केन्द्र	7	--
7	शोरा–शोधक कारखाना, महेशी, पूर्वी चम्पारण	1	1953
	उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग		
8	अफीम भंडार की खरीद एवं बिक्री	1	--
9	अनाज भंडार	1	1947-48
	योग	**26**	

परिशिष्ट–X

(संदर्भ : कंडिका 1.8.4 ; पृष्ठ 15)

विभाग द्वारा प्रबंधित वाणिज्यिक/अर्द्ध वाणिज्यिक उपक्रम जिनके प्रोफार्मा लेखे बकाया है

क्रम सं.	वाणिज्यिक/अद्धवाणिज्यिक उपक्रमों के नाम	प्रोफार्मा लेखे के बकाये की अवधि
	कृषि विभाग	
1	राज्य ट्रैक्टर संगठन, पूर्णियाँ	1977 के बाद (नवंबर से अक्टूबर)
	गृह (कारा) विभाग	
2	निर्माण विभाग, केन्द्रीय कारा, भागलपुर	1981 से 2002 (जनवरी से दिसंबर)
3	निर्माण विभाग, केन्द्रीय कारा, बक्सर	1987 से 2002 (जनवरी से दिसंबर)

परिशिष्ट–XI

(संदर्भ : कंडिका 2.3.1 ; पृष्ठ 28)

मामले जहाँ केन्द्र प्रायोजित/केन्द्रीय योजनागत योजना और राज्य योजनागत योजना की एक करोड़ रुपये से अधिक कुल बजट प्रावधान अप्रयुक्त पड़े रहे

क्रम सं.	अनुदान सं. एवं नाम	लेखा शीर्ष/उप शीर्ष/योजना	कुल बजट प्रावधान योजना के परिव्यय में कमी के कारण योजना के असंस्वीकृत होने से उपयोग नहीं किया जा सका
1.	2.	3.	4.
(अ)	केन्द्रीय प्रायोजित योजना		*(रुपये लाख में)*
1.	1- कृषि विभाग	2401- फसल पालन 0613 –तकनीकी मिशन त्वरित मक्का विकास कार्यक्रम	1,50.00
2.	1- कृषि विभाग	2402- मृदा एवं जल संरक्षण 0608- राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना	2,25.00
3.	1- कृषि विभाग	0611- तेलहन विकास परियोजना	2,58.00
4.	1- कृषि विभाग	0113- कृषि अभियंत्रिकी 0614- कृषि कार्यशाला का प्रोत्साहन	9,90.00
5.	1- कृषि विभाग	0119- बागबानी एवं शाक फसल 0615- कृषि में प्लास्टिक के प्रयोग की योजना	3,60.00
6.	1- कृषि विभाग	0616- बागवानी विकास सह मधुमक्खी पालन	3,60.00
7.	1- कृषि विभाग	2402 मृदा एवं जल संरक्षण 0602- एन.डब्लू.डी. पी. आर. ए.	2,63.25
8.	1- कृषि विभाग	0604- अम्लीय एवं क्षारीय मृदा	1,08.00
9.	1- कृषि विभाग	0610- क्वायर विकास योजना	1,08.00
10.	1- कृषि विभाग	2415- कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा 01- फसल पालन 004- अनुसंधान 0601- दियारा विकास योजना	1,35.00
11.	10 ऊर्जा विभाग	6801- शक्ति परियोजनाओं के लिए ऋण 204- ग्रामीण विद्युतीकरण 0701- बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के तहत ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए ऋण	23,58.64
12.	18	3456- असैनिक आपूर्ति 800- अन्य व्यय 0601- जन वितरण प्रणाली (उपभोक्ता संरक्षण) अन्नपूर्णा योजना	11,16.21
13.	19	2406- वाणिकी एवं वन्य जीवन 01 - वाणिकी 110- वन्य जीव संरक्षण 0605- शरण स्थल का विकास	1,50.00
14.	19	0613- पारिस्थितिकि विकास	1,00.00

क्रम सं.	अनुदान सं. एवं नाम	लेखा शीर्ष / उप शीर्ष / योजना	कुल बजट प्रावधान योजना के परिव्यय में कमी के कारण योजना के असंस्वीकृत होने से उपयोग नहीं किया जा सका
15.	20	2211- परिवार कल्याण 200- अन्य सेवाएँ और आपूर्ति 0601- अन्य सेवाएँ और आपूर्ति जिला में प्रजनन पश्चात योजना	5,71.18
16.	20	0602- अन्य सेवाएँ और आपूर्ति अनुमण्डल और रेफरल अस्पताल में प्रजनन पश्चात योजना (सी. एस. एस.)	4,84.94
17.	41	5054- सड़कों एवं पुलों पर पूँजीगत परिव्यय 03- राज्य उच्च पथ 337- पथ कार्य 0105- केन्द्रीय प्रायोजित योजना के लिए राज्यांश	100.00
18.	49	4711- बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय 01- बाढ़ नियंत्रण 001- निर्देशन एवं प्रशासन 0601- चम्पारण तटबंध (राज्यांश 25 प्रतिशत) के सुदृढ़ीकरण एवं ऊंचीकरण की योजना	6,78.00
19.	49	4711- बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय 01- बाढ़ नियंत्रण 001- निर्देशन एवं प्रशासन 0601- चम्पारण तटबंध (राज्यांश 25 प्रतिशत) के सुदृढ़ीकरण एवं ऊंचीकरण की योजना	6,78.00
20.	49	0602- तीनमुहानी कुरसेला तटबंध (राज्यांश 25 प्रतिशत) का निर्माण	14,70.00
21.	49	0604- कमला नदी का विस्तार, ऊंचीकरण और सुदृढ़ीकरण	10,00.00
22.	49	0609- बागमती नदी का विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण	15,00.00
23.	51	2225- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग का कल्याण 0602- हरिजनों के बहुमुखी विकास के लिए विशेष समेकित योजना	5,00.00
24.	51	03- पिछड़े वर्गो का कल्याण 277- शिक्षा 0602- पूर्व माध्यमिक छात्रवृत्ति	1,25.00
25.	51	0607- छात्रों के लिए छात्रावास वृहत निर्माण कार्य	2,30.00
26.	51	0607- छात्राओं के लिए छात्रावास वृहत निर्माण कार्य	2,30.00

क्रम सं.	अनुदान सं. एवं नाम	लेखा शीर्ष / उप शीर्ष / योजना	कुल बजट प्रावधान योजना के परिव्यय में कमी के कारण योजना के असंस्वीकृत होने से उपयोग नहीं किया जा सका
1.	**2.**	**3.**	**4.**
27.	51	103- महिला कल्याण 0602- इन्दिरा महिला योजना (अनुदान)	2,50.15
28.	51	0605- बालिका समृद्धी योजना (अनुदान)	10,24.46
		योग	**1,55,23.83**
(ब)	केन्द्रीय योजनागत योजना		
1.	4.	3454- जनगणना, सर्वेक्षण एवं सांख्यिकी 01- जनगणना 001- निर्देशन एवं प्रशासन 0401- पशुगणना का संचालन	1,42.50
2.	44	4202- शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय 01- सामान्य शिक्षा 201- प्राथमिक शिक्षा 0402- भवन	5,05.08
		योग	**647.58**
(स)	राज्य योजना		
1.	1	2401- फसल पालन 001- निर्देशन एवं प्रशासन 0105- कृषि विस्तार का सुदृढ़ीकरण राज्यांश	1,22.50
2.	1	113- कृषि अभियांत्रिकी 0104- कृषि कार्यशाला का प्रोत्साहन	1,10.00
3.	3	4059- लोक कार्यों पर पूँजिगत परिव्यय 80- सामान्य 051- निर्माण 0107- विरासत संरक्षण, संग्रहालय एवं कला भवन का निर्माण एवं पुनरूद्धार और पुरातात्विक स्मारक का रख–रखाव एवं सुरक्षा (11वां वित्त आयोग)	1,35.00
4.	10	2801- शक्ति 80- सामान्य 800- अन्य व्यय 0603- बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना अनुदान	10,10.84
5.	10	6801- शक्ति परियोजनाओं के लिए ऋण 201- जल विद्युत उत्पादन 0105- बिहार राज्य जल विद्युत कॉरपोरेशन (नाबार्ड)	10,00.00
6.	9	6425- सहकारिता के लिए ऋण 107- सहकारिता साख के लिए ऋण 0105- गोदाम निर्माण के लिए पाँच प्रसंस्करण सहकारी समितियों	4,90.00

क्रम सं.	अनुदान सं. एवं नाम	लेखा शीर्ष / उप शीर्ष / योजना	कुल बजट प्रावधान योजना के परिव्यय में कमी के कारण योजना के असंस्वीकृत होने से उपयोग नहीं किया जा सका
		को नाबार्ड प्रायोजित आर. आई. डी. एफ. ऋण	
7.	9	0106- अनुसूचित जाति के लिए विशेष समेकित योजना नाबार्ड प्रायोजित, पाँच प्रसंस्करण सहकारी समितियों को गोदाम निर्माण के लिए आर. आर. डी. एफ. ऋण	2,10.00
8.	9	0107- पिछड़े वर्गो के लिए विशेष समेकित योजना नाबार्ड प्रायोजित, पाँच प्रसंस्करण सहकारी समितियों को गोदाम निर्माण के लिए आर. आर. डी. एफ. ऋण	3,00.00
9.	20	4210- चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय 80- सामान्य 800- अन्य व्यय 0702- रेफरल अस्पताल के अधूरे भवन का निर्माण	6,02.76
10.	22	2055- पुलिस 800- अन्य व्यय 0103- 11वें वित्त आयोग (योजना) के अनुशंसा पर प्रशासनिक स्तर का मानकीकरण	259.75
11.	22	2070- अन्य प्रशासनिक सेवाएँ 108- अग्नि सुरक्षा एवं नियंत्रण 0102- 11वें वित्त आयोग (योजना) के अनुशंसा पर अग्नि सुरक्षा सेवा	298.65
12.	40	2029- भू–राजस्व 104- शासकीय सम्पत्ति का प्रबंधन 0701- 11वें वित्त आयोग के अनुशंसा पर व्यय (योजना)	11,95.00
13.	40	800- अन्य व्यय 0101- होल्डिंग का सुदृढ़ीकरण	266.22
14.	40	0102- मुख्य सड़क से जुड़े लिंक पथ के निर्माण हेतु भूमि का क्रय, गृहविहीन लोगों के लिए रहने का मकान	2,00.00
15.	42	2515- अन्य ग्रामीण विकास योजना 102- सामुदायिक विकास 0101- पोस्ट स्टेज प्रखण्ड भवन	5,50.00
16.	42	4515- अन्य ग्रामीण विकास योजना पर पूँजीगत परिव्यय 103- ग्रामीण विकास 0101- न्यूनतम आवश्यकता योजना वृहत कार्य	2,40.95
17.	42	0101- न्यूनतम आवश्यक योजना	73,68.00

क्रम सं.	अनुदान सं. एवं नाम	लेखा शीर्ष / उप शीर्ष / योजना	कुल बजट प्रावधान योजना के परिव्यय में कमी के कारण योजना के असंस्वीकृत होने से उपयोग नहीं किया जा सका
1.	**2.**	**3.**	**4.**
		नाबार्ड (आर.आई.डी.पी.)	
18.	42	0111- प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना पथ निर्माण	1,50,00.00
19.	44	2202- सामान्य शिक्षा 01- प्राथमिक शिक्षा 800- अन्य व्यय 0109- बिहार शिक्षा परियोजना	4,00.00
20.	44	2205- कला एवं संस्कृति 105- लोक पुस्तकालय 0701- 11वें वित्त आयोग के अनुशंसा के अधीन लोक पुस्तकालय (सहायता अनुदान)	2,40.00
21.	46	5452- पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय 80- सामान्य 800- अन्य व्यय 0101- पर्यटन स्थल पर पथ निर्माण	2,00.0
22.	48	2217- शहरी विकास 80- सामान्य 800- अन्य व्यय 0115- स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना के लिए सहायता अनुदान	4,14.00
23.	48	6217- शहरी विकास के लिए ऋण 60- अन्य शहरी विकास योजना 119- स्थानीय निकाय निगम आदि को ऋण 0102- परिवहन के लिए नगरीय स्थानीय निकाय को ऋण	1,16.67
24.	49	4711- बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय 01- बाढ़ नियंत्रण 001- निर्देशन एवं प्रशासन 0111- नाबार्ड द्वारा बाढ़ नियंत्रण तटबंध पथ योजना कार्य	15,00.00
25.	49	0112- नाबार्ड द्वारा जल निकास परियोजना कार्य	10,00.00
26.	50	4702- लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय 102- मध्यम सिंचाई योजनाओं के अधूरे कार्य को पूर्ण करने के लिए नाबाड से ऋण	15,00.00
		योग	**रुपये 3,47,30.34**
		कुल योग अ + ब + स	**रुपये 5,09.02 करोड़**

परिशिष्ट–XII

(संदर्भ : कंडिका 2.3.1; पृष्ठ 28)

मामले जहाँ व्यय बजट प्रावधान से रुपये 2 करोड़ से अधिक से कम थे तथा कुल प्रावधान के 10 प्रतिशत से भी अधिक थे

क्रम सं.	अनुदान/विनियोजन की संख्या और नाम	बचत की राशि (रुपये करोड़ में) (प्रावधान का प्रतिशत कोष्ठक में)	सरकार द्वारा प्रस्तुत बचत के मुख्य कारण
	राजस्व – दत्तमत खण्ड		
1.	1. कृषि विभाग	89.07 (39.10)	रुपये 89.07 करोड़ के प्रत्याशित बचत का कारण सूचित नहीं किया गया है।
2.	2. पशुपालन एवं मत्स्य विभाग	31.21 (32.38)	मुख्यतः रुपये 0.29 करोड़ के योजना के असंस्वीकृति, रुपये 0.05 करोड़ निधि का केन्द्र सरकार द्वारा कम विमुक्ति और पद को खाली रखने के कारण और बाकी बचत की राशि रुपये 32.76 करोड़ रुपये ओर 1.89 करोड़ रुपये की अधिकता का कारण नहीं बताया गया है।
3.	3. भवन निर्माण एवं आवास विभाग	10.73 (12.03)	रुपये 10.73 करोड़ के बचत का कारण सूचित नहीं किया गया है।
4.	6. निर्वाचन	8.44 (24.06)	रुपये 8.44 करोड़ के बचत का कारण सूचित नहीं किया गया है।
5.	9. सहकारिता विभाग	8.11 (21.61)	रुपये 8.11 करोड़ के बचत का कारण सूचित नहीं किया गया है।
6.	10. ऊर्जा विभाग	78.18 (62.28)	शेष 78.18 करोड़ रुपये के शेष बचत का कारण सूचित नहीं किया गया है।
7.	11. उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग	2.75 (16.52)	रुपये 2.75 करोड़ करोड़ के कुल बचत का कारण सूचित नहीं किया गया है।
8.	12. वित्त विभाग	314.30 (85.93)	मुख्यतः 0.66 करोड़ रुपये निधि की निकासी न करने, 0.63 करोड़ रुपये बोनस और मंहगाई भत्ते का भुगतान नहीं करने, दौरा नहीं करने (रुपये 0.03 करोड़), सरकार के संस्वीकृति आदेश प्राप्त नहीं होने और पद खाली रखने (रुपये 1.12 करोड़) के कारण। शेष बचत रुपये 311.86 करोड़ का कारण सूचित नहीं किया गया है।
9.	18. खाद्य आपूर्ति एवं वाणिज्य विभाग	20.14 (29.70)	मुख्यतः राशन कार्ड के छपाई में विलंब (रुपये 2.00 करोड़) और एफ.डी. द्वारा बकाया के निकासी पर जारी प्रतिबंध के कारण। रुपये 18.14 करोड़ के अन्तिम बचत का कारण सूचित नहीं किया गया है।
10.	19. वन एवं पर्यावरण विभाग	14.89 (32.67)	रुपये 14.89 करोड़ के बचत का कारण सूचित नहीं किया गया है।
11.	20. चिकित्सा, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	207.48 (27.40)	रुपये 63.17 के अधिक व्यय और रुपये 270.65 करोड़ के बचत का कारण सूचित नहीं किया गया है।

क्रम सं.	अनुदान/विनियोजन की संख्या और नाम	बचत की राशि (रुपये करोड़ में) (प्रावधान का प्रतिशत कोष्ठक में)	सरकार द्वारा प्रस्तुत बचत के मुख्य कारण
12.	21. उच्चतर शिक्षा विभाग	46.44 (11.60)	रुपये 46.44 करोड़ के अन्तिम बचत का कारण सूचित नहीं किया गया है।
13	22. गृह विभाग	262.02 (22.18)	मुख्यतः कर्मचारियों के स्थानान्तरण/पदस्थापन (रुपये 0.42 करोड़) मितव्ययिता उपायों (रुपये 0.12 करोड़), व्यय पर जारी प्रतिबंध (रुपये 2.58 करोड़), वेतन के संशोधित नहीं करने और वेतन के भुगतान नहीं करने (रुपये 0.96 करोड़), दरों एवं फर्म के अनिर्धारण (रुपये 0.8 करोड़), कोषागार द्वारा विपत्रों के पारित नहीं होने (रुपये 0.78 करोड़), और समय पर सामग्री की आपूर्ति न होने (रुपये 0.4 करोड़) के कारण। शेष राशि रुपये 255.18 करोड़ का कारण सूचित नहीं किया गया है।
14.	23. उद्योग विभाग	16.43 (28.90)	शेष बचत रुपये 16.43 करोड़ के बचत का कारण सूचित नहीं किया गया है।
15.	26. श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग	45.44 (24.13)	मुख्यतः ई. एस. आई. अस्पताल फलवारीशरीफ का स्थानांतरण केन्द्र सरकार को करने (रुपये 1.48 करोड़) और क्रय समिति की बैठक नहीं करने (रुपये 0.54 करोड़) के कारण और रुपये 43.42 करोड़ अन्तिम बचत का मूर्त कारण सूचित नहीं किया गया है।
16.	27. विधि विभाग	31.73 (24.41)	रुपये 8.44 करोड़ का बचत पद खाली रखने के कारण हुआ था और रुपये 31.29 करोड़ के बचत का कारण सूचित नहीं किया गया है।
17.	32. विधान मंडल	3.44 (10.74)	मुख्यतः वेतन वृद्धि और पदोन्नति रोकने (रुपये 0.78 करोड़), समिति द्वारा यात्रा (रुपये 0.05 करोड़), मितव्ययिता उपाय (रुपये 0.02 करोड़) वर्दी के समय पर क्रय नहीं करने और सेवानिवृति (रुपये 0.55 करोड़) के कारण। शेष बचत रुपये 2.04 करोड़ का कारण सूचित नहीं किया गया है।
18.	33. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधान विभाग	31.42 (87.20)	मुख्यतः पद खाली रहने के कारण (रुपये 0.33 लाख), और रुपये 31.09 करोड़ के अंतिम बचत का कारण नहीं बताया गया है।
19.	35. योजना एवं विकास विभाग	9.94 (38.15)	रुपये 9.94 करोड़ के बचत का कारण सूचित नहीं किया गया है।
20.	36. लोक स्वास्थ्य एवं अभियंत्रिकी विभाग	28.05 (18.96)	मुख्यतः लघु कार्यों में निकासी पर प्रतिबंध जारी रखने (रुपये 1.39 करोड़) के कारण और शेष बचत की राशि रुपये 26.66 करोड़ का कारण नहीं बताया गया है।
21.	39. सहाय्य एवं पुनर्वास विभाग	85.66 (46.22)	मुख्यतः कुल राशि के बदले शुद्ध राशि के अनुदान के लिए मांग के कारण जैसे

क्रम सं.	अनुदान/विनियोजन की संख्या और नाम	बचत की राशि (रुपये करोड़ में) (प्रावधान का प्रतिशत कोष्ठक में)	सरकार द्वारा प्रस्तुत बचत के मुख्य कारण
			आपदा राहत निधि के दोषपूर्ण बजट (रुपये 57.97 करोड़) के कारण और शेष बचत राशि रुपये 27.69 करोड़ का कारण नहीं बताया गया है।
22.	40. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	47.39 (21.48)	रुपये 47.39 करोड़ के बचत का कारण सूचित नहीं किया गया है।
23.	41. पथ निर्माण विभाग	32.98 (14.65)	रुपये 32.98 करोड़ के बचत का कारण सूचित नहीं किया गया है।
24.	42. ग्रामीण विकास विभाग	152.00 (16.11)	मुख्यतः रुपये 6.95 करोड़ केन्द्रीय अंश की अविमुक्ति, रुपये 28.40 करोड़ पद खाली रखने, रुपये 1.62 करोड़ डी. पी. ए. पी. के अधीन कुछ जिलों में कम व्यय, रुपये 23.32 करोड़ बकाया भुगतान पर जारी प्रतिबंध के कारण। बाकी बचत रुपये 91.71 करोड़ का कारण नहीं बताया गया है।
25.	43. विज्ञान एवं तकनीकी विभाग	18.23 (53.30)	बचत का कारण एम. ओ. यू. का अनिष्पादन (रुपये 07.00 करोड़) निधि का पूँजीगत परिव्यय में स्थानान्तरण (रुपये 3.00 करोड़) और योजना परिव्यय का संशोधन 1.32 करोड़ था और बाकी राशि रुपये 6.98 करोड़ का कारण प्रस्तुत नहीं किया गया है।
26.	44. माध्यमिक, प्राथमिक एवं व्यस्क शिक्षा विभाग	494.28 (17.56)	मुख्यतः वित्त विभाग द्वारा बकाया पर जारी प्रतिबंध रुपये 119.93 करोड़, मंहगाई भत्ते का कम भुगतान रुपये 140. 35 करोड़, मांग पत्र की अप्राप्ति रुपये 3.99 करोड़, पद खाली रखने रुपये 2.50 करोड़ रुपये, एल टी सी का उपयोग नहीं करने रुपये 0.07 करोड़ के कारण। शेष बचत राशि रुपये 227.44 करोड़ का कारण प्रस्तुत नहीं किया गया है।
27.	46. पर्यटन विभाग	2.58 (47.39)	अन्तिम बचत रुपये 2.58 करोड़ का कारण सूचित नहीं किया गया है।
28.	48. शहरी विकास विभाग	35.70 (26.11)	रुपये 35.70 करोड़ के बचत का कारण सूचित नहीं किया गया है।
29	49. जल संसाधन विभाग	38.36 (15.68)	मुख्यतः वित्त विभाग द्वारा निधि के निकासी पर जारी प्रतिबंध (रुपये 6.16 करोड़) के कारण और शेष राशि रुपये 32.20 करोड़ का कारण नहीं बताया गया है।
30.	50. लघु सिंचाई विभाग	24.42 (15.35)	बचत मुख्यतः निधि के कम प्रावधान (रुपये 12.64 करोड़), निविदा के अनिष्पादन (रुपये 1.02 करोड़), विद्युत एवं दूरभाष विपत्र की अप्राप्ति (रुपये 0.05 करोड़) के कारण था और शेष राशि रुपये 10.71 करोड़ का कारण नहीं बताया गया है।
31.	51. कल्याण विभाग	109.80 (37.62)	रुपये 109.80 करोड़ के बचत का कारण

क्रम सं.	अनुदान/विनियोजन की संख्या और नाम	बचत की राशि (रुपये करोड़ में) (प्रावधान का प्रतिशत कोष्ठक में)	सरकार द्वारा प्रस्तुत बचत के मुख्य कारण
			सूचित नहीं किया गया है।
32.	52. युवा, कला एवं संस्कृति विभाग	5.47 (28.07)	रुपये 5.47 करोड़ के बचत का कारण सूचित नहीं किया गया है।
	पूँजी–दत्तमत खण्ड		
1.	3. भवन निर्माण एवं आवास विभाग	7.57 (23.06)	अन्तिम अधिकता रुपये 5.00 करोड़ का मान्य कारण सरकार द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है और बचत मुख्यतः कार्य की धीमी प्रगति (रुपये 2.00 करोड़) के कारण था और शेष बचत राशि रुपये 10.57 करोड़ का कारण नहीं प्रस्तुत किया गया है।
2.	9. सहकारिता विभाग	9.86 (32.25)	अन्तिम अधिकता (रुपये 0.54 करोड़) का कारण नहीं प्रस्तुत किया गया है और शेष राशि रुपये 10.40 करोड़ का कारण नहीं बताया गया है।
3.	10. ऊर्जा विभाग	119.45 (15.93)	अन्तिम अधिकता (रुपये 159.62 करोड़) का कारण नहीं प्रस्तुत किया गया है। बचत का कारण सी. एस. एस. से राज्य योजना में निधि के स्थानान्तरण (रुपये 23.59 करोड़), नाबार्ड द्वारा ऋण की अविमुक्ति (रुपये 10.00 करोड़) और केन्द्रीय अंश की अविमुक्ति (रुपये 61.01 करोड़) और योजना परिव्यय का प्रावधान न होना था। शेष राशि रुपये 177.55 करोड़ का कारण नहीं प्रस्तुत किया गया है।
4.	12. वित्त विभाग	7.86 (60.58)	समस्त बचत रुपये 7.86 करोड़ का कारण सूचित नहीं किया गया है।
5.	20. चिकित्सा, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	7.34 (28.58)	समस्त बचत रुपये 7.34 करोड़ का कारण सूचित नहीं किया गया है।
6.	36. लोक स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग	70.79 (49.78)	मुख्यतः योजना परिव्यय में कमी (रुपये 0.42 करोड़), सी. आई. पाईप के क्रय में विलंब (रुपये 3.65 करोड़) भारत सरकार से योजना के विलंबित संस्वीकृति (रुपये 28.92 करोड़), निधि के सिविल जमा में जमा नहीं करने (रुपये 8.47 करोड़) और निधि का कम संस्वीकृति (रुपये 0.53 करोड़) के कारण। बचत की शेष राशि रुपये 28.80 करोड़ का कारण नहीं बताया गया है।
7.	41. पथ निर्माण विभाग	39.08 (30.56)	रुपये 39.08 करोड़ के समस्त बचत का कारण प्रस्तुत नहीं किया गया है।
8.	42. ग्रामीण विकास विभाग	233.43 (40.73)	रुपये 233.43 करोड़ के समस्त बचत का कारण सूचित नहीं किया गया है।
9.	44. माध्यमिक, प्राथमिक एवं व्यस्क शिक्षा विभाग	43.08 (54.39)	बचत का कारण योजना परिव्यय में कमी (रुपये 18.61 करोड़) के कारण था और शेष बचत राशि रुपये 24.47 करोड़ का कारण प्रस्तुत नहीं किया गया है।

क्रम सं.	अनुदान/विनियोजन की संख्या और नाम	बचत की राशि (रुपये करोड़ में) (प्रावधान का प्रतिशत कोष्ठक में)	सरकार द्वारा प्रस्तुत बचत के मुख्य कारण
10.	46. पर्यटन विभाग	2.00 (100.00)	रुपये 2.00 करोड़ का बचत सरकार द्वारा योजना परिव्यय में कमी के कारण था।
11.	48. शहरी विकास विभाग	8.07 (31.67)	रुपये 3.98 करोड़ का बचत योजना परिव्यय में कमी (रुपये 2.18 करोड़) और संस्वीकृति आदेश की अप्राप्ति (रुपये 1.79 करोड़) के कारण था। शेष रुपये 2.30 करोड़ का कारण नहीं बताया गया है।
12.	49. जल संसाधन विभाग	331.96 (52.23)	सरकार द्वारा बचत का बताया गया कारण योजना परिव्यय में कमी (रुपये 39.77 करोड़) नाबार्ड से योजना की असंस्वीकृति (रुपये 8.79 करोड़), पद खाली रखना (रुपये 0.48 करोड़), महंगाई भत्ते की अविमुक्ति (रुपये 0.98 करोड़), भुगतान के लिए निधि की असंस्वीकृति (रुपये 1.04 करोड़) और कार्य के भुगतान को स्थगित करने (रुपये 0.50 करोड़) था। शेष बचत रुपये 280.40 करोड़ का कारण सरकार द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया था।
13.	50. लघु सिंचाई विभाग	30.19 (84.61)	मुख्यतः योजना परिव्यय में कमी और निधि की असंस्वीकृति (रुपये 1.18 करोड़), निधि की विलंबित संस्वीकृति (रुपये 93.02 करोड़) के कारण था। रुपये 15.99 करोड़ के बचत का कारण नहीं बताया गया है।
14.	52. युवा, कला एवं संस्कृति विभाग	2.21 (58.47)	समस्त बचत रुपये 2.21 करोड़ का मूर्त कारण सरकार द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है।
	राजस्व	**भारित खण्ड**	
1.	13. ब्याज भुगतान	523.53 (14.77)	रुपये 76.76 करोड़ की अधिकता का कारण नहीं बताया गया है और रुपये 600.29 करोड़ के समस्त बचत का कारण नहीं प्रस्तुत किया गया है।
2.	28. बिहार का उच्च न्यायालय	7.09 (32.30)	रुपये 7.09 करोड़ का बचत पद खाली रखने के कारण (रुपये 6.04 करोड़), बोनस का भुगतान न होना (रुपये 0.14 करोड़), आपूर्तिकर्त्ताओं से विपत्र की अप्राप्ति (रुपये 0.36 करोड़) और फर्म और संबंधित विभाग से विपत्र की अप्रस्तुति (रुपये 0.06 करोड़) के कारण था। 0.49 करोड़ के बचत का कारण सूचित नहीं किया गया है।
3.	34. बिहार लोक सेवा आयोग	2.53 (33.02)	समस्त बचत रुपये 2.53 करोड़ का मूर्त कारण नहीं बताया गया है।

क्रम सं.	अनुदान/विनियोजन की संख्या और नाम	बचत की राशि (रुपये करोड़ में) (प्रावधान का प्रतिशत कोष्ठक में)	सरकार द्वारा प्रस्तुत बचत के मुख्य कारण
	पूँजी–भारित खण्ड		
1.	14. ऋण की अदायगी	पूँजी 1272.27 (45.35)	बजट प्रावधान के बिना रुपये 132.96 करोड़ के व्यय का कारण नहीं प्रस्तुत किया गया है और समस्त बचत रुपये 1405.23 करोड़ का मूर्त कारण सरकार द्वारा नहीं प्रस्तुत किया गया है।

परिशिष्ट–XIII

(संदर्भ : कंडिका 2.3.1 ; पृष्ठ 28)

कुल प्रावधान (प्रत्येक मामले में रुपये 10 लाख से अधिक) के अनुपयोग को प्रदर्शित करने वाली विवरणी

क्रम सं.	अनुदानों की संख्या	अनुदान विनियोजन संख्या / लेखाशीर्ष	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचत
			(रुपये लाख में)		
1	1	2401 फसल पालन 103 बीज 0104 खाद एवं पौध संरक्षण समेकित अनाज विकास (सी एस एस) (योजना)	12.40	शून्य	12.40
2	1	2402 मृदा एवं जल संरक्षण 102 मृदा संरक्षण 0103 एन. डब्लू. डी. पी. आर. (योजना)	11.25	शून्य	11.25
3	1	0602 एन. डब्लू. डी. पी. आर. (सी एस एस)	1,01.25	शून्य	101.25
4	2	2403 पशुपालन 102 मवेशी एवं भैंस विकास 0104 छोटे, मंझोले किसानों एवं कृषि श्रमिकों को अनुदान योजना	29.25	शून्य	29.25
5	3	2059 लोक कार्य 80 सामान्य 052 मशीन एवं उपकरण 0002 मशीन एवं उपकरण (गैर योजना)	21.98	शून्य	21.98
6	3	53 रख–रखाव एवं मरम्मति 0006 निगम एवं नगरपालिका कर (गैर योजना)	49.49	शून्य	49.49
7	3	4059 लोक कार्य पर पूँजीगत परिव्यय 80 सामान्य 051 निर्माण 0107 विरासत संरक्षण, संग्रहालय एवं कला भवनों इत्यादि का निर्माण एवं पुनरूद्धार (योजना) (11वाँ वित्त आयोग)	19.50	शून्य	19.50
8	9	2425 सहकारिता 107 क्रेडिट कॉपरेटिव को सहायता 0136 एस.सी. के लिए विशेष समेकित योजना, किसानों को मुआवजा के लिए राज्य फसल बीमा निधि को अनुदान (योजना)	45.00	शून्य	45.00

क्रम सं.	अनुदानों की संख्या	अनुदान विनियोजन संख्या / लेखाशीर्ष	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचत
			(रुपये लाख में)		
9	13	2049 ब्याज भुगतान 01 आंतरिक ऋण पर ब्याज 200 राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक से ऋण पर ब्याज (गैर योजना)	583.25	शून्य	583.25
10	13	0002 राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम और सेन्ट्रल वेयरहाउसिंग से ऋण पर ब्याज (गैर योजना)	491.06	शून्य	491.06
11	13	0005 भारतीय सामान्य बीमा निगम से ऋण पर ब्याज (गैर योजना)	44.32	शून्य	44.32
12	13	0008 आवास एवं शहरी विकास निगम से ऋण पर ब्याज (गैर योजना)	13.57	शून्य	13.57
13	13	03 लघु बचतों, भविष्य निधि इत्यादि पर ब्याज 108 बीमा एवं पेंशन निधि पर ब्याज 0001 बीमा एवं पेंशन निधि पर ब्याज	2000.00	शून्य	2000.00
14	13	60 अन्य दायित्वों पर ब्याज 701 विविध 0001 अल्पकालीन भुगतान (गैर योजना)	477.86	शून्य	477.86
15	13	0003 विविध फैसलों के प्रकाश में व्यय (गैर योजना)	38.84	शून्य	38.84
16	14	6003 राज्य सरकार का आंतरिक 102 बाजार ऋण 0030 8.75 प्रतिशत बिहार राज्य विकास ऋण 2000 (ब्याज रहित) (गैर योजना)	131.03	शून्य	131.03
17	14	6004 केन्द्रीय सरकार से ऋण एवं अग्रिम 03 केन्द्रीय योजना स्कीम के लिए ऋण 800 अन्य ऋण 0002 कॉपरेटिव के लिए ऋण (गैर योजना)	25.00	शून्य	25.00
18	15	2075 विविध सामान्य सेवाएँ 104 प्रतिष्ठित सेवाओं के मद्देनजर पुरस्कार एवं पेंशन 0001 प्रतिष्ठित सेवाओं के मद्देनजर पुरस्कार एवं पेंशन (गैर योजना)	42.70	शून्य	42.70
19	20	2210 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य एलोपैथी 200 अन्य चिकित्सा योजनाएँ 0602 अन्य चिकित्सा सेवाएँ, कुष्ठ नियंत्रण योजना (सी. एस. एस.)	95.66	शून्य	95.66

क्रम सं.	अनुदानों की संख्या	अनुदान विनियोजन संख्या / लेखाशीर्ष	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचत
			(रुपये लाख में)		
20	20	05 चिकित्सा, शिक्षा, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान 101 आयुर्वेद 0001 आयुर्वेद महाविद्यालय, बेगूसराय (गैर योजना)	80.87	शून्य	80.87
21	20	103 यूनानी 0001 तिब्बी कॉलेज (गैर योजना)	119.00	शून्य	119.00
22	20	105 एलोपैथी 0103 श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर (योजना)	51.17	शून्य	51.17
23	20	0110 नर्स प्रशिक्षण (योजना)	57.51	शून्य	57.51
24	20	0114 इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान्, पटना (योजना)	36.75	शून्य	36.75
25	20	200 अन्य सेवाएँ 0102 राज्य चिकित्सा एवं परिवार कल्याण संस्थान (योजना)	42.80	शून्य	42.80
26	20	06 लोक स्वास्थ्य 102 खाद्य मिलावट का रोकथाम (गैर योजना) 0001 लोक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता योजना, खाद्य मिलावट का रोकथाम (गैर योजना)	32.71	शून्य	32.71
27	20	0101 खाद्य मिलावट का रोकथाम (योजना)	41.86	शून्य	41.86
28	20	0601 खाद्य मिलावट का रोकथाम (सी एस एस)	28.49	शून्य	28.49
29	20	4210 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय 80 सामान्य 800 अन्य व्यय 0702 रेफरल अस्पताल के अधूरे भवनों का निर्माण (योजना)	602.76	शून्य	602.76
30	23	2851 ग्रामीण एवं लघु उद्योग 103 हस्तकरघा उद्योग 0115 शिल्प गाँव की स्थापना (योजना)	30.00	शून्य	30.00
31	23	0116 अपारेल पार्क की स्थापना	20.00	शून्य	20.00
32	23	0117 दीन दयाल प्रोत्साहन योजना (सहायता अनुदान) (योजना)	25.00	शून्य	25.00
33	23	2852 उद्योग 80 सामान्य 001 निर्देशन एवं प्रशासन 0004 सांख्यिकी की इकाई का	27.78	शून्य	27.78

			(रुपये लाख में)		
34	39	58 सामाजिक सुरक्षा एवं कलयाण 58 पुनर्वास 58 अन्य सहाय्य उपाय 0003 शीत लहर के लिए सुरक्षात्मक उपाय	39.89	शून्य	39.89
35	40	58 भू–राजस्व 58 सर्वेक्षण एवं बन्दोवस्ती प्रक्रिया 0102 काश्ताकार लेखा पुस्तिका का कार्यान्वयन (योजना)	20.00	शून्य	20.00
36	40	58 अन्य व्यय 003 होल्डिंग का सुदृढ़ीकरण (गैर योजना)	103.62	शून्य	103.62
37	40	0101 होल्डिंग का सुदृढ़ीकरण (योजना)	266.22	शून्य	266.22
38	40	0102 मुख्य पथ से जुड़े पथ के निर्माण हेतु भूमि का क्रय/गृह विहीन लोगों के लिए रहने हेतु निवास (योजना)	200.00	शून्य	200.00
39	42	58 अन्य ग्रामीण विकास योजना 58 निर्देशन एवं प्रशासन 0102 जिला पंचायत सीपना	31.79	शून्य	31.79
40	42	0701अ पंचायत राज्य संस्था के गैर सरकारी सदस्यों के प्रशिक्षण पर व्यय	24.54	शून्य	24.54
41	42	58 अन्य ग्रामीण विकास योजना पर पूँजीगत परिव्यय 58 ग्रामीण विकास 0101स न्यूनतम आवश्यकता योजना (वृहत कार्य) (योजना)	240.95	शून्य	240.95
42	45	58 उद्योग 58 उपभोक्ता उद्योग 58 चीनी 0001 बिहार सुगर फैक्ट्री एक्ट 1937 से संबंधित व्यय	34.07	शून्य	34.07
43	48	58 शहरी विकास 58 राज्य पूँजी विकास 58 निर्देशन एवं प्रशासन 0001 नगरपालिकाओं के कार्यपालक पदाधिकारी (गैर योजना)	10.50	शून्य	10.50
44	49	58 वृहत एवं मध्यम सिंचाई 58 सामान्य 58 सर्वेक्षण एवं अन्वेषण 0001 सर्वेक्षण एवं अन्वेषण स्थापना	113.20	शून्य	113.20
45	49	58 लोक क्षेत्र एवं अन्य उद्यम की सहायता 0001 जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान को सहायता अनुदान (गैर योजना)	66.05	शून्य	66.05
46	49	0001 जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थानिक कार्यों को सहायता अनुदान (गैर योजना)	58.10	शून्य	58.10

क्रम सं.	अनुदानों की संख्या	अनुदान विनियोजन संख्या / लेखाशीर्ष	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचत
			(रुप्ये लाख में)		
47	49	4701 वृहत एवं मध्ययम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय 80 सामान्य 800 अन्य व्यय 0119 उग्रस्थान सिंचाई परियोजना (योजना)	52.23	शून्य	52.23
48	49	0120 उत्तर बिहार सिंचाई परियोजना (नाबार्ड) (योजना)	43.67	शून्य	43.67
49	49	0124 लीलागंज सिंचाई परियोजना (योजना)	55.64	शून्य	55.64
50	49	0613 दोन नहर परियोजना (गंडक परियोजना के अधीन) (सी.एस. एस.)	32.00	शून्य	32.00
51	50	4702 लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय 102 मध्यम सिंचाई योजनाओं के अपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए नाबार्ड से ऋण (योजना)	210.95	शून्य	210.95
52	51	2225 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण 03 पिछड़े वर्गो का कल्याण 2202 शिक्षा 0602 पूर्व माध्यमिक छात्रवृत्ति (सी एस एस)	11.60	शून्य	11.60
53	51	0606 छात्रों के लिए छात्रावास, वृहद् निर्माण कार्य (सी एस एस)	16.93	शून्य	16.93
54	51	0607 छात्राओं के लिए छात्रावास वृहद् निर्माण कार्य (सी एस एस)	114.96	शून्य	114.96
55	51	2235 सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण 103 महिला कल्याण 0602 इन्दिरा महिला योजना सहायता अनुदान (सी एस एस)	86.30	शून्य	86.30
56	51	0605 बालिका समृद्धि योजना सहायता अनुदान (सी एस एस)	715.65	शून्य	715.65
57	51	104 बूढ़े, कमजोर एवं निस्सहाय का कल्याण 0001 राज्य गृह एवं सुरक्षा आश्रम गृह (गैर योजना)	28.30	शून्य	28.30
58	51	106 सुधार सेवाएँ 0001 सुधार गृह (गैर योजना)	78.88	शून्य	78.88
	58 मामले	**योग**	**8086.15**	**शून्य**	**8086.15**

परिशिष्ट–XIV

(संदर्भ : कंडिका 2.3.1 ; पृष्ठ 28)

नियमन की अपेक्षा वाले आधिक्य की विवरणी

(रुपये में)

क्रम सं.	अनुदान/विनियोजन की संख्या एवं नाम	कुल अनुदान/ विनियोजन	व्यय	आधिक्य	आधिक्य का कारण
1	15- पेंशन – राजस्व – दत्तमत	20395589360	20492405986	(+)96816626	प्राप्त नहीं
2	47- परिवहन विभाग पूंजीगत – दत्तमत	228156840	232872840	(+)4716000	प्राप्त नहीं
	योग	**20623746200**	**20725278826**	**101532626**	

परिशिष्ट–XV

(संदर्भ : कंडिका 2.3.2 ; पृष्ठ 28)

प्रत्येक मामले में रुपये 2 करोड़ से अधिक लगातार बचत के मामले

क्रम सं.	अनुदान/विनियोजन की संख्या एवं नाम	बचत (राशि करोड़ रुपये में और प्रावधान से इसका प्रतिशत कोष्ठक में)		
		2000-2001	**2001-02**	**2002-03**
	राजस्व दत्तमत			
1	1. कृषि विभाग	64.75(28)	66.47(32)	89.07(39)
2	2. पशुपालन एवं मत्स्य विभाग	39.31(31)	47.65(43)	31.21(32)
3	3. भवन निर्माण एवं आवास विभाग	24.41(20)	43.99(45)	10.73(12)
4	6. निर्वाचन	3.31(30)	3.03(36)	8.44(24)
5	9. सहकारिता विभाग	17.08(21)	14.85(34)	8.11(22)
6	10. ऊर्जा विभाग	8.23(41)	11.72(32)	78.18(62)
7	11. उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग	2.68(14)	3.52(20)	2.75(17)
8	12. वित्त विभाग	19.39(26)	321.65(87)	314.30(86)
9	18. खाद्य आपूर्ति एवं वाणिज्य विभाग	14.02(30)	4.91(11)	20.14(30)
10	19. वन एवं पर्यावरण विभाग	64.43(56)	13.07(31)	14.89(33)
11	20. स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	321.94(32)	234.25(31)	207.48(27)
12	21. उच्चतर शिक्षा विभाग	56.71(13)	33.61(10)	46.44(12)
13	22. गृह विभाग	229.43(17)	262.70(22)	262.02(22)
14	23. उद्योग विभाग	39.23(51)	21.41(46)	16.43(29)
15	26. श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग	67.41(38)	53.47(37)	45.44(24)
16	27. विधि विभाग	25.23(18)	31.68(25)	31.73(24)
17	32. विधान मंडल	5.58(15)	6.52(20)	3.44(11)
18	35. योजना एवं विकास विभाग	72.98(52)	9.92(38)	9.94(34)
19	36. लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	23.95(12)	34.79(25)	28.05(19)
20	39. सहाय्य एवं पुनर्वास विभाग	32.90(2)	67.19(37)	85.66(46)
21	40. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	70.97(20)	40.71(20)	47.39(21)
22	41. पथ निर्माण विभाग	42.84(17)	90.30(42)	32.98(15)
23	42. ग्रामीण विकास विभाग	430.98(41)	252.67(34)	152.00(16)
24	43. विज्ञान एवं तकनीकी विभाग	12.86(34)	5.08(25)	18.23(53)
25	44. माध्यमिक, प्राथमिक एवं व्यस्क शिक्षा विभाग	676.82(19)	511.08(19)	494.28(18)
26	46. पर्यटन विभाग	5.61(62)	3.37(57)	2.58(47)
27	48. शहरी विकास विभाग	13.80(27)	46.40(55)	35.70(26)
28	49. जल संसाधन विभाग	37.99(14)	55.81(22)	38.36(16)
29	50. लघु सिंचाई विभाग	31.59(20)	30.34(20)	24.42(15)
30	51. कल्याण विभाग	235.04(65)	106.64(37)	109.80(32)
31	52. युवा, कला एवं संस्कृति विभाग	7.31(33)	7.00(34)	5.47(28)
	योग	**2698.78**	**2435.80**	**2275.66**

क्रम सं.	अनुदान/विनियोजन की संख्या एवं नाम	बचत (राशि करोड़ रुपये में और प्रावधान से इसका प्रतिशत कोष्ठक में)		
		2000-2001	2001-02	2002-03
	पूंजी – दत्तमत			
1	3. भवन निर्माण एवं आवास विभाग	21.62 (66)	24.85(69)	7.57(23)
2	9. सहकारिता विभाग	11.75 (23)	14.45(39)	9.86(32)
3	10. ऊर्जा विभाग	114.05 (16)	107.41(18)	119.45(16)
4	12. वित्त विभाग	4.16 (18)	6.94(50)	7.86(61)
5	36. लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	78.93 (75)	84.27(86)	70.79(50)
6	41. पथ निर्माण विभाग	211.44 (65)	52.35(61)	39.08(31)
7	42. ग्रामीण विकास विभाग	165.31 (30)	277.07(45)	233.43(41)
8	49. जल संसाधन विभाग	347.11 (45)	351.02(55)	331.96(52)
9	50. लघु सिंचाई विभाग	20.23 (53)	85.59(88)	30.19(85)
10	52. युवा, कला एवं संस्कृति विभाग	3.01 (100)	3.61(100)	2.21(58)
	योग	**977.61**	**1007.56**	**852.40s**
	राजस्व – भारित प्रभाग			
1.	13. ब्याज भुगतान	347.28 (12)	121.38(4)	523.53(15)
2.	28. बिहार का उच्च न्यायालय	2.75 (11)	9.76(42)	7.09(32)
3.	34. बिहार लोक सेवा आयोग	3.44 (38)	2.39(32)	2.53(33)
	योग	**353.47**	**133.53**	**533.15**
	कुल योग	**4029.86**	**3576.89**	**3661.21**

परिशिष्ट–XVI

(संदर्भ : कंडिका 2.3.3 ; पृष्ठ 28)

1977–78 से 2002–03 तक आधिक्य

वर्ष	अनुदान/विनियोजन की संख्या	अनुदान/विनियोजन संख्या	आधिक्य की राशि	राशि जिसके लिए पी ए सी को स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया
			(रुपये करोड़ में)	
1977-78	4	4, 5, 9, 24	14.51	14.51
1978-79	4	4, 9, 17, 27	31.11	31.11
1979-80	4	3, 4, 6 17	34.50	34.50
1980-81	7	4, 6, 8, 10, 12, 16, 17	27.92	27.92
1981-82	14	1, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 21, 24	80.30	80.30
1982-83	5	6, 8, 12, 16, 22	5.25	5.25
1983-84	4	6, 9, 11, 12	227.36	227.36
1984-85	4	3, 4, 8, 14	2.66	2.66
1985-86	4	4, 8, 10, 13	15.17	15.17
1986-87	3	4, 6, 13	87.43	87.43
1987-88	13	1, 4, 5, 9, 12, 14, 18, 19, 25, 31, 38, 42, 48	420.66	420.66
1988-89	6	4, 9, 12, 18, 25, 38	166.92	166.92
1989-90	6	4, 18, 25, 27, 38, 45	228.65	228.65
1990-91	8	12, 18, 36, 37, 38, 42, 43, 47	330.07	330.07
1991-92	8	1, 4, 6, 11, 12, 18, 38, 43	1228.67	1228.67
1992-93	6	1, 4, 12, 18, 25, 38	1462.10	1462.10
1993-94	4	12, 18, 25, 37	702.17	702.17
1994-95	2	12, 37	318.23	318.23
1995-96	5	4, 12, 25, 36, 37	405.08	405.08
1996-97	4	4, 12, 20, 23, 36, 37	256.38	256.38
1997-98	4	4, 7, 12, 15	12.19	12.19
1998-99	1	30	0.33	0.33
1999-2000	5	10, 13, 14, 40, 50	196.23*	196.23
2000-2001	5	5, 13, 15, 25, 32	712.34	712.34
2001-2002	1	15	491.24	491.24
योग			**7457.47**	**7457.47**
2002-2003	2	15, 47	10.15	10.15
कुल योग			**7467.62**	**7467.62**

* *1999–2000 का समायोजित संख्या।*

परिशिष्ट–XVII

(संदर्भ : कंडिका 2.3.4 ; पृष्ठ 29)

बजट प्रावधान से अधिक व्यय

क्रम सं.	अनुदान / विनियोजन की सख्या / लेखा शीर्ष	प्रावधान	वास्तविक व्यय	आधिक्य
		(रुपये लाख में)		
1	3–6216 आवास ऋण 02 – शहरी आवास 201 – आवास बोर्डो को ऋण 0002 – आवास बोर्ड द्वारा जारी बाण्ड के प्रति बकाया ब्याज का भुगतान	162.49	662.49	+500.00
2	9–4425 सहकारिता पर पूंजीगत व्यय 190 – लोक क्षेत्र एवं अन्य उद्यम में निवेश 0607 – समेकित सहकारिता विकास परियोजना के लिए केन्द्रीय सहकारिता बैंक के अंश पूँजी में अंशदान (सी एस एस) (योजना)	512.90	567.03	+54.13
3.	10–6801 शक्ति परियोजनाओं के लिए ऋण 800 – विद्युत बोर्ड को अन्य ऋण 0003 – बिहार विद्युत बोर्ड के बकाये के विरूद्ध केन्द्र सरकार द्वारा प्रत्यक्ष कटौती के विरूद्ध विद्युत बोर्ड को ऋण (गैर योजना)	3365.00	19327.00	15962.00
4.	12–2013 मंत्रिमण्डल 800 – अन्य व्यय 0002 – राज्य मंत्री (गैर योजना)	55.67	129.96	+74.29
5.	13–2049 ब्याज भुगतान 01 – आंतरिक ऋण पर ब्याज 115 – भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम पर ब्याज 0001 – भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम (गैर योजना)	0.13	325.61	+325.48
6.	01 – आंतरिक ऋण पर ब्याज 305 – ऋण प्रबंधन 0001 – पुराने ऋणों से संबंधित व्यय (गैर योजना)	117.46	338.79	+221.33
7.	04 – केन्द्र सरकार द्वारा ऋण एवं अग्रिम पर ब्याज 101 – राज्य / संघ क्षेत्र योजनागत योजना के ऋणों पर ब्याज 0001 – 15 वर्षों से लंबित प्रखंड ऋण 1990 (गैर योजना)	2241.00	4556.50	+2315.50
8.	103 – सी एस एस से लिए गए ऋण पर ब्याज 0001 – सी एस एस से लिए ऋण पर ब्याज (गैर योजना)	553.37	2882.71	+2329.34
9.	104 – गैर योजनागत योजना के लिए ऋण पर ब्याज (गैर योजना) 0002 – पुलिस बल के आधुनिकीकरण पर ब्याज	938.40	3424.23	+2485.83

क्रम सं.	अनुदान/ विनियोजन की सख्या/लेखा शीर्ष	प्रावधान	वास्तविक व्यय	आधिक्य
		(रुपये लाख में)		
10.	14–6004 केन्द्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम 01 – गैर योजना ऋण 102 – लघु बचत संग्रह का अंश 0002 – 1984–85 से पूर्व का ऋण (गैर योजना)	18415.74	92273.56	+73857.82
11.	17–2040 विक्रय, व्यापार इत्यादि पर कर 001 – निर्देशन एवं प्रशासन 0001 – अधीक्षण (गैर योजना)	186.15	487.20	+301.05
12.	20–2210 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य 06 – रोगों का रोकथाम एवं नियंत्रण 101 – रोगों का रोकथाम एवं नियंत्रण 0602 – राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम कालाजार सहित (सी एस एस)	545.90	767.21	+221.31
13.	26–2230 श्रम एवं रोजगार 03 – प्रशिक्षण 101 – औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान 0001 – औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, राज्य परिषद का प्रशासन (गैर योजना)	915.53	1615.32	+699.79
14.	38–2030 मुद्रांक एवं निबन्धन 01 – मुद्रांक अन्यायिक 101 – मुद्रांक लागत	22.41	36.66	+14.25
15.	38–2030 मुद्रांक एवं निबन्धन 01– मुद्रांक अन्यायिक 101 – मुद्रांक लागत 0002 – सुरक्षा, हैदराबाद से प्राप्त मुद्रांक की लागत (गैर योजना)	52.70	151.07	+98.37
16.	03 – निबंधन 001 – निर्देशन एवं प्रशासन 0001 – अधीक्षण (गैर योजना)	58.35	136.90	+78.55
17.	42–2505 ग्रामीण रोजगार 01 – राष्ट्रीय कार्यक्रम 702 – जवाहर ग्राम समृद्धि योजना .0110बी –व्यापक ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम अनुसूचित जाति के लिए विशेष समेकित योजना (योजना)	3619.01	4516.15	+897.14
18.	47–7055 पथ परिवहन के लिए ऋण 800 – अन्य व्यय 0003 – बिहार राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा जारी बॉण्ड पर बकाये का भुगतान	353.92	579.92	+226.00
	योग	**32116.13**	**132778.31**	**100662.18**

परिशिष्ट–XVIII

(संदर्भ : कंडिका 2.3.4 ; पृष्ठ 29)

बजट प्रावधान के बिना व्यय

क्रम सं.	अनुदान/ विनियोग का नाम /लेखा शीर्ष	प्रावधान	वास्तविक व्यय	आधिक्य
		(रुपये लाख में)		
1	2–2404 दुग्ध विकास 102 – दुग्ध विकास परियोजना 0003 – भवन का संधारण (गैर योजना)	शून्य	189.30	+189.30
2.	14–6003 राज्य सरकार को आंतरिक ऋण 101 – बाजार ऋण 0006 – बिहार राज्य विकास कर्ज 2002, 11 प्रतिशत (बगैर सूद के) गैर योजना	शून्य	13296.44	+13296.44
3.	20–2211 परिवार कल्याण 109 – प्रजनन तथा शिशु स्वास्थ्य परियोजना 0001 – टीका तथा औषधि के आपूर्ति का खर्च (गैर योजना)	शून्य	6074.97	+6074.97
4.	20–2211 परिवार कल्याण 200 – अन्य सेवाएं तथा आपूर्ति 0603 – अन्य सेवाएं तथा आपूर्ति परिवार नियोजन सामग्रियों की आपूर्ति, निरोध ओरल पिल आदि की आपूर्ति (गैर योजना)	शून्य	20.40	+20.40
	योग		**19581.11**	**19581.11**

परिशिष्ट–XIX

(संदर्भ : कंडिका 2.3.7 ; पृष्ठ 29)

मामले जहाँ अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक साबित हुए

क्रम सं.	अनुदान विनियोग की संख्या एवं नाम	अनुपूरक अनुदान/विनियोग	बचत
		(रुपये लाख में)	
	(अ) – राजस्व प्रभाग (दत्तमत)		
1	1. कृषि विभाग	1645.14	8907.06
2	2. पशुपालन एवं मत्स्य विभाग	208.60	3120.89
3	3. भवन निर्माण एवं आवास विभाग	38.44	1072.82
4	7. निगरानी	20.25	102.79
5	8. नागरिक उड्डयन विभाग	22.84	29.35
6	9. सहकारिता विभाग	182.73	811.40
7	12. वित्त विभाग	615.95	31430.37
8	19. वन एवं पर्यावरण विभाग	671.16	1489.19
9	20. स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	2335.48	20748.23
10	21. उच्चतर शिक्षा विभाग	3104.09	4644.13
11	22. गृह विभाग	2274.48	26201.51
12	23. उद्योग विभाग	1293.97	1643.23
13	25. संस्थागत वित्त तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग	32.47	193.24
14	27. विधि विभाग	129.38	3173.27
15	29. खान एवं भूगर्भ विभाग	63.06	101.83
16	30. अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	17.32	30.15
17	32. विधान मंडल	44.27	343.97
18	33. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग	3083.91	3141.92
19	35. योजना एवं विकास विभाग	201.65	994.39
20	36. लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	926.90	2805.67
21	37. राजभाषा विभाग	1.50	191.48
22	38. निबंधन विभाग	15.00	168.40
23	40. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	1082.86	4739.47
24	41. पथ निर्माण विभाग	14.33	3297.86
25	42. ग्रामीण विकास विभाग	9528.53	15199.76
26	43. विज्ञान एवं तकनीकी विभाग	800.06	1822.61
27	44. माध्यमिक, प्राथमिक एवं व्यस्क शिक्षा विभाग	11643.82	49428.02
28	46. पर्यटन विभाग	19.20	258.11
29	47. परिवहन विभाग	2.99	120.91
30	49. जल संसाधन विभाग	0.60	3835.78
31	51. कल्याण विभाग	4495.48	10980.35
32	52. युवा, कला एवं संस्कृति विभाग	106.15	546.95
	योग	**44622.61**	**201575.11**
	(ब) पूँजी – दत्तमत प्रभाग		
1	9. सहकारिता विभाग	880.82	985.87
2	30. अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	7.50	20.00
3	36. लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	2004.62	7079.19
4	42. ग्रामीण विकास विभाग	200.00	23342.70

क्रम सं.	अनुदान विनियोग की संख्या एवं नाम	अनुपूरक अनुदान/विनियोग	बचत
		(रुपये लाख में)	
5	44. माध्यमिक, प्राथमिक तथा वयस्क शिक्षा विभाग	3756.35	4308.31
6	48. शहरी विकास विभाग	598.00	806.69
7	49. जल संसाधन विभाग	5553.12	33195.99
	योग	**13000.41**	**69738.75**
	(स) पूँजी – भारित प्रभाग		
1	14. ऋण का पुनर्भुगतान	3833.21	127226.92
	कुल योग	**61456.23**	**398540.78**

परिशिष्ट–XX

(संदर्भ : कंडिका 2.3.7 ; पृष्ठ 29)

मामले जहाँ अनुपूरक प्रावधान अत्यधिक साबित हुए (प्रत्येक मामले में 10 लाख रुपये से अधिक)

क्रम सं.	अनुदान/विनियोग की संख्या तथा नाम	अनुपूरक अनुदान/विनियोग	बचत
		(लाख रुपये में)	
	राजस्व प्रभाग		
1	6. निर्वाचन	3122.42	844.35
2	10. ऊर्जा विभाग	10143.49	7818.23
3	16. राष्ट्रीय बचत	29.67	28.11
4	18. खाद्य आपूर्ति एवं वाणिज्य विभाग	2186.92	2014.92
5	24. सूचना तथा जन संपर्क विभाग	127.12	117.98
6	26. श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग	4940.35	4544.27
7	31. संसदीय मामला विभाग	163.77	42.10
8	39. सहाय्य एवं पुनर्वास विभाग	10147.00	8566.41
9	45. गन्ना विभाग	1944.70	196.06
10	46. शहरी विकास विभाग	7669.40	3569.86
11	50. लघु सिंचाई विभाग	3377.92	2441.87
	योग	**43852.76**	**30184.16**
	पूँजी – दत्तमत प्रभाग		
1	3. भवन निर्माण तथा आवास विभाग	1360.87	757.09
2	20. स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा तथा परिवार कल्याण विभाग	2158.83	733.98
3	23. उद्योग विभाग	3689.71	183.55
	योग	**7209.41**	**1674.62**
	कुल योग	**51062.17**	**31858.78**

परिशिष्ट–XXI

(संदर्भ : कंडिका 2.3.7 ; पृष्ठ 29)

मामले जहाँ अनुपूरक प्रावधान अपर्याप्त था

(रुपये करोड़ में)

क्रम सं.	अनुदान सं.	लेखाशीर्ष / उपशीर्ष / योजना	अनुपूरक प्रावधान	अंतिम आधिक्य
1	9	4425 - सहकारिता पर पूँजीगत परिव्यय 190 - लोकक्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों में निवेश 0607 - समग्र सहकारिता विकास परियोजना (सी एस एस) हेतु सहकारी बैंकों के नियंत्रण के लिए शेयर पूँजी में हिस्सेदारी	512.90	(+)54.13
2	13	2049 - सूद भुगतान 103 - केन्द्र प्रायोजित योजनागत योजनाओं के लिए ऋण पर सूद 0001 - केन्द्र प्रायोजित योजनागत योजनाओं के लिए ऋण पर सूद (गैर योजना)	332.51	(+)2329.34
3	13	104 - गैर योजनागत योजनाओं हेतु ऋण पर सूद 0002 - आरक्षी बल के आधुनिकीकरण पर सूद (गैर योजना)	938.40	(+)2485.83
4	17	2040 - बिक्री, व्यापार आदि पर कर 001 - निर्देशन तथा प्रशासन 0001 - अधीक्षण (गैर योजना)	2.20	(+)301.05
5	22	2025 - आरक्षी 109 - जिला आरक्षी 0001 - जिला कार्यपालक बल (गैर योजना)	927-86	(+)11.17
6	38	2030 - मुद्रांक एवं निबंधन 03 - निबंधन 001 - निर्देशन एवं प्रशासन 0001 - अधीक्षण (गैर योजना)	4.04	(+)78.55
7	38	0002 - जिला प्रभार (गैर योजना)	10.97	(+)61.74
8	47	7055 - पथ परिवहन हेतु ऋण (योजना) 800 - अन्य व्यय 0003 - बिहार राज्य पथ निगम द्वारा जारी बाँड पर बकाए का भुगतान (गैर योजना)	353.92	(+)226.00
9	15	15 - पेंशन (राजस्व–भारित)	80.00	(+)968.17
10	47	47 - परिवहन विभाग (पूँजी–भारित)	1573.73	(+)47.16
		योग	**4736.53**	**6563.14**

परिशिष्ट–XXII

(संदर्भ : कंडिका 2.3.8 ; पृष्ठ 29)

अनुदान में वास्तविक बचत से अधिक अभ्यर्पण

क्रम सं.	अनुदान/विनियोग की संख्या एवं नाम	कुल अनुदान	बचत	अभ्यर्पित राशि	अभ्यर्पित राशि का आधिक्य
	(रुपये करोड़ में)				
	(क) राजस्व भारित प्रभाग				
1	17- वित्त विभाग	21.97	0.55	3.55	3.00
2	26- श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग	188.33	45.44	49.79	4.35
3	38- निबंधन विभाग	19.25	1.68	3.70	2.02
	योग	**229.55**	**47.67**	**57.04**	**9.37**
	(ब) पूँजी भारित प्रभाग				
1	3- भवन निर्माण एवं आवास विभाग	32.84	7.57	13.11	5.54
2	10- ऊर्जा विभाग	749.79	119.45	279.07	159.62
3	47- परिवहन विभाग	22.82	+0.47	1.79	2.26
	योग	**805.45**	**126.55**	**293.97**	**167.42**
	(स) पूँजी दत्तमत प्रभाग				
1	14- ऋण का पुनर्भुगतान	2805.74	1272.27	2005.97	733.71
	(अ+ब+स)	**3840.74**	**1446.49**	**2356.98**	**910.50**

परिशिष्ट–XXIII

(संदर्भ : कंडिका 2.3.8 ; पृष्ठ 29)

अनुचित/अत्यधिक अभ्यर्पणों की विवरणी

क्रम सं.	अनुदान / विनियोग की संख्या	मुख्य शीर्ष/उपशीर्ष/योजना	प्रावधान (मूल+पूरक)	अभ्यर्पण (पुनर्विनि–योग)	योग	व्यय	आधिक्य (+)
			(रुपये लाख में)				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	2	2404- दुग्ध विकास 102- दुग्ध विकास परियोजना 0003-भवन का संधारण (गैर योजना)	0.40	(-) 0.40	शून्य	189.30	(+) 189.30
2.	3	6216-आवास हेतु ऋण 02-शहरी आवास 201 आवास बोर्ड हेतु ऋण 0002-आवास बोर्ड द्वारा निर्गत बॉंड के विरूद्ध बकाए सूद का भुगतान (गैर योजना)	419.36	(-) 256.87	162.49	662.49	(+) 500.00
3.	10	6801-ऊर्जा परियोजना हेतु ऋण 800-विद्युत बोड्ड को अन्य ऋण 0003-बिहार विद्युत बोर्ड के बकाए के विरूद्ध केन्द्र सरकार द्वारा सीधे कटौती के विरूद्ध विद्युत बोर्ड को ऋण (गैर योजना)	13460.00	(-)10095.00	3365.00	19327.00	(+) 15962.00
4.	11	2039- राज्य उत्पाद 001-निर्देशन एवं प्रशासन 0002-जिला प्रभार (गैर योजना)	1460.41	(-) 261.75	1198.66	1246.97	(+) 48.31
5.	12	2013-मंत्रिमंडल 800-अन्य व्यय 0002-राज्य मंत्री (गैर योजना)	130.60	(-) 81.93	48.67	129.96	(+) 81.29
6.	13	2049-सूद भुगतान 01-आंतरिक ऋण पर सूद 115-भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थापाय पेशगियों पर सूद 0001-अर्थोपाय पेशगियाँ (आर बी आई से अग्रिम) (गैर योजना)	1000.00	(-) 999.87	0.13	325.61	(+) 325.48
7.	17	2040-बिक्री, व्यापार आदि पर कर 001-निर्देशन एवं प्रशासन 0001-अधीक्षण (गैर योजना)	197.47 2.20	(-) 13.52	186.15	487.20	(+) 301.05
8.	22	2055-आरक्षी 109-जिला आरक्षी 0001-जिला कार्यपालक बल (गैर योजना)	52782.86 927.86	(-) 10097.11	43613.61	43624.78	(+) 11.17
9.	26	2230-श्रम एवं नियोजन 03- प्रशिक्षण 101-औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान 0001-औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान – राज्य कौंसिल का प्रशासन (गैर योजना)	1247.46	(-) 331.93	915.53	1615.32	(+) 699.79

क्रम सं.	अनुदान / विनियोग की संख्या	मुख्य शीर्ष / उपशीर्ष / योजना	प्रावधान (मूल+पूरक)	अभ्यर्पण (पुनर्विनि–योग)	योग	व्यय	आधिक्य (+)
			(रुपये लाख में)				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
10.	38	2030-मुद्रांक एवं निबंधन 01-मुद्रांक – न्यायिक 101-मुद्रांक का खर्च 0001-मुद्रांक का खर्च (गैर योजना)	50.00	(-) 27.59	22.41	36.66	(+) 14.25
11.	38	2030-मुद्रांक एवं निबंधन 02-गैर न्यायिक मुद्रांक 101-मुद्रांक का खर्च 0002-प्रतिभूति हैदराबाद से प्राप्त मुद्रांक का खर्च (गैर योजना)	70.00	(-) 17.30	52.70	151.07	(+) 98.37
12.	38	03-निबंधन 001-निर्देशन एवं प्रशासन 0001-अधीक्षण (गैर योजना)	65.89 4.04	(-) 11.58	58.35	136.90	(+) 78.55
13.	38	0002-जिला प्रभार (गैर योजना)	1563.77 10.97	(-) 267.24	1307.50	1369.24	(+) 61.74
14.	42	2505-ग्रामीण रोजगार 01-राष्ट्रीय कार्यक्रम 702-जवाहर ग्रामण समृद्धि 0110ब-सर्वांगीण ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम–अनुसूचित जाति विशेष समग्र योजना (योजना)	3870.00	(-) 250.99	3619.01	4516.15	(+) 897.14
15.	44	2202-सामान्य शिक्षा 01- प्रारंभिक शिक्षा 101-राजकीय प्राथमिक विद्यालय 0001-राजकीय प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय (गैर योजना)	180671.88	(-) 26057.69	154614.19	154885.60	(+) 271.41
		कुल 15 मामले	**257935.17**	**(-) 48770.77**	**209164.40**	**228704.25**	**19539.85**

परिशिष्ट–XXIV

(संदर्भ : कंडिका 2.3.9 ; पृष्ठ 30)

प्रत्याशित बचत जिनका अभ्यर्पण नहीं किया गया
(एक करोड़ रुपये से अधिक)

क्रम सं.	अनुदान/विनियोग का नाम एवं संख्या	बचत	अनाभ्यर्पित बचत (कुल बचत का प्रतिशत कोष्ठक में)
		(रुपये करोड़ में)	
	(अ) राजस्व प्रभाग (भारित)		
1	1. कृषि विभाग	89.07	25.39 (29)
2	3. भवन निर्माण एवं आवास विभाग	10.73	1.46 (14)
3	9. सहकारिता विभाग	8.11	1.81 (22)
4	12. वित्त विभाग	314.30	3.96 (13)
5	19. वन एवं पर्यावरण विभाग	14.89	1.35 (9)
6	20. चिकित्सा, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	207.48	68.26 (33)
7	22. गृह विभाग	262.02	4.28 (2)
8	23. उद्योग विभाग	16.43	4.67 (28)
9	26. श्रम रोजगार एवं प्रशिक्षण विभाग	45.44	4.34 (10)
10	27. विधि विभाग	31.73	11.16 (36)
11	33. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग	31.42	30.37 (97)
12	36. लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	28.06	8.61 (31)
13	39. सहाय्य एवं पुनर्वास विभाग	85.66	58.65 (68)
14	40. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	47.39	10.59 (22)
15	41. पथ निर्माण विभाग	32.98	2.98 (9)
16	42. ग्रामीण विकास विभाग	152.00	16.49 (11)
17	44. माध्यमिक, प्राथमिक एवं वयस्क शिक्षा विभाग	494.28	11.05 (2)
18	48. शहरी विकास विभाग	35.70	10.99 (31)
19	49. जल संसाधन विभाग	38.36	9.11 (24)
20	50. लघु सिंचाई विभाग	24.42	2.28 (9)
21	51. कल्याण विभाग	109.80	47.88 (44)
22	52. युवा, कला तथा संस्कृति विभाग	5.47	1.32 (24)
	योग	**2085.74**	**337.00 (16)**
	राजस्व प्रभाग (दत्तमत)		
1.	**13–सूद भुगतान**	**523.53**	**512.87 (98)**
	पूँजी प्रभाग (भारित)		
1	12. वित्त विभाग	7.86	1.82 (23)
2	20. स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा तथा परिवार कल्याण	7.34	7.34 (100)
3	36. लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	70.79	22.18 (31)
4	41. पथ निर्माण विभाग	39.08	14.58 (37)
5	44. माध्यमिक, प्राथमिक एवं वयस्क शिक्षा विभाग	43.08	18.49 (43)
6	48. शहरी विकास विभाग	8.07	2.19 (27)
7	49. जल संसाधन विभाग	331.96	71.48 (22)
8	50. लघु सिंचाई विभाग	30.19	5.36 (18)
	योग	**538.37**	**143.44 (26)**
	कुल योग	**3147.64**	**993.31 (32)**
	31 मामले		

परिशिष्ट–XXV

(संदर्भ : कंडिका 2.3.9 ; पृष्ठ 30)

मार्च 2003 के अंतिम तिथि को अभ्यर्पित राशि

क्रम सं.	विनियोग/अनुदान का नाम एवं संख्या	मार्च 2003 के अंतिम तिथि को अभ्यर्पित राशि (अभ्यर्पित प्रतिशतता कोष्ठक में)
		(रुपये करोड़ में)
	राजस्व प्रभाग – भारित	
1	1. कृषि विभाग	63.68 (67)
2	2. पशुपालन एवं मत्स्य विभाग	31.51 (0.30 करोड़ रुपये अधिक अभ्यर्पण)
3	3. भवन निर्माण एवं आवास विभाग	9.27 (86)
4	4. मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वयन विभाग	0.84 (65)
5	6. निर्वाचन	8.00 (95)
6	7. निगरानी	0.93 (91)
7	8. नागरिक उड्डयन विभाग	0.28 (96)
8	9. सहकारिता विभाग	6.31 (78)
9	10. ऊर्जा विभाग	78.09 (100)
10	11. उत्पाद एवं निषेध विभाग	3.22 (0.48 करोड़ रुपये अधिक अभ्यर्पण)
11	12. वित्त विभाग	310.35 (99)
12	15. पेंशन	0.05 (बचत के बगैर अभ्यर्पित)
13	16. राष्ट्रीय बचत	0.26 (93)
14	17. वित्त (वाणिज्यिक कर) विभाग	3.55 (3.00 करोड़ रुपये अधिक अभ्यर्पण)
15	18. खाद्य आपूर्ति एवं वाणिज्य विभाग	19.61 (95)
16	19. वन एवं पर्यावरण विभाग	13.54 (91)
17	20. चिकित्सा, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	139.22 (67)
18	21. उच्चतर शिक्षा विभाग	0.18 (39)
19	22. गृह विभाग	257,73 (98)
20	23. उद्योग विभाग	11.76 (72)
21	24. सूचना एवं जनसंपर्क विभाग	0.99 (84)
22	25. संस्थागत वित्त तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग	1.73 (90)
23	26. श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग	49.79 (4.34 करोड़ रुपये अधिक अभ्यर्पण)
24	27. विधि विभाग	20.57 (65)
25	29. खान एवं भूगर्भ विभाग	0.93 (91)
26	30. अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	0.27 (89)
27	31. संसदीय मामला विभाग	0.18 (42)
28	32. विधान मंडल	2.87 (83)
29	33. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग	1.05 (3)
31	35. योजना एवं विकास विभाग	9.46 (95)
32	36. लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	19.45 (69)
33	37. राजभाषा विभाग	1.81 (95)
34	38. निबंधन विभाग	3.70 (2.02 करोड़ रुपये अधिक अभ्यर्पण)
34	39. सहाय्य एवं पुनर्वास विभाग	27.01 (32)
35	40. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	36.81 (78)

क्रम सं.	विनियोग/अनुदान का नाम एवं संख्या	मार्च 2003 के अंतिम तिथि को अभ्यर्पित राशि (अभ्यर्पित प्रतिशतता कोष्ठक में)
		(रुपये करोड़ में)
36	41. पथ निर्माण विभाग	30.00 (91)
37	42. ग्रामीण विकास विभाग	135.51 (89)
38	43. विज्ञान एवं तकनीकी विभाग	18.08 (99)
39	44. माध्यमिक, प्राथमिक एवं वयस्क शिक्षा विभाग	483.23 (98)
40	45. ईख विभाग	1.56 (80)
41	46. पर्यटन विभाग	2.45 (95)
42	47. परिवहन विभाग	1.20 (99)
43	48. शहरी विकास विभाग	24.71 (69)
44	49. जल संसाधन विभाग	29.25 (76)
45	50. लघु सिंचाई विभाग	22.14 (91)
46	51. कल्याण विभाग	61.93 (56)
47	52. युवा, कला तथा संस्कृति विभाग	4.15 (76)
	(अ) योग	**1949.21**
	(ब) राजस्व – दत्तमत प्रभाग	
1	5. राज्यपाल का सचिवालय	0.33 (40)
2	13. सूद भुगतान	10.66 (2)
3	28. बिहार का उच्च न्यायालय	6.66 (94)
4	34. बिहार लोक सेवा आयोग	2.42 (96)
	(ब) योग	**20.15**
	(स) पूँजी – भारित प्रभाग	
1	1. कृषि विभाग	0.48 (100)
2	3. भवन निर्माण एवं आवास विभाग	13.11 (5.54 करोड़ रुपये अधिक अभ्यर्पण)
3	9. सहकारिता विभाग	10.40 (0.54 करोड़ रुपये अधिक अभ्यर्पण)
4	10. ऊर्जा विभाग	279.07 (159.62 बचत के बगैर अभ्यर्पित)
5	12. वित्त विभाग	6.05 (77)
6	23. उद्योग विभाग	1.84 (100)
7	25. संस्थागत वित्त तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग	1.22 (82)
8	30. अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	0.08 (38)
9	36. लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	48.61 (69)
10	40. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	0.04 (100)
11	41. पथ निर्माण विभाग	24.49 (63)
12	42. ग्रामीण विकास विभाग	228.74 (98)
13	44. माध्यमिक, प्राथमिक एवं वयस्क शिक्षा विभाग	24.59 (57)
14	45. ईख विभाग	0.44 (100)
15	46. पर्यटन विभाग	2.00 (100)
16	47. परिवहन विभाग	1.79 (बचत के बगैर अभ्यर्पण)
17	48. शहरी विकास विभाग	5.88 (73)
18	49. जल संसाधन विभाग	260.48 (78)
19	50. लघु सिंचाई विभाग	24.83 (82)
20	52. युवा, कला तथा संस्कृति विभाग	3.09 (0.88 करोड़ वास्तविक बचत से अधिक अभ्यर्पित)
	(स) योग	**937.23**
	(ग) पूँजी – भारित प्रभाग	
1	14. ऋण का पुनर्भुगतान	2005.97 (733.71 करोड़ रुपये अधिक अभ्यर्पण)
	कुल योग	**4912.56**

परिशिष्ट–XXVI

(संदर्भ : कंडिका 2.4 ; पृष्ठ 30)

मिलान नहीं किए गए व्यय की विवरणी

क्रम सं.	विभाग का नाम	इकाईयाँ	01/03 तक मिलान नहीं की गई राशि	लेखा शीर्ष
				(करोड़ रुपये में)
1.	मानव संसाधन विकास	195	2746.92	2202- सामान्य 2203 -टी. शिक्षा 4202 -पूँजीगत परिव्यय
2.	वित्त विभाग	62	724.03	2013 - मंत्रिपरिषद 2092 - सुरक्षा– सामान्य सेवा
3.	ग्रामीण विकास विभाग	180	772.40	2505-ग्रामीण 2515-ओ आर डी परियोजना 4515-ओ.आर.डी. पर पूंजीगत परिव्यय
4.	चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	80	416.55	2210-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थय 4910- एम पी एच पर पूंजीगत परिव्यय
5.	जल संसाधन (लघु सिंचाई)	30	367.52	4711- बाढ़ नियंत्रण
6.	पंचायती राज	03	336.96	2711- पथ निर्माण
7.	सामाजिक कल्याण	332	280.65	2235 - सामाजिक सुरक्षा
8.	लोक कार्य प्रमंडल	22	191.53	2059- पी. डब्ल्यू. डी. 4059 पी. डब्ल्यू. डी. पर पूंजीगत परिव्यय
9.	राजस्व एवं भूमि सुधार	58	106.55	2059 - भूमि सुधार
10.	श्रम एवं नियोजन	48	74.50	2506 - भूमि सुधार 1230 - श्रम एवं रोजगार
11.	कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार	35	73.32	2052- सामान्य सुरक्षा
12.	कृषि	105	73.47	2415-कृषि
13.	शहरी विकास	13	74.01	2217 - शहरी विकास
14.	पशुपालन एवं मत्स्य	60	55.11	2405 - मत्स्य
15.	प्राकृतिक आपदा	17	52.37	2245 - प्राकृति आपदा पर सहायता
16.	खाद्य आपूर्ति एवं वाणिज्य	11	40.20	3451-सचिवालय आर्थिक सेवाऐं
17.	आरक्षी (गृह)	08	58.81	2055- आरक्षी
18.	मंत्रिमंडल सचिवालय	12	34.45	2052 - सुरक्षा – सामान्य सेवाएँ
19.	निर्वाचन विभाग	10	28.19	2015-निर्वाचन
20.	सहकारिता विभाग	86	23.39	2425- सहकारिता
21.	मुद्रांक एवं निबंधन	54	17.61	2052 - सुरक्षा–सामान्य सेवाएँ
22.	खनन् एवं भूगर्भ	70	5.05	2853-खनन् एवं भूगर्भ
23.	सूचना एवं प्रचार	06	5.07	2030 - मुद्रांक एवं निबंधन

क्रम सं.	विभाग का नाम	इकाईयाँ	01/03 तक मिलान नहीं की गई राशि	लेखा शीर्ष
				(करोड़ रुपये में)
24.	दुग्ध विकास	18	1.59	2404- दुग्ध विकास
25.	पर्यटन विभाग	05	2.79	3452-पर्यटन
26.	विद्युत	01	0.43	2801 - विद्युत
27.	परिवहन विभाग	01	0.18	2041- भारी वाहन परिवहन
28.	आवास विभाग	01	0.26	2216-आवास
29.	वन एवं पर्यावरण	01	0.15	3451-सचिवालय – आर्थिक सेवाएँ
30.	विधि विभाग	28	0.31	2014-प्रशासनिक व्यय
	योग	**1552**	**6567.37 (कुल व्यय का 42 प्रतिशत)**	**38 संख्या**

परिशिष्ट–XXVII

(संदर्भ : कंडिका 2.5 ; पृष्ठ 30)

मार्च 2003 के दौरान व्यय में तेजी

कोषागार माह	कुल व्यय	त्रैमासिक व्यय	प्रत्येक त्रैमासिक में व्यय का प्रतिशत	मार्च में व्यय का प्रतिशत
4	4289560476			
5	6778085425			
6	5591062406	1668708307.30	16	
7	7881008326			
8	7043934946			
9	5516793390	20441736661.49	19	
10	10596903416			
11	7375024964			
12	9399210792	27371139170.98	25	
1	10101345697			
2	7513937710			
3	25091423870	42706707278.09	40	23
योग	**107178281417.86**	**107178291417.86**	**100**	

परिशिष्ट–XXVIII

(संदर्भ : कंडिका 2.6 ; पृष्ठ 30)

पूँजीगत परिव्यय में कमी के कारण योजनाओं के स्वीकृति के प्रतीक्षा में निधि का व्यपगत होना

(रुपये लाख में)

क्रम सं.	अनुदान की संख्या	लेखाशीर्ष / उपशीर्ष / योजना	पूँजीगत परिव्यय में कमी के कारण योजनाओं के स्वीकृति के प्रतीक्षा में निधि व्यपगत होना
1.	1	2401 - फसल पालन 103 - बीज 0110 - त्वरित मक्का विकास कार्यक्रम (योजना)	50.00
2.	1	0601 - बीज उत्पादन कार्यक्रम (सी. एस. एस.)	90.00
3.	1	0613 - तकनीकी निष्कासित त्वरित मक्का विकास कार्यक्रम	150.00
4.	1	105 - खाद एवं उर्वरक 0402 - जैव नियंत्रण प्रयोगशाला (सी एस एस)	30.00
5.	1	108 - वाणिज्यिक फसल 0104 - तेल बीज उत्पादन कार्यक्रम (योजना)	86.00
6.	1	0106 - राष्ट्रीय दलहन उत्पादन कार्यक्रम (योजना)	75.00
7.	1	0608 - राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना (सी एस एस)	225.00
8.	1	0611 - तेल बीज विकास कार्यक्रम (सी एस एस)	258.00
9.	1	0614 - टाल क्षेत्र में विकास योजना (सी एस एस)	67.50
10.	1	113 - कृषि अभियंत्रण 0104 - कृषि वर्कशॉप का विकास (सी एस एस)	110.00
11.	1	0614 - कृषि वर्कशॉप का विकास (सी एस एस)	990.00
12.	1	119 - उद्यान विज्ञान एवं सब्जी फसल 0105 - कृषि में प्लास्टिक के प्रयोग की योजना (योजना)	40.00
13.	1	0601 - मशरूम विकास योजना (सी एस एस)	46.35
14.	1	0609 - पुष्प विकास की योजना (सी एस एस)	22.50
15.	1	0615 - कृषि में प्लास्टीक के प्रयोग की योजना (सी एस एस)	360.00
16.	1	2402 - मृदा एवं जल संरक्षण 102 - मृदा संरक्षण 0103 - एन डब्लू डी पी आर ए (योजना)	29.25
17.	1	0601 - वर्षा से आच्छादित क्षेत्रों में मृदा एवं जल संरक्षण	81.45
18.	1	0602 - एन डब्लू डी पी आर ए (सी एस एस)	263.25
19.	1	0604 - अम्लीय एवं क्षारीय मृदा (सी एस एस)	108.00
20.	1	0610 - क्वायर विकास योजना (सी एस एस)	108.00
21.	1	2415 - कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा 01 - फसल पालन 004 - अनुसंधान 0601 - दुग्ध विकास योजना (सी एस एस)	135.00
22.	1	6401 - फसल पालन हेतु ऋण 190 - लोक उद्यम तथा अन्य उपक्रमों हेतु ऋण 0101 - बिहार राज्य बीज निगम को ऋण	20.15

(रुपये लाख में)

क्रम सं.	अनुदान की संख्या	लेखाशीर्ष / उपशीर्ष / योजना	पूँजीगत परिव्यय में कमी के कारण योजनाओं के स्वीकृति के प्रतीक्षा में निधि व्यपगत होना
23.	1	0102 - बिहार राज्य कृषि उद्योग विकास निगम को ऋण (योजना)	20.50
24.	2	2403 - पशुपालन 102 - पशु एवं महिष विकास 0104 - छोटे सीमांत कृषकों एवं कृषि श्रमिकों को अनुदान (योजना)	82.82
25.	2	2404 - दुग्ध विकास 102 - दुग्ध विकास (सी पी एस)	67.76
26.	10	6801 - ऊर्जा परियोजना हेतु ऋण 800 - विद्युत बोर्ड हेतु अन्य ऋण 0104 - बी एस ई बी का ऋण (योजना)	2360.00
27.	10	0105 - एम एन पी के अंतर्गत बी एस ई बी को ऋण (योजना)	692.30
28	10	6801 - ऊर्जा परियोजना हेतु ऋण 201 - जल विद्युत सृजन 0105 - बिहार राज्य जल विद्युत निगम (नाबार्ड)	1000.00
29.	10	204 - ग्रामीण विद्युतीकरण 0701 - प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के अंतर्गत ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु बी एस ई बी को ऋण (सी एस एस)	2358.64
30.	9	2425 - सहकारिता 0137 – पिछड़ी जाति के विशेष समेकित योजना एन ए आई निधि के अंतर्गत बीमित फसल हेतु कृषकों को क्षतिपूर्ति देने के लिए फसल बीमा निधि हेतु अनुदान	93.30
31.	9	190 - लोक उपक्रम तथा अन्य उपक्रमों को सहायता 0102 - समेकित सहकारिता विकास परियोजना हेतु केन्द्रीय सहकारी बैंकों को अनुदान सहायता (योजना)	54.13
32.	9	2425 - सहकारिता 107 - ऋण सहकारी को सहायता 0136 - राज्य फसल बीमा हेतु अनुसूचित जाति के लिए विशेष समेकित योजना	68.00
33.	9	109 - कृषि ऋण स्थिरिकरण निधि 0601 - कृषि स्थापना निधि हेतु बिहार राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड पटना को अनुदान सहायता	30.00
34.	9	6425 - सहकारित हेतु ऋण 107 - सहकारिता समिति को ऋण 0105 - गोदाम के निर्माण हेतु पाँच प्रशंषकरण सहकारी समितियों को नाबार्ड प्रायोजित आर आई डी एफ ऋण	490.00
35.	9	0106 - गोदाम के निर्माण हेतु पाँच प्रसंस्करण सहकारी समितियों को नाबार्ड प्रायोजित अनुसूचित जाति के लिए विशेष समेकित योजना नाबार्ड प्रायोजित आर आई डी एफ ऋण (योजना) हेतु विशेष समेकित योजना	210.00

क्रम सं.	अनुदान की संख्या	लेखाशीर्ष / उपशीर्ष / योजना	पूँजीगत परिव्यय में कमी के कारण योजनाओं के स्वीकृति के प्रतीक्षा में निधि व्यपगत होना
36.	9	0107 - गोदाम निर्माण के लिए पाँच प्रशंषकरण सहकारी समितियों को नाबार्ड प्रायोजित आर आई डी एफ ऋण पिछले जाति हेतु विशेष समेकित योजना	300.00
37.	17	2040 - बिक्री, व्यापार आदि पर कर 0101 - जिला प्रभार	60.00
38	18	3456- असैनिक आपूर्ति 0601 - जन वितरण प्रणाली अन्नपूर्णा योजना (सी एस एस)	1116.21
39.	19	2406 - वानिकी एवं वन्य जीव 800 - अन्य व्यय 0103 - निम्न कोटि के वन का पुनर्वास	178.69
40.	19	0608 - आधुनिक तकनीक द्वारा वन को आग से सुरक्षा (100 प्रतिशत सी एस एस)	45.69
41.	19	2406 - वानिकी एवं वन्य जीवन 02 - वातावरण वानिकी एवं वन्य जीव 110 - वन्य जीव संरक्षण संजय गाँधी जैविक उद्यान	16.00
42.	19	0602 - लघु वन उत्पाद औषधि के लायक पौधे (सी एस एस)	50.00
43.	19	0603 - हाथी परियोजना (सी एस एस)	66.00
44.	19	0605 - अभ्यारण्य का विकास (सी एस एस)	150.00
45.	19	0606 - आच्छादित झील (सी एस एस)	30.00
46.	19	0611 - अन्य पार्क संजय गाँधी जैविक उद्यान (50:50) (सी एस एस)	16.00
47.	19	0613 - पारिस्थितिकी विकास (सी एस एस)	100.00
48.	19	0615 - वाल्मिकी नगर बाघ परियोजना पारिस्थितिकी विकास (100 प्रतिशत सी एस एस)	40.00
49.	19	0616 - निम्न कोटि के वन का पुनर्वास (सी एस एस)	20.00
50.	20	2211 - परिवार कल्याण 602 - उपप्रमंडलों तथा रेफरल अस्पतालों में आपूर्ति परा प्रजनन कार्यक्रम तथा अन्य सेवाएँ	484.94
51.	20	200 - अन्य सेवाएँ तथा आपूर्ति 601 - अन्य सेवाएँ तथा जिला में आपूर्ति परा प्रजनन कार्यक्रम	571.18
52.	22	2055 - आरक्षी 800 - अन्य व्यय 0103 - 11वीं वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित प्रशासनिक स्तर का मानकीकरण (योजना)	259.75
53.	36	4215 - जल आपूर्ति तथा स्वच्छता पर पूँजीगत परिव्यय 0102 - 20,000 के आबादी तक ग्रामीण / अर्द्धशहरी क्षेत्रों में अनुसूचित जाति हेतु विशेष समेकित योजना, जल प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड को सहायता (योजना)	187.92
54.	36	0111 - सतही जल उपयोग तथा वर्षा जल के उपयोग के अंतर्गत प्रधानमंत्री का ग्रामीण उत्थान जल संरक्षण (योजना)	30.00

(रुपये लाख में)

क्रम सं.	अनुदान की संख्या	लेखाशीर्ष / उपशीर्ष / योजना	पूँजीगत परिव्यय में कमी के कारण योजनाओं के स्वीकृति के प्रतीक्षा में निधि व्यपगत होना
55.	41	5054 - पथ तथा पुल पर पूँजीगत परिव्यय 0104 - सीमा क्षेत्र विकास योजना – पथ कार्य	263.00
56.	41	0105 - केन्द्रीय प्रायोजित योजना हेतु राज्य का अंश	100.00
57.	42	2505 - ग्रामीण रोजगार 01 - राष्ट्रीय कार्यक्रम 702 - जवाहर ग्राम समृद्धि योजना 0107 - सामान्य के लिए आई डब्ल्यू ए योजना (योजना)	2091.74
58.	42	0107 अनुसूचित जाति हेतु एक विशेष समेकित योजना	996.46
59.	42	0109 - सुनिश्चित रोजगार कार्यक्रम प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना, सामान्य हेतु प्राथमिक योजना	827.37
60.	42	0109 - एक सुनिश्चित रोजगार कार्यक्रम अनुसूचित जाति हेतु विशेष समेकित योजना	354.59
61.	42	0110 - समग्र ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम – खाद्यान्न की ढुलाई तथा प्रबंधन (योजना)	760.25
62.	42	4515 - अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय 103 - ग्रामीण विकास 0101ई नाबार्ड द्वारा न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (आर. आई. डी. पी.)	7368.00
63.	42	0111 - प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, पथ निर्माण (योजना)	15000.00
64.	44	2202 - सामान्य शिक्षा 01 - मौलिक शिक्षा 800 - अन्य व्यय 0109 - बिहार शिक्षा परियोजना	400.00
65.	44	4202 - शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय 01 - सामान्य शिक्षा 0701 - 11वीं वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अंतर्गत – मौलिक विद्यालयों का भवन निर्माण (योजना)	1736.89 462.40
66.	44	4202 - शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय 01 - सामान्य शिक्षा 201 - मौलिक शिक्षा 0402 - भवन (सी पी एस)	505.08
67.	46	3452 - पर्यटन 01 - पर्यटन अंतःसंरचना 101 - पर्यटन केन्द्र 0101 - पर्यटन सूचना केन्द्र का पुनरूद्धार तथा कम्प्यूटरीकरण (योजना)	237.79
68.	46	5452 - पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय 80 - सामान्य 800 - अन्य व्यय 0101 - पर्यटन स्थलों पर पथ निर्माण	200.00

(रुपये लाख में)

क्रम सं.	अनुदान की संख्या	लेखाशीर्ष / उपशीर्ष / योजना	पूँजीगत परिव्यय में कमी के कारण योजनाओं के स्वीकृति के प्रतीक्षा में निधि व्यपगत होना
69.	47	5055 - पथ परिवहन पर पूँजीगत परिव्यय 190 - लोक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों पर निवेश 0101 - बिहार राज्य पथ परिवहन निगम का हिस्सा 2215 - जल आपूर्ति एवं स्वच्छता	178.84
70.	48	0102 - शहरी स्थानीय निकायों को नाला एवं परनाला के लिए अनुदान राशि	54.50
71.	48	0101 - बिहार राज्य जल पर्षद के लिए अनुदान राशि	466.25
72.	48	0102 - स्थानीय शहरी समिति को नाले तथा जल निस्सरण के निर्माण हेतु अनुदान (योजना)	54.50
73.	49	4701 - वृहत एवं मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय 80 - सामान्य 0118 - उत्तर बिहार के लिए सिंचाई परियोजना कार्य (ए. आई. बी. पी.)	2728.49
74.	49	0121 - दक्षिण बिहार सिंचाई परियोजना (नाबार्ड)	5192.08
75.	49	0610 - गंगा नदी पर कटाव निरोध कार्य (सी एस एस)	2258.28
76.	49	0120 - उत्तर बिहार सिंचाई परियोजना (नाबार्ड)	2000.00
77.	49	4711 - बाढ़ नियंत्रण परियोजना पर पूँजीगत परिव्यय 01 - बाढ़ नियंत्रण 0111 - बाढ़ नियंत्रण के लिए तटबन्ध सड़क योजना	1500.00
78.	49	0112 - नाला योजना (नाबार्ड) कार्य (योजना)	1000.00
79.	50	102 - भूमिगत जल 0101 - मध्यम सिंचाई के अधूरे कार्यो को पूर्ण करने हेतु नाबार्ड से ऋण (योजना)	1500.00
80.	50	102 - भूमिगत जल 0101 - जलकूप योजना के अधूरे कार्यो को पूर्ण करने के लिए नाबार्ड से ऋण	1150.29
	योग		**63982.08**

परिशिष्ट–XXIX

(संदर्भ : कंडिका 3.1.6 ; पृष्ठ 38)

एड्स नियंत्रण कार्यक्रम का घटक वार भौतिक प्रगति (अप्रील 1998 से मार्च 2003)

घटक	कार्य के प्रकार	योजना	वास्तविक	कमी	कमी का प्रतिशत
I. अति संवेदनशील समूहों हेतु लक्षित प्रयास	1. अतिसंवेदनशील समूहों की पहचान (एच आर जी)	1 इकाई	-	1	100
	2. समूह के लिए एन जी ओ का चयन	55 इकाईयों	9	46	84
	3. एन जी ओ के द्वारा लोगों को परामर्श (एच आर जी)	3.61 लाख व्यक्ति	1.13	2.48	69
	4. जिला अस्पतालों/चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों में एस टी डी क्लिनिकों का खुलना	42 इकाईयों	25	17	40
	5. कंडोम प्रोत्साहन	49.49 लाख इकाईयाँ	43.92 इकाईयाँ	5.57	11
II. अल्प संवेदनशील समूहों के बीच एच आई वी/ एड्स की रोकथाम	1. जिला अस्पतालों, (डी एच), चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों में रक्त केन्द्रों का खुलना	36 इकाईयाँ 6 इकाईयाँ	4 6	32 -	89 -
	2. रक्त केन्द्रों का लाइसेंसिंग	21 इकाईयाँ	4	32	89
	3. रक्त केन्द्रों का आधुनिकीकरण		4	17	81
	4. चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों में रक्त घटक पृथ्क्करण सुविधा	6 इकाईयाँ	1	5	83
	5. रक्त केन्द्रों में स्वैच्छिक रक्त दान	रक्त की 1.40 लाख इकाईयाँ	0.58	0.82	59
	6. विद्यालय में आइ ई सी कार्यकलाप	1100 विद्यालय	178	922	84
	7. स्वैच्छिक जाँच एवं परामर्शी केन्द्र		34 (खुला)	25	42

घटक	कार्य के प्रकार	योजना	वास्तविक	कमी	कमी का प्रतिशत
III.कम खर्च पर एड्स सुरक्षा		शून्य	शून्य	शून्य	-
IV. संस्थागत सुदृढ़िकरण	1. चिकित्सा एवं अर्द्धचिकित्सा पदाधिकारियों को प्रशिक्षण	24880 लोग	11307	13573	55
	2. सेनटिनल सर्वेलियन्स स्थल	47 स्थल	45	2	4
	3. सेनटिनल सर्वेलियन्स के दौरान एकत्रित किया गया / जाँचित रक्त	16450 इकाईयाँ	14713	1737	11
V. अंतर्क्षेत्रिय सहयोग	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
परिवार स्वास्थ्य जागरूकता अभियान	1. जागरूकता में वृद्धि	3.48 करोड़ व्यक्ति	0.95 करोड़	2.53 करोड़	73
	2. जिला एड्स नियंत्रण समिति का गठनं		शून्य	39	100

परिशिष्ट–XXX

(संदर्भ : कंडिका 3.3.10 ; पृष्ठ 63)

लाभान्वित विकलांगों की सूची

क्रम सं.	गैर सरकारी संस्था का नाम	वर्ष	अनुमोदित राशि	विमुक्त राशि	उपयोगित राशि	कमी	ली जाने वाली पीडब्ल्यूडी	वास्तविक ली गई पीडब्लूडी	कमी
			(रुपये लाख में)				(संख्या में)		
1	भारतीय विकलांग संघ, पटना	1998-03	35.01	33.49	25.56	7.93	170	130	40
2	श्रवण एवं भाषण संस्था, बिहार		19.53	33.65	33.65	-	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
3	बिहार पुनर्वास एवं कल्याण संस्था, पटना		181.32	109.95	96.04	13.91	940	871	69
4	त्रिपोलिया अस्पताल, पटना		7.05	5.26	5.26	-	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
5	भौतिक औषधि पुनर्वास, पटना		81.85	115.97	115.97	-	520	374	146
6	जे. एम. श्रवण एवं भाषण संस्था, पटना		33.07	67.78	54.63	13.15	584	500	84
7	आशादीप, पटना		1.38	1.38	1.38	-	453	60	393
8	बाबा वैद्यनाथ बालिका मूक एवं बधिर, मुंगेर		15.46	17.61	17.61	-	249	250	+1
9	गीरिजा शंकर दृष्टि विहिन, भागलपुर		18.09	18.94	11.46	7.48	140	140	-
10	रेड क्रॉस संस्था, मुजफ्फरपुर		9.94	9.94	9.94	-	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
11	नेहरू युवक केन्द्र संगठन, गया		22.19	शून्य	शून्य	-	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

क्रम सं.	गैर सरकारी संस्था का नाम	वर्ष	अनुमोदित राशि	विमुक्त राशि	उपयोगित राशि	कमी	ली जाने वाली पीडब्ल्यूडी	वास्तविक ली गई पीडब्लूडी	कमी
			(रुपये लाख में)				(संख्या में)		
12	कोशी क्षेत्रीय विकलांग विधवा, वृद्धा कल्याण समिति, सहरसा		131.05	79.16	51.67	27.49	1207	899	308
13	प्राकृतिक आरोग्य आश्रम, राजगीर, नालंदा		39.90	27.20	शून्य	27.20	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
		योग	**596.84**	**520.330**	**423.17**	**97.16**	**4263**	**3224**	**1039**